

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

पुस्तकालय
संगठन एवं संचालन

सिद्धान्त व व्यवहार

डॉ. सुभाषचन्द्र वर्मा □ श्यामनाथ श्रीवास्तव



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

द्वितीय संस्करण : 1978

तृतीय संस्करण : 1984

चतुर्थ संस्करण : 1988

पंचम संस्करण : 1990

षष्ठ संस्करण : 1992

Pustkalaya Sangathanam
Sanchalana

मूल्य : 30.00 रु.

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर,
जयपुर-302 004

मुद्रक :
कोटावाला ऑफसेट, जयपुर
फोन 76204

मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण योजना के
अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
द्वारा प्रकाशित।

प्रकाशकीय भूमिका

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 1992 को 24 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि में विश्व साहित्य के विभिन्न विषयों के उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के मौखिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर अकादमी ने हिन्दी-जगत के शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य पाठकों की सेवा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है।

अकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हों। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ, जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की दौड़ में अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हों और ऐसे ग्रन्थ भी जो अंग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करती रही है और करेगी जिनको पाकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नहीं, गौरवान्वित भी हो सकें। हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि अकादमी ने 350 से भी अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया है जिनमें से एकाधिक केन्द्र, राज्यों के बोर्डों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किये गये हैं तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशसित।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके फलस्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः अकादमी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उक्त सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

पुस्तकालय विज्ञान में उसके संगठन व संचालन पर प्रस्तुत पुस्तक अपना ही महत्व रखती है। यह जहाँ पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए उपयोगी होगी वहीं पुस्तकालयों में सेवारत वर्मन्धारियों के लिए भी मूल्यवान् निर्देशिका सिद्ध होगी। इतनी अल्पावधि में पाँच सस्करणों के समाप्त हो जाने के बाद यह छठा सस्करण आपके हाथों में है। इसके लिए अकादमी पुस्तक के लेखकगण डॉ. सुभाषचन्द्र वर्मा एवं श्री श्यामनाथ श्रीवास्तव तथा विद्वान पाठकों के प्रति आभारी है।

मैरोसिंह शेखावत

मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

डॉ. वेद प्रकाश

सहायक निदेशक
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

भूमिका

यद्यपि पुस्तकालय संगठन एवं संचालन पर भारतीय व विदेशी लेखकों की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं फिर भी भारतीय भाषाओं में उनकी कमी बहुत समय से महसूस की जाती रही है। आज जबकि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है, पुस्तकालय विज्ञान में हिन्दी में लिखित पुस्तकों की अत्यधिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से हमने प्रस्तुत पुस्तक को लिखने का प्रयत्न किया है।

इस क्षेत्र में प्रस्तुत पुस्तक ने एक और कमी को भी दूर किया है। अधिकांश वरन् सभी विदेशी लेखकों ने अपनी-अपनी पुस्तकों की संरचना अपने देश की विशिष्ट समस्याओं के आधार पर की है। उन पुस्तकों में भारतीय पुस्तकालयों की समस्याओं का नितान्त अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक के इस छोटे संस्करण में इस बात का ध्यान रखा गया है। साथ ही जहाँ भी आवश्यक लगा भारतीय समस्याओं तथा दृष्टिकोण का विदेशी समस्याओं व दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। फलस्वरूप प्रस्तुत पुस्तक न केवल पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए ही उपयोगी सिद्ध होगी वरन् पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को भी उचित मार्ग-दर्शन प्रदान करेगी।

हम उन सभी लेखकों एवं प्रकाशकों के आभारी हैं जिनकी पुस्तकों एवं लेखों का अध्ययन कर हमने आवश्यक उद्धरण दिये हैं। निस्संदेह इन उद्धरणों से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ी है।

अन्त में, हम डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर के आभारी हैं जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक को सशोधित एवं परिवर्धित रूप में प्रकाशित कराया है।

इस पुस्तक की उन्नति के सम्बन्ध में आने वाले रचनात्मक सुझावों के लिये हम पाठकों के अत्यन्त आभारी होंगे।

डॉ. सुभाषचन्द्र वर्मा
श्यामनाथ श्रीवारस्तव

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

भूमिका

1	पुस्तकालय विज्ञान का दर्शन	1
2	पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धान्त	5
3	सद्यालन के वैज्ञानिक आधार	12
4	पुस्तकालयों के विविध रूप	19
5	पुस्तकालय समिति	25
6.	पुस्तकालय कर्मचारी . उनकी विशेषताएँ, शिक्षा व व्यवस्था	31
7.	पुस्तकालय के वित्तीय साधन	45
8	पुस्तक चुनाव एवं संग्रह	53
9	ग्रन्थ प्रक्रिया	62
10.	पुस्तकों का वर्गीकरण	66
11.	सूचीकरण	129
12.	प्रलेखन	143
13.	पुस्तक प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया	148
14.	पत्रिकाएँ	152
15.	श्रव्य-दृश्य साधन	158
16.	संग्रह परीक्षण	163
17.	पुस्तकों की सुरक्षा	168
18	पुस्तक प्रत्याहरण	172
19.	पुस्तक निर्माण एवं आगम प्रणालियाँ	175
20.	प्रसार सेवा	182
*21.	पुस्तकालय सहयोग	187
22.	पुस्तकालय प्रचार	192
23.	सदर्भ सेवा	198
24.	पुस्तकालय भवन	202
25.	पुस्तकालयों उपकरण तथा उपकरण	211
26	पुस्तकालय तथा प्रौढ़ शिक्षा	220
27.	पुस्तकालय निर्यात	223
28.	भारत में पुस्तकालय विधान	227
29.	भारत में पुस्तकालय आन्दोलन	233
	अनुक्रमणिका	240

पुस्तकालय विज्ञान का दर्शन

‘दर्शन’ शब्द का उपयोग सामान्यतः ज्ञानार्जन के मूलभूत सिद्धान्तों तथा उनकी व्याख्याओं के लिए करते हैं। इस परिभाषा के दृष्टिकोण से, क्या पुस्तकालय विज्ञान का भी कोई दर्शन है? इस प्रश्न पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। रेमाण्ड डरविन¹ के कथनानुसार, पुस्तकालय विज्ञान का कोई दर्शन नहीं है और न ही उसकी कोई प्रावण्यकता है, क्योंकि पुस्तकालय-विज्ञान उनके मतानुसार, व्यावहारिक विज्ञान है तथा उसमें सैद्धान्तिकता जैसी कोई चीज ही नहीं है। इस विचारधारा के विपरीत क्रोट्फ्रील्ड² का कहना है कि दर्शन की खोज करना दार्शनिक का काम है। यदि पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालयाध्यक्षता का दर्शन खोजना है तो उसे स्वयं दार्शनिक होना पड़ेगा तथा अपने दर्शन को स्वयं ही खोजना व मूर्त रूप देना होगा। यह उसी पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार समाज में पुस्तकालय की प्रतिष्ठा स्थापित करता है। योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष अपने दर्शन, व्यवहार व कार्य से समाज में न केवल अपनी वरन् अपने पुस्तकालय की उपयोगिता सिद्ध करता है। परिवर्तित मानव-मूल्यों में पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्यों व उत्तरदायित्व में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिए हैं तथा आज का पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों का रक्षक मात्र न रहकर, पुस्तकों व ग्रन्थ अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कर, समाज को अधिक ज्ञानवान् बनाने वाला तथा उसे सही मार्ग की ओर ले जाने वाला पथ प्रदर्शक है। इतना होते हुए भी श्री राव³ के कथनानुसार, “पुस्तकालयों के उद्देश्य आज भी प्रस्पष्ट व परिभाषित नहीं हैं। संक्षेप में, पुस्तकालयाध्यक्ष उस आदर्श को समझने में असफल रहते हैं जो पुस्तकालय के कार्यक्षेत्र को बौद्धिक दिशा एवं सैद्धान्तिक मौलिकता प्रदान करते हैं, क्योंकि वे या तो बौद्धिक कार्यों से दूर तकनीकी क्षेत्र में खो जाते हैं प्रथवा बौद्धिक चुनौतियों का सामना करने में असफल रहते हैं।” पुस्तकालयाध्यक्ष के इस हीनता-बोध का उत्तरदायित्व बहुत कुछ हमारी शिक्षा-प्रणाली पर है जिसमें पुस्तकालय-विज्ञान का अध्यापन करते समय पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यावहारिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फलतः पुस्तकालयाध्यक्ष, जिसे पुस्तकालय-विषयक सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पहलुओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अपने कार्य को एक ही पहलू के सहारे सम्पादित करने का प्रयत्न करता है।

मुख्यतः इसी कारण भारत के पुस्तकालयाध्यक्षों में उस सेवा-भाव का तथा जन गुणों का अभाव है जिनके द्वारा वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं व उस दर्शन को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं जो वास्तव में हमारा दर्शन है।

पुस्तकालय संगठन एवं संचालन

पुस्तकालयाध्यक्षता के दर्शन को समझने में पुस्तकालय का कार्य-क्षेत्र, पुस्तकालयाध्यक्ष के गुण व उत्तरदायित्व को समझना महत्त्वपूर्ण है। पुस्तकालय क्या है? क्या वह केवल-मात्र पुस्तकों का सग्रह है? क्या उसका ध्येय सरक्षण अथवा उपयोग है? दो शताब्दी पूर्व तक पुस्तकालयों के निर्माण का उद्देश्य पुस्तकों को सुरक्षित रखना था जबकि आज शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि तथा मुद्रणकला के प्राविष्कार व विकास के कारण उसके इस ध्येय में परिवर्तन आया है। फलतः आज के पुस्तकालय संग्रहागार न रहकर, उपयोग के माध्यम से जीवित सस्था के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। हमारे देश में भी पुस्तकालय-जगत् में क्रान्ति आ रही है, परन्तु अन्तर इतना है कि पारन्त्या देशों में क्रान्ति का स्रोत जनता थी, यहाँ जनता काफी सीमा तक अपने दैनिक-कार्यों में ही व्यस्त रहती है तथा सरकार कुछ हद तक उदासीन है। इस पर भी पुस्तकालय-जगत् में क्रान्ति लाने का मुख्य प्रयास देश के गण्यमान पुस्तकालयाध्यक्ष ही कर रहे हैं। खेद है कि स्वतन्त्रता के 34 वर्ष बाद भी हम देश के अधिकांश राज्यों में पुस्तकालय विधेयक तक नहीं बना सके हैं। समाज के प्राध्यात्मिक नेताओं, विचारकों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों ने पुस्तकालय को सामाजिक चरित्र निर्माण का साधन माना है। पुस्तकालय पाठकों को सतार के महान प्रबुद्ध लेखकों की कृतियों के अध्ययन करने, मनन करने तथा उनके विचारों के साथ अपने विचारों का सामंजस्य करने के लिए प्रेरित/साहित्य करते हैं।

शैक्षणिक क्षेत्र में पुस्तकालय बालकों में अध्ययन करने की रुचि को बढ़ावा देते हैं जबकि उच्च शिक्षण व शोध संस्थाओं में वह शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने व शोध कार्य को उत्तम बनाने में सहयोगी होते हैं। यदि शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन करना, सही जीवन जीना तथा समाज को परिवर्तित करना है तो पुस्तकालयों का ध्येय उन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का ध्येय ज्ञान व विचारों का सवर्धन करना, शिक्षा व शोध में, प्रसार व सेवा तथा शोध कार्यों के नतीजों की व्याख्या करने में सहायक होना है। पुस्तकालय केवल शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि इनका ध्येय शोध कार्य में जो कि किसी विश्वविद्यालय का मुख्य ध्येय होता है, पूर्ण रूप से सहयोग देना है। अतः उस प्रकार के पुस्तकालय अनेक प्रकार के कार्यों में सलग्न रहते हैं, वह आज छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें, सहयोगिक अध्ययन की पुस्तकें, तथा पत्र-पत्रिकाएँ व सदस्य पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक विषय के छात्र, श्रद्धापक व शोधकर्ता को उनके विषय पर उपलब्ध साहित्य व वाङ्मय ग्रन्थों से परिचित कराते हैं तथा साथ ही साथ उच्च कोटि की तर्ज व सूचना सेवा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वह समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए योग्य कार्यकर्ता, प्रशासक शोधकर्ता, विज्ञानवेत्ता, नेतृत्व योग्य व्यक्तियों को पैदा करने में सहायक होते हैं।

सार्वजनिक पुस्तकालय जनता को शिक्षा के ग्रन्थकार से निकाल कर शिक्षा रूपी जगमगाते मूर्च के प्रकाश में लाने के एकमात्र साधन हैं। आज जहाँ सतार के अधिकांश क्षेत्र अशिक्षा, अज्ञान, मूल्य व गरीबी से प्रताडित हैं, पुस्तकालय बरदान सिद्ध हो सकते हैं। अपने कार्यक्रमों द्वारा वे जनता में व्याप्त अशिक्षा व अज्ञान को ही दूर नहीं करेंगे बल्कि जनता में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर गरीबी व मूल्य से छुटकारा दिलाने में भी सहायक होंगे। प्रजातान्त्रिक देशों में भी पुस्तकालयों का महत्त्व व उत्तरदायित्व काफी है। इनके सहयोग से हम प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा कर, समानता, सामाजिक न्याय व भावत्व की भावना की रक्षा करते हैं। सरकार का ध्येय क्या है? वह किस प्रकार जन-मानस के

जीवन-स्तर को ऊँचा उठा सकती है अथवा उठा रही है ? इस प्रकार की बातों की सही जानकारी जनता को पुस्तकालय के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। यह सच है कि इस प्रकार का कर्तव्य राजनैतिक पार्टियाँ, समाचार-पत्र आदि भी करते हैं, परन्तु उनका उद्देश्य जनता के सम्मुख अपने दृष्टिकोण को ही रखना होता है और वे सरकार के दोषों को बहुत बड़ा-बड़ा कर रखते हैं। इस क्षेत्र में निष्पक्ष सेवा केवल पुस्तकालय ही कर सकते हैं। जनता में बौद्धिक विकास कर उनमें प्रजातन्त्र के उपयुक्त राजनैतिक चेतना पुस्तकालय ही जाग्रत कर सकता है। निरंकुश शासनतन्त्र में तो पुस्तकालयों का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस शासनतन्त्र में पुस्तकालय जनता के प्रतिरिक्त सानासाह को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सीमाओं का ज्ञान करा सकता है। यह जनता में राजनैतिक चेतना को जाग्रत कर, निरंकुशतापूर्ण शासन पर भी अंकुश लगाने की शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि प्राचीनकाल में सानासाहों ने अनेक पुस्तकालयों को नष्ट करवा दिया था। धार्मिक काल में भी विदेशी शासक अपने शासित देशों में उन देशों की संस्कृति को भागे बढ़ने से रोकते हैं जिससे वहाँ के निवासियों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उदय न हो सके। अंग्रेज शासकों ने भारत में रह कर भारतीय संस्कृति व सम्पत्ता का विकृत स्वरूप हमारे सम्मुख रखा तथा हमारे देश में ही हमें विध्वंस हुए होने की उपगधि से झलकृत किया। अतन्तु सौभाग्यवश देश में सांस्कृतिक और राजनैतिक जागरण पैदा हुआ और इसमें सांस्कृतिक ध्वशेषों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। प्रत्येक देश में पुस्तकालय वहाँ की संस्कृति व सम्पत्ता के सजग प्रहरी हैं। पुस्तकालय हमें शान कराते हैं कि हम क्या थे ? क्या हैं ? तथा हमें क्या होना चाहिए ? इस प्रकार पुस्तकालय केवल पुस्तकों के उपयोग के साधनमात्र न होकर जन-जागरण करने, ज्ञान को बढ़ाने तथा हमारे जीवन-दर्शन को ऊँचा करने में सहायक होते हैं। अध्ययन मानवीय विकास को भागे बढ़ाता है, यह सर्वमान्य सत्य है। पुस्तकालयाध्यक्ष भी इसी सत्य में विश्वास करता है।

इतने महान उद्देश्य की पूर्ति में पुस्तकालयाध्यक्ष का क्या दायित्व है ? क्या उसका दायित्व पुस्तकों को उपलब्ध करा कर ही समाप्त हो जाता है ? यह धारणा कि पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य केवल पुस्तकें उपलब्ध करा देना ही है, भ्रामक है। एक और धाज सत्तर में, करोडो व्यक्ति अज्ञान के अन्धकार में मोते लगा रहे हैं वहीं दूसरी ओर साहित्यिक विस्फोट के कारण, शिक्षित व अध्ययनरत व्यक्ति साहित्य का प्रवाह समुद्र होते हुए भी भ्रमहाय से हो रहे हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह सब कुछ नहीं पढ़ सकता है जिसका आज प्रकाशन हो रहा है। क्या पुस्तकालय-भवन व पुस्तकें उन्हें उस अन्धकार से मुक्त करा सकते हैं ? कदापि नहीं। इस कार्य के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो उन लोगों को अज्ञान की गहरी नींद से जगाये और ज्ञान के जगमगाते प्रकाश में लाकर खड़ा करे। यह कार्य केवल योग्य व अनुभवी पुस्तकालयाध्यक्ष ही कर सकता है। विभिन्न देशों की सरकारें अपने-अपने देश में शिक्षा के प्रसार में लगी हुई हैं। पुस्तकालय और पुस्तकालयाध्यक्ष उस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दे सकते हैं व दे रहे हैं। प्रौढ शिक्षा के माध्यम से जन-सम्पर्क बढ़ाया जा रहा है। पुस्तकालय प्रौढ-शिक्षा-प्रधिकारियों व जनता के मध्य महत्त्वपूर्ण कड़ी है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा वे एक ओर तो प्रौढ शिक्षा-प्रधिकारियों से सहयोग करते हैं तथा दूसरी ओर जनता में प्रौढ-शिक्षा के प्रति

जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार बाल पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकालयाध्यक्ष देश के भावी कर्णधारों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित कर, ज्ञानार्जन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। अधिक उन्नत स्तर पर पुस्तकालय सदस्य, सूचना व प्रलेखन सेवाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रन्थयन कर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में संलग्न हैं। वह सप्ताह में प्रकाशित मामूरी का सकलन करते हैं, इनका ग्रन्थेषण करते हैं, प्रमुख सूचना स्रोतों को व्यवस्थित करते हैं, उनकी अनुक्रमणिका तैयार करते हैं और सज्जित करते हैं साथ ही यदि आवश्यकता पड़ती है तो पुनः चित्रांकन करते हैं तथा अनुवाद करते हैं। अतः हम देखते हैं कि पुस्तकालय बालक, युवा, वृद्ध तथा सभी प्रकार के पाठकों को अपने कार्य व व्यवहार से पुस्तकालय की ओर आकर्षित करते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष यह सब कार्य अपनी शिक्षा के आधार पर ही नहीं कर सकता। उसमें नेतृत्व करने की शक्ति का होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि वह व्यवहार-कुशल हो, उसमें एक नेता के सभी अङ्ग गुण हों तभी वह समाज का भला कर सकता है और तभी वह मनु द्वारा प्रतिपादित इस ध्येय की पूर्ति कर सकता है : "उन लोगों के द्वार तक, जिनके पास ज्ञान का अभाव है, ज्ञान को ले जाने तथा सभी का सत्य की खोज के लिए शिक्षित करने से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती, चाहे उसके बदले में समस्त पृथ्वी का दान ही क्यों न कर दिया जाए।" क्या पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए इस उद्देश्य से ऊपर भी कोई उद्देश्य हो सकता है, अथवा इससे ऊँचा दर्शन हो सकता है? डॉ. पद्मश्री रघुनाथन ने ग्रन्थालय शास्त्र पंच सूत्राणि के प्रस्तुत इसके दर्शन को प्रस्तुत किया है। इन पंच सूत्रों की हम दूसरे अध्याय में विवेचना करेंगे। यहाँ उनका उल्लेख ही पर्याप्त है—

“ग्रन्थालयी सदाशेवी पंच सूत्र परामणः।

ग्रन्था अध्येतुम्-एते च सर्वेभ्यः स्व स्वमात्रुपः ॥

अध्येतुः समय शोपते-पालयो निरयमेव च।

— अधिष्णुः एव चिन्मूर्तिः पंच सूत्री सदा जयेत् ॥”⁵

References

1. Raymond Irwin. 'Librarianship.' London, Grafton & Co, 1949.
2. Broadfield. A. 'Philosophy of Librarianship'. London, Grafton & Co., 1949.
3. K. Rama Krishana Rao. 'Philosophy of Librarianship' In Development of Libraries in India. Ed. by N. B. Sen, New Delhi, New Book Society of India, 1965. p. 295.
4. S. R. Ranganathan. 'Five Laws of Library Science.' Bombay, Asia Publishing House, 1957. p. 9.
5. Ibid.

पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त

पिछले अध्याय में हमने सिद्धान्त की महत्ता पर विचार किया था। सिद्धान्त पुस्तकालय दर्शन का निर्माण करते हैं तथा उन्हीं सिद्धान्तों को हमें व्यवहार रूप में परिणत करना चाहिए। पुस्तकालय-दर्शन की महत्ता सिद्धान्त व व्यवहार के मध्य सामंजस्य पर निर्भर करती है। सिद्धान्त व व्यवहार के बीच की खाई हमारे दर्शन को प्रव्यवस्थित करती है तथा इसमें बौद्धिकहीनता को प्रोत्साहन देती है। अतः यह आवश्यक है कि हम पुस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्तों को भलीभांति समझें तथा उन्हें व्यवहार में परिणत करें। इस अध्याय में हम पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धान्तों का संक्षेप में विवेचन करेंगे। डॉ० रंगनाथन ने इन सिद्धान्तों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढंग से अपनी पुस्तक 'Five Laws of Library Science' में की है। जिज्ञासु पाठकों से निवेदन है कि इस पुस्तक का अध्ययन करें तथा अपने पुस्तकालयों में इन सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने की चेष्टा करें, तभी हमारे पुस्तकालयों का भविष्य उज्ज्वल होगा। पुस्तकालय-विज्ञान के ये सिद्धान्त अन्य सभी सिद्धान्तों की भांति अत्यन्त सरल व संक्षिप्त हैं। यदि पुस्तकालयाध्यक्षों में इनके प्रति प्राप्ति होगी तो निश्चित है कि वह इन्हें सुगमतापूर्वक कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे। प्रावश्यकता केवल इस बात की है कि प्रायः का पुस्तकालयाध्यक्ष उन सिद्धान्तों में अपने दर्शन को पहचाने तथा उनमें ही वह अपनी निष्ठा, भक्ति, विचारों की पूर्णता को प्राप्त करे।

सर्व प्रथम डॉ० रंगनाथन ने सन् 1933 में पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित सूत्रों को प्रतिपादित किया था—

1. पुस्तकें उपयोग के लिए हैं।
2. प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, अथवा पुस्तकें सबके लिए हैं।
3. प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले।
4. पाठक का समय बचाओ।
5. पुस्तकालय बर्द्धनशील संस्था है।

जिन्हें उन्होंने आगे चल कर इस प्रकार परिवर्तित कर दिया—

1. प्रत्येक उपयोग के लिए हैं।
2. प्रत्येक पाठक को उसका प्रत्येक व सूचना मिले अथवा प्रत्येक सबके लिए हैं।
3. प्रत्येक प्रत्येक को उसका पाठक मिले।
4. पाठक का समय बचाओ।
5. पुस्तकालय बर्द्धनशील संस्था है।

इस प्रकार डॉ. रमनाथन ने पुस्तकालयों के कार्यक्षेत्र को विकसित व परिमार्जित कर पुस्तकालयों की उपयोगिता को बढ़ाया ।

वे पुस्तकालय जिनकी रचना व व्यवस्था इन सिद्धान्तों के आधार पर हो, पुस्तकों का सग्रह मात्र न रह कर ज्ञान के महान् मन्दिर होंगे तथा समाज की भ्रूणधनीय सेवा करेंगे । भवतः आवश्यक है कि हम इन सिद्धान्तों की रूपांशुता समझें । ये नियम इस प्रकार हैं—

पुस्तकों अथवा प्रलेख उपयोग के लिए हैं ।

पुस्तकों अथवा प्रलेख उपयोग के लिए हैं । पुस्तकालय विज्ञान का साधारण-सा नियम है । इसमें कोई भी विवादप्रस्त पहलू नहीं है । सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुस्तकों व प्रलेखों का उपयोग होना चाहिए, परन्तु व्यवहार में बात बिल्कुल विपरीत है । आज भी अनेक देशों में, और यहाँ तक कि हमारे देश में भी, सभी जगह पुस्तकों का खुला उपयोग नहीं हो पाता है । पुराने विचार अभी भी हमारे अस्तिष्क को जकड़े हुए हैं । आज भी पुरानी आदतें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं । यदि भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करें तो हम अनुभव करेंगे कि पुस्तकों अभी भी उपयोग के लिए स्वयन्त्र नहीं हैं । विश्वविद्यालय पुस्तकालयों तक में उचित प्रलेखन सेवाओं का प्रभाव है जिसके कारण अनेकानेक प्रलेखों का उपयोग नहीं हो पाता है । पुस्तकालय का स्थान, कार्यालय, फर्नीचर व अन्य सामान तथा पुस्तकालय कर्मचारी सभी पुस्तकों व प्रलेखों के उपयोग में बाधक हैं तथा हो सकते हैं । अधिकांश पुस्तकालय ऐसे स्थान पर बने हैं जहाँ जनसाधारण सुविधापूर्वक नहीं पहुँच सकते । फलस्वरूप वे व्यक्ति भी जो पुस्तक-प्रेमी हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते तथा पुस्तकों का उपयोग नहीं कर पाते । पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय ऐसे स्थान पर हों जहाँ सभी नागरिक व पाठक सुविधापूर्वक पहुँच सकें । पुस्तकालय के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय आवश्यक है कि पुस्तकालय अधिकारी एक दूकानदार का दृष्टिकोण धरनाएँ । जिन प्रकार दूकानदार अपनी दूकान के स्थान का निर्धारण ग्राहकों की सुविधा पर करता है जिससे अधिक से अधिक ग्राहक दूकान पर पहुँचें, उसी प्रकार पुस्तकालय के स्थान का निर्धारण पाठकों की सुविधा का ध्यान रखकर किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पाठक वहाँ सुविधापूर्वक पहुँच सकें तथा पुस्तकों के उपयोग की सम्भावना बढ़े ।

पुस्तकालय स्थान के चुनाव के उपरान्त पुस्तकालय कार्यकाल आता है जो पुस्तकों के उपयोग में सहायक हो सकता है । यदि पुस्तकालय को ऐसे समय खोला जाए जबकि उस क्षेत्र के अधिकांश पाठक अपने कार्य में व्यस्त हों तो पुस्तकालय की उपयोगिता में स्वभावतः कमी आएगी । सम्भावना तो यहाँ तक है कि उस पुस्तकालय का उपयोग ही न हो । सन् 1806 ई. में एक छात्र ने दुलित होकर पुस्तकालय के द्वार पर म्यूज ऑफ ग्रीस की यह उक्ति "तुम पर लानत हो जोकि ज्ञान की कुँजी ले गए हो । न तो तुम स्वयं प्रवेश करते हो तथा दूसरों के रास्ते में भी रुकावट डालने हो" लिख दी । आज भी हमारे देश के शैक्षणिक पुस्तकालयों का समय इस सम्बन्ध में चिन्ता का विषय है । अधिकांश स्कूल व कॉलेज पुस्तकालय स्कूल के समय में ही अर्थात् प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुलते हैं । फलस्वरूप विद्यार्थी जिनकी ज्ञानवृद्धि के लिए ही पुस्तकालय की स्थापना हुई है उसके उपयोग से

वंचित रह जाते हैं। अनुभव यह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रकार समय निकाल कर पुस्तकालय पहुँच भी गया तो समयाभाव के कारण उसे उसकी इच्छित पुस्तक मिलने में कठिनाई होती है और बहुधा उसकी इच्छा संपूर्ण रह जाती है। इतना होने पर भी स्कूल व कलेज के पुस्तकालयों के समय में परिवर्तन की सम्भावना कम से कम इस समय नहीं है क्योंकि उनमें उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या इतनी कम है कि वह पुस्तकालय कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते हैं। इन सबों के द्वारा हम स्कूल व कलेज के संचालकों से प्रायः रखते हैं कि वे इस सम्बन्ध में ध्यान दें। इस क्षेत्र में पुस्तकालयों का समय प्रातः व सायं रखना उचित होगा, चाहे ऐसा करने के लिए दोपहर में पुस्तकालय को बन्द रखना पड़े। विश्वविद्यालय पुस्तकालय अवश्य 12 घण्टे तक सामान्यतः प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक खुले रहते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रवृत्ति भी इस सदम में प्रच्छिन्नी नहीं है। इनका समय भी अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है। कहीं-कहीं तो उनका समय भी प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक होता है तथा कई स्थानों पर तो बरा और भी खराब है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का उपयोग सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी तथा आम जनता करती है। विद्यार्थी भी उसके संग्रह का उचित लाभ उठा सकते हैं। अतः प्रावश्यक है कि ऐसे पुस्तकालयों का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहे। रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी पुस्तकालय को बन्द रखना इनकी उपयोगिता को कम करना है। ऐसा करने से पुस्तकालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि अवश्य करनी पड़ेगी परन्तु उसके फलस्वरूप जो लाभ होगा, उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। पुस्तकालय के समय का निर्धारण पुस्तकालय कर्मचारियों की सुविधानुसार न होकर पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

इसके प्रतिरिक्त पुस्तकालय का फर्नीचर व अन्य सामान भी इस प्रकार का होना चाहिए जो आरामदेह हो तथा पाठक सुविधापूर्वक उनका उपयोग कर सकें। यदि पुस्तकालय का फर्नीचर गन्दा व अनुपयोगी होगा तो पाठक को बैठने व गढ़ने में असुविधा एवं असुखि होगी। फलस्वरूप वह पुस्तकालय में कम ही आयेगा। आराम से बैठकर पढ़ने-लिखने की सुविधा पाठक को पुस्तकालय में प्राकर पढ़ने के लिए प्रामाणित करती है। इस पर यदि पुस्तकालय को वातायुक्त करने का प्रावधान हो तो पाठक में उसका उपयोग करने की प्रमत्ता और भी जाग्रत होगी। ऐसा करने में व्यय तो अवश्य प्रत्यधिक होगा परन्तु उसकी प्रयेक्षा लाभ कई गुना अधिक होगा। प्रायः विदेशों में पुस्तकालयों पर असीमित धनराशि व्यय की जा रही है तथा वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान की वृद्धि भी प्रसीमित हो रही है और मनुष्य की चाँद तारों में पहुँचने की कल्पना साकार होती जा रही है। तब हमारे देश में पुस्तकालयों के प्रति ऐसी उपेक्षा क्यों ?

पुस्तकालय स्थान, समय तथा फर्नीचर आदि पुस्तकालय कर्मचारियों के सहयोग से ही पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में पुस्तकालय कर्मचारी का सहयोग ही निर्णायक है। पुस्तकालय कर्मचारी ही पुस्तकालय के उपयोग को घटा व बढ़ा सकता है। हमें यह स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि पुस्तकालय कर्मचारी की प्रयोप्यता व प्रव्यवहार, पुस्तकालय स्थान, समय व फर्नीचर आदि के उपयुक्त होने पर भी पुस्तकालय व पुस्तकों के उपयोग में सर्वथा बाधक सिद्ध होगा। अतः प्रावश्यक है कि पुस्तकालय कर्मचारी योग्य हो तथा साथ ही उसे प्रतिभाशाली, परिहास चतुर, शान्त, यथार्थवादी एवं शिष्ट होना प्रावश्यक है। इन गुणों से ही वह स्वयं समान में सभी का प्रिय बन सकता

है तथा साथ ही पुस्तकालय के उपयोग में प्रवर्धनीय वृद्धि करा सकता है। इससे मानवता की अमानवीय तत्त्वों पर विजय में कोई सन्देह नहीं है।

प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक व प्रलेख मिले
अथवा

पुस्तकें व प्रलेख सबके लिए है।

“पुस्तकालय-विज्ञान का दूसरा सिद्धान्त इस क्रान्ति को एक कदम और धागे बढ़ाने के लिए प्रथम सिद्धान्त का अनुसरण करता है। यदि प्रथम सिद्धान्त ने “पुस्तकें सुरक्षण के लिए हैं” के विचार को बदला तो दूसरे सिद्धान्त ने “पुस्तकें खुले हुए कुछ के लिए हैं” के विचार को प्रशस्त किया। यदि प्रथम सिद्धान्त की क्रान्तिकारी पुकार “पुस्तकें उपयोग के लिए हैं” तो दूसरे सिद्धान्त की क्रान्तिकारी पुकार “पुस्तकें सबके लिए हैं।” यदि प्रथम सिद्धान्त का दृष्टिकोण पुस्तकों की धोर से है तो दूसरे सिद्धान्त का दृष्टिकोण पुस्तकों का उपयोग करने वाले की धोर से है। यदि प्रथम सिद्धान्त पुस्तकालय में जीवन-संचार करता है तो दूसरा पुस्तकालय को राष्ट्रव्यापी समस्या के रूप में अभिवृद्धित करता है। यदि प्रथम सिद्धान्त वर्तमान पुस्तकालयों को खोल डालता है तो दूसरा नये पुस्तकालयों की रचना करता है तथा नये प्रकार की पुस्तकालय सम्यता को जन्म देता है। यदि प्रथम सिद्धान्त की प्रपनाने में असम्मति थी तो दूसरे के लिए प्रारम्भ में व्यापक प्रतिरोध है। अतः दूसरे सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित क्रान्ति अधिक उन्नत है तथा मानवता के ध्येय के अधिक निकट साती है।”² डॉ० रगनाथन के अनुसार, पुस्तकों को सभी प्रकार के लोगों को उपलब्ध कराने में बहुत बड़े सघर्ष का सामना करना पड़ा है तथा प्रत्येक देश में उम अमूर्त सघर्ष में द्वितीय सिद्धान्त की विजय हुई तथा पुस्तकें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के पर्याप्त उन्नत, जाति, लिंग, रंग, राजनैतिक व प्राथमिक स्तर का विचार किए उपलब्ध होने लगी। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पुस्तक, प्रलेख व सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। अतः यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पुस्तक मिले जबकि प्रत्येक पाठक की अभिवृद्धि भिन्न है। डॉ० रगनाथन ने इस सन्दर्भ में (1) राज्य का उत्तरदायित्व, (2) पुस्तकालय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व, (3) पुस्तकालय कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तथा (4) स्वयं पाठकों के उत्तरदायित्व³ का उल्लेख किया है। यदि यह सभी अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करें तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक सुगमता से मिल सकती है। हम इनमें से प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

(1) राज्य का उत्तरदायित्व

राज्य का पुस्तकालयों के प्रति उत्तरदायित्व वित्त, विधान व पुस्तकालयों में प्रापसी समन्वय पर निर्भर करता है। इनमें वित्त व विधान प्रमुख हैं। कोई भी राज्य धन व्यय किए बिना पुस्तकालयों के निर्माण, उनके विकास व संचालन का प्रबन्ध नहीं कर सकता है। उसे धन उपलब्ध करने के लिए कर लगाने पड़ते हैं तथा कर लगाने के लिए उचित विधान की आवश्यकता होती है। आज ससार के समृद्धशाली देशों में पुस्तकालय विधान बने हुए हैं। भारत में भी मद्रास, घाघ्र, मैसूर, महाराष्ट्र राज्यों में ऐसे विधान का निर्माण हो चुका है। संपूर्ण भारत व अन्य राज्यों में अभी इस प्रकार के विधान नहीं बन पाए हैं। इस प्रकार के विधान बनने से पुस्तकालयों को कानूनी सुरक्षण प्राप्त होता है तथा विदेशी साधन की प्राप्ति होती है। इनके अतिरिक्त राज्य का दायित्व है कि वह विधान द्वारा

राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों में समन्वय स्थापित करे जिससे राज्य के सभी पुस्तकालय एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। इसी प्रकार राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह शिक्षा के प्रसार के साथ साथ स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए आवश्यक धन राशि की व्यवस्था करे। सामान्यतः देखा गया है कि इस प्रकार के पुस्तकालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन राशि उपलब्ध न होने के कारण आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में भी असमर्थ रहते हैं।

(2) पुस्तकालय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व

पुस्तकालय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व पुस्तकों तथा कर्मचारियों का चयन है। सीमित उपलब्ध धन से प्रत्येक पाठक को उसकी इच्छित पुस्तक उपलब्ध कराई जाए यह विकट समस्या है। अतः प्राधिकारी को पुस्तक चयन करने से पूर्व यह सोचना आवश्यक है कि उस पुस्तक का कितना उपयोग हो सकेगा। यह तो सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक उपसभ्य पुस्तक व प्रलेख को जय करवा ले। अतः यह आवश्यक है कि पुस्तक चुनाव करते समय वह उस क्षेत्र की जनता की प्रतिरुचि जाने, उनके बौद्धिक स्तर से परिचित हो और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुस्तक चयन करे तथा विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में पुस्तकालय सहयोग की भावना से बढ़ावा देने का प्रयास करे। किसी भी एक क्षेत्र के पुस्तकालय प्राधिकारी श्रापय में बैठकर यह निर्णय कर सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार की अध्ययन सामग्री को ऋय करना है। सहयोगिक अधिग्रहण को अपनाकर वह अधिक से अधिक पाठकों को, अधिक से अधिक पुस्तकों व प्रलेखों को उपलब्ध कराने में सहायक हो सकते हैं।

इसके साथ ही अत्यधिक महत्वपूर्ण बात पुस्तकालय कर्मचारियों का चयन व नियुक्ति है। पुस्तकालय प्राधिकारी को इस कार्य में पूर्ण सजग रहने की आवश्यकता है। उसे यह देखना चाहिए कि पुस्तकालयों में ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति हो जो योग्य हों, पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित हो तथा जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता हो।

(3) पुस्तकालय कर्मचारियों का उत्तरदायित्व

प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध कराने में प्रमुख दायित्व पुस्तकालय कर्मचारी का ही होता है। यदि पुस्तकालय कर्मचारी उस उद्देश्य की पूर्ति में सही ढंग में कार्य नहीं करेंगे तो राज्य व प्राधिकारी के द्वारा पूर्ण क्रिया दृष्टा दायित्व भी निरर्थक हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि पुस्तकालय कर्मचारी अपने दायित्व को समझे तथा उसे पूर्ण करने की चेष्टा करें। दूसरे सिद्धान्त के आदर्शों को पुस्तकालय कर्मचारी अपने व्यवहार, प्रशिक्षण, पुस्तकों, पुस्तक सूची, सहायक व सामान्य पुस्तकों की जानकारी, पाठकों से सीधा सम्पर्क कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी, सूची पत्रक तथा संदर्भ सेवा द्वारा कर सकते हैं। योग्य पुस्तकालय कर्मचारी जिसे स्वयं पुस्तकों से प्रेम हो तथा दूसरे सिद्धान्त के प्रति आस्था हो अपने दायित्व को भलीभाँति पूर्ण कर सकता है।

(4) पाठकों का उत्तरदायित्व

पाठकों को पुस्तकालय का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय का उपयोग अन्य लोग भी करते हैं। अतः पुस्तकों को समय पर वापस करना, उसे साफ

रखना तथा पुस्तकालय के नियमों का पालन करना प्रत्येक पाठक के लिए आवश्यक है। पाठकों को चाहिए कि जब तक अत्यावश्यक न हो पुस्तकालय से विशिष्ट सुविधा प्राप्त करने की चेष्टा न करें। सन्दर्भ-ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का अध्ययन पुस्तकालय में ही करें जिससे अन्य पाठक भी उनका उपयोग कर सकें।

इस प्रकार राज्य, पुस्तकालय प्राधिकारी, कर्मचारी तथा पाठक सभी मिल कर पुस्तकालय को एक भादर्श पुस्तकालय बना सकते हैं।

प्रत्येक पुस्तक व प्रलेख को उसका पाठक मिले

प्रत्येक पुस्तक व प्रलेख को उसका पाठक मिले, यद्यपि प्रथम सिद्धान्त के अनुरूप पुस्तकों के दृष्टिकोण में प्रतिपादित हुआ है। परन्तु दूसरे अर्थों में यह द्वितीय सिद्धान्त का पूरक है। यदि दूसरे सिद्धान्त में प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक व प्रलेख दिलाने का भादर्श था तो इनमें प्रत्येक पुस्तक को बाँधित पाठक उपलब्ध कराने का भादर्श है। यह सिद्धान्त इस बात की चेष्टा करता है कि पुस्तकालय में उपलब्ध प्रत्येक पुस्तक व प्रलेख का उपयोग हो। इस ध्येय की पूर्ति में पुस्तकालय कर्मचारी का महान् दायित्व है। वही पुस्तकालय में उपलब्ध प्रत्येक पुस्तक के लिए उचित पाठक खोज सकता है। ऐसा करने में उसे अपने प्रशिक्षण के सम्पूर्ण कौशल का उपयोग करना पड़ता है। पुस्तकों तक पाठकों का सबाध प्रवेश, अनुवर्ण क्रम में पुस्तकों व प्रलेखों की व्यवस्था, सूचीकरण, प्रसार सेवा, पुस्तक चयन, प्रसार कार्य, विशिष्ट व उपयोगी विभाग, पुस्तक प्रदर्शन तथा सन्दर्भ सेवा इस ध्येय की पूर्ति में सहायक है।

पाठक का समय बचाओ

पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सिद्धान्त "पाठक का समय बचाओ" पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा आत्म-समर्पित नैतिक सिद्धान्त है जिसने पुस्तकालय विज्ञान की सीमाओं को परिवर्तित कर दिया है। इच्छित पुस्तक व अध्ययन सामग्री के उपलब्ध होने में देरी पाठक के समय पर आघात करती है तथा इसमें असंतोष की भावना का पैदा होना स्वाभाविक है। इस सिद्धान्त की पूर्ति के लिए पुस्तकालयाध्यक्षों ने अनेक विधियाँ अपनाई हैं तथा पुस्तक सग्रह तक सबाध प्रवेश से लेकर पुस्तकों व सूचना स्रोतों के वर्गीकृत व्यवस्थापन तक का मार्ग तय किया है। इनके मध्य आवश्यक प्रदर्शक यत्र अच्छा व सुव्यवस्थित सूचीकरण, सदर्भ व वाङ्मय सेवाएँ तथा ऐसी पुस्तक भादान-प्रदान प्रणालियों को अपनाया है जिनके द्वारा पाठक का अधिक से अधिक समय बचे।

परन्तु वर्तमान में प्रकाशित सामग्री के विस्फोटक बिन्दु तक पहुँच जाने के कारण पुस्तकालयाध्यक्षों का दायित्व और अधिक बढ़ गया है। आज सप्ताह में 2000 से 3000 पृष्ठ प्रति मिनट की दर से अध्ययन सामग्री का सप्ताह की 60 से अधिक भाषाओं में प्रकाशन हो रहा है। इतनी अधिक अध्ययन सामग्री को न तो कोई पाठक पढ़ सकता है और न ही कोई पुस्तकालय भ्रम कर अध्ययन के लिए उपलब्ध करा सकता है। इस समस्या ने पुस्तकालयों में बाङ्गमय सेवाओं पर अत्यधिक जोर डाला है और आज के उच्चतम पुस्तकालय बाङ्गमय सेवाएँ जिनमें डेटाबेसिंग, एन्सट्रूविटिंग, व रिप्रोग्राफिक सेवाएँ मुख्य हैं। इन सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए पुस्तकालय सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। इसकी ओर भी पुस्तकालयाध्यक्षों का ध्यान कासी समय से आकर्षित है। आज हमारा ध्येय तो यह

है कि किसी भी शोध कर्ता को उसकी अध्ययन सामग्री, भाषा, समय व स्थान की सीमाओं को लांघ कर तुरन्त उपलब्ध करायी जाय। मात्र आवश्यकता इस बात की है कि सही पाठक नो, सही सूचना, सही समय पर व सही धन व्यय, कर सही रूप में उपलब्ध होती रहे। तभी हम उस भसतोष को दूर कर सकेंगे जो पाठक को समय पर उसकी अध्ययन सामग्री उपलब्ध न होने पर होता है तथा तभी हम सही अर्थों में पाठक का समय बचा पायेंगे।

पुस्तकालय वृद्धि नशील संस्था है

डॉ० रमनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का पाँचवाँ सिद्धान्त 'पुस्तकालय वृद्धि नशील संस्था है' जैविक सिद्धान्त के आधार पर निर्मित है। जिस प्रकार जीव ग्रन्थ प्रावश्यकताओं के पूर्ण होने पर स्वतः ही बढ़ता है, उसी प्रकार पुस्तकालय भी अपनी प्रावश्यकताओं की पूर्ति होते ही बढ़ने व फलने-फूलने लगता है। अतः नया पुस्तकालय निर्माण अथवा वर्तमान पुस्तकालयों के प्रसार की योजना बनाते समय हम सिद्धान्त को ध्यान में रखना आवश्यक है। पुस्तकालय भवन का निर्माण यह ध्यान में रख कर किया जाए कि पुस्तकालय अगले २० वर्षों में कितना बढ़ जाएगा। पुस्तकालय में विभिन्न विभागों का प्रावधान होना आवश्यक है। साथ ही पुस्तकालय भवन का निर्माण इस प्रकार हो जिससे प्रावश्यकता पड़ने पर बिना अधिक कठिनाई के उपयुक्त परिवर्तन किये जा सकें। केवल निर्माण ही नहीं पुस्तकालय द्वारा ऐसी तकनीक अपनायी जानी चाहिए जिससे पुस्तकालय की वृद्धि में अतिरिक्त उत्पन्न न हो सके। उदाहरणार्थ पत्रक सूचीकरण का उपयोग पुस्तकालय की वृद्धि में किसी भी दशा में अतिरिक्त उत्पन्न नहीं कर सकता, जबकि शीफ सूची व छपी हुई सूची ऐसा अतिरिक्त उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार अच्छी व सुगम वर्गीकरण योजना का उपयोग होना चाहिए। पुस्तकालय वृद्धि नशील है, अतः इनका निर्माण ऐसे आधारों पर होना चाहिए जिससे उनकी उत्पत्ति व वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट न पा सके।

उपर्युक्त सिद्धान्त पुस्तकालय-विज्ञान के सैद्धान्तिक दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। यह सिद्धान्त पुस्तकालय कर्मचारी की धारार-संहिता का रूप धारण कर सकते हैं तथा उसे अच्छे पुस्तकालय के रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई कारण नहीं कि समाज, उस पुस्तकालयाध्यक्ष को जिसने समाज के विकास में योगदान किया हो, प्रतिष्ठित स्थान न दे। यह सिद्धान्त हमारे विश्वास एवं निष्ठा के प्रतीक हैं।

References

1. S. R. Ranganathan. 'Five Laws of Library Science.' Bombay, Asia Publishing House, 1957. p. 38.
2. Ibid., p. 80.
3. Ibid., p. 190.

संचालन के वैज्ञानिक आधार

सामान्यतः संचालन शब्द का उपयोग निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में कुछेक व्यक्तियों के सहयोगिक प्रयत्न के लिए करते हैं। सलेप में अनेक व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में योजनाबद्ध कार्य करते हैं। उनके इस योजनाबद्ध कार्य के कुछ निश्चित नियम होते हैं तथा वही संचालन के वैज्ञानिक सिद्धान्त व आधार होते हैं। सिद्धान्त व आधार के बिना कोई भी कार्य योजनाबद्ध नहीं हो सकता है। लुइस के शब्दों में 'वे केवल आचरण के कार्य नियम बनाते हैं, जो विस्तृत अनुभव के आधार पर माध्य से हो गए हैं।'¹ किसी भी प्रशासक को यदि वह सफल होना चाहता है तो उन सिद्धान्तों को जानना तथा परिस्थिति के अनुसार उन्हें प्रयुक्त करना चाहिए।

संचालन के सिद्धान्तों में सर्वप्रथम अधिकार व शक्ति का सिद्धान्त आता है। संचालन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके पास अधिकार होते हैं। अधिकार उस शक्ति को कहते हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अन्य अनेक व्यक्तियों से स्वभावतः आज्ञा पालन कराता है। प्रत्येक सस्था, विभाग में एक उच्च पदाधिकारी होता है तथा उसके अन्तर्गत अनेक अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं जो उसके आदेशों का पालन करते हैं। नेपोलियन ने कहा है कि प्रत्येक कार्य के लिए मुख्य पदाधिकारी का होना आवश्यक है। "किसी भी कार्य की सफलता उसी पर निर्भर करती है चाहे वह उस उद्योग का प्रतिष्ठाता, नायक व कम्पनी का संचालन करता हो। वह मुख्य है, योजना बनाता है, संचालन करता है, आदेश देता है तथा पूर्वादेश का सफ़टन करता है तथा वही अपने दिए हुए आदेशों को क्रियान्वित कराता है।"² वह अपने आदेशों का पालन अपने अधिकार की शक्ति के द्वारा जिसके अन्तर्गत आदेश पालन न करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था भी होती है, कराता है। किसी भी सस्था की सफलता अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारियों के परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी दिए हुए आदेशों का पालन न करें तथा करें भी तो इस प्रकार जिससे उन आदेशों का मतव्य ही पूरा न हो उस सस्था में अव्यवस्था ही फैल जाएगी। इसी शक्ति सिद्धान्त के अन्तर्गत पद सोपान (Hierarchy) अथवा स्केलर प्रक्रिया (Scalar Process), नियन्त्रण की एकता (Unity of Command) नियन्त्रण का क्षेत्र (Span of control) के सिद्धान्त आते हैं।

पद सोपान अथवा स्केलर प्रक्रिया (Hierarchy or Scalar Process)

पद सोपान के बिना किसी सगठन का कार्य सफलतापूर्वक चलना कठिन है। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ छोटी से तल तक होने वाले प्रशासन से है। इसमें मुख्य अधिकार

के पन्तर्गत अधीनस्थ सह्यक अधिकारी तथा पुनः उनके अधीनस्थ अधिकारी पाते हैं। इसी प्रकार, यह तब उस समय तक चलता रहता है जब तक पन्त न हो जाए। जब संगठन के ढाँचे में सिरों से लेकर पन्त तक उत्तरदायित्व के माध्यम पर अधिकारी-अधीनस्थ के सम्बन्ध का निर्णय हो जाता है, तब पद सोपान का निर्माण होता है।³ पद सोपान सिद्धान्त का नियम है कि कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च पदाधिकारी से सीधा व प्रत्यक्ष रूप में सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकता है। यह ऐसा अपने निकटस्थ उच्च पदाधिकारी की अनुमति से ही कर सकता है अथवा लिखित रूप में उचित मार्ग द्वारा ही पहुँच सकता है। प्रशासन की दृष्टि से ऐसा करना ही उचित तथा लाभप्रद है। उदाहरणार्थ यदि पुस्तकालय में कार्य करने वाला कर्मचारी किसी प्रादेश के सम्बन्ध में अपने से उच्च पदाधिकारी की जानकारी के बिपरीत उससे उच्च अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रादेश में संशोधन कराते तो पद सोपान सिद्धान्त का उल्लंघन होता है तथा पुस्तकालय में अनुशासनहीनता पैदा होने की सम्भावना हो जाती है। एपलबी ने पद सोपान के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है "निष्पादन शाला के भीतर पद सोपान के ढाँचे के सामान्य कार्य, उत्तरदायित्व नियत करना, क्रमिक स्तरों पर नेतृत्व प्रदान करना, स्वविवेक को उचित क्षेत्र प्रदान करना, प्रभाव डालने तथा भ्रातृत्व का उपयोग करने के साधन प्रदान करना, किसी संगठन व सामान्य निष्पादकीय शासन को प्रशासन योग्य बनाता, उसे सर्वमान्य बनाना, वे स्तर निश्चित करना जिनमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लिये जा सकें, निर्णय लेने के कार्य को एक स्तर से दूसरे स्तर तक गतिमान रखना, सम्बद्ध प्रतियोगी तथा सद्भावना-त्मक हितों, कार्यों तथा दृष्टिकोण का पालन करना है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पद सोपान वह साधन है, जिसके द्वारा कर्मचारी चुने जाते हैं, उनमें कार्य वितरण किया जाता है, प्रवर्तन की गति मिलती है। उनकी समीक्षा की जाती है तथा उनमें संशोधन किए जाते हैं।"⁴ पद सोपान में प्रादेश प्राप्त होने, देने व उनके क्रियान्वित होने में देर लगती है तथा समय व्यर्थ नष्ट होता है। यह रुष है परन्तु यदि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर विश्वास रख कर कार्य करें तो काफी सीमा तक इस कमी को दूर किया जा सकता है।

नियन्त्रण एवं प्रबन्ध की एकता

(Unity of Command and Management)

पद सोपान से सम्बन्धित ही नियन्त्रण की एकता प्रशासन के संचालन का अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। साधारणतः इस सिद्धान्त का अर्थ है कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही प्रादेश दिए जाने चाहिए। उसे केवल एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उन संस्थाओं में जहाँ इस प्रकार नियन्त्रण की एकता की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार होता है तथा अनुशासन मंग होना है। मतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी एक ही अधिकारी से प्रादेश प्राप्त करें तथा उसके प्रति उत्तरदायी हों।

नियन्त्रण की एकता का विस्तार कर प्रबन्ध की एकता भी की जा सकती है। इसके पन्तर्गत कर्मचारी योजनाबद्ध ढाँचे व वातावरण में कार्य करेंगे। इस प्रकार का योजनाबद्ध ढाँचा व वातावरण योजना की एकता व स्थायित्व पर निर्भर करता है। किसी भी संगठन की सफलता के लिए यह आवश्यक है।

नियन्त्रण का क्षेत्र (Span of Control)

नियन्त्रण का क्षेत्र प्रशासन का अन्य उपयोगी सिद्धान्त है। यह उन अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या निश्चित करता है। जिनका संचालन स्वयं प्रशासक कर सकता है। इसके अनुसार यह निश्चित किया जा सकता है कि किस अधिकारी के अधीन कितने कर्मचारी रह सकते हैं तथा यह किसी भी विभाग में कर्मचारी की संख्या भी निश्चित करने में सहायक हो सकता है। डिमॉक के शब्दों में, "नियन्त्रण का क्षेत्र किसी भी उद्योग के मुख्य अधिकारी तथा उसके सहायक कार्यालयों के मध्य सीधे एक सामान्य संचार की संख्या एवं क्षेत्र है।"⁵ इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सीधा-सा प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर नियन्त्रण रख सकता है और उसी के अनुसार उस विभाग में पदों का वितरण होता है। पद सोपान में किसी भी स्तर पर नियन्त्रण के क्षेत्र को कुछ सीमित करके प्रशासकीय निपुणता में उन्नति की जा सकती है। यह माना जाता है कि इन अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या जो किसी भी एक प्रशासक से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते हैं, यदि सीमित, मान लीजिए, छः कर दी जाए तो प्रशासकीय कार्यकुशलता बढ़ सकती है।⁶

इसे हम किसी राज्य में स्थापित होने वाले पुस्तकालयों से सम्बद्ध कर जाँच सकते हैं। यह मानकर कि किसी राज्य में विभिन्न शहरों, तहसीलों व कस्बों में 100 पुस्तकालय खुलेंगे तथा प्रत्येक पुस्तकालय में 10 कर्मचारी पुस्तकालयाध्यक्ष के अतिरिक्त होंगे तो वहाँ नियन्त्रण का क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा —

- 1 पुस्तकालयों का संचालक
- 2 पुस्तकालयों के उप संचालक
- 10 पुस्तकालयों के सहायक संचालक
- 100 पुस्तकालयाध्यक्ष
- 1000 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष व अन्य

इस प्रकार, यदि पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी तो सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष व अन्य कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा उसी के अनुपात में सहायक संचालक एवं उप-संचालकों की संख्या में भी वृद्धि हो सकेगी।

नियन्त्रण के क्षेत्र का वास्तविक तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपने अधीन कितने व्यक्तियों पर नियन्त्रण रख सकता है। इस विषय में विभिन्न देशों में निर्धारित संख्या अलग-अलग है तथा विभिन्न विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। हैमिल्टन ने अपने सैनिक अनुभव के आधार पर इसकी सीमा तीन या चार व्यक्ति रखी है। उरविक के कथनानुसार उच्च स्तर पर कोई भी निरीक्षक पाँच अथवा छः से अधिक व्यक्तियों के कार्य का निरीक्षण नहीं कर सकता है, साथ ही उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षक का कार्य सादा व सरल है तो वह घाट से बारह व्यक्तियों के कार्य का निरीक्षण कर सकता है। बालास ने विभिन्न देशों का सर्वेक्षण कर यह पाया कि जापान में 13; कनाडा, जर्मनी तथा इटली में 14; फ्रांस में 17; रूस में 19 व 20; इंग्लैंड में 25 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 60 व्यक्तियों के कार्य का निरीक्षण मुख्य प्रशासक करता है। अतः हम देखते हैं कि इस विषय पर सभी एकमत नहीं हैं और न ही कोई निश्चित नियम है। फिर भी कार्य सुचारू रूप से चलने के

लिए नियंत्रण के क्षेत्र का विन्यास किया ही जाता है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि नियंत्रण के क्षेत्र पर विभाग विशेष का काम, समय, स्थान तथा सम्बन्धित प्रशासक का व्यक्तित्व भी अपना प्रभाव प्रकट करता है।

केन्द्रीयकरण (Centralisation)

केन्द्रीयकरण भी संचालन का प्रमुख सिद्धान्त है। इसके अन्तर्गत समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित रहती है तथा वही व्यक्ति समस्त प्रशासकीय आदेशों के प्रति उत्तरदायी होता है। राज सरकार के सामने यह उलझन आ गई है कि यह केन्द्रीयकरण का मार्ग अपनाए अथवा विकेन्द्रीकरण करे। जहाँ समाजवादी शासनतंत्र में केन्द्रीयकरण की ओर अत्यधिक झुकाव है, वहीं प्रजातन्त्रीय प्रणाली में विकेन्द्रीकरण की ओर। भारत में जहाँ सरकार पंचायत राज्य की स्थापना कर विकेन्द्रीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रही है, वहीं समाजवादी अर्थतंत्र की व्यवस्था द्वारा उसे केन्द्रीयकरण की ओर भी झुकना पड़ रहा है। केन्द्रीयकरण में सत्ता का सर्वोच्च व्यक्ति के पास एकत्रीकरण होता है तथा विकेन्द्रीकरण में अनेक व्यक्तियों व इकाइयों के मध्य सत्ता का विभाजन होता है। यद्यपि केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीकरण दोनों के ही समर्थक व आलोचकों ने अपने-अपने सिद्धान्त के समर्थन तथा दूसरे की घालोचना में बहुत कुछ तथ्य रखे हैं। फिर भी यह कहना कठिन है कि इनमें से कोई भी सिद्धान्त पूर्णतः गलत अथवा पूर्यत सही है। परिस्थिति व कार्य के अनुरूप दोनों सिद्धान्तों में से किसी को भी चुना जा सकता है। सेना जैसी संस्था में केन्द्रीयकरण ही उपयुक्त है जबकि पुस्तकालय जैसी सेवाओं में विकेन्द्रीकरण अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सेना को समूचे राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है तथा उसमें अनुशासन, एकता व संगठन का अपूर्व सामंजस्य होता है। जरासा अनिश्चय या झूठ सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए अहितकर हो सकती है। इसके विपरीत यदि पुस्तकालय के विभिन्न अंगों को स्वनिर्णय का अधिकार प्रदान कर दिया जाए तो वह अपने क्षेत्र में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे तथा पुस्तकालय कर्मचारियों में आत्मविश्वास व उत्तरदायित्व की भावना प्रगाढ़ रूप से उमर सकेगी। इसके विपरीत केन्द्रीकृत व्यवस्था में पुस्तकालय कर्मचारी मामलों की बातों के लिए भी सम्बन्धित अधिकारी का मुँह ढाकेंगे तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण वातावरण बना देंगे।

सत्ता हस्तान्तरण (Delegation of Power)

विकेन्द्रीकरण के साथ ही सत्ता हस्तान्तरण का सिद्धान्त आता है। हस्तान्तरण की प्रक्रिया द्वारा उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्णय लेने तथा कार्य सम्पन्न करने का अधिकार सौंप देता है। इससे प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वशासन प्राप्त होता है तथा वह विश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना से अपने कार्य को सुचारु रूप से करने की चेष्टा करता है। अधिकार कर्तव्य की भावना को जाग्रत करते हैं तथा कर्मचारी वर्ग में अपने कर्तव्य की ओर उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण अपना कर, आत्मविश्वास की भावना पैदा करते हैं। पुस्तकालय जैसी संस्था में ऐसी भावना

लाभप्रद होती है। इसके साथ ही विभागीकरण कर प्रत्येक विभाग को स्वशासन प्रदान करने से उपयुक्त भावना को बल मिलता है; प्रत्येक विभाग अपने में पूर्ण होकर सुचारु रूप से कार्य कर सकता है। पुस्तकालय के कार्यों को कई विभागों में बाँट कर उनकी दृष्टि बना देने से कार्य योग्यतापूर्वक हो सकता है जैसे—

1. पुस्तक आदेश विभाग अथवा अधिग्रहण विभाग : यह विभाग पुस्तक चयन व उनके क्रय का कार्य करता है।
2. प्रस्तुतिकरण विभाग : इस विभाग में पुस्तकों का पंजीकरण व ग्रन्थ प्रक्रिया की जाती है।
3. तकनीकी विभाग : इस विभाग में पुस्तकों का वर्गीकरण व सूचीकरण होता है।
4. सदस्य विभाग : यह विभाग सदस्य सेवा करता है। इसके साथ ही पुस्तक आदान-प्रदान का कार्य भी शामिल किया जा सकता है।
- 5. पत्र-पत्रिका विभाग : इस विभाग में पत्र-पत्रिकाओं को व्यवस्थित कर, पाठकों के उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
6. जन सम्पर्क विभाग : सार्वजनिक पुस्तकालयों में यह विभाग अत्यन्त महत्त्व का है। यह विभाग जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित कर उन्हें पुस्तकालय का उपयोग करने की प्रेरणा प्रदान करता है।
7. बाल पुस्तकालय : यह बालोपयोगी पुस्तकों का संग्रह कर इनका प्रदर्शन व उपयोग करता है।
8. चल पुस्तकालय : यह पुस्तकालय के संग्रह को दूर-दूर तक जनता के उपयोग के लिए ले जाता है तथा उनका उपयोग करता है।

इन सभी विभागों के लिए उपयुक्त प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति कर इन्हें अधिकाधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है। इस प्रकार का विभागीकरण कर पुस्तकालय व ग्रन्थ किसी भी संस्था की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है।

इन सिद्धान्तों के प्रतिरिक्त कर्मचारियों में स्थायित्व व समानता की भावना का होना आवश्यक है। स्थायित्व व समानता की भावना न होने पर कोई भी कर्मचारी विश्वस्त तथा निर्भय होकर कार्य नहीं कर सकता है। किसी भी प्रशासन के लिए कर्मचारियों में विश्वास व निर्भयता का होना आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी व अधीनस्थ, में इस विश्वास का होना आवश्यक है कि उसे सबके साथ समान समझा जाता है तथा उसके साथ न्याय हो रहा है।

सूत्र एवं स्टाफ (Line and Staff)

किसी भी संस्था का प्रशासकीय कार्य व सूत्र व स्टाफ अधिकरण से अन्तर्गत बँटा होता

है। "सूत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है एवं स्टाफ परामर्श देने का।" परन्तु इस प्रकार की राय अन्य विद्वानों के अनुसार भ्रामक है। फिफ्थर के अनुसार, "स्टाफ कार्य की परामर्शदात्री प्रकृति पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही" स्टाफ शब्द के उपयोग के बारे में बहुत अधिक भ्रम उत्पन्न हो गया है। एक सामान्य-सी गलत धारणा यह बन गई है कि स्टाफ कर्मचारी पृथक् शिक्षा प्राप्त विद्वान् तथा रिटायर होने वाले व्यक्ति होते हैं जो प्रशासन के कार्य क्षेत्र से दूर रहते हुए डेस्कों पर बैठते हैं और वहाँ के योजनाएँ बनाते हैं जो विचार के लिए मुख्य निष्पादक (Chief Executor) के पास भेज दी जाती है। नियम यह है कि मुख्य निष्पादक इन प्रतिवेदनों का अध्ययन करता है, इन पर अपना स्वतन्त्र निर्णय लेता है तथा इसके बाद आदेश शृंखला में नीचे तक प्रसारण जारी करता है।¹⁷ इस स्पष्टीकरण के उपरान्त भी सूत्र स्टाफ के मध्य ऐसी कोई दीवार नहीं है, जो स्पष्ट अन्तर कर सके। उनके इस भेद को, कि एक का काम कार्य करना है एवं दूसरे का परामर्श देना, अधिक बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहना चाहिए। वास्तविक प्रशासन में भी इस प्रकार का अन्तर पुरातनः सम्भव नहीं है। एलबर्ट सेपावस्की के अनुसार, "सूत्र व स्टाफ समवर्गी हैं, जोकि सूत्र से स्टाफ तक एक पद सोपान के सम्बन्ध के आधार पर नहीं, बल्कि मुख्य निष्पादक के अन्तर्गत रहना तथा उत्तरदायित्व की एक क्षैतिज रेखा पर कार्य करते हैं।"¹⁸

इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त प्रशासन के कुछ तत्त्व भी होते हैं। इन तत्त्वों को ध्यान में रखकर कार्य करने से प्रशासन का संचालन सहो डग से हो पाता है। यह महत्त्वपूर्ण तत्त्व है तथा इनमें से किसी की भी अवहेलना करने से प्रशासन में प्रभावस्था, प्रयोज्यता व अनुशासन-हीनता को निम्नवर्ण देना है। गुलिक ने इन तत्त्वों को एक ही शब्द (POSDCORB) में विरो दिया है। संक्षेप में हम प्रत्येक पर प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष विचार करेंगे। ये तत्त्व ही मुख्य परिपेक्षाता के मुख्य कर्तव्य हैं—

1. योजना बनाना (Planning)

किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उस सम्बन्ध में योजना बनाना आवश्यक है। नियोजित कार्य ही सफल हो सकता है। कदम उठाने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना ही थीयस्कर है अन्यथा असफलता का सामना करना पड़ता है।

2. संगठन बनाना (Organising)

इसके अन्तर्गत प्रशासक का मुख्य कार्य नीति निर्देशन आता है। उसे यह निर्धारण करना होता है कि प्रशासन को अपना कार्य किस प्रकार करना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी वर्ग को ऐसे स्थायी ढाँचे में क्रमबद्ध किया जाए जिससे उनमें सम्बन्ध स्थापित हो व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

3. कर्मचारियों की व्यवस्था करना (Staffing)

कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यदि आवश्यक हो तो, और उनके कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।

4. निर्देशन करना (Directing)

इसके अन्तर्गत कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देना, प्रशासन सम्बन्धी निर्णय करना तथा कर्मचारियों को इन निर्णयों से अवगत करना।

5. समन्वय करना (Co-ordinating)

कार्यालय के विभिन्न विभागों में समन्वय कराना तथा उसमें अन्तर्सम्बन्ध स्थापित कराना ।

6. रिपोर्ट देना (Reporting)

प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में उस संस्था को रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसके प्रति कार्यालय उत्तरदायी है । अन्तिम चरण में ऐसी रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत होती है । विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की रिपोर्ट सिन्डीकेट के सम्मुख प्रस्तुत होती है ।

7. बजट तैयार करना (Budgeting)

इसके अन्तर्गत वित्तीय योजनाएँ तैयार कर प्राक्कलन बनाना तथा उसे उपयुक्त अधिकारी के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना होता है ।⁹

इन सिद्धान्तों व तत्त्वों के आधार पर निर्मित कोई भी विभाग सुचारु रूप से कार्य कर सकता है तथा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है । पुस्तकालय जिनका ध्येय ही मनुष्य मात्र की सेवा करना है उनके लिए तो यह सिद्धान्त व तत्त्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । विभिन्न विभागों का आपसी समन्वय, सहयोग, कर्मचारियों में विश्वास की भावना तथा सौहार्द पुस्तकालय को सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं ।

References

1. L. D. White. 'Introduction to the Study of Public Administration.' N. Y., Macmillan, 1955. p. 41.
2. M. Ruthnaswamy. 'Principles and Practice of Public Administration.' Allahabad, Central Book Depot., 1953. p. 11.
3. L. D. White. op. cit., p. 35.
4. P. H. Appleby. 'Policy and Administration.' Allahabad, Central Book Depot., 1949. pp. 72-73.
5. Dimock and Dimock. 'Public Administration.', N. Y., Richard Co., 1964. p. 110.
6. H. A. Simon. Administrative Behaviour. N. Y., Macmillan, 1957.
7. John M. Pfiffner. 'Public Administration.' N. Y., Ranold Press Company, 1946. p. 85.
8. Albert Lepawsky, (ed). 'Administration : The Art and Science of Organisation and Management,' N. Y., Knopf, 1949, p. 298.
9. Luther Gulick, 'Notes on the Theory of Organisation,' In Gulick and Urwick's papers on the Science of Administration, 1937. p. 13.

पुस्तकालयों के विविध रूप

सभी जगह विविध प्रकार के पुस्तकालय हैं जिनमें स्कूल पुस्तकालय, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शोध ग्रन्थालय, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा विशिष्ट पुस्तकालय मुख्य हैं। सभी प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य सामान्य है। यह सभार के लिखित विचार तथा तथ्य साधनों का गठन तथा इनका परिचालण है, जिससे उन्हें वर्तमान व भविष्य के उपभोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके।¹

शैक्षणिक पुस्तकालय

“पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्था का महत्वपूर्ण अङ्ग है। इसका उद्युक्त विवरण हृदय के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि इसकी शक्ति तथा प्रभाव उस संस्था के सामान्य स्वास्थ्य तथा उत्पादन शक्ति एवं लगातार उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी छाव डालते हैं।” यह पहिए की घुरी है जिसके तार संस्था के प्रत्येक विभाग में पहुँचते हैं। पुस्तकालय की विशेषताएँ किसी भी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की विशेषताओं को प्रतिबिम्बित करती हैं। शैक्षणिक संस्था का महत्व उसके पुस्तकालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

स्कूल पुस्तकालय

यह सामान्यतः मान लिया गया है कि एक अच्छे सम्पन्न स्कूल के लिए पुस्तकालय की प्रमुख आवश्यकता होती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति की अनेक आलोचनाएँ की जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी यह है कि स्कूल से निकलने वाले छात्रों में सामान्य ज्ञान एवम् सांस्कृतिक जानकारी का पूर्ण अभाव होता है। हमारी शिक्षण संस्थाओं में से अधिकांश में पुस्तकालयों का सदुपयोग नहीं किया गया है तथा स्कूल के अन्य विभागों में से कोई ऐसा नहीं है, जिसकी इतनी उपेक्षा की गई हो, जितनी इस विभाग की। प्राइवेट एवं राजकीय विद्यालयों के उच्च-शिक्षाविभागियों का पुस्तकालयों के प्रति रुढ़िवादी तथा प्रतुरदक्षिणा पूर्ण दृष्टिकोण अब तक रहा है। ये अधिकारीयण पुस्तकालयों के प्रभावोत्पादक महत्व का मूल्यांकन करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। अधिकांश स्कूलों को पुस्तकालयों के लिए कोई प्राथिक सहायता प्रदान नहीं की जाती और न वार्षिक प्रानुमानिक पत्र तैयार करते समय ही इसका ध्यान रखा जाता है। कुछ स्कूलों में पुस्तकालयों का अस्तित्व है भी तो उनका कार्य अस्तोप-जनक है। कुछ स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है, पर

बहु रकम इतनी कम होती है कि उससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रब तक पुस्तकालय के लिए उचित स्थान एवं आवश्यक सामग्री की धोर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्थान एवं सापेक्षित उपकरणों के अभाव में अच्छी वार्षिक सहायता पाने वाले पुस्तकालय भी निरूपयोगी सिद्ध हुए हैं। साधारणतः पुस्तकालयों में पुस्तकों की विषय क्रम धादि के अनुसार सूची तक नहीं बनाई जाती, वहाँ तक कि उसकी जरूरत भी महसूस नहीं की जाती है। स्कूल के समय विभाग में इस कार्य के लिए कोई समय ही निर्धारित नहीं किया जाता है और यदि किया भी जाता है तो पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय के कार्य के लिए, स्कूल के समय में ही वक्त निकालना पड़ता है।

स्कूल के पुस्तकालय का स्वरूप अन्य प्रकार के स्थानीय या शहरी पुस्तकालयों से भिन्न होता है। पश्चिम के राष्ट्रों में बच्चों के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। पढ़ने की इच्छा रखने वाले बालक इन पुस्तकालयों में जाकर अध्ययन करते हैं पर स्कूल के पुस्तकालय तो स्कूल में पढ़ने वाले सब प्रकार के बच्चों के लिए होने चाहिए। इन पुस्तकालयों को तीव्र या मन्द बुद्धि, पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले सभी प्रकार के बालकों में अध्ययन की अभिरुचि उत्पन्न करने का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित करना पड़ता है। अतएव स्कूलों के पुस्तकालयों में श्रव्य-दृश्य प्रसाधन तथा सुन्दर चित्रावली धादि अन्य प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था होती है। पुस्तकालय स्कूल समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। ये विद्यालयों के कार्यों एवं विद्यार्थी जीवन में एक सुन्दर समन्वय स्थापित करते हैं। इनके द्वारा ही बच्चे अपने भासपास की स्कूली दुनिया व बाहरी समाज के बड़े लोगों से अपना सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इन पुस्तकालयों की प्रमुख विशेषता यह भी है कि ये शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं।

यदि स्कूलों के पुस्तकालयों की व्यवस्था नीचे लिखे उद्देश्यों के आधार पर की जाए तो वे अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार इनका उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ जाएगा।

- (१) पुस्तकालय द्वारा बच्चों की अध्ययन करने की योग्यता को प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे कदा मे से निकलकर अब यहाँ धाते हैं तो कुछ पत्रिकाओं व पुस्तकों को पढ़ते समय उनमें पढाई लिखाई की रुचि उत्पन्न हो जाती है। बच्चे धीरे-धीरे कहानी, नाटक, कविताएं और निबन्ध धादि पढ़ने लगते हैं और बाद में उन्हें अपनी पाठ्य-पुस्तक पढ़ कर ही सन्तोष नहीं होता वरन् वे अपना साधारण ज्ञान भी बढ़ाते हैं।
- (२) शिक्षा की भाषुनिक प्रवृत्तियों जैसे मॉण्टेसरी, टाल्टन धादि में बच्चे को बिना किसी शिक्षक की सहायता से स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षक का कार्य बच्चों के खाली दिमाग में अपना ज्ञान ठूसना नहीं वरन् बच्चों के स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के कार्य में मदद करना है। पुस्तकालयों की सहायता से ही इस प्रकार का अध्ययन सम्भव हो सकता है।
- (३) धक्तर देखा जाता है कि बच्चों को निश्चित टाइम टेबल के आधार पर विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। बच्चे की किसी विषय में रुचि न होने पर भी उसे जबरदस्ती मन मारकर पढ़ना ही पड़ता है। चाहे उसकी समझ में कुछ न

भाए इसकी परवाह शिक्षक नहीं करता और विद्यार्थी को कक्षा में उपस्थित रहना आवश्यक होता है। दूसरी ओर कुछ विषयों में बच्चे की अत्यधिक रुचि होती है, परन्तु उसके लिए समय कम मिलने से वह उसमें विशेष प्रगति नहीं कर पाता। पुस्तकालयों द्वारा विषयों की पढाई का यह अशुभिकर विभाजन दूर हो जाता है। यहाँ बच्चे अपनी इच्छा या रुचि के अनुसार किसी भी विषय को अधिक समय तक पढ़ सकते हैं।

पुस्तकालयों का इतना महत्व बढ़ जाने पर हमारे सामने घनेक समस्याएं घा जाएंगी जैसे पाठ्यक्रम, स्कूल से समय विभाग में परिवर्तन तथा स्कूल में सम्बन्ध रखने वाली अन्य संस्थाओं एवं स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालयों से सहयोग स्थापित करना।

पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्या का हल बहुत कुछ शिक्षा की सामान्य नीति पर निर्भर रहेगा, जिसका तात्पर्य यह होगा कि कक्षा में ग्रन्थ विषयों की पढाई के साथ पुस्तकालयों का सम्बन्ध जोड़ा जाए। प्रयोजन प्रणाली या छात्रों के स्वतन्त्र कार्यों द्वारा विभिन्न विषयों की विशेष जानकारी प्राप्य करने में भी पुस्तकालय का उपयोग आवश्यक होगा। इस प्रकार पुस्तकालयों से लाभ उठाने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ेगा।

स्कूलों में समय विभाग बनाते समय पुस्तकालयों का ध्यान रखना आवश्यक है। पार या छः घण्टे में बच्चों को बहुत से विषय पढ़ा दिए जाते हैं। जिससे बच्चा एक पर भी अपना ध्यान ठीक प्रकार से केन्द्रित नहीं कर पाता। स्कूलों में कुछ समय पुस्तकालय के लिए भी दिया जाए जिससे प्रत्येक छात्र अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार पुस्तकें पढ़ सकें। कहीं-कहीं सप्ताह में एक घण्टा कक्षा पुस्तकालय का रखा जाता है जिससे बच्चों को एक-एक किताब घर पर पढ़ने के लिए दे दी जाती है; किन्तु इससे अधिक लाभ नहीं होता। बच्चों को प्रतिदिन ही कुछ समय भिन्नता चाहिए जिससे पुस्तकालयों में जाकर खास विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

पुस्तकालय तथा विद्यालय के कार्यों में उचित सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास भी करना चाहिए। पुस्तकालय को स्कूल कार्य का एक छोटा और घनावश्यक भाग नहीं, बल्कि स्कूल जीवन का एक प्रमुख अंग बनाना होगा। पुस्तकालय के खुलने का समय ऐसा होना चाहिए कि जिससे छात्र तथा स्कूल का काम करने वाले उससे अधिक लाभ उठा सकें।

कॉलेज पुस्तकालय

कॉलेज पुस्तकालय ऐसी पुस्तकें तथा अन्य अध्ययन सामग्री, जिनकी आवश्यकता कॉलेज पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए होती है, उपलब्ध करा कर कॉलेज शिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने में अपना योगदान करता है। कॉलेज पुस्तकालय कार्यक्रम जितना ही अधिक विविधता से परिपूर्ण होगा, उतना ही पुस्तकालय सामग्री विविध प्रकार की एवं अधिक मात्रा में होगी।

सायल ने कहा है कि "कॉलेज पुस्तकालय सेवा पुस्तक संग्रह तथा संचारण जैसे मान्य कार्यों से भी घागे बढ़ जाती है। कॉलेज पुस्तकालय केवल मात्र पुस्तकों के संग्रह व संचारण के लिये नहीं हैं, अपितु संदर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों में सहायक होने एवं सम्बन्धित करने, शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के लिए विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय

सेवा उपलब्ध कराने एवं विद्यार्थियों को प्रच्छेद व प्रथिक पुस्तकों पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।¹³

रेनडैल तथा गोडरिच⁴ के अनुसार कॉलेज पुस्तकालय के कार्य निम्नलिखित हैं :—

- (1) विद्यार्थियों द्वारा गृहीत सम्बन्धित पाठ्यक्रम की आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराना तथा अध्यापकों को अध्यापन कार्य के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना ।
- (2) ऐच्छिक अध्ययन के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा इसप्रकार की पुस्तकों का उपयोग बढ़ाना ।
- (3) ज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाणित पुस्तकों का ध्यापक सग्रह करना तथा पाठकों के उपयोग के लिए उन्हें सुविधा पूर्वक उलम्ब कराना ।
- (4) विद्यार्थियों को पुस्तकालय सामग्री के उपयोग में प्रशिक्षित करना तथा पुस्तकालय की शैक्षणिक कार्यक्रम में पूर्णतः सम्मिलित करना ।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय

उच्च शिक्षा के महायक के रूप में विश्वविद्यालयों में अच्छे पुस्तकालय की आवश्यकता बहुत समय से सर्वमान्य है । माधुरणत⁵ विश्वविद्यालय पुस्तकालय केवल विभागीय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ही होता है परन्तु उसके साधन का उपयोग किसी भी ऐसे शोधक द्वारा जिसे अन्य स्थान पर इच्छित अध्ययन-सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, किया जा सकता है ।⁶

मुनियोजित ढंग से संचालित विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने कार्यों को विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में लगाता है । 'पुस्तकों, पाण्डुलिपियों, पत्रिकाओं तथा अन्य सामग्री को संग्रहित एवं व्यवस्थित कर विश्वविद्यालय के प्रसार कार्यक्रम में सहायक होकर महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है विभागीय सदस्यों तथा शोध कर्मचारियों की प्रत्यक्ष सहायता द्वारा तथा निर्देशक पदाधिकारी के समान पुस्तकालय कार्यकर्ताओं की सेवा द्वारा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के व्याख्यात्मक कार्यों में भाग लेता है । विविध प्रकार की वाङ्मय सूचियों एवं अन्य सदम सेवाओं द्वारा पुस्तकालय व्याख्यात्मक व अन्य शोधकर्ताओं की, जो प्रशासन के लिए सामग्री तैयार करने में व्यस्त रहते हैं, सहायता करता है ।'⁵

शोध पुस्तकालय

शोध पुस्तकालय के कार्य "जिज्ञासुओं को उनकी इच्छित पुस्तकालय सामग्री उपलब्ध कराना तथा उस सामग्री को उपयोग के लिए उन्हें देना"⁶ है । इस प्रकार की सेवा का सबसे अच्छा व आसान तरीका पर्याप्त मात्रा में अध्ययन सामग्री का सकलन तथा उसको अच्छी प्रकार सूचीकृत करना है । परन्तु कोई भी पुस्तकालय प्रकाशित होने वाले अथाह सागर में से मात्र थोड़ी सी सामग्री का सग्रह कर सकता है । अतः उसे अन्य माधनों को काम में लाना चाहिए ।

यदि कोई शोध पुस्तकालय अपने सग्रह से अपने पाठकों की सभी माँगों को पूर्ण नहीं कर सकता तो उसे अपने साधनों को अन्य शोध पुस्तकालयों के साधनों से सहयोग लेकर उन माँगों को पूर्ण करने की चेष्टा करनी चाहिए । इस प्रकार की सहयोगी भावना विशिष्ट पुस्तकालयों को विशिष्ट विषय पर व्यापक रूप से पुस्तकें सग्रहीत कर सहायता

देने से और भी उत्पन्न होगी। ऐसा करने से प्रत्येक पुस्तकालय सम्बन्धित विषय पर व्यापक रूप से पुस्तकें क्रय करेगा।

शोध पुस्तकालय प्रणाली में विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी आ जायेंगे। अन्य प्रकार के शोध पुस्तकालय, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बेंगलूर, एपीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहली भारतीय सरकार के वैज्ञानिक विभागों के पुस्तकालय जैसे, भूगर्भ शास्त्रीय, वनस्पति शास्त्रीय, जन्तु शास्त्रीय तथा पुरातात्विक सर्वेक्षण हैं तथा राष्ट्र की अन्य शिक्षावान सस्थाओं के पुस्तकालय जैसे इण्डियन एकेडेमी ऑफ साइन्स तथा इण्डियन मेथिमेटीकल सोसाइटी हैं।

सार्वजनिक पुस्तकालय

सार्वजनिक पुस्तकालय वह पुस्तकालय है जो "स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी (कस्बे व नगर परिषद्) द्वारा प्रबन्धित, पूर्णतः व अधिकांशतः अपने ही वित्तीय साधनों से हों, उसका शासन व संचालन प्राधिकारी एवं समिति जिसका गठन पूर्णतः व अधिकांशतः स्वयं हो, उस क्षेत्र में रहने वाले (कभी-कभी अन्य भी) सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध हो, तथा व्यक्ति व उस जन समुदाय के विभिन्न व व्यापक हितों को जहाँ तक सम्भव हो सके, पूर्ण करने के लिए व्यापक सग्रह प्रस्तुत करे तथा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य के निःशुल्क उपलब्ध हो।"

सार्वजनिक पुस्तकालयों के ध्येय के बारे में लीज^४ ने सन्नेप में लिखा है कि—

(1) जाग्रत नागरिकता एवं व्यक्तिगत जीवन की उत्पत्ति के लिए पुस्तकों तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन सामग्री का सग्रह, रक्षण व संचालन कर आवश्यक सहायता व सेवा प्रदान करना।

(2) जन समुदाय की सेवा करना।

(3) बालकों, नवयुवकों, स्त्री व पुद्गलों में स्वयं शिक्षा की भावना पैदा करना तथा उसे प्रोत्साहित करना।

विशिष्ट पुस्तकालय

विशिष्ट पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय है जहाँ किसी विशिष्ट विषय घषवा विषयों पर ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे विषय वैज्ञानिक ही हों। यह विषय कानून, बँकिंग आदि भी हो सकते हैं। केवल पाण्डुलिपियों का सग्रह करने वाला पुस्तकालय भी इस श्रेणी में आ सकता है।

अनेक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसे विशिष्ट प्रकार का सग्रह बना रहे हैं, जिनका ध्येय केवल ज्ञान के विषय क्षेत्र पर ही पुस्तक व अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार शिक्षावान सस्थाओं के पुस्तकालय तथा विभागीय पुस्तकालय कर रहे हैं। परन्तु इस प्रकार विशिष्ट पुस्तकालयों तथा अन्य पुस्तकालयों का अंतर ज्ञात नहीं होता। इन दोनों में सर्वप्रथम सामग्री की इकाई है, जो संचालन का आधार है। एक पुस्तकालय में यह इकाई मापदण्डतः पुस्तक, पीम्फलिट, पत्रिका, नक्शा तथा अन्य पदार्थ हैं। विशिष्ट व सूचनात्मक पुस्तकालय में इकाई सामग्री के ब्राह्म स्वरूप के अतिरिक्त सूचना का यह विशिष्ट भाग है जोकि उसमें निहित है। अन्य अन्तर है

कि पुस्तकालय मांगी हुई सामग्री को देने के लिए है जबकि सूचना सेवा के अन्तर्गत मांगी हुई सामग्री के साथ अन्य आवश्यक सम्बन्धित सूचना देना भी आवश्यक है। अन्त में, विशिष्ट पुस्तकालय जन समुदाय के विशिष्ट विषय पर अभिहित प्राप्त यणमान्य व्यक्तियों की ही सेवा करता है, फिर भी दोनों में काफी अतिव्याप्ति है तथा अन्तर के लिए विशिष्ट नियम नहीं बनाया जा सकता है, यह केवल प्रमुखता का प्रश्न है।¹⁰

1920 में उद्योग व वाणिज्य विभाग का ध्यान इस ओर गया कि टेक्नीकल क्षेत्र में परिवर्तनों के कारण ऐसे पुस्तकालय व सूचना सेवा की आवश्यकता उनके कर्मचारियों के लिए है। वास्तव में द्वितीय विश्वयुद्ध ने अपने टेक्नीकल क्षेत्रों में महान परिवर्तनों के कारण अनेक कम्पनियों ने इस प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना की। इस प्रकार के पुस्तकालयों के प्रसार में आइ के तकनीकी साहित्य के प्रसार का प्रभाव भी है।

References

1. Paul Buck. 'A Credo Reconsidered.' *Library Journal*, Vol. 89 (November 1, 1964). p. 4295.
2. Robert D. Leigh. 'The Public Library in the United States.' N. Y., Columbia University Press, 1956. p. 12.
3. Guy R. Lyle. 'The Administration of College Library.' N. Y., H. W. Wilson & Co., 1949. p. vii.
4. William M. Randall and Francis L. D. Goodrich. 'Principles of College Library Administration,' Chicago, University of Chicago Press, 1941. p. 19.
5. Louis Round Wilson and Maurice F. Tauber. 'The University Library N. Y., Columbia University Press, 1966. p. 25.
6. Verner W. Clapp. 'The Future of the Research Library.' Urbana. University of Illinois Press, 1964. p. 11.
7. Lionel R. Mc Colvin. 'The Chance to Read.' London, Phoenix House, 1956. p. 12.
8. Robert D. Leigh. 'Public Library in the United States.' N. Y., Columbia University Press, 1956. p. 16.
9. Wilfred Ashworth, (ed). 'Handbook of Special Librarianship and Information Work.' London, ASLIB, 1962. p. 1.
10. Barbara Kyle. 'Administration.' In Wilfred Ashworth, (ed), *op. cit.*

पुस्तकालय समिति

पुस्तकालय समिति की नियुक्ति पुस्तकालय सेवाओं में उन्नति तथा नीति निर्धारण के लिए होती है। यह पुस्तकालय सेवाओं में सामग्री उत्पन्न कर उच्च प्रकार की पुस्तकालय सेवाओं को प्रदान करने में सहायक है। पुस्तकालयाध्यक्ष न तो स्वयं सभी प्रकार के उत्तरदायित्व का भार ग्रहण कर सकता है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए। ऐसी विचारधारा कि पुस्तकालयाध्यक्ष ही पुस्तकालय का सर्वोच्च अधिकारी एवं शक्तिमान है, हानिकारक एवं भ्रामक है। एक ही व्यक्ति में निहित शक्ति में प्रायः निरकुशल एवं भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति होती है। पुस्तकालय समिति पुस्तकालयाध्यक्ष एवं समाज के मध्य रोधक का कार्य करती है। जहाँ वह समाज को पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुचित उतावले एवं प्रदूरी-दृष्टिपूर्ण कार्यों से संरक्षण प्रदान करती है वहीं वह पुस्तकालयाध्यक्ष को समाज द्वारा राजनीतिक एवं धार्मिक धावेस में धाकर की गई धालोचना से रक्षण प्रदान करती है। समिति पुस्तकालय की आविष्ट धावश्यकताओं के सम्बन्ध में जनता एवं प्राधिकारी से पुस्तकालयाध्यक्ष की तुलना में अधिक प्रभावशाली ढंग से बात प्रस्तुत कर सकती है तथा इस मुविधा के कारण वह जनता एवं प्राधिकारी को पुस्तकालय सेवाओं के प्रति संतुष्ट कर सकती है। पुस्तकालय समिति के संरक्षण में पुस्तकालयाध्यक्ष निर्भय होकर अपने अधिकार का विकास कर सकता है तथा अपने प्रशिक्षित दृष्टिकोण से पुस्तकालय समिति के सदस्यों को प्रभावित कर सकता है। अतएव पुस्तकालयाध्यक्ष एवं समिति के मध्य उसी प्रकार का सम्बन्ध होता है जिस प्रकार का सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक देशों में विधानसभा एवं मन्त्रिमण्डल का होता है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल अपने विशिष्ट दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता एवं राजनीतिक सम्बन्धों के आधार पर विधानमण्डल को प्रभावित कर सकता है, फिर भी वह विधानमण्डल के धादेशों का पालन सेवक की भाँति करता है एवं उसके प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमण्डल द्वारा अविश्वास प्रदर्शित करने पर उसे पद त्याग करना पड़ता है। उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी प्रशिक्षण के आधार पर पुस्तकालय समिति के सदस्यों को प्रभावित तो कर सकता है, परन्तु वह स्वयं समिति के धादेशों का ही पालन करता है एवं उसके प्रति उत्तरदायी होता है तथा समिति के अविश्वास प्रदर्शित करने की दृष्टि में भी पद त्याग करना होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष को समिति का विश्वसनीय अधिकारी होना चाहिए तथा समिति के धादेशों का पालन बिना किसी प्रकार के ढोड़-मरोड़ एवं सशोधन के करना चाहिए।

पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय का प्रमुख प्रणामक होता है। अतः कर्मचारियों के विषय में उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष की सिफारिशें ही मान्य होती हैं। इस पर भी समिति को कर्मचारियों की अपील सुनने का अधिकार होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष कर्मचारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत पक्षपात, आवेग एवं

अन्य मानवीय कमजोरियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है, साथ ही वह अपनी कमजोरी छिपाने तथा अह को रखने के लिए भी कर्मचारियों को परेशान कर सकता है। अतः पुस्तकालय समिति के पास पुनर्विचार करने का अधिकार होता है। इसके फल-स्वरूप पुस्तकालय कर्मचारी भी सुरक्षा की भावना से अने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। किसी भी पुस्तकालय की सफलता के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना हो एवं उन्हें यह विश्वास हो कि उनके अधिकारों एवं अन्य सुविधाओं पर न्यायपूर्वक विचार होगा। ऐसी भावना केवल पुस्तकालय समिति ही उत्पन्न कर सकती है।

इसके प्रतिरिक्त पुस्तकालय समिति पुस्तकालयाध्यक्ष, अन्य पुस्तकालय कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के प्रति उत्तरदायी है।

पुस्तकालय नियम, अर्थ-व्यवस्था, भवन-निर्माण व मरम्मत, पुस्तक चयन एवं पुस्तकालय की बहुमुखी उन्नति के लिए आवश्यक व्यवस्था व निर्देश प्रदान करती है। पुस्तकालय के प्राय-व्यय का परीक्षण, नियमों का निर्धारण एवं सशोधन आदि के लिए पुस्तकालय समिति ही उत्तरदायी है, यद्यपि यह सभी कार्य वह पुस्तकालयाध्यक्ष की सलाह से ही करती है। पुस्तकालय समिति अपनी सुविधा के लिए उप समितियों की नियुक्ति करती है। ऐसी उप समितियाँ विशिष्ट उद्देश्य व कार्य के लिए ही नियुक्त की जाती हैं, जैसे पुस्तक चुनाव-समिति केवल पुस्तक चुनाव से ही सम्बन्धित रहती है।

पुस्तकालय समिति कई प्रकार की होती है तथा उनके प्रकार मुख्यतः प्राप्त अधिकारों के आधार पर होते हैं। हमें निम्नांकित प्रकार की पुस्तकालय समितियाँ मिलती हैं :—

1. स्वनिर्मित समिति (Self-perpetuating Committee)

इस प्रकार की समिति का प्रादुर्भाव उन्नी विधान के अन्तर्गत होता है जिसके द्वारा पुस्तकालयों का निर्माण होता है। ऐसी समितियाँ पुस्तकालयों के प्रशासन संचालन व संगठन के प्रति पूर्ण रूप में स्वतन्त्र व उत्तरदायी होती हैं।

2. तदर्थ समिति (Ad-hoc Committee)

इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति स्थानीय प्रशासन से स्वतन्त्र विशिष्ट समिति के रूप में पुस्तकालयों के निरीक्षण व निर्देशन के लिए की जाती है, अतः इन पर राजनीतिक प्रभाव कम होता है।

3. मनोनीत अथवा निर्वाचित समिति (Nominated/Elected Committee)

पुस्तकालय प्राधिकारी निर्वाचन कर अपना मनोनीत कर ऐसी समिति की नियुक्ति करता है। ऐसी समिति को पुस्तकालय प्राधिकारी कुछ अधिकार सौंप देता है।

4. प्रतिवेदनीय समिति (Reporting Committee)

इस प्रकार की समिति अपनी सीमा के अन्दर किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती है, परन्तु उसे अपने प्रत्येक कार्य का धीरा पुस्तकालय प्राधिकारी को

सूचनाओं देना पड़ता है।

5. अनुरोधित समिति (Recommending Committee)

इस प्रकार की समिति सबसे कम शक्तिशाली होती है। इनके पास स्वयं कोई शक्ति नहीं होती तथा इन्हें प्रत्येक कार्य के लिए सिफारिश कर पुस्तकालय प्राधिकारी की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

6. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)

इस प्रकार की समिति स्वनिर्मित समिति को छोड़कर सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। इसे अपने कार्यों के लिए किसी प्रकार की सिफारिश अथवा ब्योरा नहीं भेजना पड़ता है।

समितियों का गठन

पुस्तकालय समिति का गठन विधेयक में अन्तर्निहित होना है तथा उनके गठन की प्रक्रिया बटुया उस विधेयक में ही दी होती है। सामान्यतः समिति के सदस्यों की संख्या व कार्यकाल का विवरण पुस्तकालय अधिनियम में ही दिया होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय समितियों के सम्बन्ध में जहाँ तक दार्लण्ड प्रोर वेल्स का सम्बन्ध है, 1893 ई० के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में स्पष्टतया लिखा हुआ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय प्राधिकारी के सदस्यों अर्थात् परिचय सदस्य होना आवश्यक नहीं है। समिति के ऐसे सदस्यों को सहवर्त (Co-opted) सदस्य कहते हैं। 1933 ई० में इस अधिनियम में संशोधन कर यह प्रबन्ध किया गया कि पुस्तकालय समिति में सहवर्त सदस्यों की संख्या कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दार्लण्ड के प्रत्येक अधिनियम में पुस्तकालय समिति की नियुक्ति अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है क्योंकि उनमें 'must' (अवश्य) के स्थान पर 'may' (सकना) शब्द का उपयोग किया गया है।

भारत में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य पुस्तकालय समिति एवं स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी के गठन की व्यवस्था है। राज्य पुस्तकालय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पुस्तकालयों की उन्नति एवं इनसे सम्बन्धित प्रश्नों पर सप्ताह के लिए किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 17 है।

सम्पूर्ण राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, संगठन व संचालन के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी की नियुक्ति अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत है जिसके अनुसार मद्रास शहर एवं राज्य के प्रत्येक जिले में पुस्तकालय प्राधिकारी की नियुक्ति होगी। यह स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी सात सदस्यों की कार्यकारिणी समिति की स्थापना कर सकेंगे तथा अपने प्राधिकार एवं कर्तव्यों को उसे सौंप सकेंगे।

इस प्रकार सन् 1960 के घाज़्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम के अन्तर्गत राज्य पुस्तकालय समिति तथा हैदराबाद एवं मिज़ोरम शहरों के लिए व प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी पुस्तकालय सेवाओं के लिए कार्यकारी समिति की नियुक्ति कर सकता है।

सन् 1965 ई० में स्वीकृत मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Mysore Act, 1965) के द्वारा राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी (State Library Authority) तथा बेंगलोर, हुबली-धारवार, मंगलोर, मैसूर व बेलगाव तथा प्रत्येक उस शहर के लिए जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो, एवं प्रत्येक जिले की ग्रामीण सेवाओं के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इसी अधिनियम को धारा 28 के द्वारा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी (Local Library Authority) को 1. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) तथा 2. वित्त समिति (Finance Committee) की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। इन समितियों का अध्यक्ष स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी का अध्यक्ष होगा तथा अन्य सदस्य भी प्राधिकारी मण्डल के सदस्यों में से ही चुन कर आएंगे। अतः इस प्रकार की निर्वाचित समिति पूर्णतः शक्तिशाली होगी तथा समस्त कार्यकारी व वित्तीय मामलों के प्रति उत्तरदायी होगी।

शाखा (Branch) व ग्राम पुस्तकालयों की सेवाओं के लिए सलाहकार समितियों (Advisory Committees) के गठन की व्यवस्था भी अधिनियम की धारा 29 के द्वारा की गई है। इन समितियों के गठन में यह कहा गया है कि शाखा पुस्तकालयाध्यक्ष, शाखा पुस्तकालय सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा तथा चल पुस्तकालयाध्यक्ष (Travelling Librarian) ग्राम पुस्तकालय सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।

महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम (Maharashtra Public Library Act, 1967) में राज्य पुस्तकालय परिषद् (State Library Council) तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी (Local Library Authority) के गठन का प्रावधान है। राज्य पुस्तकालय परिषद् में शिक्षा मन्त्री तथा उपमन्त्री, जो परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होंगे, के सहित 28 सदस्य होंगे तथा जिला पुस्तकालय प्राधिकारी (District Library Authority) के 10 सदस्य होंगे। मैसूर अधिनियम की भांति स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी कार्यकारिणी समिति का गठन कर सकता है तथा आर्थिक अधिकारों के प्रतिरिक्त अपने किसी भी अधिकार व उत्तरदायित्व को स्वयान्तरित कर सकता है।

पश्चिमी बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक (West Bengal Public Library Act, 1979) के अन्तर्गत महाराष्ट्र की भांति ही राज्य पुस्तकालय परिषद् (State Library Council) का प्रावधान है। इस परिषद् के 27 सदस्य होते हैं जिसमें सम्बन्धित मंत्री अध्यक्ष तथा पुस्तकालय निदेशक (Director of Libraries) सचिव होता है। जिला स्तर पर समिति के स्थान पर जिला पुस्तकालय प्राधिकार (District Library Authority) का गठन किया गया है। जिला प्रशासक (District Magistrate) इस प्राधिकार का अध्यक्ष एवं जिला पुस्तकालय अधिकारी (District Library Officer) सचिव होता है। इस समिति में 20 सदस्य होते हैं।

इन सभी अधिनियमों में राज्य स्तर पर पुस्तकालय प्राधिकारी तथा स्थानीय स्तर पर प्राधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है, परन्तु स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी द्वारा कार्यकारी समिति की नियुक्ति मद्रास व आन्ध्र में अनिवार्य नहीं है। जबकि मैसूर व महाराष्ट्र में इस समिति की नियुक्ति अनिवार्य है। मैसूर अधिनियम में तो वित्त समिति के गठन का भी प्रावधान है।

इन सभी अधिनियमों के अध्ययन से कुछ विशेष बातें हमारे सम्मुख आती हैं जिनका उल्लेख आवश्यक है :—

1. पुस्तकालय प्राधिकारी मद्रास अधिनियम के अन्तर्गत अपने किसी भी लयवा सभी अधिकारों को इन समितियों को सौंप सकता है, परन्तु आन्ध्र प्रदेश के अधिनियम में सभी अधिकार नहीं सौंपे जा सकते। प्राधिक अधिकारों को पुस्तकालय प्राधिकारी नहीं सौंप सकता। इसी प्रकार की रोक महाराष्ट्र के अधिनियम में भी है।
2. सहवर्ण किए हुए सदस्यों का प्रावधान आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अन्तर्गत है, परन्तु ऐसा प्रावधान मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर व ५० बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में नहीं है। इसी प्रकार राज्य पुस्तकालय समिति के गठन, विधान, अधिकार व कार्यों का विवरण आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर व ५० बंगाल के अधिनियमों में तो मिलता है, परन्तु मद्रास के 1948 के अधिनियम में नहीं है। इस प्रकार का उपबन्ध सन् 1950 ई० में संशोधन द्वारा किया गया है।
3. मद्रास अधिनियम तथा मैसूर अधिनियम के अन्तर्गत यथित पुस्तकालय समिति आन्ध्र प्रदेश व महाराष्ट्र की तुलना में अधिक गतिशीली है।
4. ५० बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य पुस्तकालय समिति एवं स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी का कार्यकाल तीन वर्षों का है। ५० बंगाल में समय की कोई सीमा नहीं है।

उप-समिति

जिस प्रकार पुस्तकालय समिति पुस्तकालय प्राधिकारी की उप-समिति होती है, जिसका गठन सार्वजनिक पुस्तकालयों के संगठन, संचालन, भोति-निर्धारण एवं प्रतिदिन के कार्यों में पुस्तकालय प्राधिकारी के सहयोग के लिए किया जाता है, उसी प्रकार पुस्तकालय समिति अपनी सुविधा के लिए पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों के लिए उप-समिति की नियुक्ति कर लेती है। इन प्रकार की उप-समितियों की संख्या व प्रकार पुस्तकालय के आकार पर निर्भर करता है। बड़े पुस्तकालयों में आय-व्ययक, पुस्तक चुनाव, कर्मचारी, भाषणों की व्यवस्था आदि अनेकानेक कार्यों के लिए उप-समिति की नियुक्ति कर दी जाती है। वैसे सभी प्रकार के पुस्तकालयों में पुस्तक चुनाव उप-समिति अधिक व्यापक व सामकारी है।

उप-समितियों का कार्य विवरण समिति-की स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा प्रतिम निर्णय उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

शैक्षणिक पुस्तकालयों में समिति

भारत के स्कूल व कॉलेज पुस्तकालयों में पुस्तकालय समिति नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में प्रधानाचार्य व कॉलेजों में प्रिन्सिपल ही मुख्य अधिकृतता होता है तथा उसकी मर्जी से ही पुस्तकालयों का कार्य चलता है। देश के कुछ भागों में कॉलेज पुस्तकालयों के प्रोफेसर-इन्चार्ज नियुक्त करने की परम्परा को प्रोत्साहन दिया गया है। सिद्धांततः यह एक गलत परम्परा है तथा इसका प्रभाव पुस्तकालयों के विकास व उनकी सेवाओं पर विपरीत पड़ता है। अनेक स्थानों पर पुस्तकालयाध्यक्षों तथा पुस्तकालय संघों के अधिकारियों का ध्यान इस अवस्था की ओर दिनाया है, परन्तु इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है।

विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तकालय समिति की प्रारम्भवादी प्रेरणा अमेरिका के विश्वविद्यालयों से प्रारम्भ हुई है तथा उसका जन्म भारत के प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना के साथ ही हुआ। सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में मार्च 1873 को पहली पुस्तकालय समिति की स्थापना की गई तथा उसे पुस्तकें ख़री करने के लिए सूची बनाने का काम सौंपा गया। इसी प्रकार मैसूर विश्वविद्यालय में सन् 1912 में तीन सदस्यीय पुस्तकालय समिति की स्थापना की गई। धीरे-धीरे लगभग सभी विश्व-विद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तकालय समितियों का गठन किया गया। परन्तु प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार की समिति के गठन, और अधिकार क्षेत्रों में अत्यधिक विभिन्नता पायी जाती है तथा यहाँ तक देखा गया है कि पुस्तकालयाध्यक्ष जो कि वास्तव में पुस्तकालय का मुख्य अधिकारी होता है उसके हाथ में अत्यन्त सीमित शक्तियाँ रहती हैं तथा पुस्तकालय समिति का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक व विस्तृत है।

कार्य-सूची

पुस्तकालय समिति की कार्य-सूची भी महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि यह कार्य-सूची आवश्यकतानुसार सदैव परिवर्तनशील है, परन्तु मुख्य विषय लगभग सभी बैंडकों में एक से रहते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष इसी समिति का मन्त्री होता है तथा वही उसकी कार्य-सूची बनाता है। कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का होना आवश्यक है :—

1. पिछली बैठक का कार्य विवरण

इसको पढ़ा जाता है तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं; इसमें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का विवरण होता है।

2. पुस्तक उप-समिति का कार्य विवरण

लगभग प्रत्येक बैठक में यह विषय मुख्य स्थान ग्रहण करता है। पुस्तक चुनाव का कार्य वर्षों के प्रत्येक दिन होता है तथा होना चाहिए। अतः यह विषय प्रत्येक बैठक में आता रहेगा।

3. बिल

पुस्तकालयाध्यक्ष माह में त्रय की गई पुस्तकों तथा अन्य सामान के बिल समिति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है।

4. पुस्तकालयाध्यक्ष की रिपोर्टें

पुस्तकालयाध्यक्ष पूरे माह का विवरण पुस्तकालय समिति के सम्मुख प्रस्तुत करता है तथा कार्यकारियों के प्रवक्तृत्व, पदोन्नति, उपहार आदि के विषय में समिति की स्वीकृति प्राप्त करता है।

5. अन्य सामान व फर्नीचर आदि त्रय करने के लिए समिति की स्वीकृति प्राप्त करता है।

6. अन्त में, कोई भी विशिष्ट विषय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है।

पुस्तकालय कर्मचारी : उनकी विशेषताएँ, शिक्षा व व्यवस्था

आज पुस्तकालयाध्यक्षता बहुत ही जटिल व्यवसाय है जिसके लिए कई प्रकार के निश्चित व व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह जटिल सेवाएँ जो कि एक प्राधुनिक पुस्तकालय प्रदान करता है, अपने आप ही व्यवस्थित नहीं हो जाती, उनके व्यवस्थापन के लिए निश्चित योग्यता, क्षमता व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कार्य की पूर्ति के लिए योग्य व सक्षम पुस्तकालय कर्मचारी का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय की सफलता उसी पर निर्भर करती है। योग्य, उदात्त व अशिष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष सुदृढ़ पुस्तक संकलन, प्राकर्यक भवन व अन्य सामान के होते हुए भी पुस्तकालय की उपयोगिता को नष्ट कर सकता है। अतः आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष एवं उसके सहयोगी योग्य हों एवं उनमें अच्छे नेता होने के गुण हों तभी वे समाज का सफलतापूर्वक मार्ग दर्शा कर सकते हैं तथा पुस्तकालय की उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष वह है जिसे पुस्तकों, ज्ञान एवं मानवता से प्रेम हो। "पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशासक होने के साथ-साथ विद्वान् भी कम नहीं होता है। वह प्रविष्ट होता है, साथ ही सिद्धान्तवादी भी कम नहीं होता। उसे पुस्तकों से प्रेम होता है, साथ ही मानवता में भी उसकी रुचि रहती है।"¹ अथवा पुस्तकालय कर्मचारी में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इतना ही नहीं, "यदि सर्वोत्तम फल प्राप्त करने हैं तो पुस्तकालय के प्रत्येक कर्मचारी को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए।"² आज का पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों का रखवाला मात्र न रहकर, पाठक व पुस्तक के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। वह सभी प्रकार की अध्ययन-सामग्री अर्थात् पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र, सप्तदीय विवरण आदि एवं जिज्ञासु पाठक के मध्य सम्पर्क स्थापित करता है। उसका दृष्टिकोण क्रान्तिकारी होना चाहिए, जिससे वह पुस्तकालय के ध्येय में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सके। आज संसार के घनेक देशों में पुस्तकालय उन्नति के चरम शिखर पर है, जबकि भारत के पुस्तकालय योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों, सरकारी सहयोग एवं जन-जागरण के अभाव में काफी पिछड़े हुए हैं। पुस्तकालय आन्दोलन की दृष्टि से 1933 के बाद पुस्तकालयों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं फिर भी हम न तो यहाँ योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष उत्पन्न कर सके हैं और न ही उचित पुस्तकालय सेवा प्रदान कर सके हैं। ऐसा होने के कारण ही पुस्तकालय क्षेत्र के अनुभवी मार्ग-प्रदर्शक श्री बगौरउद्दीन दुःसलूँ शब्दी ने कह पाए हैं "न पुस्त-

कालय व्यवसाय में 42 वर्ष पूर्व पुस्तक के माध्यम से प्राया जबकि अनुदान बहुत कम था पुस्तकों घोड़ी थीं, पुस्तकालय भवन कलना के परे थे एवं कर्मचारियों की सख्या नगण्य थी। क्या मुझे इस व्यवसाय को ऐसी अवस्था में छोड़ना पड़ेगा जबकि पुस्तक प्रेरणात्मक शक्ति नहीं रही है विशेषतः उस समय जबकि अनुदान अपरिमित हैं, पुस्तकों हजारों की सख्या में हैं, पुस्तकालयों को शरण देने के लिए स्मारकीय भवन चहुँओर दृष्टिगोचर हो रहे हैं एवं पुस्तकालय कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है।¹³ पुस्तकालय कर्मचारी में अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त पुस्तक प्रेम महत्त्वपूर्ण है। वह पुस्तकों के माध्यम से ही समाज की सेवा करता है।

पुस्तकालयाध्यक्ष को बौद्धिक एवं तकनीकी क्षेत्र में पूर्णरूप से योग्य होना चाहिए, तभी वह व्यावसायिक उत्तरदायित्व को पूर्ण कर सकता है। इस पूर्णता के द्वारा ही वह प्रत्येक विषय के प्राधुनिक व नवीनतम साहित्य को उपलब्ध कराकर पाठकों के ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। तकनीकी प्रक्रियाओं अर्थात् वर्गीकरण, सूचीकरण आदि के द्वारा वह पुस्तकों व अन्य अध्ययन सामग्री के उपलब्ध कराने में सहायक होता है, साथ ही वह स्वयं भी सहायक होकर अध्ययन सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करा सकता है।

प्रोफेसर यौन⁴ के मतानुसार पुस्तकालयाध्यक्ष के “अनुकूलन शीलता, अभिज्ञा सहजवृद्धि, भद्रता, विवेक, उत्साह, कल्पना, शक्ति, पहलशक्ति, मूल्यीकन शक्ति, नेतृत्व परिपक्वता, मौलिकता, उत्तरदायित्व, व्यवहारशीलता, समझदारी, श्रोजस्विता तथा जोश” जैसे गुणों का होना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसमें संचरण करने, सहयोग करने, प्रयोग करने, अभिनव परिवर्तन करने तथा सहभागिता करने की भावना हो, रचनात्मक, सर्जनात्मक, वर्णनात्मक, अभिव्यंजक तथा ग्रहणशील होने की योग्यता हो तथा एक सही व्यावसायिक दृष्टिकोण हो।

पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य पुस्तकालय कर्मचारियों के उपरोक्त वर्णित सभी धर्मवा अधिक से अधिक गुणों का होना पुस्तकालय सेवाओं की सफलता के लिए आवश्यक है।

डॉ० रणनाथन⁵ के अनुसार पुस्तकालय को रामायण में वर्णित भारत के आदर्शों का, कठोर धर्म-जिसके द्वारा वह पुस्तकालयों का दस गुना उपयोग बढ़ा सके, अनुष्ण का अपने आत्म अहंकार के नियन्त्रित करने में, लक्ष्मण का पाठकों की बिना लाभ और प्रशंसा की अपेक्षा किये सेवा करने में तथा राम का मृदुता, आकर्षण, धारम-सम्मान की भावना से स्वतन्त्रता, पाठकों के प्रति प्रेम व आदर-उनकी कठिनाइयों को समझने व दूर करने की क्षमता आदि गुणों के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए।

पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशिक्षण इस प्रकार का हो जिससे वह धर्म.....सभी विद्वान्तो राजनीति व नैतिक शास्त्र के सभी विचारधाराओं को व्यावसायिक.....वास्तव में उसे अपने व्यक्तित्व, उसके धर्म, उसकी विचारधारा व उसकी नैतिकता में घुला देना चाहिए और यह वह तभी कर सकता है जब उसका स्वयं का न कोई धर्म हो, न नैतिकता हो, न राजनीति हो तभी वह सभी धर्मों, नैतिकताओं व राजनैतिक विचारों का अनुसरण कर सकता है।¹⁶

इन गुणों के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष में मानवीय व मनोरियाँ न हों। उसे हंसमुख, मित्रभाषी, प्रयुत्पन्नमति होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व आकर्षक एवं

स्वभाव मृदु होना चाहिए। पाठकों के साथ उसका व्यवहार प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसे पुस्तकालय में आने वाले प्रत्येक पाठक का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार पाठक को यह कहने के लिए "इस नौजवान को, जिसने पुस्तकालय में हमारी घमघमना की, मोहक मुस्कान ने पूरे कमरे को जगमगा दिया एवं हमें निश्चय हो गया कि हम सही जगह पहुँचे। इस पुस्तकालय की प्रत्येक वस्तु आराम-देह भी है। किसी भी समय जब मेरे पास समय होगा, मैं यहाँ अपना समय व्यतीत करना पसन्द करूँगा।" विवश कर देगा।

पाठकों के साथ-साथ पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने सहयोगियों के साथ भी प्रेम एवं सोहाव्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में टॉर्नटेल कॉम्पोरेसन की "निरीक्षकों की विवरणिका" में पर्यवेक्षकों के लिए आठ सहायकों की सूची के अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्षी में निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है—

1. अच्छे पर्यवेक्षक का प्रथम महत्त्वपूर्ण गुण मानवीय प्रकृति को समझना है। पर्यवेक्षण का आधारभूत सिद्धान्त व्यक्तियों द्वारा किए जानेवाले कार्यों के कारण को जानना एवं यह जानना है कि वह स्वभाविक क्रिया-कलाप से भिन्न कार्य क्यों करते हैं।
2. द्वितीय पर्यवेक्षित कार्य का ज्ञान है। कोई भी नायक अपने कार्यों एवं उत्तर-दायित्व को जाने बिना अपने सहयोगियों से सहयोग व धादर प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पहलुओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
3. तीसरा सहायक योजना है। पूर्व योजना विश्वास प्राप्त करने एवं कार्य संचालन पर नियन्त्रण रखने में सहायक है। इसके द्वारा अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था तथा प्रतिशुद्धता के स्थान पर सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिलती है।
4. अभिव्यक्ति की स्पष्टता चौथा सहायक है। निर्देशों की स्पष्टता भावितियों को दूर करती है।
5. पाँचवाँ सहायक सहयोगी के कार्य एवं स्वयं उसमें वास्तविक अभिगच्छि का होना है। मँत्रीपूर्ण व्यवहार सहयोग को उत्साहित करता है।
6. छठे ढंग से किए हुए कार्य की प्रशंसा छठा सहायक है। जब कोई भी सहयोगी मेहनत व ईमानदारी से कार्य करे तो उसके कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। इस प्रकार उसे अधिक धम से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
7. सातवाँ सहायक मस्तिष्क की परिपक्वता है। उसे किसी प्रकार का पक्षपात एवं असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए तथा सहयोगियों के विचारों के प्रति व भविष्य के प्रति मानसिक परिपक्वता का होना आवश्यक है।
8. अन्तिम सहायक जिसे हम बहुधा भूल जाते हैं, पर्यवेक्षक में अपने अधिकारियों एवं अधिनस्थ कर्मचारियों के प्रति विश्वास व निष्ठा है। इसके द्वारा जो वातावरण पैदा होगा, वह पूर्ण एवं आकर्षक होगा।

दुर्भाग्य से भारत के अधिकांश पुस्तकालयाध्यक्ष इन गुणों से रहित हैं तथा हमारा देश व उसके पुस्तकालय अनेक अयोग्य, असहिष्णु, असहयोगी व्यक्तियों के हाथों में अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

पुस्तकालयों की सफलता के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष प्रस्तुत करें जो वैज्ञानिक, दार्शनिक, मित्र व सहायक सभी हों। इन गुणों की प्राप्ति के लिए समुचित शिक्षा व प्रशिक्षण वाछनीय है। परन्तु हमारी शिक्षा प्रणाली दोषयुक्त है तथा हम वही प्रकार के पुस्तकालयाध्यक्षों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। विदेशों शासन ने हमारी मनोवृत्तियों को बदल दिया है। नौकरशाही प्रवृत्ति के जाल में हम पूर्णतः उलझे हुए हैं। यदि हमें संसार में ऊँचा उठना है तो अपने पुस्तकालयों को उपयोगी एवं पुस्तकालय सेवामो को उत्तम बनाना होगा। उनके लिए न केवल अपनी प्रवृत्ति वरन् सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। साथ ही पुस्तकालय प्राधिकारियों को भी पुस्तकालयों के प्रति अपने व्यवहार व सोचने के ढंग में परिवर्तन करना होगा। बहुधा देखा गया है कि प्रशासकों का रवैया पुस्तकालयों व पुस्तकालयाध्यक्षों की भवति करने का ही रहा है। यदि वित्तीय कमी के कारण बजट में कमी करनी है तो सबसे पहले पुस्तकालयों के बजट में कमी की जाती है; यदि कर्मचारियों के वेतन शृंखला में परिवर्तन करना है तो पुस्तकालयाध्यक्षों व पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रतिरिक्त सभी की वेतन शृंखला परिवर्तित कर दी जाती है, अगर कोई कर्मचारी अन्य विभागों में उपयुक्त नहीं पाया जाता तो उसे पुस्तकालय में भेज दिया जाता है, और अगर किसी विद्यार्थी को किसी पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिलता है तो वह पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण करने भा जाता है, साथ ही अगर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति को कहीं नौकरी दिलानी हो तो उसे पुस्तकालय में लगा दिया जाता है।

यदि हमें अपने पुस्तकालयों से सही व उत्तम सेवा प्राप्त करनी है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उपरोक्त वर्णित दृष्टिकोण में परिवर्तन आये तथा ऐसे योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति ही पुस्तकालय सेवामो में आये जिनमें सेवा करने की भावना प्रबल हो। उनका प्रशिक्षण उचित ढंग का हो।

पुस्तकालय कर्मचारियों का वर्गीकरण

समस्त भारत, वरन् संसार में पुस्तकालय कर्मचारियों का वर्गीकरण व्यावसायिक, अर्द्ध-व्यावसायिक तथा अभ्यावसायिक में किया गया है। व्यावसायिक कर्मचारियों के पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा ध्यावसायिक सहायक के रूप में किया गया है। इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय विज्ञान के पूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। अर्द्ध-व्यावसायिक कर्मचारियों में वह कर्मचारी भा जाते हैं जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त हो तथा वह अर्द्ध-व्यावसायिक कार्यों में लिप्त हो तथा ध्यावसायिक सहायकों को अनेक कार्यों में सहयोग दे सकते हों। अध्यावसायिक कर्मचारियों में, अन्य कर्मचारों जैसे लिपिक, टाइपिस्ट आदि कर्मचारी आते हैं।

भारत में पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षण का शैक्षणिक ढाँचा इस प्रकार के वर्गीकरण के अनुरूप बनाया गया है तथा देश के अनेक विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थाएँ पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण

जैसा कि पुस्तकालय कर्मचारियों का वर्गीकरण उपरोक्त धनुष्येद में दिया गया है पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण भी इसी प्रकार निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है :—

(अ) पुस्तकालय के लिए ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना जो पुस्तकालय विज्ञान व सेवा के सामान्य तत्वों को समझ सकें तथा पुस्तकालय का दिन-प्रतिदिन का कार्य कर सकें ।

(ब) पुस्तकालय के लिए ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना जो पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धान्तों तथा मौलिक नियमों से पूर्णतः परिचित हो तथा समाज की दृश्यता हुई आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकालय सेवा में परिचय देने की क्षमता रखते हों; पुस्तकालयमाध्यमता की तकनीक से पूर्व परिचित हो तथा पुस्तकालय के विभिन्न विभागों को समझित करने में पूर्ण तक्षम हो ।

(स) तथा अन्त में पुस्तकालय सेवाओं में निरन्तर सुगमता खाने के लिए ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना जो पुस्तकालयों के विकास में परिपक्व नेतृत्व प्रदान कर सकें तथा पुस्तकालयमाध्यमता की उच्चतम तकनीक, पुस्तकालयों के संगठन व सञ्चालन में सहयोग दे सकें ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों ने निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की स्थापना की है :—

1. पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र (C. Lib. Sc.)
2. पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम (B. Lib. Sc.)
3. पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (M. Lib. Sc.)
4. पुस्तकालय विज्ञान में शोध (Ph.D)

वर्तमान में अलीगढ़, पान्थ, रोवा, बनारस, बरोड़ा, भागलपुर, बम्बई, बर्दवान, कलकत्ता, दिल्ली, शारिदासिखेया, गौहाटी, गुजरात, जादवपुर, कर्णभोर, कर्नाटक, कुरुक्षेत्र, कोरल, सखनऊ, मदास, मरायवाड़ा, मैसूर, नागपुर, ओसमानिया, पंजाब, पूना, पटियाला (पंजाब), राजस्थान, रबिंशंकर, रायपुर, सागर, शिवाजी, एस.एन.डी.टी. (बम्बई), तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक स्तर का प्रशिक्षण देते हैं । इसके अतिरिक्त अलीगढ़, बनारस, बम्बई, दिल्ली, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब राजस्थान और विक्रम विश्व-विद्यालय स्नातकोत्तर स्तर का भी प्रशिक्षण देते हैं । दिल्ली, पंजाब व राजस्थान के विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान में शोध के लिए छात्रों को पंजीकृत करते हैं ।

स्नातक पाठ्यक्रम

- (1) वर्गीकरण के सिद्धान्त (Principles of Classification)
- (2) व्यावहारिक वर्गीकरण (Classification : Practical)
- (3) सूचीकरण के सिद्धान्त (Principles of Cataloguing)
- (4) व्यावहारिक सूचीकरण (Cataloguing : Practical)
- (5) संदर्भ सेवा (Reference Service)

(6) प्रलेखन (Docermeestation)

(7) पुस्तकालय संगठन (Library Organisation)

(8) पुस्तकालय संचालन (Library Administration)

उपरोक्त पाठ्यक्रम यद्यपि पुस्तकालय विज्ञान के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से अध्ययन करा देते हैं, परन्तु उनसे इच्छित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इनके कई कारण हैं, मुख्यतः अधिकांश पुस्तकालयाध्यक्षों को पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा (Master's Degree) उत्तीर्ण करने का अवसर ही नहीं मिल पाता, दूसरे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण स्वयं में अपूर्ण हैं, तीसरे पुस्तकालयाध्यक्षों को समाज व सरकार द्वारा उचित प्रतिष्ठा न मिलने के कारण योग्य व्यक्तियों में इस प्रशिक्षण के प्रति आकर्षण की कमी है।

इच्छित फल प्राप्ति के लिए हमें उपर्युक्त बातों पर उचित ध्यान देकर उचित कदम उठाने चाहिए। उचित संशोधन कर हम योग्य पुस्तकालयाध्यक्षों का निर्माण कर सकेंगे एवं पुस्तकालय सेवाओं को उन्नत कर सकेंगे। सर्व प्रथम प्रत्येक राज्य के कम से कम एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में उत्तर-स्नातकोत्तर प्रशिक्षण (Master's Degree in Library Science) का आयोजन आवश्यक है। ऐसा प्रबन्ध होने पर सभी प्रान्तों के पुस्तकालयाध्यक्ष इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकेंगे एवं पुस्तकालय व समाज की उन्नति में योगदान कर सकेंगे। दूसरे यह आवश्यक है कि हम स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम पर विचार करें एवं उचित सुझाव प्रस्तुत करें।

- (1) हमारे विचार में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण में मन्दमं सेवा पर ही प्रथम से एक पूर्ण प्रश्न-पत्र का प्रबन्ध करें।
- (2) हम अपने पाठ्यक्रम में अन्य उन्नत देशों के पाठ्यक्रम, जहाँ का प्रशिक्षण योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष उत्पन्न कर रहा है, (जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि) से तुलना कर आवश्यक परिवर्तन करें।
- (3) प्रशिक्षण को उन्नत व श्रेष्ठ बनाने के लिए यदि विशिष्ट विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञान, मानवीय विज्ञान व समाजशास्त्र आदि के इतिहास का अध्ययन कराया जाय तो सर्वोत्तम होगा। ऐसा करने से विशिष्ट पुस्तकालयों के अध्यक्ष भी विशिष्ट विषय का इतिहास लेकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।
- (4) चौथे सबसे महत्त्वपूर्ण बात जिसकी ओर हमारा ध्यान कम ही जाता है, भारतीय भाषाओं में आवश्यक साहित्य की कमी है। अंग्रेजी भारत की राष्ट्र-भाषा नहीं है, परन्तु उपलब्ध पुस्तकों में सर्वाधिक संख्या अंग्रेजी की पुस्तकों की है। यदि हमें ज्ञान के क्षेत्र में व्यापक उन्नति करनी है तो पुस्तकालयों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध करानी होंगी जिससे वह विद्यार्थी भी जो पुस्तकों के अंग्रेजी में होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी भाषा में पढ़कर ज्ञानार्जन कर सकें।
- (5) भारत के पुस्तकालयाध्यक्षों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना पुस्तक प्रेम का न होना है। यह एक सामाजिक नुराई है। इसे दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे

आवश्यकता इस बात की है कि आज का विद्यार्थी पाठ्य-पुस्तकों व सहायक पुस्तकों (Cheap Books) पर आश्रित न रह कर व्यापक अध्ययन करे। जब कि आज का विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पुस्तकों एवं प्रश्नोत्तर क्रम वाली पुस्तकों को पढ़ कर परीक्षा में सफल होता है। उसका ध्येय जानार्जन न होकर परीक्षा में सफल होना है। इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्नों की आवश्यकता है। शिक्षा प्रारम्भ होते ही बालकों को पुस्तकालय में ले जाकर, विभिन्न प्रकार की चित्रित पुस्तकें दिखा कर आकर्षित करें तथा धीरे-धीरे गम्भीर अध्ययन की ओर प्रवृत्त करें। इससे पुस्तक अध्ययन की प्रवृत्ति बालक में बचपन से ही आयेगी एवं न केवल पुस्तकालयों के लिए योग्य प्रशिक्षार्थी मिलेंगे वरन् सभी क्षेत्रों में योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे। यह प्रक्रिया यद्यपि लम्बी है परन्तु सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए इसके अतिरिक्त अन्य उपाय भी नहीं हैं। किसी भी प्रवृत्ति को बचपन में ही मिटाया जा सकता है।

परीक्षा प्रणाली

भारतीय पुस्तकालय प्रशिक्षण में सबसे बड़ी व्याधि परीक्षा प्रणाली की है जिसका निर्माण अनेकी शिक्षा सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष के अन्त में परीक्षा का आयोजन किया जाता है तथा उसमें सफल होने वाले प्रशिक्षार्थी को सफल घोषित किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में ऐसी प्रणाली घातक है तथा प्रशिक्षार्थी की पूर्ण योग्यता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं करती है। प्रशिक्षार्थी को योग्यता व व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि वर्ष भर उसका निकट से अध्ययन किया जाए जैसा कि अमेरिका में होता है। हमारे देश में भी कुछ पुस्तकालय विज्ञान विभागों ने इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया है एवं प्रशिक्षार्थी का विभाग के प्राध्यापकों द्वारा मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्रों के ढकों में से कुछ प्रतिशत प्रश्न अलग कर दिए गए हैं। यह शिक्षा की उन्नति की दिशा में शुभ सूचक निहल है।

पद स्थिति तथा वेतनमान

जहाँ हम एक ओर पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उसके सहयोगियों से अच्छे कार्य व योग्यता की प्राप्ति करते हैं, वहीं यह आवश्यक हो जाता है कि उसे तथा उसके सहयोगियों को आवश्यक सम्मान दे, जो उसकी पद-स्थिति तथा वेतनमान से ही मिल सकता है। विदेशों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को काफी सम्मान व वेतन-क्रम मिला है, जबकि भारत में अभी तक पुस्तकालयाध्यक्षों को उचित पद-स्थिति व वेतन कम प्राप्त ही नहीं हो पाया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए निपुक्त सलाहकार समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मुद्रालय कमीशन की सिफारिशों के होते हुए भी सामान्य पुस्तकालयाध्यक्ष की हालत आज भी अच्छी नहीं है तथा स्कूल, कॉलेज व सार्वजनिक पुस्तकालय अभी भी योग्य पुस्तकालयाध्यक्षों के अभाव में निष्क्रिय पड़े हैं। यदि भारत में पुस्तकालय सेवाओं को उन्नत करना है तथा योग्य व्यक्ति को पुस्तकालयाध्यक्ष की ओर आकर्षित करना है तो हमें उन्हें उचित वेतनमान व पद-स्थिति देनी पड़ेगी।

भारत के सार्वजनिक पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन क्रम व योग्यताओं के लिए सलाहकार समिति की सिफारिश इस प्रकार है :—

क्रमिक	पुस्तकालय पद	योग्यता	वेतन स्तर
1.	ग्राम पुस्तकालयाध्यक्ष (Village Librarian)	स्वयं सेवक व ग्राम्य अध्यापक	भारतनिक ग्रन्थवा कुछ मत्ते पर
2.	छोटे कस्बे का पुस्तकालयाध्यक्ष, 2500-5000 की आबादी पर	हाई स्कूल तथा प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्राथमिक शाला अध्यापक
3.	छोटे क्षेत्र का पुस्तकालयाध्यक्ष 2500 5000 की आबादी तथा तीन व उससे अधिक निक्षेपालयों पर	" एक वर्ष का कार्य अनुभव	" का प्रधानाध्यापक
4.	मध्य कस्बे का पुस्तकालयाध्यक्ष 5000-20,000 की आबादी पर	एक वर्ष का कार्य अनुभव	माध्यमिक शाला का अध्यापक
5.	मध्य क्षेत्र पुस्तकालयाध्यक्ष 5000-20,000 की आबादी तथा तीन व अधिक निक्षेपालयों पर	स्नातक तथा पुस्तकालय प्रशिक्षण, एक वर्ष का अनुभव	माध्यमिक शाला का प्रधानाध्यापक
6.	(अ) बड़े कस्बे का पुस्तकालयाध्यक्ष (ब) व्यावसायिक कर्मचारी (ग) शाखा पुस्तकालयाध्यक्ष (द) सचिव पुस्तकालयाध्यक्ष	स्नातक तथा एक वर्ष का पूर्ण प्रशिक्षण स्नातक तथा एक वर्ष का पूर्ण प्रशिक्षण " " तथा कुछ अनुभव	हाई स्कूल का प्रशिक्षित अध्यापक हाई स्कूल का प्रशिक्षित अध्यापक " " तथा विशेष मत्ता
7.	(अ) विभागीय अध्यक्ष (Head of Department) (ब) कोषागारों का संचालक (Superintendent of Branches)	स्नातक, द्वितीय श्रेणी तथा पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण द्वितीय श्रेणी साथ ही पाँच वर्ष का कार्यानुभव "	हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक "
8.	(अ) छोटा शहर पुस्तकालयाध्यक्ष (Small City Librarian) 50,000 1,00,000 की आबादी	स्नातक, द्वितीय श्रेणी तथा पुस्तकालय विज्ञान का पूरे वर्ष का प्रशिक्षण द्वितीय श्रेणी साथ में ही	के वेतनक्रम में उच्च स्थिति में

क्रमांक	पुस्तकालय पद	योग्यता	वेतन स्तर
	पर	वर्ष का कार्यानुभव	
	(ब) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष (ब वर्ग) (Deputy Librarian class B)	"	"
	(स) विशिष्ट अधिकारी (Special Officer)	"	"
9.	(घ) शहर पुस्तकालयाध्यक्ष (City Librarian) 1 साल से 3 साल की भावादी पर	स्नातक, द्वितीय श्रेणी पुस्तकालय विज्ञान का पूरे वर्ष का प्रशिक्षण द्वितीय श्रेणी तथा पांच वर्ष का कार्यानुभव	शिक्षा सेवाओं वर्ग दो के क्रम में (Junior Class II Edu- cation Service)
	(ग) जिला पुस्तकालयाध्यक्ष (Distt. Librarian)	"	"
	(घ) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष (वर्ग अ) (Deputy Librarian) (Class A)	एम. ए. तथा एम० लि० एस० सी० तथा दो वर्ष का कार्यानुभव	" कुछ विशेष मतों के साथ
10.	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालया- ध्यक्ष (State Central Librarian)	" साथ में 10 वर्ष का कार्यानुभव अथवा पुस्त- कालयाध्यक्ष के क्षेत्र में कुछ प्रकाशन	शिक्षा सेवाओं में वर्ग 1 (Class I Education Service)
11.	पुस्तकालयों का संचालक (Director of Libraries)	एम० ए० तथा एम० लि० एस० सी० तथा दो वर्ष का कार्यानुभव साथ में 10 वर्ष का कार्यानुभव अथवा पुस्त- कालयाध्यक्षता के क्षेत्र में कुछ प्रकाशन	अन्य विभागीय अधिकारियों के समान यदि वह विभागाध्यक्ष है। यदि नहीं तो उप-शिक्षा निदेशक के वेतन क्रम में विशिष्ट मतों सहित

इन सिफारिशों के होते हुए भी मात्र देश के अधिकांश पुस्तकालयाध्यक्षों को निम्न प्रकार के वेतन क्रम दिए गए हैं तथा उनकी पद-स्थिति लिबरल वर्ग (Ministerial Cadre) में ही रखी गई है।

इसी प्रकार स्कूल पुस्तकालयों में मुदालियर कमीशन¹⁰ की स्पष्ट सिफारिशों के होते हुए भी आज तक अधिकांश स्कूल पुस्तकालयों में अप्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष ही कार्य कर

रहे हैं। जहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष हैं भी, तो उसका वेतन-क्रम लिपिक वर्ग के वेतन क्रम से सम्बद्ध है तथा उनका पद उच्च लिपिक कम पुस्तकालयाध्यक्ष (UDC-cum-Librarian) है। इस प्रवस्था में यह आशा करना कि स्कूल पुस्तकालय धराना उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकेंगे तथा योग्य व्यक्ति पुस्तकालयाध्यक्षता की ओर आकर्षित हो सकेंगे, केवल मृग-तृष्णा ही रहेगी। यदि हम अपने स्कूल पुस्तकालयों में अच्छी व सतोपजनक सेवा प्रदान करानी है तो आवश्यक है कि हम स्कूल पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन-क्रम स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) के समान करें जैसी कि मुदालियर कमिशन ने सिफारिश की है तथा उसे उचित पद सम्मान प्रदान करें। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत तो पुस्तकालयों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह-सा लग गया है। शिक्षा की चुनौती (Challenge of Education) नामक प्रतिवेदन में पुस्तकालयों के विषय में मात्र सरसरी तौर पर जिक्र किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालय व कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्षों को उचित वेतनमान व पद स्तर प्राप्त था, परन्तु तीसरे वेतन आयोग ने उन सिफारिशों को खलट दिया तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के सन् 1973 तक के स्वीकृत वेतनमान की तुलना में नीचे स्तर के वेतनमान को स्वीकृति प्रदान की गई है। देश के पुस्तकालयों के विकास में यह एक प्रतिगामी कदम है।

इस प्रकार कॉलेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान व पदस्तर में किया गया है। वर्तमान सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय व कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रोफेसर, रीडर व सेक्चरार के समकक्ष का वेतनमान न देकर, उससे निचले स्तर का वेतनमान दिया गया है। कर्मचारियों की व्यवस्था :

पुस्तकालय में कर्मचारियों की व्यवस्था विवादग्रस्त विषय है। प्रशासन कम से कम कर्मचारी देना चाहता है जबकि पुस्तकालय में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप पुस्तकालय का ध्येय पूरा नहीं हो पाता है तथा उसकी उपयोगिता कम होती है। पुस्तकालय सेवाओं की पूर्णता के लिए आवश्यक है कि छोटे से छोटे पुस्तकालय के लिए कर्मचारियों की सख्या निश्चिन कर दी जाए एव बड़े पुस्तकालयों में किसी निदान्त व नियम के अनुसार कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। किसी भी पुस्तकालय में कर्मचारियों की व्यवस्था करने से पहले उसे तीन भागों में अर्थात् व्यावसायिक, घर्ष-व्यावसायिक एव अध्यावसायिक में विभाजित करना मुविचारजनक है। छोटे से छोटे पुस्तकालय में (निशेवास्यों को छोड़कर) कम से कम एक व्यावसायिक, एक घर्ष-व्यावसायिक एव एक अध्यावसायिक कर्मचारी का होना आवश्यक है। इनके प्रतिरिक्त पुस्तकालय के धाकार के अनुसार अपरासी प्रादि की व्यवस्था की जा सकती है, पर कम से कम दो पुस्तक रखने वाले (Book-attendants), एक अपरासी, एक चौकीदार तथा बड़े समय के लिए सफाई करने वाले का होना आवश्यक है। धतः किसी भी पुस्तकालय में कम से कम अधनिश्चित कर्मचारियों का प्रावधान तो होना ही चाहिए—

पुस्तकालयाध्यक्ष	1
प्रद्वं-व्यावसायिक अर्थात् परिचालन सहायक	1
अध्यावसायिक	1
पुस्तक रखने वाले	2
चपराही	1
बीकोदार व माती	1
सफाई कर्मचारी (थोड़े समय के लिए)	1

कुल 8

बारह घण्टे खुलनेवाले पुस्तकालयों में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है तथा साथ ही बड़े पुस्तकालयों में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। बड़े पुस्तकालयों में कम से कम पुस्तकालयाध्यक्ष, उप अथवा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का होना भी आवश्यक है। इसके लिए डॉ. रयनायन द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धान्त उचित एवं प्रादेशी हैं—¹²

विभिन्न विभागों के लिए कर्मचारियों का सिद्धान्त—

(घ)	(ङ)
घ = क/6000	(पुस्तक चुनाव के लिए : वर्ष में 6000 पुस्तकों के परिग्रहण के लिए एक व्यक्ति)
ब = घ/1500	(परिचालन विभाग : एक व्यक्ति प्रति 1500 घण्टे)
स = घ क/1500	(पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उसका सहायक एक व्यक्ति प्रति 1500 कार्य घण्टे प्रति वर्ष)
द = क/3000	(अनुरक्षण (Maintenance) विभाग : 3000 पुस्तकों को रखने के लिए द मरम्मत करने के लिए एक व्यक्ति)
य = घ/500	(पत्र-पत्रिका विभाग : प्रति वर्ष 500 पत्रिकाओं को प्रतिग्रहण करने एवं रिकार्ड रखने के लिए एक व्यक्ति)
र = (ज/50)क/250	(संदर्भ विभाग : प्रतिदिन 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति)
म = (क + 40) न/200	(तकनीकी विभाग : सूचोकरण व वर्गीकरण के लिए पाठ पुस्तकों व लेखकों पर मौसत एक व्यक्ति)

व्यावसायिक कर्मचारियों का सिद्धान्त

$$म + ब + स + द + य + र + त$$

$$= (3(क + 20घ) + 2(घ + 3 घ) + 2 क (घ + 6 (ज/50)/3000$$

अध्यावसायिक कर्मचारियों के लिए सिद्धान्त

$$स/30,000 + (क/100) 1$$

कला रहित कर्मचारियों का सिद्धान्त

$$घ/4 + ब/2 + स + द/4 + य/2 + र/8 + क/20,000 + न/500$$

$$+ स/60,000 + (क/100)/4 + व/30,000$$

$$= (27 क + 2(ख + 120 ग) + 40/घ + 3 छ) + 30,000(फ/100) + 4 व + 2 फ$$

$$(40 च + 3(ज/50))/1,20,000$$

यहाँ :—

क = प्रतिवर्ष परिगृहीत पुस्तकों की संख्या

ख = वार्षिक धाय व्ययक रूपों में

ग = प्रलेखित पत्रिकाओं की संख्या

घ = प्रतिवर्ष गेट घण्टों की संख्या (१ गेट घण्टा—1 परिचालन घण्टा जिसके लिए परिचालन केन्द्र खुला रहे)

च = प्रतिदिन पुस्तकालय खुलने के घण्टों की संख्या

छ = पत्रिकाओं की संख्या

ज = प्रतिदिन पाठकों की संख्या

झ = पाठकों के लिए बंठकों की संख्या

व = पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या

फ = प्रति वर्ष कार्य करने के दिन

झ = पुस्तक विभाग में व्यक्तियों की संख्या (पुस्तक विभाग के अन्तर्गत पुस्तक बुनाव व आदेश दोनों ही आ जाते हैं)

ब = परिचालन विभाग में व्यक्तियों की संख्या

स = पुस्तकालयाध्यक्ष व सहायकों की संख्या

द = अनुसंधान विभाग में व्यक्तियों की संख्या

य = पत्रिका विभाग में व्यक्तियों की संख्या

र = सदर्न विभाग में व्यक्तियों की संख्या ।

ल = तकनीकी विभाग में प्रेषित सूचीकरण व वर्गीकरण के लिए व्यक्तियों की संख्या
सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए गठित सलाहकार समिति ने भारत के विभिन्न सार्व-
जनिक पुस्तकालयों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की विफारिश¹¹ इस प्रकार की है :—

(क) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय

केन्द्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष 1, उप पुस्तकालयाध्यक्ष 1, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 1,
व्यावसायिक सहायक 22, आधुनिक 2, लिपिक टाइपिस्ट व लेखाकार 16,
चपरासी 30 ।

(ख) जिला पुस्तकालय

पुस्तकालयाध्यक्ष 1, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 1, व्यावसायिक कर्मचारी 3, लिपिक
आदि 4, पुस्तक-सुधारक 1, चपरासी 4 ।

(ग) शहर पुस्तकालय

आबादी	पुस्तका- सयाध्यक्ष	उप- पुस्तका- सयाध्यक्ष	सहायक पुस्तका- सयाध्यक्ष	व्याव सायिक कर्मचारी	पुस्तक सुधारक	लिपिक	अन्य
-------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------	-------	------

1. 20 लाख से ऊपर	1	1	1	18	4	7	35
2. 10-20 लाख तक	1	1	1	14	3	6	31

3. 5-10 लाख तक	1	1	1	12	2	5	27
4. 3- 5 लाख तक	1	1	1	10	1	4	23
5. 2- 3 लाख तक	1	-	1	7	--	3	18
6. 1- 2 लाख तक	1	-	1	4	—	2	15
7. 75,000-1,00,000	1	-	—	3	—	2	11
8. 50,000-75,000	1	-	—	2	—	2	8

(घ) प्रत्येक शहर शाला (City Branch) पुस्तकालय में 1 पुस्तकालयाध्यक्ष, 2 व्यावसायिक सहायक, 5 अन्य (चपरासी, चौकीदार व मेहतर) ।

(ङ) प्रत्येक बल पुस्तकालय में 2 व्यावसायिक कर्मचारी, 1 लिपिक, 1 चालक (Driver) तथा एक क्लीनर ।

(च) लॉक पुस्तकालय (Block Library) में पुस्तकालयाध्यक्ष, 1, लिपिक-कम-दफ्तरी 1, तथा चपरासी 1 ।

(छ) बड़े कक्षों के पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अर्धतनिक सहयोगियों के अतिरिक्त एक बैतनिक सहायक-नुद्द समय के लिए तथा छोटे पुस्तकालयों में 1 पुस्तकालयाध्यक्ष व अर्धतनिक सहयोगी ।

(झ) प्रायः पुस्तकालयों में अर्धतनिक स्वयं-सेवी अथवा कुछ भर्तों पर कार्य करने वाला व्यक्ति ।

कोई भी पुस्तकालय शोष्य एवं पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में अच्छी पुस्तकालय सेवा प्रदान नहीं कर सकता है । अतः आवश्यक है कि हम अपने पुस्तकालयों में शोष्य उम्मीदवारों का चयन करें तथा पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करें ।

References

1. K. Rama Krishna Rao, 'Philosophy of Librarianship.' In Development of Libraries in New India, Ed. by N. B. Sen, New Delhi, New Book Society of India, 1965 p. 297.
2. S. R. Ranganathan, 'Five Laws of Library Science.' Bombay, Asia Publishing House, 1957 p. 176.
3. S. Bashiruddin, 'Education for Librarianship in India.' In N. B. Sen, (ed). op- cit., p. 268.
4. George S. Bonn. 'State of Library Education in India' Ann Lib' Sc. 15, 1969; 65,
5. S. R. Ranganathan, 'Reference Science.' Bombay, Asia Pub. House, 1961, p. 180.
6. D. J. Fosket⁴. The Creed of a Librarian, no politics, no religion, no morals, London, L.A, 1962.
7. S. R. Ranganathan, op. cit.; p. 71.

8. Quoted by Kathleen B. Stebbins in 'Personnel Administration in Libraries.' N. Y., Scarecrow Press, 1958 p. 65.
9. India, Advisory Committee for Libraries. 'Report.' Delhi, Ministry of Education, Government of India, 1959 p. 74-6.
10. India, Secondary Education (Commission) (1953) Report. P. 118,
11. U. G. C. letter No. F. 3-2/60 dt. 18-1-61 and G. O. I. Ministry of Education letter No. F 20/68 (cu) dated 23.9.68.
12. S. R. Ranganathan. 'Library Administration.' Bombay, Asia Publishing House, 1958 p. 28.
13. India, Advisory Committee for Libraries. op. cit., p. 111-12.

□□□

पुस्तकालय के वित्तीय साधन

स्थायी साधारण पर पुस्तकालयों की स्थापना तथा अनुरक्षण के उपरान्त अच्छी व संतोषप्रद पुस्तकालय सेवा के लिए धन की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण है। यदि पुस्तकालय की धाय विश्वसनीय तथा अच्छी न होगी तो पुस्तकालय अपने कार्य व उत्तरदायित्व को पूर्ण न कर सकेगा और न समाज को पुस्तकालय सेवा सुचारु रूप से प्रदान कर सकेगा। सामान्यतः सार्वजनिक पुस्तकालय के वित्तीय साधन निम्नांकित प्रकार के हैं :—

1. कर—पुस्तकालय की मुख्य धाय कर द्वारा प्राप्त धनराशि है। यह धनराशि राज्य द्वारा निर्मित कानून के आधार पर लगाए गए प्रत्यक्ष पुस्तकालय कर द्वारा प्राप्त की जाती है। भारत में इस साधन का उपयोग मद्रास, मद्रास प्रदेश एवं मैसूर राज्यों में किया गया है।
2. वृत्तिदान (Endowment)—बहुधा पुस्तकालय वृत्तिदान से भी लाभान्वित होते हैं। साधारणतः वृत्तिदान का उपयोग करने में पुस्तकालयों पर कुछ प्रतिबन्ध लगे रहते हैं। प्रायः इस प्रकार के धनकोष की स्थापना विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विशिष्ट प्रकार की अध्ययन सामग्री क्रय करने के लिए की जाती है। पुस्तकालय ऐसी धनराशि प्रदान करने वालों के प्रति कृतज्ञ व ऋणी रहता है तथा उस राशि को उपयुक्त ध्येय की पूर्ति में ही व्यय करता है।
3. सरकारी अनुदान—सरकार को भी अपने नियमित बजट में से पुस्तकालय को उसी प्रकार अनुदान देना चाहिए जिस प्रकार वह अन्य नागरिक सेवाओं के लिए देती है। सर्वप्रथम सरकार को पुस्तकालयों के ऊपर से आर्थिक भार को दूर करने के लिए बराबर का अनुदान देना चाहिए। इस प्रकार का प्रबन्ध स्थानीय प्राधिकारी को सरकारी अनुदान का मुकाबला करने के लिए स्वयं के धनकोष को बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित करेगा। दूसरे सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थानों में जहाँ पुस्तकालय सेवा का स्तर नीचा है, वहाँ वह पुस्तकालयों की सहायता कर भीसत स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं में उन्नति लाए तथा भीसत स्तर के पुस्तकालयों की स्थापना में सहायक हो।
4. उपहार—अनेक पुस्तकालय विभिन्न साधकों से कम व अधिक धनराशि एवं वस्तुओं के रूप में उपहार प्राप्त करते हैं। यह साधन पुस्तकालय की वित्तीय समस्याओं को सुलभाने में सहायक होने योग्य नहीं है।

5. जुमनि — पुस्तकालय में जुमनि आय का साधन न होकर दण्डात्मक व्यवस्था है। इसका उपयोग उस समय होता है जब पुस्तकों समय पर वापस न की जाएँ प्रथवा खो जाएँ या फाड़ दी जाएँ और पृष्ठ काट लिए जाएँ।
6. भाय के अन्य साधन — पुस्तकालय की भाय के अन्य साधन इस प्रकार हैं:—
 - (अ) प्रकाशनों को बेच कर,
 - (ब) सूची बेच कर,
 - (स) पुस्तकालय सम्पत्ति पर प्राप्त किराया,
 - (द) पुस्तकालय शुल्क (संस्थागत पुस्तकालयों में),
 - (य) रद्दी बेच कर,
 - (र) वृत्ति दान व अन्य धनराशि पर व्याज द्वारा

परन्तु फिर भी इन साधनों में से कोई भी इतना समर्थ साधन नहीं है जो पुस्तकालयों की आर्थिक समस्याओं को हल कर सके।

यह आवश्यक है कि पुस्तकालय भाय के स्रोत निश्चित व निर्धारित हो जिससे पुस्तकालय व्यवस्था मही व सुचारु रूप से निरन्तर चलती रहे। पुस्तकालयों को आवश्यक वित्तीय साधन जुटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित विद्वान्त अपनाए जाते हैं —

1. प्रति व्यक्ति (Per Capita)
2. प्रानुवातिक आधार पर (Proportional Method)
3. विवरणात्मक आधार (Method of Detail)

प्रति व्यक्ति (Per Capita) प्रणाली

इस प्रणाली के अन्तर्गत पुस्तकालयों के विकास, स्थापना व सुचारु सेवा प्रदान करने के लिए जनसंख्या की आधार मान कर प्रति व्यक्ति धनराशि के अनुसार पुस्तकालयों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाते हैं। कई विद्वानों का मत है कि यह प्रणाली दोषपूर्ण है। इसके द्वारा हम उन व्यक्तियों पर होने वाले व्यय का अनुमान भी लगा लेते हैं जो पुस्तकालय सेवा का उपयोग नहीं करते हैं। अतः हमें उन व्यक्तियों का प्रतिशत जान कर जो पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग करते हैं, पुस्तकालय पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना चाहिए।

इस प्रकार की विचारधारा समाज के बहुमुखी विकास में बाधक है। पुस्तकालय के ध्येय की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वह निरक्षर हा अथवा साक्षर, स्त्री हो प्रथवा पुरुष, बालक हो प्रथवा वृद्ध अपांग सभी को पुस्तकालय सेवा उसके मानसिक स्तर व आवश्यकतानुसार समान रूप से बराबर मिलती रहे। ऐसा करने से ही देश का बहुमुखी विकास सम्भव है।

भारत में सन् 1963-64 में 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से पुस्तकालयों पर व्यय किया गया था जबकि सांख्यिक पुस्तकालयों के लिए नियुक्त सलाहकार समिति¹ ने सन् 1959 में भारत को सही प्रकार की पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए 63 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से 23 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया था। इसने पुस्तकालयों के भवन निर्माण पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है।

डॉ. रंगनाथन² ने भारत में उचित पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए 50 वैसे प्रति व्यक्ति व्यय का सुझाव दिया है।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त कॉलेज व विश्वविद्यालय समिति³ ने कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में 15 रुपये प्रति छात्र तथा 20) रुपये प्रति अध्यापक पर व्यय करने का सुझाव दिया है। कोठारी⁴ कमीशन ने इस सुझाव में थोड़ा परिवर्तन किया है। इस कमीशन के अनुसार 25 रुपये प्रति विद्यार्थी तथा 300 रुपये प्रति अध्यापक व्यय होना चाहिए।

इस प्रकार पुस्तकालयों को धार्मिक रूप से सक्षम बनाने, उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति होने वाले व्यय को आधार मानकर पुस्तकालयों के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है।

मानुपातिक आधार पर (Proportional Method)

पुस्तकालयों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने के लिए मानुपातिक आधार भी महत्वपूर्ण सिद्धान्त माना गया है। इसमें सम्पूर्ण देश, राज्य व संस्था के बजट में से मानुपातिक आधार पर पुस्तकालयों पर किए जाने वाले व्यय का अनुमान किया जा सकता है।

डॉ. रंगनाथन⁵ ने मानुपातिक आधार पर देश के शिक्षा बजट की 6 प्रतिशत धनराशि का पुस्तकालयों के लिए उपयोग करने का सुझाव दिया है।

कोठारी कमीशन ने भी शैक्षणिक पुस्तकालयों पर शिक्षा संस्था के 6-10 प्रतिशत बजट का प्रावधान करने की सिफारिश पुस्तकालयों के लिए की है।

विवरणात्मक आधार (Method of Detail)

इस पद्धति के अन्तर्गत पुस्तकालयों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक विवरण एकत्र करने होते हैं तथा उन विवरणों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जाता है। डॉ. रंगनाथन ने अपनी पुस्तकालय विकास योजना (Library Development Plan for Plan Period IV and VI) में सुझाव दिया है कि पुस्तकालयों में होने वाला व्यय निम्न प्रकार का होता है—

1. कर्मचारियों के वेतन भत्ते

2. अध्यायन सामग्री को ऋय करने, उनके रख-रखाव आदि पर

धन: हम कर्मचारियों के वेतन भत्ते का अनुमान लगाकर उस धनराशि को दुगुना कर दें तो पुस्तकालय सेवामो पर होने वाले व्यय का अनुमान लगा सकते हैं।

इंग्लैंड में Roberts Committee ने पुस्तक मूल्य को इकाई मानकर-पुस्तकालय पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया है। उसके अनुसार प्रति 1000 की जनसंख्या पर 250 पुस्तकें (जिनमें 90 उच्च प्रकार की होंगी) ऋय की जानी चाहिए तथा प्रत्येक पुस्तकालय में जो आधारभूत सेवा प्रदान करता है, कम से कम 7200 पुस्तकें (जिनमें 3000 बयस्कों के लिए तथा 3000 उपन्यास व बच्चों के लिए हों) तथा अन्य पुस्तकों की एक से अधिक प्रकृतियां फटी पुस्तकों की जगह दूसरी पुस्तकें लेने के लिए हो। इतनी

पुस्तकों पर सन् 1958 की कीमतों के अनुसार 5000 पौंड का व्यय होगा। इस व्यय में कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को मिलाकर प्रत्येक पुस्तकालय इकाई पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है।

विश्व विद्यालय-पुस्तकालय

विश्वविद्यालय पुस्तकालयो मे सामान्यतः प्रति व्यक्ति (Per Capita) तथा धानुपातिक आधार पर पुस्तकालयो के लिए वित्तीय साधन जुटाने की परम्परा है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने 40/- प्रति छात्र अथवा विश्वविद्यालय बजट का 6½% पुस्तकालय सेवाओं पर व्यय करने की अनुशंसा की थी तथा कोठारी कमीशन ने 25 रुपये प्रति छात्र अथवा विश्वविद्यालय बजट के 6½ से 10% तक की धनराशि पुस्तकालयों पर व्यय करने की अनुशंसा की है।

डॉ. रगनाथन⁶ ने 20/- प्रति छात्र, 300/- प्रति अध्यापक अथवा 50/- प्रति छात्र पुस्तकालय सेवाओं पर व्यय करने का प्रावधान रखा है तथा साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके बराबर की धनराशि पुस्तकालय मे कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए व्यय की जानी चाहिए।

परन्तु इन अनुशंसाओं के होते हुए भी विश्वविद्यालय व कॉलेज के पुस्तकालयों की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। ऐसा पाया गया है कि देश के केवल कुछेक विश्वविद्यालय (जिनमे केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है) अपने बजट का 6½ से 10% तक पुस्तकालय सेवाओं पर व्यय करते हैं। फिर ऐसा अनुमान है कि औसतन भारत का प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालयों की अपेक्षा प्रचण्डी वित्तीय स्थिति मे है क्योंकि उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पञ्चवर्षीय योजनाओं मे पुस्तकालयो के विकास के लिए प्रच्छा अनुदान मिल जाता है।

आय-व्ययक प्रणाली

आय-व्ययक निश्चित समय के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय तथा व्यय का वित्तीय लेखा है।⁷ आय-व्ययक का ध्येय व्यय को आय के अनुसार सीमित करना है तथा योजनाबद्ध रूप से व्यय करने का सुझाव है।

आय-व्ययक प्राक्कलन

पुस्तकालयाध्यक्ष आय-व्ययक का अनुमान तीन तरीको से लगा सकता है—⁸

(अ) तुलनात्मक—पुस्तकालयाध्यक्ष पिछले तथा वर्तमान वर्ष के आय-व्ययक का दिचार कर नये वर्ष के लिए आय-व्ययक प्रस्तुत कर सकता है।

(ब) कार्यक्रमानुसार—आय-व्ययक पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा अन्य कार्यक्रमों की आवश्यकता के आधार पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(स) विवेकपूर्ण स्तर से—विवेकपूर्ण स्तर व सिद्धान्त पुस्तकालय कार्य के विविध पहलुओ के लिए सर्वमान्य है। उदाहरणार्थ, उन्हें उस संस्था, जिसका एक भाग पुस्तकालय है, के सम्पूर्ण व्यय को पुस्तकालय व्यय के अनुपात, दिए हुए वर्षों में पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं पर किया हुआ व्यय, पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन पर वार्षिक व्यय,

जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पुस्तकालय व्यय के लिए होने वाला व्यय अर्थात् प्रति व्यक्ति औसत व्यय पर आधारित किया जा सकता है।

प्राय-व्ययक बनाना

पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उसके सहयोगियों को आय-व्ययक प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ सध्यों का ज्ञान होना आवश्यक है—

- (अ) पुस्तकालयाध्यक्ष को यह जानना जरूरी है कि वित्तीय वर्ष का आय-व्ययक कब से बन्द होता है, अगले वर्ष का प्राय-व्ययक कब से बनाना प्रारम्भ कर देना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष का प्राक्कलन कब प्रस्तुत कर देना चाहिए।⁹
- (ब) पुस्तकालय के विभिन्न विभागाध्यक्षों का आय-व्ययक फार्म पर अपने विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम का प्राय-व्ययक प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रत्येक नयी भाग के साथ उसके श्रौचित्य व आवश्यकता का विवरण देना चाहिए।
- (स) पुस्तकालय के सम्भावित राजस्व के विषय में केन्द्रीय प्रशासक से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (द) जब आने वाले वर्ष का प्राय-व्ययक विवरण पुस्तकालय की वित्तीय सम्बन्धी नीति के अनुरूप बन जाए तब उसे पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए, तदुपरांत सम्पूर्ण समिति के सामने, प्राधिकारी की वित्तीय समिति के सामने, अन्ध में प्राधिकारी के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

95/21

प्राय-व्ययक अनुपात

पुस्तकालय व्यय को विभिन्न मदों में विभाजन के लिए कई प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। हैडोकार¹⁰ के अनुसार विभिन्न मदों पर पुस्तकालय के सम्पूर्ण व्यय का अनुपात :-

1. कर्मचारियों के वेतन व भत्त	44 प्रतिशत
2. पुस्तकें	17 "
3. समाचार-पत्र व पत्रिकाएँ	4 "
4. जिल्दबन्दी	6.7 "
5. किराया व कर्ज	8.2 "
6. अन्य	20.1 "
	योग 100%

50,000 की जनसंख्या वाले कस्बों के पुस्तकालयों के व्यय का अनुपात A L A Cost of Public Library Service, 1956¹¹ के अनुसार निम्नलिखित सुझाव है :-

1. वेतन	68.8 प्रतिशत
2. पुस्तकें व अन्य सामग्री	18 "
3. अन्य	13.2 "

अमेरिकन पुस्तकालय के व्यय के सम्बन्ध में अमेरिकन साइप्रो डिपार्टमेंट, 1957 ने निम्नलिखित अनुपात दिया है¹² :—

1. वेतन	70 प्रतिशत
2. पुस्तकें, पत्रिकाएँ, जिल्दबन्दी	157 "
पुस्तकें	79.7 प्रतिशत
पत्रिकाएँ	7.2 "
जिल्दबन्दी	13.1 "
	—————
	योग 100 प्रतिशत

अन्य

14.3 "

योग 100 प्रतिशत

Advisory Committee for Libraries (1959) ने कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने समय सुझाव दिया है कि पुस्तकालयों में घीसत प्रावर्तक व्यय कर्मचारियों के घतिरिक्त अन्य मदों पर (पुस्तकें, रोशनी व रक्षण प्रादि पर) व्यय कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के बराबर हो।¹³ डॉ० रगनाथन के अनुसार जब तक पुस्तकालय के वार्षिक आय-व्यय का धारा भाग कर्मचारियों के वेतन के लिए सुरक्षित नहीं कर दिया जाता, पुस्तकालयों द्वारा ऐसी संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं की जा सकती जिससे शिक्षा के प्रति जनता में व्याप्त अनेकाग्रचित्ता को मिटाया जा सके।¹⁴

उपर्युक्त अनुपातों का विचार करने के उपरान्त हमारा सुझाव है कि पुस्तकालयों के व्ययक का अनुपात निम्नांकित हो :—

1. वेतन	50 प्रतिशत
2. पुस्तकें प्रादि	20 "
3. अन्य	30 "

आय-व्ययक प्राक्कलन

प्राक्कलन में पहले आय का विवरण दाहिनी ओर देने की प्रथा है। उसके पश्चात् बाईं ओर व्यय का विवरण मुख्य मदों के अन्तर्गत अग्रलिखित प्रकार से दिया जाता है :—

आय	₹० पैसे	व्यय	₹० पैसे
1. पुस्तकालय कर (सार्वजनिक पुस्तकालय)		1. वेतन तथा भत्ते	
2. सरकारी अनुदान		2. पुस्तकें	
3. वृत्तिदान तथा उपहार		3. समाचार-पत्र व पत्रिकाएँ	
4. जुमनि प्रादि		4. जिल्दबन्दी	
5. पुस्तकालय प्रकाशनों के अय-विक्रय द्वारा		5. रोशनी प्रादि	
		6. किराए व कर्ज प्रादि	

धारा	४० पै०	व्यय	४० पै०
6. धन्य		7. भवन का रक्षण 8. फर्नीचर व धन्य उपकरण 9. बीमा 10. स्टेशनरी, डाक व्यय आदि 11. धन्य	
	योग		योग

धाय-व्ययक की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के परवात् आवश्यक है कि उस धाय-व्ययक का संचालन भी योजनानुसार ही । इस समस्या के तीन विकल्प हैं । सर्वप्रथम पुस्तकालय का मुख्य प्रशासक होने के नाते पुस्तकालयाध्यक्ष को धाय-व्ययक संचालन पर नियन्त्रण रखना चाहिए, परन्तु धाय-व्ययक में किसी प्रकार का संशोधन पुस्तकालय समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना न किया जाए । दूसरे धाय-व्ययक के संचालन में आवश्यक है कि व्यय को राजस्व की प्राप्ति की सीमा के अन्तर्गत रखा जाए । लेखा विभाग इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्रदान करेगा । तीसरे लेखा परीक्षा (Audit) द्वारा लेखा विभाग के हिसाब-किताब पर आवश्यक निगरानी रखी जाए ।

लेखन (Accounting)

वित्तीय लेखन का ध्येय, भूत, वर्तमान व भविष्य के वित्तीय संचालन के सम्बन्ध में प्रावश्यक सूचना प्रदान करना है । पुस्तकालय लेखा का मुख्य ध्येय पुस्तकालय के आन्तरिक प्रशासन की सहायतापूर्वक सूचना प्रदान करना है । एडवर्ड ए० व्हाइट¹⁵ के अनुसार निम्न-लिखित कार्यों में लेखा विभाग द्वारा दी गई सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है :-

1. वार्षिक धाय-व्ययक तैयार करने में ।
2. धाय-व्ययक संचालन के नियन्त्रण में ।
3. आन्तरिक योग्यता के अध्ययन में ।
4. धारिता (assets) का विचार करते समय ।
5. भावी कार्यक्रम की योजना बनाने समय ।
6. जनता तथा स्थानीय सरकार को सूचना देने में ।
7. धन्य पुस्तकालयों से तुलना करते समय ।

द्विगुण प्रविष्टि लेखा रहित सामान्य खाता खोलना चाहिए । वार्डि धोर का माग सभी प्रकार की धारिता व धाय के लिए होना चाहिए तथा दाहिना भाग व्यय के लिए । धाय-व्ययक सम्बन्धी सभी सन्देशों का विवरण इस खाते में मिलना चाहिए ।

इसके साथ-साथ विभागीय व्यय के लिए एक धन्य खाता तथा धन प्राप्ति-पत्र होना चाहिए जिसमें प्रत्येक साधन जैसे पुस्तक देर से धाने पर जुर्माने की रकम आदि का हिसाब होना चाहिए ।

एक अन्य रजिस्टर होना चाहिए जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों द्वारा एकत्र घन का विवरण हो तथा अप्रदाय प्रणाली जिसे वेतन को छोड़कर अन्य छोटे-छोटे कार्यों पर आवश्यक व्यय किया जा सके।

References

1. India, Advisory Committee for Libraries. 'Report,' op. cit., p. 113.
2. S. R. Ranganathan, Library Development Plan.' Library Science with a slant to Documentation, V. I. p. 300.
3. India, University Grants Commission. University and College Libraries, containing the report of the Library Committee.' 1965. p. 141.
4. India, Education Commission (1964). 'Education and National Development,' New Delhi, NCERT, 1971. p.522.
5. S. R. Ranganathan. op. cit., 310.
6. S. R. Rauganattio. 'Acaoeimr Library sustim.' S. D 2; 1955, 320.
7. Louis R. Wilson and Maurice F. Tauber. 'The University Library.' N. Y., Columbia University Press, 1958. p. 33.
8. Ibid., p. 94-9.
9. Ibid., p. 93.
10. B. M. Headicar. 'A Manual of Library Organization.' London, Allen and Unwin, 1941. 36-46.
11. Joseph L. Wheeler and Herbert Goldhor. 'Practical Administration of Public Libraries.' N. Y., Harper & Row, 1962. p. 119.
12. Ibid.
13. India, Advisory Committee for Libraries. op. cit. p. 113.,
14. S. R. Ranganathan. Library Manual. Bombay, Asia Publishing House, 1960. p. 249-50.
15. Edward Allen White. 'Library Finance and Accounting.' Chicago, ALA, 1943 p= 73.

पुस्तक चुनाव एवं संग्रह

“पुस्तक चुनाव विज्ञान नहीं, कला है।” जिसका ध्येय जैसा कि मेलबिल टर्मुड ने कहा है “अधिक से अधिक व्यक्तियों को कम से कम कीमत पर सर्वोत्तम अध्ययन सुविधा प्रदान करना है।” पुस्तक, पाठक तथा कर्मचारी पुस्तकालय की निर्मूर्ति हैं तथा इनमें से प्रत्येक पर पुस्तकालय की उपयोगिता व प्रतिष्ठा निर्भर करती है। कर्मचारी का दायित्व है कि वह सर्वदैव मनचाही पुस्तकों को पुस्तकालय में आने से रोके। यदि ऐसी पुस्तक प्रा भी गई हो तो उसे अन्य किसी ऐसे स्थान पर जहाँ उसका सदुपयोग हो सके, भेज दे। कर्मचारी पाठक व पुस्तक के मध्य सम्पर्क स्थापित कराता है एवं पाठक उन पुस्तकों का उपयोग करता है। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि वह ऐसी पुस्तकों का चयन करे जिनका स्थानीय जनता उपयोग कर सके। ऐसा करने में पुस्तकालयाध्यक्ष को स्थानीय जनता के बौद्धिक विकास, शैक्षणिक स्तर एवं रुचि से परिचित होना आवश्यक है। यदि प्राप्त पुस्तकों उनके बौद्धिक व शैक्षणिक स्तर से उच्च श्रेणी प्रथवा निम्न स्तर की होगी तो वे पाठकों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होंगी। इसी प्रकार पाठकों की रुचि का ध्यान रखना भी पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः पुस्तक चयन करते समय पुस्तकालयाध्यक्ष को पाठकों की रुचि जानना आवश्यक है तथा यह भी आवश्यक है कि पुस्तक चुनाव विशिष्ट आधारों पर किया जाए। हम पाठकों की रुचि :-

- (1) पाठकों द्वारा प्राप्त सुभाव,
- (2) शीघ्र सन्दर्भ सहायक द्वारा एकत्र सुभाव,
- (3) सन्दर्भ कर्मचारियों द्वारा दिन-प्रतिदिन प्राप्त सूचना,
- (4) स्थानीय जनता का मुख्य व्यवसाय,
- (5) राष्ट्रीय तथा स्थानीय महत्त्व की घटनाओं,
- (6) स्थानीय जनता के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार द्वारा ज्ञात क्षरणा पादि।

के आधार पर जान सकते हैं तथा इनका उपयोग पुस्तक चयन करते समय कर सकते हैं। इस आधार के प्रतिरिक्त हमें पुस्तक चयन के विशिष्ट सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखना है जिससे पुस्तकों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल सके तथा प्रत्येक पाठक को उसकी इच्छित पुस्तक मिल सके। प्रायः पुस्तक व्यवसाय इतनी पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है कि कोई भी पुस्तकालय इन सभी पुस्तकों को न तो ख़र

सकता है और न ही उनका उपयोग करा सकता है। अतः किसी भी पुस्तक को खरीदते समय पुस्तकालयाध्यक्ष को उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। पुस्तक चयन माँग और पूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित है। माँग का आकार (Volume), मूल्य (Value) तथा विभिन्नता (Variety) मिलकर माँग की विज्ञेयता प्रदर्शित करते हैं। यह सम्भव है कि माँग का आकार तो बृहद् हो परन्तु माँग का मूल्य कुछ भी न हो, साथ ही माँग का मूल्य बृहद् हो पर आकार गून्थ हो अथवा बहुत कम हो। अतः पुस्तकालय आक्ष पुस्तक का चुनाव करते समय माँग के आकार और मूल्य दोनों का ही विचार करे। माँग के इन दोनों गुणों में सामञ्जस्य का होना आवश्यक है अन्यथा पुस्तकालय की उपयोगिता के कम होने के साथ-साथ समाज की हानि होने की भी सम्भावना है। सम्भव है, माँग का आकार अधिक होने पर उपलब्ध पुस्तक का उपयोग अधिक हो, परन्तु साथ ही उसका मूल्य कम होने से समाज के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार माँग का मूल्य बृहद् होने की दृष्टि से चयन करना भी हानिकारक है, क्योंकि माँग न होने पर उसका उपयोग न हो सकेगा। ऐसी पुस्तक भी समाज का इच्छित भला न कर सकेगी, साथ ही पुस्तकालय की उपयोगिता भी कम होगी। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष माँग के आकार व मूल्य के मध्य सावधानीपूर्वक सामञ्जस्य स्थापित कर पुस्तकों का चुनाव करें।

विभिन्नता भी दो प्रकार की होती है। माँग की विभिन्नता व प्रकार तथा पुस्तकों की विभिन्नता। इसका प्रभाव केवल विषय व पुस्तकों की विभिन्नता ही नहीं बल्कि उपयोगकर्ताओं की माँग की विभिन्नता से भी है। हम सर्वोत्तम सेवा तभी कर सकते हैं, जब हम पाठकों की आवश्यकता की विभिन्नताओं से पूर्णतः अवगत हों तथा उन्हें पूर्ण करने में न तो उतावलापन आने दें और न ही किसी प्रकार पीछे हटें। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष माँग के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर, पुस्तक चयन के क्षेत्र में पदार्पण करे। इनके प्रतिरिक्त यह आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक चयन करने से पूर्व सोचे कि प्रमुख पुस्तक पाठक व समाज का क्या भला करेगी एवं उसका चुनाव नियेधात्मक न होकर गुणवाचक हो। यह सोचकर कि प्रमुख पुस्तक से कोई हानि न होगी, पुस्तक चयन करना दूरदर्शिता न होगी। उसे तो यह सोचना चाहिए कि पुस्तक से समाज व पाठकों का कितना भला होगा और जब उत्तर सकारात्मक हो तभी पुस्तक का चुनाव करना उपयुक्त होगा। पुस्तक का चुनाव करने से पूर्व उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। वह मूल्यांकन निम्न प्रकार से हो सकता है—

पुस्तक का मूल्यांकन उपन्यास के प्रतिरिक्त

1. विषय-वस्तु—

- (अ) विषय अथवा विषय-वस्तु क्या है ?
- (ब) क्षेत्र क्या है ? पूर्ण, आंशिक, विषय का इतिहास, अथवा कतिपय पहलुओं पर विचार विमर्श ?
- (स) अन्य विषय, यदि उसमें कोई है ?
- (द) क्या पुस्तक सक्षिप्त है ? पूर्ण है ? वर्णनात्मक है, अथवा संतुलित ?
- (य) क्या पुस्तक यथार्थवादी है ? अथवा गूढ है ?
- (र) क्या यह लोक-प्रसिद्ध है ? विद्वतापूर्ण है ? तकनीकी है ? अर्द्ध-तकनीकी है ?

(ब) क्या वह सामान्य पाठकों के लिए है विद्यार्थियों के लिए है ? विशेषज्ञों के लिए है ?

दिनांक (बहुधा विषय-वस्तु के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण होती है ।)

2. लेखक के विषय में—

(अ) लेखक की योग्यताएँ क्या हैं ? उसकी शिक्षा कितनी है ? अनुभव क्या है ? पुस्तक लिखने के लिए विशेष तैयारी क्या है ?

(ब) क्या उसने भूत सामग्री का उपयोग किया है ? यदि सामग्री गोल है तो क्या वह विश्वसनीय है ? क्या उसकी पुस्तक उसके वास्तविक अनुभवों अथवा शोध पर आधारित है ?

(स) क्या पुस्तक सही है अथवा गलत या भ्रमपूर्ण है ?

(द) क्या उसे उन सिद्धान्तों, तर्कों तथा समय की पूर्ण जानकारी है, जिनके विषय में उसने लिखा है ? लेखक का दृष्टिकोण क्या है ? पक्षपातपूर्ण है ? भ्रष्टचिन्तित है ? अनुदार है ? अथवा सुधारवादी है ?

3. पुस्तक के गुण

(अ) क्या पुस्तक किसी भी माना में विचारोत्तेजक है ?

(ब) क्या पुस्तक का स्वरूप विचारों के अनुरूप है ?

(स) क्या उसमें विचारों की अथवा भाव प्रकट करने की मौलिकता है ।

(द) क्या पुस्तक स्पष्ट है व सुलिखित ढंग की है ? पढ़ने योग्य है ? प्रभावी है ? विचारोत्पादक शक्ति है ?

(ए) क्या पुस्तक में सजीवता है ? दृष्टिपूर्ण है ? क्या उसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में स्थायी योगदान प्रदान करने की सम्भावना है ?

4. पुस्तक का बाह्य स्वरूप

(अ) क्या पुस्तक में अनुक्रमणिका है ?

(ब) क्या पुस्तक सजिब है ? नये हैं ? प्राक अथवा रेखाचित्र हैं ? ग्रन्थ सूची है ? परिशिष्ट है ? ग्रन्थ कोई संदर्भ सामग्री है ?

(स) क्या पुस्तक की छापाई सुन्दर है ? कागज अच्छा है ?

5. पाठक के लिए पुस्तक का मूल्य

(अ) सूक्ष्मतात्मक ?

(ब) सम्पत्ता को योगदान ?

(स) हवि को प्रेरणा ?

(द) मनोरंजन ?

(ए) किस प्रकार के अध्ययन को प्रोत्साहित करती है ?

(र) किस प्रकार के पाठकों को आकर्षित करती है ?

उपन्यास के लिए

उपयुक्त लिखित परीक्षण में से कुछ उपन्यासों के लिए भी उपयोगी है तथा निम्नलिखित परीक्षण प्राप्त विधिगत है—

- (घ) क्या पुस्तक जीवन सत्य को प्रतिपादित करती है ? उत्तेजनारम्भक है ? प्रतिशयो-
त्तिपूर्ण है ? विकृत है अथवा तथ्यो के अनुरूप नहीं है ?
- (ब) क्या उनके चरित्र-चित्रण में एकलरता तथा सजीवता है ? मनोवैज्ञानिक है ?
मानवीय प्रकृति में अन्तर्दृष्टि है ?
- (स) क्या कथानक मौलिक है ? सामान्य है ? अनुमानित है ? सादा है ? सूक्ष्म है ?
- (द) क्या उसमें नाटकीय रुचि निहित है ?
- (य) क्या वह प्रोत्साहित करती है ? विचारोत्तेजक है ? तनुष्ट करती है ? प्रेरणा
प्रदान करती है ? मनोरंजन करती है ?

उपयुक्त परीक्षण के उपरान्त पुस्तकालयाध्यक्ष सुविधापूर्वक पुस्तकों का मूल्यांकन कर
सकते हैं तथा उसके उपरान्त उनका चुनाव सही दिशा की ओर होगा ।

प्रोफेसर थोम^३ ने पुस्तकालयों में पुस्तक चयन की प्रक्रिया में लगभग आधा दर्जन
निर्णयों की परिकल्पना की है । उनके मतानुसार पुस्तकालयाध्यक्ष को यह जानना आवश्यक
है कि —

1. कौन-कौन सी पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं अथवा हो चुकी हैं ?
2. उनमें से कौन-कौन सी उपलब्ध हैं ?
3. जो उपलब्ध हैं उनमें से कौन-कौन सी पुस्तकालय के लिए त्रय करने योग्य हैं ?
4. जो त्रय करने योग्य हैं उनमें से कौन-कौन से सम्बन्धित पुस्तकालय व पाठक के
दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम हैं ?
5. अत्यधिक उत्तम पुस्तकों में से सम्बन्धित पुस्तकालय व पाठक के लिए
सर्वोत्तम है ।
6. अन्त में, सर्वोत्तम उपलब्ध में कौन-सी पुस्तकालय त्रय कर सकता है ?

पुस्तक चुनाव में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती
हैं । स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तक चुनाव का कार्य उतना जटिल
नहीं है जितना कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में/शैक्षणिक पुस्तकालयों में अधिकतर अध्ययापकों
द्वारा स्वीकृत एव छात्रों के पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का चयन होता है । इसके
प्रतिरिक्त सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकों का चयन भी छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए
किया जाता है । आजकल विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन भी कॉलेज व विश्वविद्यालयों
को सामान्य ज्ञान की पुस्तकें त्रय करने के लिए अनुदान दे रहा है । इसके अन्तर्गत कॉलेज
व विश्वविद्यालय केवल सामान्य ज्ञान की पुस्तकें ही त्रय कर सकते हैं परन्तु सार्वजनिक
पुस्तकालयों के साथ ऐसा नहीं है । उन्हें अपने अत्यन्त सीमित साधनों से ही जनता की
असीमित माँग को पूरा करना पड़ता है । दूसरी ओर जहाँ शैक्षणिक पुस्तकालयों में पाठ्य-
पुस्तकों की माँग अधिक होती है, वहीं सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठकों की माँग विविध
प्रकार की होती है । अधिकांश पाठक उपन्यास, आदि की माँग करते हैं । ऐसे पाठकों की
संख्या कम ही होती है, जिनकी माँग गम्भीर विषयों पर हो । पश्चिमी देशों के नागरिकों
का शैक्षणिक स्तर व बौद्धिक विकास काफी ऊँचा होता है, अतः वहाँ के सार्वजनिक पुस्तकालयों
में सभी प्रकार के साहित्य की माँग होती है । इस दृष्टि से आवश्यक है कि पुस्तकालयों में
पुस्तक चयन के प्रति निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिए । पुस्तकालयाध्यक्षों को

निश्चित करना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार की पुस्तकों का ध्यान करना है, जिससे समाज का हित हो सके और पुस्तकालयों की उपयोगिता भी बढ़े ।

इस सन्दर्भ में हम सर्वप्रथम उपन्यासों को लेंगे । क्या पुस्तकालयों को उपन्यासों का चुनाव करना चाहिए ? कुछेक विद्वानों का विचार है कि उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन है तथा उनसे समाज का किसी प्रकार का भला नहीं होता है । अतः पुस्तकालयों को कम से कम उपन्यासों का चुनाव करना चाहिए । इसके विपरीत Enoch Pratt Free Library के अनुसार उपन्यासों में शैक्षणिक साधन के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है । लोकमत बनाने, अभिलेखन करने तथा व्यक्तियों के विचार बदलने के यत्न के रूप में साधन होने की मान्यता प्राप्त करने का श्रेय इसी को है । सामाजिक व व्यक्तिगत समस्याओं की अधिभूत विवेचना अथवा धार्मिक और जातीय प्रश्नों से सम्बन्धित उपन्यास मानवीय सम्बन्धों की भलाई कर अनेक पाठकों को प्रभावित कर सकेंगे ।⁴ इस महत्त्व को ध्यान में रखकर पुस्तकालयाध्यक्ष विचारोत्पादक व प्रेरणा प्रदान करने वाले उपन्यासों को सम्प्री सख्या में पुस्तकालय के लिए चुन सकते हैं । भारत के कुछेक उपन्यासकारों का प्रवास इस सन्दर्भ में उत्तेजनीय है । यद्यपि उनके उपन्यास अनेक दृष्टि से एकपक्षीय सिद्धान्तों व विचारधाराओं का प्रतिपादन करते हैं । फिर भी भारतीय समाज के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण है तथा उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती । भारतीय पुस्तकालय, भगवतीशरण वर्मा, यशपाल, विमल मिश्र के हिन्दी अनुवाद, नरेण मेहता, मुल्कराज भानन्द, आचार्य चतुरमेध पादि के उपन्यासों से अपने भाषको सुसज्जित कर सकते हैं । इनके प्रतिरिक्त प्रेमचन्द जैसे उपन्यासकारों का तो सम्पूर्ण संकलन हीना अत्यावश्यक है । ऐतिहासिक उपन्यास भी जिनसे जनता की अपने इतिहास व संस्कृति का सुदृढपूर्ण ढंग से ज्ञान होता है, पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ा सकते हैं ।

उपन्यासों के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार के साहित्य के लिए भी पुस्तकालयाध्यक्षों का निश्चित दृष्टिकोण होना आवश्यक है । वह किसी भी ऐसे विवादप्रस्त विषय पर लिखित पुस्तकों को न चुनें जिसमें लेखक निष्पक्ष न हो अथवा उसने उस विवाद के एक ही पहलू को उर्तैजनात्मक ढंग से लिखा हो ।

पुस्तकालयों में स्थायी महत्त्व की पुस्तकों को अवश्य उपलब्ध किया जाना चाहिए, जैसे, साम्यवादी घोषणा-पत्र, मरस्तु के लेखों का संकलन आदि ।

पुस्तकालयों पर पुस्तकों के चुनाव के सम्बन्ध में किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए ।

पुस्तक का मूल्य चुनाव का मुख्य निर्धारक तत्त्व होना चाहिए । ऐसी पुस्तकें जिन्हें केवल मात्र मनोरंजन व उत्तेजना पैदा करने के लिए लिखा गया हो, पुस्तकालयाध्यक्ष न चुने तो अच्छा ही है । साथ ही ऐसी पुस्तकों को जिनमें लेखक द्वारा समाज की समस्या का निष्पक्ष रूप से सम्भीरतापूर्वक चित्रण किया गया हो, पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रदरय चुननी चाहिए ।

सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा करते हैं । अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तक चुनाव करते समय ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे सभी वर्गों को समान

रूप से लाभ हो। एक वगे की सतुष्टि के लिए अन्य वगों के हितों का बलिदान पुस्तकालयों के लिए हानिकारक होगा।

लोकमत समय तथा परिस्थिति के साथ-साथ परिवर्तित होता रहता है। शक्तिक आदेश अथवा छोटी-सी घटना सम्पूर्ण लोकमत पर प्रभाव डाल सकती है। पुस्तकालय भी इस आदेश, समय व परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते। इस पर भी पुस्तकालयाध्यक्ष को सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार का अस्थायी शक्तिक आदेश पुस्तक चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए वर्तमान व भविष्य के विचार से भला नहीं है।

अंत में पुस्तक चुनाव उपयोग, संग्रहण एवं पाठकों की अध्ययन सम्बन्धी अभिहित का अध्ययन कर होना चाहिए।

पुस्तकालय में जब तक पुस्तक की माँग अधिक न हो अथवा अन्य किसी कारण से आवश्यक न हो किसी भी पुस्तक का पुनः चुनाव नहीं होना चाहिए। पुनः चुनाव पुस्तकालय के सम्पूर्ण विकट समस्या है। बहुधा एक ही पुस्तक के लिए अनेक पाठक एक से अधिक बार मुझाव दे देते हैं। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह चुनाव की अन्तिम रूप देने से पूर्व अच्छी तरह देखें कि पुस्तक पहले से तो पुस्तकालय में नहीं है अथवा उस पुस्तक के लिए आदेश तो नहीं दे दिया गया है। यह भी सम्भव है कि पुस्तक पुस्तकालय में आ गई हो तथा उसे पुस्तकालय में उपयोग के लिए पुस्तकालय प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया जा रहा हो और वह अभी तक पाठकों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की जा सकी हो। इस परीक्षण प्रणाली के लिए पुस्तक चुनाव पत्रक प्रणाली उत्तम है। इस प्रणाली के अन्तर्गत पुस्तकालय कर्मचारी मुझाव आते ही सर्वप्रथम उस मुझाव के विवरण पुस्तक चुनाव पत्रक में अंकित कर देता है। उसके उपरान्त पुस्तकालय कर्मचारी ऐसे पत्रों को वहाँ कम में व्यवस्थित कर सूची पत्रकों में जोड़ कर यह निर्धारित करता है कि पुस्तक पुस्तकालय में पहले से ही तो उपलब्ध नहीं है। उसके पश्चात् वह बचे हुए पत्रकों को पुस्तकों के दिए गए आदेश पत्रक से, जोकि पूर्व व्यवस्थित होते हैं, जोड़ करता है। यदि पुस्तक का पहले से ही आदेश दिया गया हो तो उस पत्रक को रद्द कर देता है। अंत में बचे हुए पत्रकों को जोड़ पुस्तकालय में आई हुई पुस्तकों के पत्रकों से करता है और यदि पुस्तक पुस्तकालय में आई होती है तो पुस्तक चुनाव पत्रक रद्द कर दिया जाता है तथा बचे हुए पुस्तक चुनाव पत्रक आदेश पत्रक का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसके उपरान्त पुस्तक का आदेश पुस्तक विक्रेता को दे दिया जाता है। पुस्तक चुनाव पत्रक की रूपरेखा निम्न प्रकार की हो सकती है—

पत्रक समक लेखक	परिग्रहण सं०	प्रत्याहरण सं०
पुस्तक का नाम		
संस्करण अथवा ग्रन्थमाला आदि		प्रकाशन का वर्ष
स्थान व प्रकाशक		प्रकाशित मूल्य
अनुरोधित		
सदस्य		
अनुदान		पुस्तकालयाध्यक्ष का आदेश

यह पुस्तक चुनाव पत्रक पुस्तक के अनुरोध भयवा सूत्राव से लेकर पुस्तक के पुस्तकालय से प्रत्याहरण तक उपयोगी है तथा पुस्तकालय कर्मचारी इसका विविध उपयोग कर पुस्तकों की पुनरावृत्ति होने से तो रोकेंगे ही, साथ ही उनका समय भी बचेगा ।

इस पत्रक का पृष्ठ भाग भी पुस्तकालय कर्मचारी के लिए उपयोगी है । यह उसे किसी भी पुस्तक के विषय में पुस्तकालय सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएँ देता है । इसका नमूना इस प्रकार है :—

विक्रेता	कार्य	द्वारा	कब	मूल्य
परीक्षण				भारतीय मुद्रा
परिग्रहण				विदेशी मुद्रा
भूगतान के लिए वास				घादेश स० व दि०
वर्गीकरण				बिल स० व दि०
सूचीकरण				पाठवर स० व दि०
कलक में भेजी				

पुस्तक चुनाव के सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष को यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके पास पाठकों की प्रसीधित मांग की पूर्ति के लिए सीमित साधन हैं । उसे इन साधनों का उपयोग सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार करना चाहिए जिससे कम से कम व्यय में अधिक से अधिक पाठकों को लाभ पहुँच सके । पुस्तक चुनाव का कार्य प्रतिदिन वर्ष के धारम्भ से अन्त तक होना चाहिए तथा पुस्तकालय में सभी क्षेत्रों की पुस्तकें धानुपातिक ढंग से धानी चाहिएँ । ऐसा न हो कि पुस्तकालय किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा रह जाए ।

अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के उपरान्त पुस्तक की उपलब्धि के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक का घादेश किसी पुस्तक विक्रेता को दे । अधिकांश पुस्तकालयों में पुस्तक विक्रेताओं की नियुक्ति मूल्य तालिका भेगाकर की जाती है । अनेक विक्रेताओं में से जिसकी मूल्य तालिका पुस्तकालय के लिए उपयोगी होती है, उसी की नियुक्ति स्थायी विक्रेता के रूप में कर ली जाती है । यद्यपि इस प्रकार की प्रणाली प्रायिक दृष्टि से लाभकारी है, परन्तु उसमें भी गम्भीर दोष है । पुस्तकालय बहुधा ऐसी पुस्तकों से जिन पर विक्रेता को कम कमीशन मिलता है, वंचित रह जाते हैं । यह आवश्यक है कि इस प्रकार की नीति होते हुए भी अन्धी पुस्तकों को जहाँ से भी उपलब्ध हो सके, ख़य करवें । अधिकांश प्रकाशक पुस्तकालयों को उचित दर पर कमीशन देते हैं । अतः पुस्तकालयाध्यक्ष सीधे प्रकाशकों से भी सम्पर्क स्थापित करें, जिससे पुस्तकालयों को भी प्रायिक लाभ भी होगा तथा उचित पुस्तकें भी उपलब्ध हो सकेंगी ।

पुस्तक के लिए घादेश भेजने की कई प्रणालियाँ हैं, परन्तु अधिकतर सुविधा के कारण पुस्तकालयाध्यक्ष चुनी हुई पुस्तकों की सूची टाइप कराकर, विक्रेता के वास भेज देते हैं तथा विक्रेता पुस्तकों को पुस्तकालय में पहुँचा देता है । इस सम्बन्ध में ध्यान देनी योग्य बात यह है कि प्रायः सभी पुस्तक विक्रेता घादेश दी गई सभी पुस्तकों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं । अतः ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में धाने कार्यवाही करने

की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करने के लिए अधिकांश पुस्तकालय पुस्तक सूची की दो प्रतियाँ पुस्तक विक्रेता के पास भेजते हैं। पुस्तक विक्रेता इनमें से एक प्रति तो अपने पास रख लेता है तथा दूसरी प्रति पर आवश्यक निर्देश प्रथात् 'पुस्तक भेज दी', 'एक माह पश्चात् भेजी जाएगी', 'स्टॉक में नहीं है', 'शीघ्र मिलने की सम्भावना नहीं है', 'अप्राप्य है', आदि लिख कर भेज देता है, जिससे पुस्तकालयाध्यक्ष व कमचारी अन्य उपयुक्त कार्रवाही कर सकें। इस प्रकार पुस्तकालय में सभी प्रकार की इच्छित व आदेशित पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी तथा ऐसा न हो सकेगा कि मांग होने पर भी पुस्तकालय में पुस्तक न पा सके।

महोदय,

सलग्न सूची में उल्लिखित पुस्तकों को इस पुस्तकालय में दिनांक..... तक भेजने की कृपा करें तथा पुस्तकों का बिल (तीन प्रतियों में) साथ में भेजें जिससे शीघ्र मुगतान किया जा सके।

भवदीय,

पुस्तकालयाध्यक्ष

नियुक्त स्याई विक्रेता को इससे अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नियुक्ति करते समय उसे भली-भाँति समझा दिया जाता है एवं वह इस सम्बन्ध में सभी प्रक्रियाओं से अच्छी तरह परिचित होता है परन्तु अन्य विक्रेताओं के पुस्तक आदेश में सभी शर्तों का लिखा होना आवश्यक है जिससे भविष्य में किसी प्रकार का झगडा होने की सम्भावना न रहे। ऐसे आदेशों में सामान्यतः निम्नलिखित शर्तों को लिख दिया जाता है—

1. पुस्तकों का नवीनतम संस्करण भेजा जाए।
2. प्रत्येक पुस्तक की केवल एक ही प्रति भेजी जाए, जब तक अन्य निर्देश न हो।
3. बिल के अन्त में आप यह प्रमाण-पत्र देंगे कि पुस्तकों पर केवल प्रकाशक द्वारा निर्धारित मूल्य ही लिया गया है।
4. इंग्लैण्ड व अमेरिका में प्रकाशित पुस्तकें जो इस समय आपके स्टॉक में नहीं हैं, व भारत के अन्य पुस्तक विक्रेताओं के पास भी उपलब्ध नहीं हों, आप तीन माह के अन्दर भेज सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप पुस्तकालयाध्यक्ष को पूर्व सूचना भेजेंगे।
5. पुस्तक सूची की दो प्रतियाँ संलग्न हैं। उनमें से एक आप अपने उपयोग के लिए रखें व दूसरी पुस्तकालय को आवश्यक निर्देश प्रथात् "पुस्तक स्टॉक में नहीं है"; ".....दिन में भेज देंगे"; "अप्राप्य है", "निर्देश से भेजाई जाएगी"; आदि लिखकर भेज दें।
6. पुस्तकें रेलवे पार्सल से भेजी जाएँ। पार्सल पर लगने वाला व्यय आप ही वहन करेंगे। बी० पी० पी० द्वारा कोई पुस्तक न भेजें अन्यथा वापस कर दी जाएगी।
7. यदि पुस्तकें निर्धारित समय तक न भेजी गईं तो बची हुई पुस्तकों का आदेश रद्द समझा जाएगा।

8. यदि भेजी हुई पुस्तक आदेश पत्र में बखित पुस्तक से भिन्न हुई भयवा उसमें अन्य दोष पाया गया तो उस पुस्तक को भापके व्यय पर वापस कर दिया जाएगा तथा बिल में से उस पुस्तक को काट कर मुगलान के लिए पास कर दिया जाएगा ।

स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर इन शर्तों में परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

References.

1. S. R. Ranganathan, 'Five Laws of Library Science' Bombay, Asia Publishing House, 1957, p. 285.
2. Helen E. Haines. 'Living with Books'. N. Y., Columbia University Press, 1960, p. 53-54.
3. George S. Bonn, "The aids of selection." In Collecting Science Literature for General Reading. Papers presented at an Institute conducted by Graduate School of Library Science, Illinois, 1960, p. 90-1.
4. Book Selection Policy, Enoch Pratt Free Library 1963. p. 21.



ग्रन्थ प्रक्रिया

ग्रन्थ प्रक्रिया का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा पुस्तक विक्रेता से प्राप्त होने के पश्चात् पुस्तकालय फवक तक पहुँचने तक के लिए तैयार की जाती है। पुस्तक निम्न-लिखित प्रक्रियाओं से तैयार की जाती है :—

1. आदेश पत्रक तथा बिल से पुस्तक का परीक्षण

नई पुस्तकों की प्राप्ति के साथ ही उनका बिल के साथ जिसे पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक वासल के साथ भ्रषवा लिफाफे में भ्रषण से भ्रषण होना, परीक्षण करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विक्रेता ने बिल में पुस्तकों का सही मूल्य लगाया है तथा सही कमीशन दिया है। आदेश पत्रक से परीक्षण करते समय पुस्तक के लेखक, प्राख्या, संस्करण, मूल्य प्रादि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यदि कहीं बोर्ड कमी है, तो उसे ठीक करवा लेनी चाहिए।

2. पुस्तक का भौतिक परीक्षण

आदेश पत्रक तथा बिल से परीक्षण करते समय ही, पुस्तक के भौतिक तन्वों का पुस्तकों की भौतिक पूर्णता की दृष्टि से परीक्षण करना भी आवश्यक है। कभी-कभी पुस्तक मार्ग में विकृत हो जाती है भ्रषवा जिल्दसाज की भ्रषावधानी से पुस्तक का कोई भाग पुस्तक में लगने से रह जाता है भ्रषवा वो बार लग जाता है। इस प्रकार की एवं ग्रन्थ किसी कारण से रह गई भ्रपूर्ण पुस्तक को पुस्तक-विक्रेता को वापस भ्रषण देना चाहिए तथा उसके स्थान पर पुस्तक की नई प्रति भ्रानी चाहिए। यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे प्रत्यय पत्र (Credit note) भ्रषण चाहिए, जिससे पुस्तकालय बिल का भ्रषण करने से पूर्व उस भ्रषवा उन पुस्तकों का मूल्य काट सके।

3. परिग्रहण (Accessioning)

पुस्तक में प्राप्त होने वाली, क्रम की नई भ्रषवा उपहार में मिली, प्रत्येक पुस्तक का लेखा रखने के लिए स्टॉक रजिस्टर होता है जिसे हम परिग्रहण पंजिका कहते हैं। इसमें प्रत्येक पुस्तक को क्रम से दर्ज कर उसे क्रम सख्या प्रदान करते हैं जिसे हम परिग्रहण सख्या कहते हैं। परिग्रहण पंजिका का स्वरूप लेजर भ्रषवा पत्रकों (Cards) में हो सकता है। परिग्रहण का तात्पर्य किसी भी पुस्तक के विषय में पुस्तकालय में भ्रषण होने से प्रत्याहरण तक का

विवरण प्रदान करता है। परिग्रहण पत्रिका में सामान्यतः परिग्रहण संख्या, लेखक, प्राध्यापक सम्करण, स्थान व प्रकाशक, प्रकाशन की तिथि, खण्ड संख्या मूल्य, विक्रेता का नाम व पता, जिला प्राचार, वाइसर संख्या व दिनांक, कम्प्युटर संख्या (Call Number), परिग्रहण की तारीख एवं प्रकाशक का दिनांक दिया जाता है।

परीक्षण के उपरान्त पुस्तकें बिल सहित परिग्रहण करने वाले सहायक को दे दी जाती है। वह पुस्तकों को बिल के अनुसार व्यवस्थित कर परिग्रहण पत्रिका में एक-एक कर दर्ज करता जाता है तथा प्रत्येक पुस्तक को परिग्रहण संख्या प्रदान करता रहता है। सहायक सम्बद्ध परिग्रहण संख्या को पुस्तक के मुख पृष्ठ के पीछे के भाग में तथा किसी भी मुक्त पृष्ठ पर जिसका निर्णय प्रत्येक पुस्तकालय करता है, अंकित करता है। परिग्रहण संख्या को बिल में पुस्तक के नाम के सामने बार्ड ओर भी अंकित किया जाता है। परिग्रहण सहायक बिल पर प्रमाणित करता है कि पुस्तकों को परिग्रहण पत्रिका में अंकित कर लिया गया है। इसके अनन्तर बिल को भुगतान के लिए स्वीकृत कर लिया जाता है।

4. वर्गीकरण

समानता के आधार पर एकत्र करने एवं असमानता के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पुस्तकों को विषयवार व्यवस्थित ढंग से एकत्र करते हैं। पुस्तकालयों में पुस्तकों की व्यवस्था के लिए अनेक वर्गीकरण प्रणालियों का आविष्कार हुआ है। किसी भी वर्गीकरण प्रणाली को अपनाने से पूर्व उसके गुण और दोष, पुस्तकालय सकलन, परिस्थिति, उसकी अनुकूलता का विचार करना आवश्यक है। संसार के विभिन्न पुस्तकालयों में निम्नलिखित प्रणालियों का उपयोग में लाया जाता है—

1. मेलबिल इयूई की दशमलव वर्गीकरण प्रणाली
2. चार्ल्स ग्रामी कटर की प्रसारणीय वर्गीकरण प्रणाली
3. माइयेरी ग्रॉफ काप्रेस वर्गीकरण प्रणाली
4. जे० डी० शॉउन की विषयात्मक वर्गीकरण प्रणाली
5. सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण प्रणाली
6. एस० आर० रंगनाथन की द्विविन्दु वर्गीकरण प्रणाली
7. हेनरी एवेजिन क्लिस की ग्रन्थ वर्गीकरण प्रणाली

वर्गीक एवं ग्रन्थांक देना

परिग्रहण के उपरान्त पुस्तकें वर्गीकरण के पास पहुँचती हैं। वर्गीकरण पुस्तकों का विषय निर्धारण कर, निर्धारित वर्गीकरण प्रणाली एवं ग्रन्थ सहायकों जैसे वर्गीकरण सूची से सम्बन्धित अनुक्रमणिका का अध्ययन कर आवश्यक वर्गीक (Class number) प्रदान करता है एवं उसको उचित स्थान पर अंकित करता है।

वर्गीक निर्धारण के पश्चात् वर्गीकरण ग्रन्थांक (Book number) प्रदान करता है। ग्रन्थांक निर्धारण में निम्नलिखित प्रणालियाँ मुख्य रूप से सहायक हैं :—

1. कटर लेखक संकेत
2. कटर सैनबार्न लेखक सारणी
3. स्टेनले जास्ट की लेखक सारणी
4. मॉरिस की लेखक सारणी

5. बिसको समय ब्रंक

6. रंगनायन प्रणाली

इस प्रकार निर्धारित वर्गीकृत एवं ग्रन्थांक को मुख पृष्ठ के पीछे पंक्ति से लिख देते हैं। इस सम्बन्ध में अध्याय 10 का भी अवलोकन करें।

5. सूचीकरण

वर्गीकरण पुस्तक का फलक में स्थान निर्धारण करता है जबकि सूची में इसे विभिन्न स्थानों पर पाया जा सकता है।

ग्रन्थ सूची के रूप

सब प्रथम यह निर्णय लेना होता है कि पुस्तकालय में किस प्रकार की सूची अपनाई जाय अर्थात् वह अनुवर्ग सूची अथवा सर्वानुवर्ण सूची होगी। सर्वानुवर्ण सूची के अन्तर्गत जिसमें लेखक सलेख ही मुख्य सलेख होता है, सलेखों की व्यवस्था अनुवर्ण क्रम में की जाती है। अनुवर्ग सूची के अन्तर्गत सलेखों की व्यवस्था वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार की जाती है।

सूचीकरण संहिता

इसके अनन्तर मुख्य विषय पुस्तकालय द्वारा सूचीकरण संहिता अपनाने के विषय में जिससे उचित सलेख बनाए जा सकें, निर्णय लेने से है। सर्वमान्य सूचीकरण निम्न-लिखित हैं—

1. एंग्लो-अमेरिकन सूचीकरण संहिता,
2. सर्वानुवर्ण सूची के लिए कटर के नियम,
3. एस० फार० रंगनायन की अनुवर्ग सूचीकरण संहिता।

सूचीकरण प्रक्रिया

सूचीकरण संहिता के नियमों के आधार पर मुख्य सलेख बनाया जाए। मुख्य सलेख में पुस्तक में सम्बन्धित अधिकतम सूचना होती है। मुख्य सलेख पत्रक के पृष्ठ भाग पर उस पुस्तक के सम्बन्ध में अन्य सलेखों तथा निर्देश सूचक पत्रकों का संकेत होता है। यह हमें बताता है कि किसी पुस्तक के कितने सहायक सलेख तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पुस्तक के लिए फलक सलेख (Shelf card) भी बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में अध्याय 11 में विस्तृत वर्णन किया गया है।

6. मुद्रांकन

सूची पत्रकों के बन जाने के पश्चात् पुस्तक में विभिन्न स्थानों पर पुस्तकालय मुद्रा अंकित की जाती है। इस प्रकार की मुद्रा मुखपृष्ठ के पीछे, गुप्त पृष्ठ पर जिसे प्रत्येक पुस्तकालय निर्धारित करता है तथा तीसरी पुस्तक के अन्त में अंकित हो जाती है। प्रत्येक मुद्रा लगते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा स्पष्ट रूप से अंकित हो।

7. नाम पत्रादि लगाना (Labelling)

पुस्तक पर मुद्रांकन करने के उपरान्त पुस्तक पर नाम पत्रादि के लेबुल लगाए जाते हैं : पुस्तक पर अधिकतर निम्नलिखित लेबुल लगाए जाते हैं :—

(अ) पुट्टे का लेबुल (Spine Label)

इसे पुस्तक के पुट्टे पर एक इंच की ऊँचाई पर चिपकाते हैं। यदि पुस्तक अधिक पतली हो तो उसी स्तर पर पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर चिपकाते हैं।

(ब) पुस्तक पत्रा (Book Plate)

अधिकतर इसे आवरण पृष्ठ के पीछे बाईं ओर, सबसे ऊपर चिपकाया जाता है।

(स) तिथि पत्रा (Date Slip)

इसे आवरण के पृष्ठ भाग के सामने वाले पृष्ठ पर ऊँचाई में चिपकाया जाता है।

(द) ग्रन्थ थैली (Book Pocket)

ग्रन्थ पत्रक (Book Card) रखने के लिए पुस्तक के आवरण पृष्ठ के पीछे नीचे की ओर इसे चिपकाया जाता है।

8. पुट्टे एवं टेबुल पर धर्मांक आदि का लिखना

क्रमक धर्मांक (Call Number) को पुट्टे के लेबुल पर बिजली के कलम (Stylus) से सफ़ा अच्छी प्रकार की रोशनाई जैसे रीज इंक से लिखना चाहिए।

पुस्तक पत्रा एवं तिथि पत्रा के निर्धारित स्थानों पर परिग्रहण संख्या तथा क्रमक धर्मांक को लिखना चाहिए। ग्रन्थ पत्रक पर भी क्रमक धर्मांक, परिग्रहण संख्या, लेखक एवं प्रास्था लिखना चाहिए।

9. फलक पर भेजने से पूर्व परीक्षण

पुस्तक को फलक पर भेजने से पूर्व धर्मित परीक्षण किया जाता है। यह कार्य पुस्तकालय का जरूरत सहायक करता है जो कि प्रत्येक प्रक्रिया में निपुण होता है। वह की गई प्रत्येक प्रक्रिया का निरीक्षण कर यह निश्चित कर लेता है कि किसी प्रकार की कमी तो नहीं रह गई है।

10. प्रक्रिया के मध्य प्रमाण

सामान्य पुस्तकालय कार्यकलापों के मध्य प्रत्येक पुस्तक पर पुस्तक-विक्रेता से प्राप्त होने से फलक पर पहुँचने तक पुस्तकालय के स्वामित्व का प्रमाण होना आवश्यक है। इस प्रकार का प्रमाण प्रत्येक पुस्तकालय में मिश्र होता है। धर्मित पुस्तकालय प्रक्रिया सील का उपयोग करते हैं जिसे पुस्तक के मुख पृष्ठ के पीछे लगा दिया जाता है तथा जैसे एक-एक प्रक्रिया पूर्ण होती जाती है, उस सील को सम्बन्धित सहायक भरता जाता है। प्रक्रिया सील का उपयोग करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि सील छोटी व साफ हो। कुछ ग्रन्थ पुस्तकालयों में पुस्तक का मूल पाठ पत्रक ही पुस्तक प्राप्ति के पश्चात् प्रक्रिया सील का स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रक्रिया प्रमाण की रूपरेखा पुस्तक सभन पत्रक की पृष्ठ भूमि में पुस्तक चुनाव व संग्रह नामक अध्याय में दी हुई है।

पुस्तकों का वर्गीकरण

पुस्तक वर्गीकरण साध्य न होकर पुस्तकालय विज्ञान के प्रमुख ध्येय की पूर्ति का साधन मात्र है। पुस्तकालय विज्ञान का एक मात्र ध्येय पाठक व उसकी अध्ययन सामग्री के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना है तथा वर्गीकरण इस ध्येय की पूर्ति में सहायक है।

पुस्तकालय वर्गीकरण का ध्येय पुस्तकों को उनकी समानता व उपयोगिता के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे जिज्ञामु पाठकों को अपनी वांछित सामग्री सरलता से प्राप्त हो जाए। आज संसार में निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रचलित हैं :—

1. मेलविल ड्युई की दशमलव वर्गीकरण प्रणाली
2. चार्ल्स ए. कटर की विस्तारशील वर्गीकरण प्रणाली
3. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वर्गीकरण प्रणाली
4. जेम्स डफ ब्राउन की विषय वर्गीकरण प्रणाली
5. हेनरी एवेलिन ब्लिस की वाङ्मय वर्गीकरण प्रणाली
6. यूनीवर्सल दशमलव वर्गीकरण प्रणाली
7. रंगनाथन की द्विदिन्दु वर्गीकरण प्रणाली

उपरोक्त वर्गीकरण प्रणालियों में से प्रथम अर्थात् मेलविल ड्युई की दशमलव वर्गीकरण प्रणाली तथा अन्तिम अर्थात् डॉ. रंगनाथन की द्विदिन्दु प्रणाली भारतीय पुस्तकालयों में अधिक लोकप्रिय है।

दशमलव वर्गीकरण प्रणाली

मेलविल ड्युई की वर्गीकरण प्रणाली में ज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र को निम्नलिखित विभागों (100 - 900) में विभाजित किया है। ऐसी अध्ययन सामग्री, जो इन 9 विभागों (100 - 900) में से किसी भी विभाग में नहीं रखी जा सकती है, उसे सामान्य कृति (Generalia) अर्थात् 000 में रखा गया है। इस प्रकार प्रमुख रूप से 10 विभाग हैं जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

- 000 सामान्य कृति (Generalia)
- 100 दर्शन (Philosophy)
- 200 धर्म (Religion)
- 300 सामाजिक ज्ञान (Social Sciences)
- 400 भाषा ज्ञान (Linguistics)

- 500 शुद्ध विज्ञान (Pure Sciences)
- 600 व्यावहारिक विज्ञान (Applied Sciences)
- 700 कलाएँ (Arts)
- 800 साहित्य (Literature)
- 900 इतिहास (History)

इसके उपरान्त प्रत्येक विभाग का विभाजन निम्न प्रकार किया है :—

- 000 सामान्य कृतियाँ (Generalia)
- 010 बाङ्गमय सूचियाँ (Bibliographies)
- 020 पुस्तकालय विज्ञान (Library Science)
- 030 सामान्य विश्वकोश (General Encyclopedia)
- 040 सामान्य संगृहीत निबन्ध (General Collected Essays)
- 050 सामान्य पत्रिकाएँ (General Periodicals)
- 060 सामान्य सभा समितियाँ (General Societies)
- 070 पत्र सम्पादन कला (Journalism)
- 080 संगृहीत कृतियाँ (Collected Works)
- 090 दुर्लभ पाण्डुलिपि पुस्तकें (Rare Books & Manuscripts)

इसके पश्चात् भी प्रत्येक उपविभाग का विभाजन किया है, जैसाकि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है :—

- 020 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (Library & Information Science)
- 021 पुस्तकालय सम्बन्ध (Library relationships)
- 022 भौतिक साधन (Physical plant)
- 023 कर्मचारी व स्तर (Personnel and position)
- 024
- 025 पुस्तकालय संचालन (Library operations)
- 026 विनिष्ट विषय के पुस्तकालय (Library for specific subject)
- 027 सामान्य पुस्तकालय (General library)
- 028 सूचना साधनों का उपयोग (Reading and use of information media)
- 029

इस प्रकार हम देखते हैं कि दशमलव प्रणाली में विभाजन 10 × 10 हुआ है।

सामान्यतः स्कूल पुस्तकालयों, सार्वजनिक व छोटे पुस्तकालयों में दशमलव वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अतः इस प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता व दशमलव वर्गीकरण प्रणाली की उपयोगिता को ध्यान में रख हम इस प्रणाली का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रणाली के प्रथम 1,000 विभाजन इस प्रकार है :—

GENERALITIES

सामान्य कृतियाँ	000 Generalities
ज्ञान	001 Knowledge
पुस्तक	002 The Book
पद्धतियाँ	003 Systems
	004
	005
	006
	007
	008
	009
बाह्य-मय सूची	010 Bibliography
बाह्य-मय सूचियाँ	011 Bibliographies
व्यक्तिगत	012 of Individuals
विशिष्ट लेखकों की	013 of Works by specific classes of Writers
अनामक व छद्मनाम	014 of Anonymous & pseudonymous works
विशिष्ट स्थान की	015 of Works from specific places
विषय बाह्य-मय सूची	016 Subject bibliographies and catalogues
सामान्य विषय सूची	017 General subject catalogues
लेखक एवं काल-क्रम सूची	018 Author and date catalogues
शानुवर्णी सूची	019 Dictionary catalogues
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	020 Library & Information Sciences
पुस्तकालय सम्बन्ध	021 Library relationships
भौतिक साधन	022 Physical plant
कर्मचारी व स्तर	023 Personnel and positions
	024
पुस्तकालय संचालन	025 Library operations
विशिष्ट विषय के पुस्तकालय	026 Library for specific subject
सामान्य पुस्तकालय	027 General library
सूचना साधनों का उपयोग	028 Reading and use of information media
	029
सामान्य द्विचकीय	030 General Encyclopedic Works
अमेरिकन	031 American

इंग्लिश	032 Others in English
जर्मन भाषाएँ	033 In other Germanic languages
फ्रेन्च, प्रोविंसाल, काटालन	034 In French, Provençal, Catalan
इटैलियन, रोमानियन आदि	035 In Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic
स्पेनिश व पुर्तगाली	036 In Spanish and Portuguese
स्लाविक भाषाएँ	037 In Slavic languages
स्केन्डिनेवियन	038 In Scandinavian languages
अन्य	039 In others languages
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
सामान्य ताम्रिक प्रकाशन	050 General Serial Publications
अमेरिकन	051 American
इंग्लिश	052 Others in English
जर्मन	053 In other Germanic languages
फ्रेन्च, प्रोविंसाल, काटालन	054 In French, Provençal, Catalan
इटैलियन, रोमानियन आदि	055 In Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic
स्पेनिश व पुर्तगाली	056 In Spanish and Portuguese
स्लाविक	057 In Slavic languages
स्केन्डिनेवियन	058 In Scandinavian languages
अन्य	059 In others languages
सामान्य संस्थाएँ एवं संग्रह विज्ञान	060 General Organisations & museology
उत्तरी अमेरिका में	061 In North America
ब्रिटिश द्वीप समूह में	062 In British Isles
मध्य योरोप में	063 In Central Europe
फ्रांस व मोनाको में	064 In French and Monaco
इटली एवं समीपस्थ क्षेत्र में	065 In Italy and adjacent territories

आइबेरियन प्रायद्वीप में	066 In Iberian Peninsula and adjacent Islands
पूर्वी योरोप में	067 In Eastern Europe
अन्य क्षेत्रों में	068 In other areas
संग्रह विज्ञान	069 Museology (Museum Sciences)
पत्रकारिता, प्रकाशन व समाचार-पत्र	070 Journalism, publishing, newspapers
उत्तरी अमेरिका में	071 In North America
ब्रिटिश द्वीप समूह में	072 In British Isle
मध्य योरोप में	073 In Central Europe
फ्रांस व मोनाको में	074 In France and Monaco
इटली व समीपस्थ क्षेत्र में	075 In Italy and adjacent territories
आइबेरियन प्रायद्वीप में	076 In Iberian Peninsula and adjacent Islands
पूर्वी योरोप में	077 In Eastern Europe
स्कैंडीनेविया में	078 In Scandinavian
अन्य क्षेत्रों में	079 In other areas
सामान्य कृतियाँ	080 General collections
अमरीकी भाषा	081 American
अंग्रेजी भाषा	082 Others in English
जर्मनी भाषा	083 In other Germanic languages
फ्रेंच, प्रोवेंसाल, काटालन	084 In French, Provençal, Catalan
इटैलियन, रोमानियन भाषा	085 In Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic
स्पैनिश व पुर्तगाली	086 In Spanish and Portuguese
स्लाविक भाषाएँ	087 In Slavic languages
स्कैंडीनेवियन भाषाएँ	088 In Scandinavian languages
अन्य भाषाएँ	089 In other languages
पाण्डुलिपियाँ व बुध्दाप्य पुस्तकें	090 Manuscripts and book rarities
पाण्डुलिपियाँ	091 Manuscripts
ठप्पा मुद्रित पुस्तक	092 Block books
1501 ई. से पूर्व मुद्रित पुस्तकें	093 Incunabula
मुद्रित पुस्तकें	094 Printed books
जिल्दसाजी के लिये प्रसिद्ध पुस्तकें	095 Book notable for binding
प्रसिद्ध चित्र व सामग्री	096 Notable illustrations and material

प्रसिद्ध स्वामित्व व उद्भव की कृतियों	097 Notable ownership or origin
विषय-वस्तु के लिये प्रसिद्ध कृतियों	098 Works notable for contents
आकार के लिये प्रसिद्ध	099 Books notable for format

PHILOSOPHY

दर्शनशास्त्र व सम्बन्धित विषय	100 Philosophy and related discipline
दर्शनशास्त्र के सिद्धान्त	101 Theory of Philosophy
दर्शनशास्त्र प्रकृतिका	102 Miscellany of Philosophy
दर्शनशास्त्र कोश	103 Dictionaries of Philosophy
	104
दर्शनशास्त्र सामयिक	105 Serials on Philosophy
दर्शनशास्त्र संस्थाएँ	106 Organisations of Philosophy
दर्शनशास्त्र अध्यापन व शिक्षण	107 Study and teaching of Philosophy
विशिष्ट व्यक्ति समूह की कृतियों	108 Treatment among groups of persons
दर्शनशास्त्र का ऐतिहासिक निरूपण	109 Historical treatment of Philosophy
सत्य ज्ञान	110 Metaphysics
सत्त्वज्ञान	111 Ontology
	112
विश्व ज्ञान	113 Cosmology
स्थान	114 Space
काल	115 Time
विकास	116 Evolution
संरचना	117 Structure
शक्ति व ऊर्जा	118 Force and energy
संख्या व मात्रा	119 Number and quantity
ज्ञानशास्त्र, कारणत्व, मानवता	120 Epistemology, Causation, humankind
ज्ञानशास्त्र	121 Epistemology
कारणत्व	122 Causation
नियतत्व व अनियतत्ववाद	123 Determinism and Indeterminism
मीमांसा	124 Teleology
	125
आत्मत्व	126 The self
अचेतन व अचेतन	127 The unconscious and the sub-conscious

मानवशा	128 Humankind
व्यक्ति आत्मा का प्रादुर्भाव व भाग्य	129 Origin and destiny of individual Soul
परास्वभाविक, प्रतिभास व कला	130 Paranormal phenomena & arts
कल्याण, प्रसन्नता व सफलता	131 Well-being, happiness and success
	132
परामनोविज्ञान व तन्त्र	133 Parapsychology and occultism
	134
स्वप्न व रहस्य	135 Dreams and mysteries
	136
वैश्लेषिक एवं वैदिक ग्राफोलोजी	137 Analytic and divinatory graphology
सामुद्रिक ज्ञान	138 Physiognomy
मानस विज्ञान	139 Phrenology
विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण	140 Specific philosophical view points
आदर्शवाद व सम्बन्धित विषय	141 Idealism and related systems doctrines
	142 Critical philosophy
ध्यालोचनारमक दर्शन	143 Intuitionism and bergsonism
सहजबोध व बर्गसन धार	144 Humanism and related systems
मानववाद तथा सम्बन्धित विषय	145 Sensationalism and ideology
संवेदना धार व सिद्धान्त	146 Naturalism and related systems
प्रकृति धार व सम्बन्धित धार	147 Pantheism and related systems
सह्यवाद व सम्बन्धित धार	148 Liberalism and other systems
उदारता धार व सम्बन्धित धार	149 Other systems and doctrines
अन्य दर्शन व सिद्धान्त	150 Psychology
मनोविज्ञान	151
दृष्टिक मनोविज्ञान	152 Physiological psychology
विलक्षणता व बुद्धि	153 Intelligence & Intellect
अवचेतन स्थिति व प्रक्रिया	154 Subconscious state & process
विभेदक व अनुवंशक मनोविज्ञान	155 Differential and genetic psychology
	156 Comparative psychology
तुलनात्मक मनोविज्ञान	157 Abnormal & clinical psychology
असामान्य व नैदानिक मनोविज्ञान	158 Applied psychology
अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान	159 Other aspects
अन्य अभिमुख	

तर्क शास्त्र	160 Logic
आश्रमन तर्क	161 Induction
निर्गमन तर्क	162 Deduction
	163
	164
भ्रान्ति व त्रुटियों के स्रोत	165 Fallacies and sources of errors
तर्क कर्म	166 Syllogisms
परिकल्पना	167 Hypothesis
मुक्ति तथा निमोजन	168 Argument and persuasion
एकरूपता	169 Analogy
आचार शास्त्र (नैतिक दर्शन)	170 Ethics (Moral philosophy)
पद्धतियां एवं सिद्धान्त	171 Systems and doctrines
राजनैतिक आचार शास्त्र	172 Political ethics
पारिवारिक सम्बन्धों का आचारशास्त्र	173 Ethics of family relationships
व्यावसायिक आचार शास्त्र	174 Professional and occupational ethics
मनोरंजन एवं अवकाश का आचार शास्त्र	175 Ethics of recreations and leisure
यौन एवं जनन आचार शास्त्र	176 Ethics of sex and reproduction
सामाजिक सम्बन्धों का आचार शास्त्र	177 Ethics of social relations
उपभोग का आचार शास्त्र	178 Ethics of consumption
अन्य आचार शास्त्रीय नियम	179 Other ethical norms
प्राचीन, मध्यकालीन व पूर्वदेशीय दर्शन	180 Ancient, Medieval Oriental philosophy
पूर्व देशीय	181 Oriental
अफलातून पूर्व ग्रीक दर्शन	182 Pre-socratic Greek
सोफिस्टिक, अफलातून, संबंधित दर्शन	183 Sophistic, Socratic and related
प्लारोनिक	184 Platonic
अरस्तु	185 Aristotelian
अनीश्वर वाद व नवप्लेटोवादी	186 Skeptic and Neoplatonic
सुखवादी	187 Epicurean
स्टोइक	188 Stoic
मध्ययुगीन पश्चात्य	189 Medieval western
आधुनिक पश्चात्य दर्शन	190 Modern western philosophy
संयुक्त राज्य व कनाडा	191 United States and Canada
ब्रिटिश द्वीप समूह	192 British Isles
जर्मनी व आस्ट्रिया	193 Germany and Austria
फ्रांस	194 France
इटली	195 Italy

स्पेन व पुर्तगाल	196 Spain and Portugal
रूस व फिनलैण्ड	197 Russia and Finland
स्वीडिनेविया	198 Scandjoavia
अन्य भौगोलिक क्षेत्र	199 Other Geographical area
RELIGION	
धर्मशास्त्र	200 Religion
ईसाई दर्शन	201 Philosophy of christianity
ईसाई प्रकृतिका	202 Miscellany of christianity
ईसाई कोश	203 Dictionaries of christianity
सामान्य निरूपण के विशिष्ट विवरण	204 Special topics of general applicability
ईसाई सामयिकी	205 Serials on christianity
ईसाई संस्थाएं	206 Organisations of christianity
ईसाई अध्ययन व शिक्षण	207 Study and teaching of christianity
व्यक्ति समूह में ईसाई धर्म	208 Christianity among group of persons
ईसाई धर्म का इतिहास व भूगोल	209 History and geography of christianity
प्राकृतिक धर्म	210 Natural religion
ईश्वर ज्ञान	211 Concepts of God
ईश्वर प्रकृति	212 Nature of God
सृष्टि	213 Creation
न्यायवाद	214 Theodicy
विज्ञान एवं धर्म	215 Science and religion
पुण्य व पाप	216 Good and evil
	217
मानवता	218 Humankind
एकरूपता	219 Analogy
बाइबिल	220 Bible
पुराना धर्म नियम	221 Old Testament
-ऐतिहासिक पुस्तकें	222 Historical books of old Testament
-कविता पुस्तकें	223 Poetic books of old Testament
-प्रवचन कथनात्मक पुस्तकें	224 Prophetic books of old Testament
	225 New Testament
नया धर्म नियम	226 Gospels and Acts
मंगल समाचार तथा कार्ये	227 Epistles
धर्म पत्र	228 Revelation (Apocalypse)
अभिध्वक्ति	229 Apocrypha and pseudepigrapha
अज्ञात तथा अज्ञात शक्ति	

ईसाई ईश्वर ज्ञान	230 Christian theology
ईश्वर	231 God
ईशु एवं इसका परिवार	232 Jesus christ and his family
मानवता	233 Humankind
मुक्ति एवं अनुकम्पा	234 Salvation (soteriology) and grace
आध्यात्मिक ज्ञान	235 Spiritual beings
परलोक शास्त्र	236 Eschatology
	237
धर्म सूत्र एवं धात्म स्वीकृति	238 Creeds and confessions of faith
मुक्ति युक्त एवं शास्त्रार्थ	239 Apologetics and polemics
ईसाई धार्मिक एवं आत्मिक ईश्वरवाद	240 Christian moral and devotional theology
	241 Moral theology
धार्मिक ईश्वरवाद	242 Devotional literature
उपास्य साहित्य	243 Evangelistic writings for individual
इजिप्त प्रचारक सम्बन्धी लेख	244
	245 Hymns without music
संगीत रहित स्तोत्र	246 Art in christianity
ईसाई धर्म में कला	247 Church furnishings and articles
वर्ष उपकरण व सामान	248 Christian experience, practice, life
ईसाई अनुभव व व्यवहार	249 Christian observances in family life
परिवार में ईसाई विश्वास	250 Local church and religious order
	251 Preaching (Homiletics)
स्थानीय चर्च व धार्मिक सम्प्रदाय	252 Texts of sermons
धर्म प्रचार (धर्मोपदेश)	253 Secular cherygymen and duties
प्रवचन के मूल पाठ	254 Parish government and administration
धर्म निरोधक धर्मोपदेशक	255 Religious congregation & orders
पादरी प्रवेश प्रशासन	256
	257
	258
धार्मिक संगीत व आदेश	259 Parochial activities
	260 Social and ecclesiastical theology
पादरी क्रिया-कलाप	261 Social theology
सामाजिक एवं धार्मिक दर्शन	262 Ecclesiology
सामाजिक दर्शन	
धार्मिक दर्शन	

धार्मिक विधि का समय व स्थान	263 Time and places of religious observances
सार्वजनिक पूजा	264 Public worship
अन्य रीतियाँ, धर्म विधि	265 Other rites, ceremonies, ordinances
धर्म प्रचारक मंडल	266 Missions
धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाएँ	267 Associations for religious work
धार्मिक शिक्षा	268 Religious training and instruction
आत्मिक नवीनीकरण	269 Spiritual renewal
ईसाई गिरजा का इतिहास व भूगोल	270 History and Geography of church
धर्म संगीत एवं आदेश	271 Religious congregation and orders
	272 Persecutions
उत्पीठन सैदान्तिक विवाद एवं धर्मदोह	273 Doctrinal controversies and heresies
यूरोप में गिरजाघर	274 Christian Church in Europe
एशिया में गिरजाघर	275 Christian Church in Asia
अफ्रीका में गिरजाघर	276 Christian Church in Africa
उत्तरी अमरीका में गिरजाघर	277 Christian Church in North America
दक्षिण अमरीका में गिरजाघर	278 Christian Church in South America
अन्य क्षेत्रों में गिरजाघर	279 Christian Church in other areas
ईसाई सम्प्रदाय	280 Christian denominations & sects
प्राथमिक एवं पूर्व देशिय गिरजे	281 Primitive & Oriental churches
रोमन कैथोलिक गिरजे	282 Roman Catholic church
इंग्लिश गिरजे	283 Anglican church-
महादेशीय उद्भव के प्रोटेस्टेंट	284 Protestants of continental origin
प्रेसबीटर सम्प्रदाय व अन्य	285 Presbyterian & related Churches
बापटिस्ट सम्प्रदाय व एडवेंटिस्ट	286 Baptist, Disciples, Adventists
मैथोडिस्ट गिरजे	287 Methodist Churches
एकेश्वरवादी गिरजे	288 Unitarianism
अन्य ईसाई सम्प्रदाय	289 Other denominations & sects
अन्य एवं तुलनात्मक धर्म	290 Other and Comparative religion
तुलनात्मक धर्म	291 Comparative religion
ग्रीक व रोमन धर्म	292 Classical (Greek & Roman) religion
जर्मन धर्म	293 Germanic religion
भारतीय उद्भव के धर्म	294 Religions of Indic origin

पारसी धर्म	295 Zoroastrianism
यूदी धर्म	296 Judaism
मुस्लिम व अन्य धर्म	297 Islam and religions derived from it
	298
अन्य धर्म	299 Other religions
SOCIAL SCIENCES	
सामाजिक विज्ञान	300 Social Sciences
समानसारण	301 Sociology
सामाजिक अन्तःक्रिया	302 Social interaction
सामाजिक प्रक्रिया	303 Social process
प्राकृतिक कारणों से सम्बन्ध	304 Relation of natural factors
सामाजिक स्तरण	305 Social stratification
संस्कृति एवं संस्थाएँ	306 Culture and institutions
समुदाय	307 Communities
	308
	309
सांख्यिकी आंकड़े	310 Statistics
	311
जनसंख्या सम्बन्धी	312 Statistics of population
	313
यूरोपीय सामान्य आंकड़े	314 General Statistics of Europe
एशिया सामान्य आंकड़े	315 General Statistics of Asia
अफ्रीका सामान्य आंकड़े	316 General Statistics of Africa
उत्तरी अमरीका सामान्य आंकड़े	317 General Statistics of North America
दक्षिणी अमरीका सामान्य आंकड़े	318 General Statistics of South America
अन्य क्षेत्र सामान्य आंकड़े	319 General Statistics of Other areas
राजनीति शास्त्र	320 Political Science
सरकार व राज्य के प्रकार	321 Kinds of governments and states
राज्य व सामाजिक समूह	322 Relation of state to social groups
राज्य व नागरिक	323 Relation of state to its residence
राजनैतिक प्रक्रिया	324 The Political process
अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास	325 International Migration
गुलामी व मुक्ति	326 Slavery and emancipation
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	327 International relations
विधान	328 Legislation
	329

अर्थशास्त्र	330 Economics
श्रम अर्थशास्त्र	331 Labour economics
वित्तीय अर्थशास्त्र	332 Financial economics
भू-अर्थशास्त्र	333 Land economics
सहकारी संस्थाएँ	334 Co-operatives
समाजवाद व सम्बन्धित	335 Socialism and related systems
सरकारी वित्त	336 Public finance
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र	337 International economics
उत्पादन	338 Production
समष्टि अर्थशास्त्र	339 Macroeconomics and related topics
विधि	340 Law
अन्तर्राष्ट्रीय विधि	341 International law
वैधानिक व प्रशासनिक विधि	342 Constitutional and administrative law
विविध जन विधि	343 Miscellaneous public law
सामाजिक विधि	344 Social law
अपराध विधि	345 Criminal law
वैयक्तिक विधि	346 Private law
सिविल संहिता एवं अदालत	347 Civil procedure and courts
संविध, नियम व केस	348 Statutes, regulations, cases
राज्यों व राष्ट्रों के विधि	349 Law of individual states and Nations
लोक प्रशासन	350 Public Administration
केन्द्रीय सरकारें -	351 Central governments
स्थानीय सरकारें	352 Local governments
संयुक्त राज्य संघ व राज्य सरकारें	353 U.S. federal & state governments
अन्य केन्द्रीय सरकारें	354 Other central governments
सैनिक कला कौशल	355 Military art and science
पैदल सेना व युद्ध	356 Foot forces & warfare
घुड़सवार सेना व युद्ध	357 Mounted forces & warfare
शस्त्राधार, तकनीकी, वायु यत्न सेना	358 Armored, technical, air space forces
नौ सेना व युद्ध	359 Sea (Naval) forces & warfare
सामाजिक समस्याएँ एवं सेवाएँ	360 Social problems & Services
सामाजिक समस्याएँ व कल्याण	361 Social problems & welfare
सामाजिक कल्याण समस्याएँ व सेवाएँ	362 Social welfare problems & services

ग्रन्थ सामाजिक समस्याएँ व सेवाएँ	363 Other social problems services
द्वपराध शासन	364 Criminology
कारागृह	365 Penal institutions
संस्थाएँ	366 Associations
सामान्य क्लब	367 General clubs
बीमा	368 Insurance
विविध प्रकार की संस्थाने	369 Miscellaneous kinds of associations
शिक्षा	370 Education
शिक्षा की व्यापकता	371 Generalities of education
प्राथमिक शिक्षा	372 Elementary education
माध्यमिक शिक्षा	373 Secondary education
श्रीढ़ शिक्षा	374 Adult education
पाठ्यक्रम	375 Curriculums
स्त्री शिक्षा	376 Education of women
स्कूल एवं धर्म	377 Schools and religions
उच्च शिक्षा	378 Higher education
शिक्षा व राज्य	379 Education and the state
व्यवसाय (व्यापार)	380 Commerce (Trade)
द्वान्तरिक व्यवसाय	381 Internal commerce
द्वान्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय	382 International commerce
डाक संचार	383 Postal communication
संचार के ग्रन्थ साधन	384 Other systems of Communication
रेल-वध परिवहन	385 Rail-road transportation
द्वन्तर्राष्ट्रीय जल व नौका परिवहन	386 Inland waterway & ferry Transportation
जल, नध, नाभकीय परिवहन	387 Water, air, space transportation
स्पल परिवहन	388 Ground transportation
माप विज्ञान व मान निर्धारण	389 Metrology and standardization
रीति रिवाज, शिल्पाचार, लोक गीत	390 Customs, etiquette, Folklore
वेष-भूषा एवं श्चक्षित्व	391 Costume and personal appearance
जीवन वृत्त एवं पारिवारिक जीवन के रीति रिवाज	392 Customs of life cycle and domestic life
मृत्यु सम्बन्धी रीति रिवाज	393 Death customs
सामान्य रीति रिवाज	394 General customs
शिष्टाचार	395 Etiquette (Manners)

	396
	397
लोक गीत	398 Folklore
युद्ध व राजनय के नियम	399 Customs of war & diplomacy
LANGUAGES	
भाषा	400 Language
दर्शन व सिद्धान्त	401 Philosophy and theory
प्रकणिका (विविधा)	402 Miscellany
शब्दकोश आदि	403 Dictionaries and encyclopedias
सामान्य प्रयोज्यता के विशेष विषय	404 Special topics of general applicability
सामयिक प्रकाशन	405 Serial publications
संस्थाएँ	406 Organisations
अध्ययन व शिक्षण	407 Study and teaching
व्यक्ति समूहों के मध्य निरूपण	408 Treatment among group of persons
ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण	409 Historical & geographical treatment
भाषा शास्त्र	410 Linguistics
स्वर लिपी (वर्ण)	411 Notation
शब्द व्युत्पत्ति	412 Etymology
बहुभाषी कोष	413 Polyglot dictionaries
ध्वनि विज्ञान	414 Phonology
व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	415 Structural systems (Grammar)
	416
भाषिका एवं पुरालिपि शास्त्र	417 Dialectology & paleography
उपयोग (व्यावहारिक भाषा शास्त्र)	418 Usage (applied linguistics)
बिना बोली व लिखी शाब्दिक भाषा	419 Verbal language not spoken & written
अंग्रेजी व ऐंग्लो सेक्सन भाषा	420 English & Anglo-Saxon languages
लिखित व कथित तत्त्व	421 Written & spoken element
शब्द व्युत्पत्ति	422 English etymology
शब्द कोश	423 English dictionaries
	424
व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	425 English structural system
	426
अमानक अंग्रेजी	427 Non-standard English
मानक अंग्रेजी उपयोग	428 Standard English usage

ऐंग्लो-सेक्सन (पुरानी अंग्रेजी)	429 Anglo-saxon (old English)
जर्मन भाषाएँ, जर्मनी	430 Germanic languages, German
लिखित व कथित जर्मनी	431 Written & Spoken German
जर्मन व्युत्पत्ति	432 German etymology
जर्मन कोश	433 German Dictionaries]
	434
जर्मन व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	435 German Structural System
	436
प्रमाणिक जर्मन	437 Non-Standard German
मानक जर्मन उपयोग	438 Standard German usage
अन्य जर्मन भाषाएँ	439 Other Germanic languages
रोमन भाषाएँ, फ्रेंच	440 Romance languages, French
लिखित व कथित फ्रेंच	441 Written & spoken French
फ्रेंच व्युत्पत्ति	442 French etymology
फ्रेंच कोश	443 French dictionaries
	444
फ्रेंच व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	445 French structural System
	446
प्रमाणिक फ्रेंच	447 Non-standard French
मानक फ्रेंच उपयोग	448 Standard French usage
प्रोवेंसल व कतेलन	449 Provençal and catalan
इटैलियन, रोमानियन, रैहाटों रोमानिक भाषाएँ	450 Italian, Romanian, Rhaeto-Romantic
लिखित व कथित इटैलियन	451 Written and Spoken Italian
इटैलियन व्युत्पत्ति	452 Italian etymology
इटैलियन कोश	453 Italian dictionaries
	454
इटैलियन व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	455 Italian structural system
	456
प्रमाणिक इटैलियन	457 Non-standard Italian
मानक इटैलियन उपयोग	458 Standard Italian usage
रोमानियन व रैहाटो-रोमानिक स्पेनिश व पुर्तगाली भाषाएँ	459 Romanian & Rhaeto-Romantic
	460 Spanish & Portuguese languages
लिखित व कथित स्पेनिश	461 Written & Spoken spanish
स्पेनिश व्युत्पत्ति	462 Spanish etymology
स्पेनिश कोश	463 Spanish dictionary
	464
स्पेनिश व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	465 Spanish structural system

	466
अमानक स्पेनिश	467 Non standard Spanish
मानक स्पेनिश उपयोग	468 Standard Spanish usage
पुर्तगाली	469 Portuguese
इटैलिक भाषाएँ, लेटिन	470 Italic languages, Latin
लिखित एवं कथित परिनिष्ठ लेटिन	471 Written & spoken Classical Latin
परिनिष्ठ लेटिन व्युत्पत्ति	472 Classical Latin etymology
परिनिष्ठ लेटिन कोश	473 Classical Latin dictionaries
	474
परिनिष्ठ लेटिन व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	475 Classical Latin structural System
	476
पुरानी, अन्तर्गत पश्चात् लेटिन	477 Old, past-classical, vulgar Latin
परिनिष्ठ लेटिन उपयोग	478 Classical Latin usage
अन्य इटैलिक भाषाएँ	479 Other Italic language
हैलेनिक भाषाएँ, ग्रीक	480 Hellenic languages, Classical Greek
लिखित व कथित परिनिष्ठ ग्रीक	481 Written & spoken Classical Greek
परिनिष्ठ ग्रीक व्युत्पत्ति	482 Classical Greek etymology
परिनिष्ठ ग्रीक कोश	483 Classical Greek dictionaries
	484
परिनिष्ठ ग्रीक व्याकरण (संरचना व्यवस्था)	485 Classical Greek structural system
	486
परिनिष्ठतर ग्रीक	487 Past Classical Greek
परिनिष्ठ ग्रीक उपयोग	488 Classical Greek usage
अन्य हैलेनिक भाषाएँ	489 Other Hellenic languages
अन्य भाषाएँ	490 Other languages
पूर्व भारत-यूरोपिय व सेंट्रिक	491 East Indo-European & Celtic
एफ्रो एसियाटिक (हैमिटो-सैमिटिक)	492 Afro-asiatic (Hamito semitic)
हैमिटिक व चाद भाषाएँ	493 Hamitic & Chad languages
यूरो-अल्ताइक, पैसिफिक साइबेरियन इंडो-यूरोपियन	494 Ural-altaic, Paecosiberian, Dravidian
सिनो-तिब्बती व अन्य	495 Sino-Tibetan & others
अफ्रीकन भाषाएँ	496 African languages
उत्तरी अमेरिकन स्थानीय भाषाएँ	497 North American native languages
	ages
दक्षिणी अमेरिकन स्थानीय भाषाएँ	498 South American native languages
अन्य भाषाएँ	499 Other languages

PURE SCIENCES

शुद्ध विज्ञान	500 Pure Science
दर्शन व सिद्धांत	501 Philosophy & theory
प्रकलिका	502 Miscellany
शब्द व विवरण	503 Dictionaries & encyclopedias
	504
सामयिक प्रकाशन	505 Serial publications
संस्थाएँ	506 Organisations
अध्ययन व शिक्षण	507 Study & teaching
यात्रा व सर्वेक्षण	508 Travel & surveys
ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण	509 Historical & geographical treatment
गणित	510 Mathematics
सामान्यताएँ	511 Generalities
बीजगणित	512 Algebra
अंकगणित	513 Arithmetic
स्थल धारण (टोपोलोजी)	514 Topology
विश्लेषण	515 Analysis
रेखा गणित	516 Geometry
	517
	518
सम्भाविकी व व्यावहारिक गणित	519 Probabilities & applied mathematics
खगोल एवं सम्बन्धित विज्ञान	520 Astronomy & Allied Sciences
सैद्धान्तिक खगोल शास्त्र	521 Theoretical astronomy
व्यावहारिक व शरीरीय खगोल शास्त्र	522 Practical & spherical astronomy
वर्णनात्मक खगोल शास्त्र	523 Descriptive astronomy
	524
भूमि (खगोल शास्त्रीय भूगोल)	525 Earth (Astronomical geography)
गणित शास्त्रीय भूगोल	526 Mathematical geography
खगोलीय पर्यटन	527 Celestial navigation
पंचांग	528 Ephemerides (Nautical almanacs)
कालक्रम	529 Chronology (Time)
भौतिक शास्त्र	530 Physics
यांत्रिकी	531 Mechanics
द्रव्य की यांत्रिकी	532 Mechanics of fluids
गैस की यांत्रिकी	533 Mechanics of gases
ध्वनि व सम्बन्धित ध्वनियों	534 Sound & related vibrations

प्रकाश व पैराफोटिक लक्षण	535 Light & paraphotic phenomena
ताप	536 Heat
विद्युत् तथा र्द्युदश्विकी	537 Electricity & electronics
चुम्बकीय विज्ञान	538 Magnetism
ध्राष्टुनिक भौतिक शास्त्र	539 Modern physics
रसायन व संबंधित विज्ञान	540 Chemistry and allied sciences
भौतिक एवं सैद्धांतिक रसायन शास्त्र	541 Physical and theoretical chemistry
प्रयोगशालाएं आदि	542 Laboratories apparatus equipment
विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र	543 Analytical chemistry
गुणात्मक रसायन शास्त्र	544 Qualitative chemistry
मात्रात्मक रसायन शास्त्र	545 Quantitative chemistry
अकार्बनिक रसायन शास्त्र	546 Inorganic chemistry
कार्बनिक रसायन शास्त्र	547 Organic chemistry
केलास विज्ञान	548 Crystallography
खनिज शास्त्र	549 Mineralogy
भू-विज्ञान व ग्रन्थ संसार	550 Sciences of earth & other worlds
भू-गर्भ, ऋतु विज्ञान, जल विज्ञान	551 Geology, meteorology, hydrology
शिला विज्ञान	552 Petrology (Rocks)
धार्मिक भू-विज्ञान	553 Economic geology
योरुप में निरूपण	554 Treatment in Europe
एशिया में निरूपण	555 Treatment in Asia
अफ्रीका में निरूपण	556 Treatment in Africa
उत्तरी अमेरिका में निरूपण	557 Treatment in North America
दक्षिणी अमेरिका में निरूपण	558 Treatment in South America
ग्रन्थ क्षेत्रों व संसार में निरूपण	559 Treatment in other areas & World
पुरा प्राणी शास्त्र	560 Paleontology
वनस्पत्यवशेष शास्त्र	561 Paleobotany
बिना रीढ़ जन्तु अवशेष	562 Fossil invertebrates
प्रोटोजोवा व अन्य सादा अवशेष	563 Fossil Protozoa & other simple animals
कोमल चर्मयुक्त मोलारका	564 Fossil mollusca & Molluscoidea
ग्रन्थ बिना रीढ़ के जीवावशेष	565 Other fossil invertebrates
रीढ़दार जन्तुओं के जीवावशेष	566 Fossil chordata
शीतल रक्तमय (शरीरगुप्त) के जीवावशेष	567 Fossil cold-blooded vertebrates

पक्षियों के जीवावशेष	568 Fossil aves (Fossil birds)
स्तनपायी जीवावशेष	569 Fossil mammalia
जीव विज्ञान	570 Life Sciences
	571
मानव प्रजाती (विज्ञान)	572 Human Races
भौतिक मानव विज्ञान	573 Physical anthropology
जीव विज्ञान	574 Biology
जैविक विकास व उत्पत्ति	575 Organic evolution and genetics
सूक्ष्म जीव विज्ञान	576 Microbes
जीव का सामान्य विवरण	577 General nature of life
जीव विज्ञान में सूक्ष्म दर्शन	578 Microscopy in biology
नमूनों का संग्रह व सुरक्षा	579 Collection & Preservation of Specimens
वनस्पति सम्बन्धी शास्त्र	580 Botanical Sciences
वनस्पति शास्त्र	581 Botany
शुक्रघारो	582 Spermatophyta
द्विबीज पत्री	583 Dicotyledones
एक बीज पत्री	584 Monocotyledones
नग्न बीज-वृक्ष	585 Gymnospermae
पुष्पहीन	586 Cryptogamia
टेरिडोफाइटा	587 Pteridophyta
बायोफाइटा	588 Bryophyta
थैलोफाइटा	589 Thallophyta
प्राणी सम्बन्धी विज्ञान	590 Zoological Sciences
प्राणी विज्ञान	591 Zoology
बिना रीढ़ के जन्तु	592 Invertebrates
प्रोटोसोया व अन्य मादा जीव	593 Protozoa & other simple animal
मोल्लुस्का व मोल्लुस्कोइडा	594 Mollusca & molluscoidea
अन्य बिना रीढ़ के जानवर	595 Other invertebrates
रीढ़दार (कोर डाटा) जीव	596 Chordata
शीतल रक्त मय (सरीसृप) जीव	597 Cold-blooded vertebrates
पक्षी	598 Aves (birds)
स्तनपायी	599 Mammalia (mammals)

TECHNOLOGY (APPLIED SCIENCES)

प्रौद्योगिक (आव्यवहारिक) शास्त्र	600 Technology (Applied sciences)
दर्शन व सिद्धान्त	601 Philosophy and theory
प्रकरणिका	602 Miscellany

शब्दकोश व विश्वकोश	603 Dictionaries and encyclopedias
सामान्य प्रौद्योगिकी	604 General technologies
सामयिकी प्रकाशन	605 Serial Publications
संस्थाएं व संगठन	606 Organisation and Management
अध्ययन व शिक्षण	607 Study and teaching
आविष्कार व एकस्वपत्र	608 Inventions and patents
ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण	609 Historical and geographical treatment
चिकित्सा सम्बन्धी विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र	610 Medical Sciences, Medicine
मानव शरीर रचना शास्त्र	611 Human anatomy, histology, tissues
मानव वैज्ञानिक शास्त्र	612 Human physiology
सामान्य व वैयक्तिक स्वास्थ्य	613 General and personal hygiene
सार्वजनिक स्वास्थ्य व सम्बन्धित	614 Public health and related topics
भेषज व आरोग्य	615 Pharmacology and therapeutics
रोग	616 Diseases
शिल्प चिकित्सा	617 Surgery and related topics
चिकित्सा की अन्य शाखाएं	618 Other branches of medicine
प्रयोगात्मक चिकित्सा	619 Experimental medicine
अभियंत्रणकी एवं सहयोगी क्रियाएं	620 Engineering and allied operations
व्यावहारिक भौतिकी	621 Applied Physics
खनिज एवं सम्बन्धित क्रियाएं	622 Mining and related operations
सैनिक तथा नौ सैनिक अभियंत्रणकी	623 Military and nautical engineering
सिविल अभियंत्रणकी	624 Civil engineering
रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग	625 Railroads, roads, highways
	626
पन अभियंत्रणकी	627 Hydraulic engineering
आरोग्यकारी एवं नगरपालिका	628 Sanitary and municipal
अभियंत्रणकी की अन्य शाखाएं	629 Other branches of engineering
कृषि व सम्बन्धित प्रौद्योगिकी	630 Agriculture and related technologies
फसल एवं पैदावार	631 Crops and their production
बीजों की बीमारियाँ तथा कीड़े	632 Plant injuries, diseases, and pests

खेत की फसलें	633 Field crops
फलोंदान, फल व वन	634 Orchards, fruits, forestry
बाग की फसल, सब्जियाँ	635 Garden crops, vegetables
पशुपालन	636 Animal husbandry
डेयरी व सम्बन्धित प्रौद्योगिकी	637 Dairy and related technologies
कीट पालन	638 Insect culture
न पालने योग्य जानवर व पौधे	639 Nondomestic animals and plants
गृह अर्थशास्त्र व पारिवारिक जीवन	640 Home economics and family living
भोजन व पेय	641 Food and drink
भोजन सेवा	642 Meal and table service
गृह योजना व गृह उपकरण	643 Housing and household equipments
गृह उपयोगिताएँ	644 Household utilities
गृह सज्जा एवं सजावट	645 Furnishing and decorating home
तिलाई, वेशभूषा व व्यक्तिगत जीवन	646 Sewing, clothing, personal living
सार्वजनिक गृह प्रबन्ध	647 Public house hold
घरेलू प्रबन्ध	684 House keeping
शिशु पालन एवं परिचर्या	649 Child rearing and care of sick
प्रबन्धकी एवं सहयोगी सेवाएँ	650 Management and auxiliary services
कार्यालय प्रबन्ध	651 Office services
लिखित संचार प्रक्रिया	652 Written communication processes
मातृलिपि	653 Shorthand
	654
	655
	656
लेखा	657 Accounting
सामान्य प्रबन्ध	658 General management
विज्ञापन एवं जन सम्पर्क	659 Advertising and public relations
रसायनिक व सम्बन्धित प्रौद्योगिकी	660 Chemical and related technologies
उद्योगीय रसायन	661 Industrial chemicals

बिस्फोटक, ईंधन व सम्बन्धित	662 Explosives fuels, related products
पेय प्रौद्योगिकी	663 Beverage technology
भोजन प्रौद्योगिकी	664 Food technology
औद्योगिक तेल, चरबी, मोम, गैस	665 Industrial oils, fats, waxes, gases
मिट्टी व सहयोगी प्रौद्योगिकी	666 Ceramic and allied technology
सफाई व रंगाई, अन्य प्रौद्योगिकी	667 Cleaning, color, other technologies
अन्य कार्बनिक उत्पादन	668 Other organic products
धातु विज्ञान	669 Metallurgy
शिल्पकारी	670 Manufactures
धातु शिल्पकारी	671 Metal manufactures
लोहा धातु शिल्पकारी	672 Ferrous metal manufactures
अलोह धातु शिल्पकारी	673 Non-ferrous metal manufactures
भार, केकि, लकड़ी प्रौद्योगिकी	674 Lumber, cork, wood technologies
चर्म, फर उद्योग	675 Leather and fur technology
कागज उद्योग	676 Pulp and paper technology
कपड़ा उद्योग	677 Textiles
इलेस्टमर (स्टर) और उत्पादन	678 Elastomers and their products
अन्य उत्पादन	679 Other products of specific materials
विशिष्ट उपयोग के शिल्प	680 Manufacture for specific uses
सूक्ष्म व अन्य औजार	681 Precision and other instruments
छोटे लुहार के कार्य	682 Small forge work
सोह पदार्थ एवं गृह उपकरण	683 Hardware and household appliances
सज्जा व गृह वस्तु निर्माण	684 Furnishing and home workshops
चमड़ा व फर का सामान	685 Leather and fur goods
मुद्रण व सम्बन्धित क्रियाएँ	686 Printing and related activities
परिधान (कपड़ा)	687 Clothing
अन्य पूर्ण उत्पाद	688 Other final products
	689
भवन	690 Buildings
भवन निर्माण सामग्री	691 Building materials

सहायक निर्माण क्रियाएँ	692 Auxiliary construction practices
विशिष्ट सामग्री द्वारा निर्माण	693 Construction in specific materials
सकड़ी निर्माण व बढ़ईगीरी	694 Wood construction, carpentry
छत ढालने का काम	695 Roofing
सुविधाएँ	696 Utilities
गर्मी, ठण्ड, रोशनी, वायु संतुलन	697 Heating, ventilating, air conditioning
विस्तृत सम्पूर्ण कार्य	698 Detail finishing
	690
	THE ARTS
कलाएँ	700 The arts
दर्शन व सिद्धान्त	701 Philosophy and theory
प्रकणिका	702 Miscellany
शब्द व विश्वकोश	703 Dictionaries and encyclopaedias
सामान्य निरूपण के विशिष्ट विषय	704 Special topics of general applicability
सामयिक प्रकाशन	705 Serial publications
संस्थाएँ व संगठन	706 Organisation and management
अध्ययन व शिक्षण	707 Study and teaching
कला भवन, संग्रहालय व कला संग्रह	708 Galleries, museums, art collection
ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण	709 Historical and geographical treatment
नगरीय एवं भूदृश्य कला	710 Civic and landscape art
क्षेत्र योजना	711 Area planning (civic art)
भूदृश्य चित्र	712 Landscape design
भावागमन के लिये भूदृश्य	713 Landscape design for traffic-ways
पत्तगुण	714 Water features
सकड़ी वाले पौधे	715 Woody plants
जड़ी बूटी वाले पौधे	716 Herbaceous plants
बनावट	717 Structures
शवस्थान के भूदृश्य चित्र	718 Landscape design of cemeteries
प्राकृतिक भूदृश्य	719 Natural landscapes
स्थापत्य कला	720 Architecture
स्थापत्य निर्माण	721 Architectural construction

प्राचीन एवं पूर्व देशीय स्थापत्य कला	722 Ancient and ariental architec- ture
मध्ययुगीन स्थापत्य कला	723 Medieval architecture
आधुनिक स्थापत्य कला	724 Modern architecture
लोक निर्माण	725 Public structures
धार्मिक भवन	726 Building for religious purposes
शिक्षा व शोध के लिए भवन	727 Buildings for education and research
निवास गृह	728 Residential buildings
बनावट व सजावट	729 Design and decoration
प्लास्टिक कला, मूर्तिकला	730 Plastic art, Sculpture
प्रस्तुतिकरण व निरूपण	731 Processes and representations
साक्षरता पूर्व, प्राचीन, पूर्वदेशीय	732 Nonliterate, ancient, oriental
ग्रीक, एट्रुस्कान, रोमन	733 Greek, Etruscan Roman
मध्ययुगीन मूर्तिकला	734 Medieval sculpture
आधुनिक मूर्तिकला	735 Modern sculpture
मक्काशी	736 Carving and carvings
मुद्राशास्त्र व मोहरबिद्या	737 Numismatics and sigillography
कुम्हार, कला (मूर्ति)	738 Ceramic art
धातु मूर्ति कला	739 Art Metal work
रेखाचित्र, अलंकरण व अन्य गौण कलाएँ	740 Drawing and decoration and minor art
रेखाचित्र व रेखा चित्रण	741 Drawing and drawings
परिपेक्ष्य	742 Perspective
विषयानुसार रेखाचित्र व चित्रण	743 Drawing and drawings by Subject
	744
अलंकरण व गौण कलाएँ	745 Decoration and minor art
वस्त्र कला व हस्तशिल्प	746 Textile art and handicrafts
आन्तरिक अलंकरण (सज्जा)	747 Interior decoration
कांच शिल्प	748 Glass
कर्नीचर व अन्य उपकरण	749 Furniture and accessories
चित्र एवं चित्रकला	750 Painting and paintings
प्रस्तुतीकरण व विधा	751 Processes and forms
रंग	752 Color
प्रमूर्त, प्रतीकात्मक, पौराणिक	753 Abstractions, symbolism, legend
दैनिक जीवन से सम्बन्धित विषय	754 Subjects of everyday life

धर्म व धार्मिक प्रतीकवाद	755 Religion and religious symbolisms
ऐतिहासिक घटना	756 Historical events
मानव चित्र एवं अंश	757 Human figures and their parts
अन्य विषय	758 Other subjects
ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण	759 Historical and geographical treatment
घाकीय कला, मुद्रण	760 Graphic arts prints
हालने की प्रक्रिया	761 Relief processes
	762
सीधोप्राची प्रक्रिया	763 Lithographic processes
रब से छापने की कला	764 Chromolithography and serigraphy
	765 Metal engraving
चित्रांकन पद्धति तथा फोटोत्कारण	766 Mezzotinting and aquatinting
रम्ल लेखन तथा सूखे मुद्रणाक्षर	767 Etching and dry prints
	768
मुद्रक	769 Printer
फोटोप्राची व फोटोप्राफस	770 Photography and photographs
उपकरण व सामान	771 Apparatus, Equipment, material
धातु विघलाने की प्रक्रिया	772 Metallic salt process
रंजक प्रक्रिया	773 Pigment processes
होलोग्राफी	774 Holography
	775
	776
	777
फोटोग्राफी के विशिष्ट क्षेत्र	778 Specific fields of Photography
फोटोग्राफस	779 Photographs
संगीत	780 Music
सामान्य सिद्धान्त	781 General principles
नाटकीय संगीत	782 Dramatic music
द्विध्व संगीत	783 Sacred music
कंठ संगीत	784 Voice & Vocal music
यांत्रिक उपकरण व संगीत	785 Instrumental ensembles & their music
की बोर्ड उपकरण व संगीत	786 Keyboard instruments & their music
ठाठ के उपकरण व संगीत	787 String instruments & their music

हवा के उपकरण व संगीत	788 Wind instruments & their music
वायु, यांत्रिक व विद्युतीय	789 Percussion, mechanical & electrical
मनोरंजन व अभिनय कला	790 Recreational & performing arts
सार्वजनिक अभिनय	791 Public performances
रंगशाला (स्टेज अभिनय)	792 Theatre (stage presentation)
घरेलू खेल तथा मनोरंजन	793 Indoor games and amusements
चातुर्यपूर्ण खेल	794 Indoor games of skill
सम्भावनापूर्ण खेल	795 Games of chance
दौड़ भाग व बाहर के खेल	796 Athletic & outdoor sports & games
जल व वायु क्रीड़ा	797 Aquatic & air sports
घुड़सवारी व जानवर दौड़	798 Equestrian sports & animal racing
मछली शिकार, शिकार व गोली चलाना	799 Fishing, hunting & shooting

LITERATURE (Belles-lettres)

साहित्य (ललित साहित्य)	800 Literature (Belles-letters)
दर्शन व सिद्धान्त	801 Philosophy & theory
साहित्य सम्बन्धी प्रकाशिका	802 Miscellany about-literature
शब्द कोश व विश्वकोश	803 Dictionaries & encyclopedias
	804
सामयिक प्रकाशन	805 Serial publication
संस्थाएँ	806 Organisations
अध्ययन व शिक्षण	807 Study teaching
अलंकार-शास्त्र व संग्रह	808 Rhetorics & collection
ऐतिहासिक विवरण, आलोचना	809 History, description & critical appraisal
अंग्रेजी भाषा में अमेरिकन साहित्य	810 American literature in English
कविता	811 Poetry
नाटक	812 Drama
कहानी	813 Fiction
लेख	814 Essay
भाषण	815 Speeches
पत्र	816 Letters
व्यंग्य व हास्य	817 Satire & humour
विविध लेख	818 Miscellaneous writings
	819

ग्रंथों व ऐंग्लो सैक्सन साहित्य	820 English and Anglo-saxon Literature
कविता	821 Poetry
नाटक	822 Drama
कहानी	823 Fiction
लेख	824 Essay
भाषण	825 Speeches
पत्र	826 Letters
भ्यंग व हास्य	827 Satire & Humour
विविध लेख	828 Miscellaneous writings
ऐंग्लो सैक्सन	729 Anglo-saxon (old english)
अर्धन भाषा साहित्य	830 Literature of Germanic languages
कविता	831 Poetry
नाटक	832 Drama
कहानी	833 Fiction
लेख	834 Essay
भाषण	835 Speeches
पत्र	836 Letters
भ्यंग्य व हास्य	837 Satire and humour
विविध लेख	838 Miscellaneous writings
अन्य जर्मनिक साहित्य	839 Other Germanic literature
रोमांस भाषाओं का साहित्य, फ्रेंच	840 Literature of Romance languages, French
कविता	841 Poetry
नाटक	842 Drama
कहानी	843 Fiction
लेख	844 Essay
भाषण	845 Speeches
पत्र	846 Letters
भ्यंग व हास्य	847 Satire and humour
विविध लेख	848 Miscellaneous writings
प्रोवेन्सल तथा काटालन	849 Provençal and catalan
इटैलियन, रोमानियन, रेंहाटो-रोमांटिक	850 Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic
कविता	851 Poetry
नाटक	852 Drama
कहानी	853 Fiction
लेख	854 Essays

भाषण	855 Speeches
पत्र	856 Letters
व्यंग्य व हास्य	857 Satire and humour
विविध लेख	858 Miscellaneous writings
रोमानियन, रूहाटों-रोमानिक	859 Romanian and Rhaeto-Romanic
स्पेनिश, पोर्तुगीज साहित्य	860 Spanish & Portuguese Literature
कविता	861 Poetry
नाटक	862 Drama
कहानी	863 Fiction
लेख	864 Essays
भाषण	865 Speeches
पत्र	866 Letters
व्यंग्य व हास्य	867 Satire and humour
विविध लेख	868 Miscellaneous
पोर्तुगीज	869 Portuguese
इटैलिक साहित्य, लेटिन	870 Italic Literature, Latin
कविता	871 Poetry
नाटकीय कविता व नाटक	872 Dramatic poetry and drama
महाकाव्य व कहानी	873 Epic poetry and fiction
गीतकाव्य	874 Lyric poetry
भाषण	875 Speeches
पत्र	876 Letters
व्यंग्य व हास्य	877 Satire and humour
विविध लेख	878 Miscellaneous writings
अन्य इटैलिक भाषाएँ	879 Other Italic languages
हैलेनिक साहित्य, ग्रीक	880 Hellenic literatures, Greek
परिनिष्ठ कविता	881 Classical poetry
परिनिष्ठ नाटक	882 Classical drama
परिनिष्ठ महाकाव्य	883 Classical epic poetry
परिनिष्ठ गीतकाव्य	884 Classical lyric poetry
परिनिष्ठ भाषण	885 Classical speeches
परिनिष्ठ पत्र	886 Classical letters
परिनिष्ठ व्यंग्य व हास्य	887 Classical satire and humour
परिनिष्ठ विविध लेख	888 Classical miscellaneous writings
आधुनिक ग्रीक	889 Modern Greek
अन्य भाषाओं का साहित्य	890 Literatures of other languages
पूर्व भारत-यूरोपीय व सेल्टिक	891 East Indo-European and celtic
एफ्रो एशियाटिक (हैमिटो सेमिटिक)	892 Afro Asiatic (Hamito semitic)

हेमाटिक व चाड साहित्य	893 Hamatic and Chad literatures
यूराल-आल्टिक, पैलेसोसाइ-वेरियन दृष्टिमान	894 Ural-altaic, Paleosiberian, Dra- vidian
सिनो-तिब्बतन व अन्य एशियन	895 Sino-Tibetan and other Asian
अफ्रीकन साहित्य	896 African literatures
उत्तरी अमेरिकन स्थानीय साहित्य	897 North American native literature
दक्षिण अमेरिकन स्थानीय साहित्य	898 South American native literature
अन्य साहित्य	899 Other literatures

GENERAL GEOGRAPHY AND HISTORY

सामान्य भूगोल व इतिहास	900 General geography & history
सामान्य इतिहास का दर्शन	901 Philosophy of general history
सामान्य इतिहास की प्रकृतिका	902 Miscellany of general history
सामान्य इतिहास के कोश	903 Dictionaries of general history
घटनाओं का संग्रहित विवरण	904 Collected account of events
सामान्य इतिहास के सामयिक प्रकाशन	905 Serials on general history
सामान्य इतिहास की संस्थाएँ	906 Organisations of general history
सामान्य इतिहास का अध्ययन व शिक्षण	907 Study and teaching of general history
	908
सामान्य विश्व इतिहास	909 General world history
सामान्य भूगोल, यात्रा	910 General geography, Travel
ऐतिहासिक भूगोल	911 Historical geography
भूमि का चित्रित विवरण	912 Graphic representations of earth
प्राचीन विश्व का भूगोल	913 Geography of ancient world
यूरोप	914 Europe
एशिया	915 Asia
अफ्रीका	916 Africa
उत्तर अमेरिका	917 North America
दक्षिण अमेरिका	918 South America
विश्व के अन्य भाग	919 Other areas of world
सामान्य जीवनी एवं वंशावली	920 General biography & geneology
दार्शनिक व मनोविज्ञानिक	921 Philosophers and psychologists
धार्मिक नेता, विचारक आदि	922 Religious leaders, thinkers or workers
समाज वैज्ञानिक	923 Social scientists
भाषा वैज्ञानिक व शोधकार	924 Philologists and lexicographer

वैज्ञानिक	925 Scientists
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ	926 Persons in technology
कलाकार, मनोरंजन कर्त्ता	927 Persons in arts and recreation
साहित्यकार	928 Persons in literature
वंशावली, नाम व इनसिगनिया	929 Genealogy, names, insignia

ANCIENT WORLD

प्राचीन विश्व का इतिहास	930 General history of ancient world
चीन	931 China
मिस्र	932 Egypt
फिलिस्तीन	933 Palestine
भारत	934 India
मेसोपोटामिया एवं ईरानी पठार	935 Mesopotamian & Iranian plateau
उत्तरी व पश्चिमी योरोप	936 Northern and western Europe
इतालवी प्रायद्वीप व नजदीकी क्षेत्र	937 Italian peninsula and adjacent areas
ग्रीस	938 Greece
विश्व के अन्य भाग	939 Other parts of the world

MODERN WORLD

यूरोप का इतिहास	940 General history of Europe
ब्रिटिश द्वीप समूह	941 British Isles
इंग्लैण्ड व वेल्स	942 England and Wales
मध्य यूरोप जर्मनी	943 Central Europe Germany
फ्रांस	944 France
इटली	945 Italy
आईबेरियन प्रायद्वीप स्पेन	946 Iberian Peninsula, Spain
पूर्वी यूरोप, सोवियत संघ	947 Eastern Europe, Soviet union
उत्तरी यूरोप स्कैन्डीनेविया	948 Northern Europe, Scandinavia
यूरोप के अन्य भाग	949 Other parts of Europe
एशिया का इतिहास	950 General history of Asia
चीन व निकटवर्ती क्षेत्र	951 China and adjacent areas
जापान व निकटवर्ती द्वीप	952 Japan and adjacent island
अरेबियन प्रायद्वीप व निकटवर्ती क्षेत्र	953 Arabian peninsula and adjacent areas
दक्षिण एशिया, भारत	954 South Asia, India
ईरान (फारस)	955 Iran (Persia)
मध्य पूर्व (निकट पूर्व)	956 Middle East (Near east)
साइबेरिया (एशियाई रूस)	957 Siberia (Asiatic Russia)
मध्य एशिया	958 Central Asia

दक्षिण पूर्व एशिया	959 South East Asia
अफ्रीका का इतिहास	960 General history of Africa
उत्तरी अफ्रीका	961 North Africa
मिस्र व सूडान	962 Egypt and Sudan
ईथियोपिया (एबीसीनिया)	963 Ethiopia (Abyssinia)
उत्तर-पश्चिमी किनारा व तट दूर द्वीप	964 North West coast and offshore Islands
अल्जीरिया	965 Algeria
पश्चिमी अफ्रीका व तटदूर द्वीप	966 West Africa and offshore Island
मध्य अफ्रीका द्वीप	967 Central Africa and offshore Islands
दक्षिणी अफ्रीका	968 Southern Africa
दक्षिणी हिन्द महासागर द्वीप	969 South Indian ocean Islands
उत्तरी अमेरिका का इतिहास	970 General history of North America
कनाडा	971 Canada
मध्य अमरीका मैक्सिको	972 Middle America, Mexico
संयुक्त राज्य	973 United States
उत्तर-पूर्वी संयुक्त राज्य	974 North-eastern United States
दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य	975 South-eastern United State
दक्षिण-मध्य संयुक्त राज्य	976 South-central United States
उत्तर-मध्य संयुक्त राज्य	977 North central United States
पश्चिमी संयुक्त राज्य	978 Western United States
ग्रेट बेसिन व प्रशांत स्लोप	979 Great Basin and Pacific slope
दक्षिण अमेरिका का इतिहास	980 General history of South America
ब्राजील	981 Brazil
अर्जेंटीना	982 Argentina
चिली	983 Chile
बोलिविया	984 Bolivia
पेरू	985 Peru
कोलम्बिया व इक्वेडर	986 Columbia and Ecuador
वेनेजुला	987 Venezuela
गियाना	988 Guiana
परागुआ व उरुगुवा	989 Paraguay and Uruguay
अन्य क्षेत्रों का इतिहास	990 General history of other areas
	991
	992
न्यूजीलैण्ड व मेलनेशिया	993 New Zealand and Melnesia
ऑस्ट्रेलिया	994 Australia

प्युनिती (फ़ुपुआ)	995 New Guinea (Papua)
प्रशांत के धन्य भाग	996 Other parts of Pacific, Polynesia
अटलांटिक महासागर द्वीप	997 Atlantic ocean Islands
उत्तर व दक्षिण ध्रुव	998 Arctic islands and Antarctica
भू मंडलेतर विश्व	999 Extra-terrestrial world

इस प्रकार देसीमल वर्गीकरण में ज्ञान के प्रथम तीन स्तरों का विभाजन व्यापक वर्ग, मुख्य वर्ग तथा आधार वर्गों में किया गया है। तदुपरांत चौथे, पांचवें, छठे, एव उप्तमे धागे के स्तर विभाजन के लिए (प्र) गणना विधि (Enumeration Device), (ब) योग विधि (Add device) (स) मानक उपविभाजन (Standard subdivisions), (द) भौगोलिक विभाजन (Area division) एवं (च) धन्य सारणीय विभाजन (Table divisions) का उपयोग कर किया गया है। उपरोक्त वर्णित विधियों के पांच-पांच उदाहरण दिये जा रहे हैं—

(प्र) गणना युक्ति (Enumeration Device)

- (1) 355 सैनिक कला कोशल (Military Art and Science)
 - 355.1 सैनिक जीवन एवं उसके पश्चात् लाभ (Military life and post military benefits)
 - 355.11 सेवाकाल एवं उसका समापन (Service periods and their termination)
 - 355.111 सेवाकाल की अवधि (Length of service)
 - 355.112 पदोन्नति (Promotion) और अवतरति (Demotion)
- (2) 331 श्रम अर्थशास्त्र (Labour economics)
 - 331.2 वेतन, घंटे (कार्यकाल) सेवा की अन्य शर्तें (Wages, hours, other conditions of employment)
 - 331.25 घंटे (कार्य काल) एवं सेवा की अन्य शर्तें (Hours and other conditions of employment)
 - 331.257 घंटे (कार्यकाल) (Hours)
 - 331.257 2 कार्य दिवस एवं सप्ताह (Work day and week)
 - 331.257 22 कार्य सप्ताह (Work week)
 - 331.257 23 कार्य दिवस (Work day)
- (3) 621 व्यावहारिक भौतिकी Applied physics)
 - 621.3 विद्युत् चुम्बकीय एवं अभियांत्रिकी की सम्बन्धित अन्य शाखाएँ (Electromagnetic and related branches of engineering)
 - 621.38 वैद्युत्चिक एवं संचार अभियांत्रिकी (Electronic and Communication engineering)
 - 621.381 वैद्युत्चिक अभियांत्रिकी (Electronic engineering)
 - 621.381 3 अणुतरंग वैद्युत्चिक (Microwave electronics)

- (4) 658 सामान्य प्रबन्धन (General Management)
 658 1 संगठन व वित्त (Organisation and finance)
 658·11 व्यवसायिक उपक्रम का सृजन
 (Initiation of business enterprises)
 658·114 संगठन स्वामित्व के रूप
 (Forms of ownership organisation)
 658·114 2 साझेदारी (Partnership)
 (4) 737 मुद्रा विषयक (Numismatics)
 737·2 पदक बिना फलक व सम्बन्धित वस्तु (Medals, medallion,
 related objects)
 737·22 पदक (Medals)
 737·223 नागरिक व सैनिक पदक
 (Civilian and military medals)
 (5) 778 फोटोग्राफी (Photography)
 778·3 विशेष प्रकार की फोटोग्राफी
 (Special kind of photography)
 778·32 फोकस पर आधारित फोटोग्राफी
 (Photography in terms of Focus)
 778·324 निकट शाट फोटोग्राफी
 (Close-up photography)

(घ) योग विधि (Add Device)

- 156 तुलनात्मक मनोविज्ञान
 (Comparative psychology)
 156·2 जानवरों का तुलनात्मक शारीरिक मनोविज्ञान
 (Comparative physiological psychology of animals)

उपरोक्त वर्णित विभाजन के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश दिया गया है :

[आधार संख्या 156·2 में वर्ष संख्या 152·1 - 152·8 के संख्या 152 के पश्चात्
 आने वाले वर्कों को जोड़े] अर्थात् *Add to base number 156·2 the numbers
 following 152 in 152·1 - 152·8* इस प्रकार

जानवरों के तुलनात्मक शारीरिक मनोविज्ञान

- 156·2 में 152·1 संवेदना (Sensory perception)
 152·3 गतिशीलता (Movement function)
 152·4 संवेद एवं भावना (Emotion and feeling)
 152·5 शारीरिक संवेद (Physiological drive)
 152·8 गुणात्मक मनोविज्ञान (Quantitative psychology)

अथवा इनके अनुभागों में से संख्या 152 को छोड़कर जोड़े जा सकते हैं

जैसे—

- 156·21 जानवरों में संवेदना

- 156·23 जानवरों में गतिशीलता
 156·24 जानवरों में संवेग एवं भावना
 156·25 जानवरों में शारीरिक संवेग
 156·28 जानवरों का गुणात्मक मनोविज्ञान

उपरोक्त वर्गीक में

156 2+[152] 1 - 8 तक के अंक जोड़े गये हैं। 152 अंक को छोड़ दिया गया है।

(2) 338 उत्पादन (Production)

338·1 कृषि उत्पादन (Agricultural Production)

338 13 आर्थिक पहलू, मूल्य (Financial aspects, prices)

[आधार संख्या 338 13 में वर्ग संख्या 633-638 के संख्या 63 के पश्चात् आने वाले अंकों को जोड़ो] अर्थात् Add to base number 338 13 the numbers following 63 in 633 - 638

633 - 638 के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषि उत्पादन आते हैं जैसे

- 633·11 गेहूँ (Wheat)
 633·18 चावल (Rice)
 633·6 चीनी (Sugar)
 634·11 सेब (Apple)
 635 15 मूली (Radishes)

इस प्रकार

338·133 11 गेहूँ का मूल्य (Price of Wheat)

338·13+[63] 311

338·133 18 चावल का मूल्य (Price of Rice)

338 13+[63] 318

338·133 6 चीनी का मूल्य (Price of Sugar)

338·13+[63] 36

338·134 11 सेब का मूल्य (Price of Apple)

339 13+[63] 411

338 135 15 मूली का मूल्य (Price of Radishes)

338·13+[53] 515

(3) इसी प्रकार योग युक्ति में एक और निर्देश दिया होता है जहाँ वर्गीकार को 001 से 999 तक के अंकों को जोड़ने का आदेश होता है [Add 001 - 999 to base number] अर्थात् आधार संख्या में 001 से 999 तक के अंक जोड़ो, जैसे

338·4 द्वितीयक उद्योग (Secondary industries)

338·43 आर्थिक पहलू, मूल्य (Financial aspects, Prices)

आधार संख्या 338 43 में संख्या 001 - 999 तक के अंक जोड़ो [Add 001 - 999 to base numbers 338 43]

इस प्रकार

- | | मूल्य | मोटर गाड़ी, कार आदि |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (i) | 338·43 Prices + 629 2 Automobiles. | |
| | = 338·436 292 | मोटर गाड़ी कार आदि का मूल्य
(Price of automobiles) |
| (ii) | 338 43 मूल्य + 666 5 चाइना पौटरी (China Pottery) | |
| | = 338 436 665 | चाइना पौटरी का मूल्य
(Prices of China Pottery) |
| (iii) | 338·43 + 771·3 = कैमरा | |
| | 338·437 713 | कैमरे का मूल्य (Price of camera) |
| (iv) | 338·43 + 621·388 = टेलीविजन का मूल्य | |
| | = 338 436 213 88 | (Price of Television) |
| (v) | 338 43 + 641·61 = परिरक्षित भोजन (Preserved food) | |
| | = 338·436 4161 | परिरक्षित भोजन का मूल्य
(Price of preserved food) |

(4) योग युक्ति (Add device) के अन्तर्गत दृश्यतत्त्व वर्गीकरण में तीसरे प्रकार के निर्देश का समावेश किया गया है। यह इस प्रकार है :

* से चिह्नित प्रत्येक उपविभाजन में निम्न प्रकार जोड़ो :—

Add to each subdivision identified by * as follows :—

(1) 351 724 Tax administration कर व्यवस्था * से चिह्नित प्रत्येक उप-विभाजन में जोड़ो।

1. निर्धारण (Assessment)

2. संग्रहण (Collections)

इस प्रकार

351·724 3 * व्यक्तिगत सम्पदा कर (Personal property taxes)

351 724 4 * आय-कर (Income tax)

351·724 71 * आबकारी कर (excise taxes)

उपरोक्त वर्णित निर्धारण व संग्रहण के लिये अंक 1 व 2 जोड़ देंगे जैसे—

351·724 41 आय-कर निर्धारण

351 724 42 आय-कर संग्रहण

351·724 71 आबकारी कर निर्धारण

351·724 72 आबकारी कर संग्रहण

(2) 362-363 विशिष्ट सामाजिक समस्याएँ एवं सेवाएँ

* से चिह्नित प्रत्येक उपविभाजन में निम्न प्रकार जोड़ो

[Add to each subdivision identified by * as follows]

1 सामाजिक कारण Social causes

2 सीमाएँ Boundries

3 सामाजिक प्रभाव Social effect

5 सामाजिक क्रिया Social action

[अंक 5 में 361.2 - 361.8 तक के अंकों में से 361 के अन्वय में आने वाले अंक जोड़ें]

अर्थात्—क्रिया

52 सामाजिक क्रिया (Social action)

53 सामाजिक कार्य (Social work)

54 समूह कार्य (Group work)

56 लोक क्रिया (Public action)

57 निजी क्रिया (Private action)

58 सामुदायिक क्रिया (Community action)

उपरोक्त सभी अंकों में से सख्या 361 को छोड़ दिया गया है अंताकि निम्नलिखित

उदाहरण से स्पष्ट है—

$$5 + [361] \cdot 2 = 52$$

$$5 + [361] \cdot 3 = 53$$

$$5 + [361] \cdot 4 = 54$$

$$5 + [361] \cdot 6 = 56$$

$$5 + [361] \cdot 7 = 57$$

$$5 + [361] \cdot 8 = 58$$

6-8 क्रिया के विशिष्ट रूप (Specific form of action)

6 नियंत्रण (Control)

7 निवारण (Prevention)

72 निवारक उपाय (Prevention measures)

75 सुरक्षा उपाय (Safety measures)

8 उपचारी उपाय, सेवाएँ व सहायता (Remedial measures, services and assistance)

81 बचाव कार्य (Rescue operations)

82 वित्तीय सहायता (Financial assistance)

83 प्रत्यक्ष सहायता (Direct relief)

84 नियोजन सेवाएँ (Employment Services)

85 अवासीय सुविधा (Residential care)

86 परामर्श एवं निर्देशन (Counselling and guidance)

उपरोक्त वर्णित अंकों को 362-363 के ऐसे उप-विभाजनों के साथ जोड़ा जा सकता है जहाँ * का चिह्न लगा हो जैसे—

(1) 362.292 शराब पीने की आदत (Alcoholism)

$$\frac{362.292 + 7}{362.292 \cdot 7}$$

छुड़ाना (Prevention)

(2) 362.293 मादक-द्रव्य व्यसन (Drug addiction)

362.293 86 परामर्श व निर्देशन (Counselling Etc)

(3) 362.3 मानसिक मंदन (Mental retardation)

$$\frac{362.3 + 5 + [361] \cdot 4}{362.354} \text{ समूह कार्य (Group work)}$$

$$\frac{362.3 + 82}{362.382} \text{ वित्तीय सहायता (Financial assistance)}$$

(4) 362.83 स्त्रियों की समस्याएँ (Problems of women)

362.83.93 अविवाहित माताएँ (Un-married mothers)

+75 सुरक्षा उपाय (Safety measures)

362.839.375

(5) 362.88 अपराध पीड़ित (Victims of crimes)

+83 प्रत्यक्ष सहायता (Direct relief)

362.888.3

दशमसहस्र वर्गीकरण प्रणाली में इस प्रकार के निर्देश स्वानुचयन पर दिये गये हैं तथा वर्गीकरण को निर्देशानुसार योग्य मुक्ति का उपयोग करना चाहिए।

(स) मानक उपविभाजन (Standard Subdivisions) (Table I)

दशमसहस्र वर्गीकरण पद्धति में मानक उपविभाजनों का वर्गन सारणी संख्या प्रथम में किया गया है एवं यह निर्देश दिया गया है निम्नलिखित श्रेणियों का उपयोग कभी स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनको किसी भी आधार संख्या के साथ जोड़ा जा सकता है। साधारणतः मानक उप विभाजन श्रेणियों को किसी भी आधार संख्या के साथ 0 लगा कर सीधा जोड़ा जा सकता है एवं इसी कारण मानक उप विभाजनों के साथ निम्न प्रकार 0 श्रेणी का उपयोग किया गया है। अतः

01 दर्शन व सिद्धान्त (Philosophy and theory)

02 प्रकीर्णिका (Miscellany)

03 शब्दकोश विश्वकोश, शब्दानुक्रमिका (Dictionaries, Encyclopedias, Concordances)

04 सामान्य प्रयोज्यता के विशेष विषय (Special topics of general applicability)

05 सामयिक प्रकाशन (Serial publications)

06 संस्थाएँ एवं प्रशासन (Organisations and management)

07 अध्ययन व शिक्षण (Study and teaching)

08 व्यक्ति समूहों के मध्य विषय का ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक निरूपण (History and description of the subject among group of persons)

09 ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण (Historical and geographical treatment)

090 ऐतिहासिक काल (Historical periods)

0901 499 AD तक

0902 500—1499 AD तक

0903 प्राच्युनिक काल 1500—

0904 1900—1999 AD

0905 21वीं शताब्दी 2000—2099 AD

091 सामान्य क्षेत्रीय, प्रादेशिक व सामान्य, स्थानीय निरूपण (Treatment by areas, regions and places in general)

092 विषय से सम्बन्धित व्यक्ति (Persons associated with subject)

093-099 विशिष्ट महाद्वीप, देश, स्थल तथा अवर-स्थलीय संसारिक निरूपण (Treatment by specific continents, countries, localities, extraterrestrial worlds)

उपरोक्त वणित मानक उप विभाजनों एवं उनके अन्तर, उप विभाजनों का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार किया जा सकता है :—

(1) 001 ज्ञान (Knowledge)

001+01 दर्शन व सिद्धान्त (Philosophy and theory)

=001·01 ज्ञान का दर्शन (Philosophy of knowledge)

(2) 020 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (Library and information science)

+03 शब्दकोश, विश्वकोश (Dictionaries, encyclopedias)

020·3 Dictionary and encyclopedia of library and information Science

(3) 100 दर्शन शास्त्र (Philosophy)

+01 सिद्धान्त (Theory)

101 दर्शन शास्त्र के सिद्धान्त (Theory of Philosophy)

(4) 400 भाषा शास्त्र (Languages)

+01 दर्शन व सिद्धान्त (Philosophy and theory)

401 भाषा का दर्शन व सिद्धान्त (Philosophy and theory of languages)

(5) 500 शुद्ध विज्ञान (Pure Sciences)

+01 दर्शन व सिद्धान्त (Philosophy and theory)

501 शुद्ध विज्ञान का दर्शन व सिद्धान्त (Philosophy and theory of pure sciences)

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्यतः एक 0 का उपयोग कर मानक उप विभाजनों को किसी भी वर्ग के साथ प्रयोजित किया जा सकता है। यही नहीं किसी वर्ग में यदि पहले से ही 0 उपलब्ध है तो उन्हें हटाया जा सकता है; जैसे—

001+01=001·01

$$020 + 01 = 020 \cdot 1$$

$$100 + 01 = 101$$

$$400 + 01 = 401$$

$$500 + 01 = 501$$

उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इस नियम का अपवाद किया गया है। उपरोक्त नियम के अपवाद स्वरूप निम्न उदाहरण प्रस्तुत हैं :

(i) 0 को मिटाकर (Omit 0)

(ii) Use 001 - 009

(iii) Use 0001 - 0009

कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 00001 - 00009 का उपयोग भी किया गया है।
उदाहरणस्वरूप :—

(i) 666·3 कुम्हारगिरी (Pottery)
666 31-39

माघार संख्या 666·3 में सारणी संख्या-1 'मानक उप विभाजन संख्या 01 - 09 तक के अंक 0 हटाकर जोड़े [Add to base number 666·3 the numbers following 0 in "Standard subdivisions" notation 01 - 09 from table 1]

मत:

666·3 + φ1 = 666·31 कुम्हारगिरी—दर्शन व सिद्धान्त

666·3 + φ2 = 666·32 कुम्हारगिरी—प्रकीर्णिका

666·3 + φ3 = 666·33 कुम्हारगिरी—शब्दकोश आदि

666·3 + φ5 = 666·35 कुम्हारगिरी—सामयिकी प्रकाशन

666·3 + φ6 = 666·36 कुम्हारगिरी—संस्मार्ण

666·3 + φ7 = 666·37 कुम्हारगिरी—ग्रन्थपत्र व शिक्षण आदि।

(ii) मानक उप विभाजन के लिये 001 - 009 तक का उपयोग करें :—

[Use 001 - 009 for standard subdivision notation from Table 1]

उपरोक्त निर्देश में कहीं-कहीं 001 - 008 तक के अंकों का उपयोग करने का प्रावधान भी है तथा भौगोलिक व ऐतिहासिक निरूपण (Historical and Geographical treatment) के लिये कहीं 09 का उपयोग करना है एवं कहीं केवल 9 का उपयोग करना है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण स्थिति को स्पष्ट करते हैं :—

(1) 021 पुस्तकालय सम्बन्ध (Library relationships)

·001 - 008 मानक उप विभाजन (Standard subdivision notation table 1)

·009 ऐतिहासिक एवं भौगोलिक निरूपण

इस प्रकार

021·001 पुस्तकालय सम्बन्ध—दर्शन व सिद्धान्त

021·002 पुस्तकालय सम्बन्ध—प्रकीर्णिका

- 021 003 पुस्तकालय सम्बन्ध—शब्दकोश आदि
 021·005 पुस्तकालय सम्बन्ध—सामयिकी प्रकाशन
 021·006 पुस्तकालय सम्बन्ध—संस्थाएँ
 021·007 पुस्तकालय सम्बन्ध—अध्ययन व शिक्षण आदि ।

(2) 336 सामान्य वित्त (Public finance)

·001 - ·008 मानक उप विभाजन
 अंक सारणी 1 से

परन्तु ·09 ऐतिहासिक भौगोलिक निरूपण

(3) 361 सामाजिक समस्याएँ व सेवाएँ

·001 - ·008 मानक विभाजन (सारणी संख्या 1)

परन्तु ·09 ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण

(4) 378 उच्च शिक्षा

·001 - 008 मानक उप विभाजन (सारणी संख्या 1)

परन्तु ·4 - ·9 ऐतिहासिक एवं भौगोलिक निरूपण

(iii) मानक उप विभाजन के लिए ·0001 - ·0009 तक का उपयोग करें :—

(Use ·0001 - ·0009 for standard sub divisions)

(1) 025 पुस्तकालय संचालन (Library operations)

025·4 विषय विश्लेषण व नियन्त्रण (Subject analysis and control)

025·46 विशिष्ट विद्या शाखाओं व विषयों का वर्गीकरण (Classification of specific disciplines and subjects)

0001 से 0009 मानक उप विभाजन

अर्थात्

025·460001 दर्शन व सिद्धान्त

025·460003 कोश

025 460007 अध्ययन व शिक्षण आदि

(2) 352 स्थानीय सरकारें

·0001 - ·0008 मानक उप विभाजन

परन्तु 352·03 - ·09 ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण

अर्थात्

352 स्थानीय सरकारें

352 0001 दर्शन व सिद्धान्त

352·0003 कोश

352·0006 संस्थाएँ

(iv) 350 के साथ भी ·0001 - ·0008 तक का उपयोग मानक उप विभाजन के लिये करते हैं परन्तु स्पष्टतः हम चार 0000 का उपयोग करते हैं तथा दशमसद्वर्गीकरण के सामान्य नियम का पालन नहीं करते हैं :—

धरा:

- 350 लोक प्रज्ञान
 350-0001 दर्शन व सिद्धान्त
 350 0003 कौशल
 350 0006 संस्कार
 350 0007 धर्म्ययन व शिक्षण

ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण (Historical and geographical treatment)

सामान्यतः ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण के लिये मानक उप विभाजन के श्रृंखला संख्या 09 का उपयोग किया गया है परन्तु इसके अनेक अपवाद हैं। जैसे 09 श्रृंखला के चार विभाजन किये गये हैं जैसा (पृ. सं. 10-13)* पर दिखाया गया है।

- 090 ऐतिहासिक काल क्षेत्र, प्रदेश व स्थान
- 091 सामान्य निरूपण
- 092 विषय से सम्बन्धित व्यक्ति
- 093-099 विभिन्न महादीप आदि।

इनका उपयोग इस प्रकार होता है :—[090 का उपयोग] *

ईसा से पूर्व कुम्हार गीरी—	666-3901
20 शताब्दी में कुम्हार गीरी	666-3904
20वीं शताब्दी में पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएँ	020-904
भूतप्रेत व चूर्डल—18वीं शताब्दी में	133-409033
16वीं शताब्दी में शिक्षा	370-9031
15वीं शताब्दी में रीति रिवाज	390 09024
14वीं शताब्दी में वैद्यशास्त्र	391-009023
ई. से 4000 पूर्व तक का पुरा प्राणी शास्त्र	560 9012
13वीं शताब्दी के स्तन पायी जीव	599-009022
1980's में प्रवन्धकी	650-09048

091 का उपयोग

091 सामान्य क्षेत्र, प्रदेश व स्थान

आधार संख्या - 09 सारणी संख्या 2 ** के क्षेत्र श्रृंखला I के श्रृंखला जोड़ी (Add "Area" notation 1 from table 2* to base number - 09)

इस प्रकार

- 09 + 1 = 091 सामान्य क्षेत्र, प्रदेश व स्थान
- 09 + 11 = 0911 बर्फीले जमे हुए क्षेत्र (Frigid zones)
- 09 + 12 = 0912 समशीतोष्ण क्षेत्र (Temperate zones)
- 09 + 13 = 0913 उष्ण कटिबन्ध (Torrid zones)
- 09 + 14 = 0914 भूमि और वृक्ष क्षेत्र (Land and land forms)
- 09 + 15 = 0915 वनस्पति आधार पर क्षेत्र विभाजन (Regions by types of vegetation)

* दशममंथन वर्गीकरण प्रणाली (19th Ed) के सन्दर्भ-1 पृ. सं. 10-11 देखें

** उपरोक्त देखें पृ. सं. 14-26

- 09+16=0916 वायु व जल (Air and water)

- 09+17= - 0917=सामाजिक - आर्थिक क्षेत्र
(Socio-economic region)

- 09+18= - 0918=अन्य प्रकार के स्थलीय क्षेत्र
(Other Kinds of terretorial regions)

- 09+19= - 0919=अन्तरिक्ष (Space)

उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों व उनके उपविभाजनों का उपयोग मानक उप विभाजन में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है जैसे—

समशीतोष्ण क्षेत्र में पुरा प्राणी शास्त्र 560.912

ऊष्ण कटिबन्ध में बिना रोड़ के जन्तु 592.00913

551 भू गर्भ

551.461 - 551.469 विशिष्ट सामुद्रिक द्कार्ड
(Specific oceanic bodies)

551.465 - प्रशान्त महासागर

आठार सख्या 551.465 में तालिका न. 2 के संख्या - 1644 - 1649 तक के अंक संख्या - 164 के पश्चात् आने वाले अंक जोड़ो

(Add to base number 551.465 the number following. 164 in 'Area' notation 1644 - 1649 from table 2) *

इस प्रकार

554 465 + [164] 72 = 551.46572

दक्षिण चीनी समुद्र South china sea

092 का उपयोग

- 092 विषय से सम्बन्धित व्यक्ति

सामान्यत - 092 का उपयोग किसी भी विषय से सम्बन्धित व्यक्ति के जीवन, कृतित्व, आराम चरित, हायरी आपसी पत्राचार आदि के लिये किया जाता है। दशमलव वर्गीकरण में इसके तीन विभाजन किये गये हैं—

0922 संग्रह (Collected)

0924 व्यक्तिगत (Individual)

0926 व्यक्तिवृत्त (Case history)

उपरोक्त वर्णित विभाजनों के साथ यह भी निर्देश है कि यदि वर्गीकार पसंद करे तो जीवनी से सम्बन्धित ग्रंथों का वर्गीकरण वर्ग सख्या 920.1 - 928.9 के अन्तर्गत कर सकता है।

(If preferred, class biography in 920.1 - 928.9)

इसी प्रकार वर्ग संख्या 920.1 - 928.9 के अन्तर्गत निर्देश दिया गया है कि इस

धर्म में * से चिह्नित विभाजनों का उपयोग ऐच्छिक है तथा वर्गीकरण को सारणी संख्या 1 के मानक उपविभाजन - 092 का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार—

020·922	पुस्तकालयधर्मी की जीवनी (Biography of librarians)	920·2
109·22	जीवनी कोश (Who's who) 1. Philosophers (दार्शनिक आदि)	921
209·22	धार्मिक विचारक आदि (Religious leaders etc.)	922
294·56	हिन्दू धार्मिक विचारक आदि (Hindu Religious leaders)	922·945

यहाँ 294 5092 का उपयोग सही नहीं है क्योंकि 294·56 - 57 के अन्तर्गत धार्मिक विचारकों के लिए स्वतंत्र प्रावधान है।

इस प्रकार

294·561 धर्म गुरु

294·562 धार्मिक व्यक्ति से अविभूत धार्मिक व्यक्ति

294·563 मसीहा, धर्म संस्थापक आदि

294·564 सेखक, धर्म सुधारक आदि के लिये अलग से प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार का प्रावधान अन्य धर्मों के साथ भी है। इस प्रकार

महावीर स्वामी 294·463

गोतम बुद्ध 294·363

गुरु मानक 294·663

होता है।

पुनः

जीवनी कोश

300·922	समाज शास्त्री	923
320·922	राजनीति शास्त्र	923·2
330·922	अर्थ शास्त्र	923·3
340·0922	वकील व अपराधी	923·4
350 00092	लोक प्रशासक	923·5
361·922	सामाजिक सुधारक	923·6
370·922	शिक्षक	923·7
380 0922	वाणिज्यिक आदि	923·8
390 0922	भौगोलिक	923·9

उपरोक्त विभाजन में प्रत्येक के अन्तर्गत निम्न निर्देश मिलता है—
उपरोक्त संख्या में सारणी संख्या 2 से भौगोलिक विभाजन जोड़ो—

इस प्रकार

923·2 जीवनी कोश, विद्यादक, राजवपाक, राजनेता, राजनयिक आदि

923·2+54=923·254 भारत के

923·3 नभंशास्त्री

923·3+54=923·354 भारत के

923 7+54=923·754 तिसक भारत के

उपरोक्त संख्या में-अंक 54 सारणी संख्या से जीवनीक विभाजन में से लिया गया है इस विधा का विस्तृत वर्णन 093 - 099 के उपयोग के अन्तर्गत किया जा रहा है—

093-099 (जीवनीक एवं ऐतिहासिक निरूपण)

मानक उपविभाजन 093-099 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश दिया गया है—

आधार संख्या 09 में सारणी संख्या 2 में वर्णित 3-9 तक के क्षेत्र अंक जोड़ो—

(Add "area" notation 3-9 from table 2 to base number 09)—

सारणी संख्या 2 में अंक 3-9 का विवरण इस प्रकार है :

3 प्राचीन संसार (Ancient world)

31 चीन (China)

32 मिस्र (Egypt)

33 पलेस्टाइन (Palestine)

34 भारत (India)

35 मेसापोटामिया व इरानियन पठार
(Mesopotamia and Iranian plateau)

36 योरोप व इटेलियन प्रायद्वीप का पश्चिमी व उत्तरी भाग
(Europe north and west of Italian peninsula)

37 इटेलियन प्रायद्वीप व समीपवर्ती क्षेत्र
(Italian peninsula and adjacent territories)

38 ग्रीस (Greece)

39 प्राचीन संसार के अन्य भाग जैसे—बीरिया, अरेबिया, एशिया माइनर, अफ्रिका आदि

उपरोक्त सभी अंकों को 09 के साथ जोड़ा जा सकता है—

जैसे

09+3=093 प्राचीन संसार

09+31=0931 प्राचीन चीन

09+32=0932 प्राचीन मिस्र

09+34=0934 प्राचीन भारत

09+36=0936 प्राचीन योरोप

09+38=0938 प्राचीन ग्रीस

इसी प्रकार अंक 4-9 तक का विभाजन सारणी संख्या 2 में आधुनिक संसार के लिए किया गया है—

- 4 = योरूप पश्चिमी योरूप Europe
- 41 = ब्रिटिश द्वीप समूह
- 42 = इंग्लैंड व वेल्स
- 43 = मध्य योरूप, जर्मनी
- 44 = फ्रांस व मोनाको
- 45 = इटली
- 46 = फ्राइजेरियन प्रायद्वीप, स्पेन
- 47 = स्वीडिश यूनिन, स्वी
- 48 = स्कैंडिनेविया
- 49 = योरूप के अन्य भाग
- 5 = एशिया Asia
- 51 = चीन
- 52 = जापान
- 53 = खरेजियन प्रायद्वीप
- 54 = दक्षिणी एशिया, भारत
- 55 = ईरान
- 56 = मध्य पूर्व (निकट पूर्व)
- 57 = फ्राइजेरिया
- 58 = मध्य एशिया
- 59 = दक्षिण-पूर्वी एशिया
- 6 = अफ्रीका Africa
- 61 = द अफ्रीकिया व सीरिया
- 62 = मिस्र व सूडान
- 63 = ईथोपिया
- 64 = उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी तट एवं मोरक्को द्वीप समूह
- 65 = मलकोरिया
- 66 = पश्चिमी अफ्रीका
- 67 = मध्य अफ्रीका
- 68 = दक्षिण अफ्रीका
- 69 = दक्षिण भारतीय समुद्री द्वीप
- 7 = उत्तरी अमेरिका North America
- 71 = कनाडा
- 72 = मैक्सिको
- 73 = संयुक्त राज्य
- 74 = उत्तर पूर्वी
- 75 = दक्षिण पूर्वी
- 76 = दक्षिण मध्य
- 77 = उत्तरी मध्य

- 78 = पश्चिमी
- 79 = विशाल बेसिन व प्रशांत क्षेत्र
- 8 = दक्षिणी अमेरिका South America
- 81 = ब्राजील
- 82 = अर्जेंटीना
- 83 = चिली
- 84 = बोलिविया
- 85 = पेरू
- 86 = कोलम्बिया व ईक्वेडोर
- 87 = वेनेजुला
- 88 = गुयाना
- 89 = पाराग्वेय व यूरुग्वे (Paraguay and Uruguay)
- 9 = संसार के अन्य भाग (Other parts of world)
- 93 = न्यूजीलैंड व मेलानेशिया
- 94 = आस्ट्रेलिया
- 95 = पापुआ न्यू गिनी
- 96 = प्रशांत के अन्य भाग
- 97 = अटलांटिक सागर द्वीप समूह
- 98 = आर्कटिक व अंटार्कटिक
- 99 = अन्य भौगोलिक क्षेत्र (Extra territorial worlds)

उपरोक्त सभी विभाजनों व उनके उपविभाजनों (जिनका वर्णन सारणी संख्या 2 के पृ. सं. 35-386 तक दिया है) को हम मानक उपविभाजन 09 के साथ जोड़ सकते हैं—

- 09+4 = 094 आधुनिक योरोप
- 09+5 = 095 आधुनिक एशिया
- 09+54 = 0954 भारत
- 09+6 = 096 अफ्रीका
- 09+7 = 097 उत्तरी अमेरिका
- 09+8 = 098 दक्षिणी अमेरिका
- 09+93 = 0993 न्यूजीलैंड
- 09+94 = 0994 आस्ट्रेलिया

इस प्रकार मानक उपविभाजन 093-099 के साथ हम भौगोलिक व ऐतिहासिक निरूपण के घकों की संरचना कर आवश्यकता अनुसार विषयों के साथ लगाते हैं। जैसे—

- भारत में सैनिक जीवन $355.1 + 09 + 54 = 355.10954$
- भारत में सैनिकों को पदोन्नति $355.112 + 09 + 54$
 $= 355.1120954$
- चीन में मजदूरों के वेतन व सेवा की शर्तें $331.2 + 09 + 51 = 331.20951$

फ्रांस में धनु तरंग वैज्ञानिक का विकास	621·3813 + 09 + 44 = 621·38130944
मिथ में गैहूँ का मूल्य	338·13311 + 09 + 62 = 338·133 110962
संयुक्त राज्य अमेरिका में आय-कर	351·7244 + 09 + 73 = 351·724 40973
भारत में ग्रन्थालय विकास	020 + 09 + 54 = 020·954
I परन्तु—	
सामाजिक समस्याएँ व सेवाएँ	3·61
ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण	·91 - 99
भारत की सामाजिक समस्याएँ	361·9 + 54 = 361·954
उच्च शिक्षा	378
ऐतिहासिक व भौगोलिक निरूपण	·4 - ·9
जापान में	378·52
अमेरिका में (संयुक्त राज्य) में	378·73
आस्ट्रेलिया में	378·94
I इसी प्रकार	
राजनैतिक दल	324·2
घाणुनिक संसार, महाद्वीप देशों के	324·24 - 29
आधार संख्या 324·2 में सारणी संख्या 2 के शंक 4-9 तक जोड़ो—	
राजनैतिक दल	324·2
फ्रांस के	324·2 + 44 = 324·244
इटली के	324·2 + 45 = 324·245
रूस के	324·2 + 47 = 324·247
चीन के	324·2 + 51 = 324·251
जापान के	324·2 + 52 = 324·252
भारत के	324·2 + 54 = 324·254
अफ्रीका के	324·2 + 6 = 324·6
संयुक्त राज्य के	324·2 + 73 = 324·273
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	327
राष्ट्रों के	327·3 - ·9
आधार संख्या 327 में सारणी संख्या 2 के 3-9 तक के शंक जोड़ो—	
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	327
प्राचीन चीन के	+ 31 = 327·31
प्राचीन भारत के	+ 34 = 327·34
घाणुनिक इंग्लैण्ड के	+ 41 = 327·41
" फ्रांस के	+ 44 = 327·44

१. भारत के	307 + 54 = 327 54
दो देशों के सम्बन्ध	
भारत व चीन के	327.54 + 0 + 51 = 327.54051
भारत व अमरीका के	327 + 54 + 0 + 73 = 327.54073
दो देशों के सम्बन्ध बनाने के लिये दोनों की संख्या के मध्य 0 लगा देते हैं।	
इसी प्रकार	
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	382
देशों के मध्य	.93 - .99
भारत का	382.954
भारत का हिस से	382 954 + 0 + 47 = 382.954047

सारणी 3 से 7 का उपयोग

सारणी 1 व 2 के प्रतिरिक्त दशमलव वर्गीकरण प्रणाली में निम्न वर्णित सारणियों का उपयोग भी किया गया है।

सारणी-3 साहित्यात्मक उपविभाजन (Sub-divisions of Individual Literatures)

इस सारणी में वर्णित अंकों का उपयोग वर्ग संख्या 810-890 के साथ जोड़ने में किया गया है। जैसे—

- 1 कविता
- 2 नाटक
- 3 कहानी, उपन्यास
- 4 लेख, निबन्ध
- 5 भाषण
- 6 पत्र
- 7 हार्म्य व व्यंग्य
- 8 विविध

उपरोक्त में से प्रत्येक के लिये विशिष्ट गुणों के आधार पर प्रदर्शित करने का प्रावधान है। जैसे—

महाकाव्य	- 103
धार्मिक काव्य	- 105
दुर्घात व गंभीर नाटक	—2051
सुखांत	—2052
ऐतिहासिक उपन्यास	—3081
प्रेम व रोमांस प्रधान	—3085

उपरोक्त वर्णित अंकों को किसी भी भाषा साहित्य के साथ लगा सकते हैं। जैसे—

अंग्रेजी साहित्य	820
अंग्रेजी साहित्य कविता	821 [आधार संख्या 82+1]
महाकाव्य	821.03
धार्मिक काव्य	821.05

नाटक	822 [माधार संख्या 82+2]
दुर्गांत	822.051
शुद्धांत	822.052
जर्मन साहित्य	830
कविता	831 [माधार संख्या 83+1]
महाकाव्य	831.03
धार्मिक काव्य	831.05

सारणी—4 भाषाशास्त्रीय उपविभाजन (Subdivisions of Individual Languages)

इस सारणी में वर्णित ग्रंथों को पृष्ठ संख्या 410-490 के ग्रंथों के साथ जोड़ते हैं। जैसे :

- 1 लिखित व कथित तत्त्व
- 11 स्वर लिपि
- 15 व्यंजि
- 16 स्वर
- 17 पुरा लिपि
- 2 व्युत्पत्ति
- 24 विदेशी तत्त्व
- 3 शब्दकोश
- 31 विशिष्ट
- 32-39 द्विभाषीय
- 5 व्याकरण
- 7 अमानक (Non-Standard) भाषा
- 8 मानक प्रयोग (Standard usage)
- 81 शब्द
- 82 शब्द विन्यास (Structural Approach)
- 824 उन लोगों के लिये जिनकी मातृभाषा भिन्न है
- 83 ध्वन्यात्मक अभिगमन (Audio lingual approach)
- 834 उन लोगों के लिये जिनकी मातृभाषा भिन्न है
- 84 पठन (Reading)
- 842 उपचारी पठन (Remedial readings)
- 843 विकाससात्मक पठन (developmental reading)
- 86 पाठ्य पुस्तकें (Readess)
- 862 उपचारी पाठ्य पुस्तकें (Remedial readess)
- 864 उन लोगों के लिये जिनकी मातृभाषा भिन्न है।

उपरोक्त तत्त्वों को हम वर्गिक 410-490 के अन्तर्गत आने वाले आधार ग्रंथों के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे—

हिन्दी भाषा	491.43
लिपि	491.43 + 11 = 491.4311
ध्वनि	491.43 + 15 = 491.4315
स्वर	491.43 + 16 = 491.4316
पुरालिपि	491.43 + 17 = 491.4317
व्युत्पत्ति	491.43 + 2 = 491.432
विदेशी तत्त्व	491.43 + 24 = 491.4324*
शब्द कोष	491.43 + 3 = 491.433
द्विभाषीय कोश	491.43 + 32 - 39 = 491.4332 - 4339*

हिन्दी भाषा	
व्याकरण	491.43 + 5 = 491.435
अमानक भाषा	491.43 + 7 = 491.437
मानक प्रयोग	491.43 + 8 = 491.438
शब्द विन्यास	491.43 + 82 = 491.4382
उन लोगों के लिये जिनकी मातृभाषा भिन्न है	491.43 + 824 = 491.43824*
ध्वन्यात्मक अभियमन	491.43 + 83 = 491.4383
उन लोगों के लिए जिनकी मातृ भाषा भिन्न है	491.43 + 834 = 491.43834*
पठन	491.43 + 84 = 491.4384
उपचारी पठन	491.43 + 842 = 491.43842
विकासारमक पठन	491.43 + 843 = 491.43843
पाठ्य पुस्तकें	491.43 + 86 = 491.4386
उपचारी पाठ्य पुस्तकें	491.43 + 862 = 491.43862
उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा भिन्न है	491.43 + 864 = 491.43864*

सारणी संख्या 5—प्रजातीय संजातीय एवं राष्ट्रीय समुदाय
(Racial, Ethnic and National Groups)

इस सारणी में वर्णित शर्कों का उपयोग दशमलव वर्गीकरण प्रणाली के ऐसे वर्गों के साथ किया जा सकता है जहाँ प्रजातीय, संजातीय एवं राष्ट्रीय समुदाय संबंधित शर्क जोड़ने का निर्देश वर्गकार को दिया गया हो। इसके अतिरिक्त किसी भी वर्गक के साथ 089 'मानक उपविभाजन' का उपयोग कर किया जा सकता है। संक्षेप में इस सारणी में वर्णित एकल इस प्रकार हैं—

— 01 देशज जनजाती (Indigenes)

* सारणी संख्या 6 के अन्तर्गत देखें।

- 011 आदिवासी (Aboriginals)
- 012 अर आदिवासी (Non-aboriginals)
- 03 मूल प्रजातियाँ (Basic races)
- 034 काकेशियाई (Caucasoids)
- 035 मंगोलियाई (Mongoloids)
- 036 नीग्रो जाति (Negroids)
- 04 मूल प्रजातियों से उत्पन्न मिश्रित प्रजातियाँ
(Mixture of Basic races)
- 042 काकेशियाई व मंगोलियाई
- 043 मंगोलियाई व नीग्रो
- 044 नीग्रो व काकेशियाई
- 046 काकेशियाई, मंगोलियाई व नीग्रो
- 1—9 विशिष्ट प्रजातीय, संजातीय, एवं राष्ट्रीय समुदाय
- 1 उत्तरी अमेरिकन (North American)
- 2 एंग्लो सैक्सन, ब्रिटिश, फ्रांजेज
- 3 नोर्डिक
- 4 प्राधुनिक सेडिन
- 5 इटाली, रोमानियन
- 6 स्पेनवासी व पुर्तगाली
- 7 अन्य इटाली जातियाँ
- 8 ग्रीक व सम्बन्धित समुदाय
- 9 अन्य प्रजातीय, संजातीय एवं राष्ट्रीय समुदाय

उपरोक्त उपरोक्त बंदिगु एकलों को विभाजित किया गया है जिनमें से प्रमुख दस प्रकार हैं—*

- 1 उत्तरी अमेरिकन
- 11 कनाडावासी
- 112 ब्रिटिश उद्भव के
- 114 फ्रांजेज उद्भव के
- 13 अमेरिकन (संयुक्त राज्य के)
- 2 एंग्लो सैक्सन आदि
- 21 फ्रांजेज
- 23 न्यूबोर्लैण्ड वासी
- 24 आस्ट्रेलियन
- 28 दक्षिण अफ्रीकन एंग्लो सैक्सन

* आधिकारिक जानकारी के लिए पृ. सं. 408—417 तक देखें ।

- 31 जर्मन
- 35 स्विड
- 36 आस्ट्रियन
- 41 फ्रेंच
- 51 इटैलियन
- 59 रोमानियन
- 61 स्पेनिश
- 68 स्पेनिश अमेरिकन
- 69 पुर्तगाली
- 698 ब्राजीलियन
- 71 प्राचीन रोमन जातियां
- 8 ग्रीक
- 81 प्राचीन ग्रीक
- 9 अन्य जातियां
- 91 अन्य इण्डो-यूरोपीय
- 914 दक्षिण एशिया
- 91411 भारतीय
- 91412 पाकिस्तानी
- 91413 लांकाई
- 9142 पंजाबी
- 9143 हिन्दी
- 9144 बंगाली
- 9145 आसामी, बिहारी, उडिया
- 9148 सिंहली
- 915 ईरानी
- 9171 रूसी
- 9181 बल्गेरियन
- 93 उत्तरी अफ्रीकी
- 943 मंगोल
- 9435 तुर्क
- 948 द्रविड
- 951 चीनी
- 951 तिब्बती
- 956 जापानी
- 957 कोरियन
- 958 बर्मी आदि

उपरोक्त वंशित विभाजनों को निर्देशानुसार "प्रजातीय, संजातीय, व राष्ट्रीय समुदाय के अंक 01-99 सारणी संख्या 5 से जोड़े (Add Racial, Ethnic National

Group" notation 01-99 from Table 5 to base number—)" जोड़ा जा सकता है अथवा जहाँ इस प्रकार का निर्देश न हो वहाँ 'मानक उपविभाजन' सख्या 089 का उपयोग कर किया जा सकता है। जैसे :

(1) 155 विभेदक व अनुवंशक मनोविज्ञान
(Differential and Genetic Psychology)

155.8 प्रजातीय मनोविज्ञान (Ethnopsychology)

155 81 विशिष्ट प्रजातीय व संजातीय समुदाय में

प्राधार सख्या 155 81 में प्रजातीय, संजातीय व राष्ट्रीय समुदाय के 01-99 तक के अंक सारणी संख्या 5 से जोड़ो—

155.84 + 036 = 155 84036 नीपो जाति का मनोविज्ञान

155 84 + 13 = 155.8413 अमेरिकनों का मनोविज्ञान

155.84 + 21 = 155 8421 अंग्रेजों का मनोविज्ञान

155 84 + 9148 = 155 849148 सिंहलियों का मनोविज्ञान

(2) 305 सामाजिक स्तरण (Social Stratification)

305 8 प्रजातीय, संजातीय व राष्ट्रीय समुदाय

जोड़ो सारणी संख्या 5 के 01-99 तक के अंक

305 8 + 21 = 305.821 अंग्रेजों का सामाजिक स्तरण

305 8 + 69 = 305.869 पुर्तगालियों का सामाजिक स्तरण

305 8 + 93 = 305 893 उत्तरी अफ्रीकियों का सामाजिक स्तरण

305.8 + 91411 = 305.891411 भारतीयों का सामाजिक स्तरण

इस स्तर पर यदि जातियों के साथ स्वान भी हो तो जातीय अंक के पश्चात् 0 लगा कर सारणी संख्या 2 से क्षेत्र विभाजन की संख्या लगा सकते हैं; जैसे—

भारत में अंग्रेज — 21054

अमेरिका में भारतीय — 91410173

बर्मा में चीनी — 9510591

सारणी सख्या-6 भाषाएँ (Language)*

इस सारणी में वर्णित अंकों का उपयोग ऐसे वर्गों के साथ किया जाता है जहाँ वर्गीकरण को 'सारणी संख्या 6 से भाषा उपविभाजन के अंकों को जोड़ने' का निर्देश मिलता है। (Add "language" notation 2-9 from table 6 to base number).

संक्षेप में भाषाओं का विभाजन इस प्रकार किया है —

—21 अंग्रेजी —9145 असमिया, बिहारो, उर्दिया

—31 जर्मनी —9146 मराठी

—41 फ्रेंच —91471 गुजराती

—51 इतालवी —91479 राजस्थानी

—591 रोमानियन —9148 सिंहली

* विस्तृत विवरण के लिए पृ. सं. 418-431 देखें।

—61	स्पेनिश	—9171	रूसी
—69	पुर्तगाली		भादि
—71	सेटिन		
—81	ग्रीक		
—912	संस्कृत		
—914	भारतीय भाषाएँ		
—91411	तिब्बती		
—9142	पंजाबी		
—91431	हिन्दी		
—91439	उर्दू		
—9144	बंगाली		

उपरोक्त वर्णित ग्रंथों व उनके उपविभाजनों को दशमलव वर्गीकरण प्रणाली की तालिका (Schedules) में वर्णित ऐसे ग्रंथों के साथ करते हैं जहाँ सारणी संख्या 6 से भाषा ग्रंथ 2 से 9 तक के ग्रंथों को जोड़ने का निर्देश हो। जैसे—

031-039 विशिष्ट भाषाओं के विश्व-कोष
(Encyclopedic works—In specific Languages)

033 जर्मन भाषाओं के [सारणी संख्या 6 के भाषार संख्या 03 में सारणी सं. 6 से भाषा संख्या 31-394 जोड़ें]

जर्मन भाषा में 31 जर्मनी

32 फ्रैंकोनियन (Franconian)

33 स्वाबियन (Swabian)

34 अल्सेसियन (Alsatian)

35 स्विस् जर्मन (Swis German)

37 यिडिश (ज्यूडिओ-जर्मन) (Yiddish (Judio-German))

38 पेन्सिल्वानिया डच (जर्मन)

Pennsylvania Duth (German)

39 अन्य (other)

391 पुरानी जर्मनी भाषाएँ जैसे—

Old Saxon, Old Frisian, भादि

392 फ्रीसियन (Frisian)

393 नीदरलैंड की (Netherlandish)

3931 डच (Dutch)

3932 फ्लेमिश (Flemish)

3936 अफ्रीकन (Africaans)

394 Low (जर्मन) German

इस प्रकार

03=03 विश्वकोष

- 03+31=033.1 जर्मन भाषा
 03+32=033.2 फ्रैंकोनियन भाषा
 03+33=033.3 स्वाबियन भाषा
 03+35=033.5 स्विस् जर्मन भाषा
 03+37=033.7 यैडिश (Yiddish)
 03+38=033.8 पैसीशेवानिया डच
 03+3931=033.931 डच भाषा

इसी प्रकार

03 विश्व कोष

034.1 फ्रेंच भाषा

035.1 इतालवी भाषा

035.91 रोमानियन

036.1 स्पेनिश

036.9 पुर्तगाली

039.12 संस्कृत

039.1431 हिन्दी आदि बनेंगे ।

वर्गीक संख्या 220.5 बाइबिल के वर्तमान भाषा संख्या जोड़ने का निर्देश है

220 बाइबिल

220.5 धार्मिक व्याख्या व अनुवाद

(Modern versions or Translation)

220.53 - '59 अन्य भाषाओं में

भाषा संख्या जोड़ी (भाषा संख्या 220.5—)

220.5+41=फ्रेंच भाषा में

220.5+91411=सिपी भाषा में

220.5+9146=मराठी में

220.5+91471=गुजराती में

भाषा संख्या सारणी संख्या आर के अंक संख्या -24, -32-39, -824, 834, -864 के वर्तमान भी भाषा अंक (Language number) जोड़ने का निर्देश है—

जैसे—

(i) 491.43 हिन्दी भाषा

+24 विशेषी तरह

+21 अंग्रेजी शब्द

=491.432421 हिन्दी भाषा में अंग्रेजी तरह (सम्ब)

(ii) 491.43 हिन्दी भाषा

+3 कोष

+41 फ्रेंच

491 43341 हिन्दी—फ्रेंच भाषा कोश

(iii) 491 43 हिन्दी भाषा

+82 शब्द विन्यास

4 उन लोगों के लिये जिनकी मातृभाषा भिन्न है

+41 फ्रेंच

491.438 2441 हिन्दी भाषा विन्यास जिनकी मातृभाषा फ्रेंच है।

(iv) 491.43864 हिन्दी भाषा पाठ्य पुस्तकें

491.43864+41=491 4386441 फ्रेंच जिनकी मातृभाषा है

सारणी सख्या-7 व्यक्ति (Persons)*

सारणी सख्या 7 में विभिन्न समुदाय व व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों का वर्णन दिया गया है जैसे—

—01 सामान्य व्यक्ति (Individual persons)

—02 समूह (Group)

—03 प्रजातीय, सजातीय एवं राष्ट्रीय समूह

—04 लिंग व वधुत्व के आधार पर

—05 आयु के आधार पर

—06 सामाजिक व धार्मिक आधार पर

—08 शारीरिक व मानसिक आधार पर

—09 सामान्य व

—1 दर्शन से सम्बन्धित व्यक्ति

—2 धर्म से सम्बन्धित व्यक्ति

—294 भारतीय धर्मों से सम्बन्धित व्यक्ति

—3 समाजशास्त्र व सामाजिक अर्थशास्त्र से सम्बन्धित व्यक्ति

—4 भाषाशास्त्र से सम्बन्धित व्यक्ति

—5 शुद्ध विज्ञान से सम्बन्धित व्यक्ति

—6 प्रौद्योगिकी (व्यावहारिक) विज्ञान से सम्बन्धित व्यक्ति

—7 सलित कलाओं से सम्बन्धित व्यक्ति

—8 साहित्य लेखन कला से सम्बन्धित व्यक्ति

—9 भूगोल, इतिहास व सम्बन्धित विषयों के व्यक्ति

उपर्युक्त अंकों का विभाजन मुख्य वर्णानुसार किया गया तथा इन प्रकों को निर्देशानुसार अपना मानक उपविभाजन—089 का उपयोग कर लगा सकते हैं।

द्विविन्दु वर्गीकरण प्रणाली

डॉ. रंगनाथन ने समस्त ज्ञान सागर को दस मुख्य विभागों में बांटा है, वे इस प्रकार हैं :—

A प्राकृतिक (Natural Sciences)

* विस्तृत विवरण के लिये पृ. स. 432-452 देखें।

AZ	गणित शास्त्रीय विज्ञान (Mathematical Sciences)
BZ	भौतिक विज्ञान (Physical sciences)
G	जैविक विज्ञान (Biological Sciences)
M	उपयोगी कलाएँ (Useful Arts)
MZ	मानविकी एवं समाज विज्ञान (Humanities and Social Sciences)
MZA	मानविकी (Humanities)
NZ	साहित्य व भाषा (Literature and Linguistics)
PZ	धर्म व दर्शन (Religion and Philosophy)
SZ	(Social Sciences)

इसके पश्चात् प्रत्येक विभाग को उपविभागों में विभाजित किया गया है तथा उन उप विभागों को मुख्य वर्ग कहा गया है। यह मुख्य वर्ग इस प्रकार हैं :—

B	गणित (Mathematics)
C	भौतिक शास्त्र (Physics)
D	इंजीनियरिंग (Engineering)
E	रसायन शास्त्र (Chemistry)
F	प्रायोगिकी (Technology)
H	भू-वर्ग विज्ञान (Geology)
HX	खनिज विज्ञान (Mining)
I	वनस्पति विज्ञान (Botany)
J	कृषि विज्ञान (Agriculture)
K	जीव शास्त्र (Zoology)
K	वन विज्ञान (Forestry)
KX	पशुपालन (Animal Husbandry)
L	चिकित्सा विज्ञान (Medicine)
LX	भेषज विज्ञान (Pharmacognasy)
Δ	माध्यात्मिक अनुभूति तथा मूढ़ विज्ञान (Spiritual experience and mysticism)
N	सजित कला (Fine Arts)
O	साहित्य (Literature)
P	भाषा विज्ञान (Linguistics)
PU1	शुद्धि (Calligraphy)
PU3	साक्षुद्धि (Shorthand)
PU6	टंकण (Typewriting)
PX	संचार सिद्धान्त (Communication)
Q	धर्म (Religion)
R	दर्शन (Philosophy)
S	मनोविज्ञान (Psychology)
T	शिक्षा शास्त्र (Education)

U	भूगोल	(Geography)
V	इतिहास	(History)
W	राजनीति शास्त्र	(Political Science)
X	अर्थशास्त्र	(Economics)
Y	समाज शास्त्र	(Sociology)
YX	सामाजिक कार्य	(Social work)
Z	विधि शास्त्र	(Law)

इन मुख्य वर्गों के प्रतिरिक्त डॉ. रंगनायन ने भी सामान्य विभाजकों को स्थान दिया है परन्तु द्विबिन्दु प्रणाली में सामान्य विभाजक आठ प्रकार के हैं :-

1. पुरःस्थानीय सामान्य श्युक्त जिनका उपयोग स्थान श्युक्त से पूर्व होगा (ACI applicable before S)
2. पुरःस्थानीय सामान्य श्युक्त जिनका उपयोग केवल समय श्युक्त के बाद होगा (ACI applicable only after S)।
3. पुरःस्थानीय सामान्य श्युक्त जिनका उपयोग केवल समय श्युक्त के बाद होगा (ACI applicable only after T)
4. उत्तर स्थानीय सामान्य क्रिया युक्त श्युक्त जिनका उपयोग। के बाद होगा (PCI Energy Isolates)
5. उत्तर स्थानीय (Matter) सामान्य श्युक्त (PCI Matter Isolate)
6. उत्तर स्थानीय व्यक्तित्व (Personality) सामान्य श्युक्त (PCI Personality Isolate)
7. स्थान श्युक्त (Space Isolates)
8. समय श्युक्त (Time Isolates)

पुरःस्थानीय सामान्य श्युक्त (ACI) जिनका उपयोग स्थान (Space) से पहले हो सकता है :-

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a वाङ्मय सूची | |
| c पुस्तकीय धनुक्रमणिका | |
| d तालिका | |
| e फार्मूला | |
| f मानचित्र | |
| h विषयकोश तथा शब्दकोश | y ² वाङ्मयक्रम |
| m पत्रिकाएं | y ³ सारांश |
| n सामयिकी | y ⁴ अभिप्राय |
| p सभा समिति कार्यक्रम | y ⁷ विशिष्ट ध्येयन |
| v इतिहास | y ⁸ संक्षिप्त विवरण |
| w जीवनी | |
| x कृतिर्षा, संग्रह आदि | |
| y शिक्षण का प्रोग्राम | |

पुर.स्थानीय सामान्य व्युक्त (ACI) जिनका उपयोग केवल स्थान (SI) के पर्याप्त हो सकता है :—

- r प्रशासनिक रिपोर्टें
s गणनाएँ (केवल पत्रिकाओं के साथ)

पुरः स्थानीय सामान्य व्युक्त (ACI) जिनका उपयोग केवल समय (TI) के पर्याप्त हो सकता है :—

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| s गणनाएँ | v मूल सामग्री |
| t कमोडिटी रिपोर्टें | v ⁶ साहित्य |
| t ⁴ सर्वे | v ⁶ प्रघाएँ |
| f ⁵ योजना | v ⁷ पुरातत्त्व शास्त्र (Archaeology etc.) |
| f ⁴ प्रादरं | v ⁸ ग्रन्थ रक्षा गृह (Archives) |

उत्तर स्थानीय सामान्य त्रिव्युक्त व्युक्त (PCI) :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| b ¹ गणना करना | f अनुसंधान |
| b ² चित्र बनाना | f ² निरीक्षण |
| b ⁶ नापना | f ³ प्रयोग |
| c ¹ तोलना | f ⁴ वाद-विवाद |
| g आलोचना | r सूचना देना |
| p प्रारूपण (Drafting) | v सर्वे करना |

उत्तर स्थानीय (Matter) व्युक्त क्रम सम्बन्ध में अभी खोज चल रही है फिर भी हम इसका उपयोग सामान्यतः कर सकते हैं। सम्पूर्ण द्विविन्दु प्रणाली को (PMI) बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम (:) का चिह्न लगाकर अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर को छोटे (Roman Small) स्वरूप में लिखकर PMI प्राप्त कर सकते हैं :—

शेक्सपीयर के नाटकों में प्रेम O 111, 2J64; s:55

उत्तर स्थानीय सामान्य व्यक्तिव व्युक्त :—

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| b व्यवसाय | g शैक्षिक संस्थाएँ |
| d संस्था | h भौद्योगिक संस्थान |
| f अनुसंधानात्मक | k व्यावसायिक संस्थान |
| f ² निरीक्षणात्मक | t शैक्षणिक |
| f ³ प्रयोगात्मक | t ² निम्न श्रेणी |
| f ⁴ विवादात्मक | t ⁴ उच्च श्रेणी |
| f ⁷ आश्रम | w सरकार के प्रशासनिक विभाग |

द्विबिन्दु वर्गीकरण प्रणाली की अधिक उपयुक्त व सजीला बनाने के लिए प्रणाली के आविष्कारक डॉ. रंगनाथन ने अनेक विधियाँ अपनाई हैं जिनमें निम्नलिखित विधियाँ महत्वपूर्ण हैं—

1. कालक्रम विधि (Chronological Device)
2. भौगोलिक विधि (Geographical Device)
3. विषय विधि (Subject Device)
4. स्मृति सहायक विधि (Mnemonic Device)
5. वर्ण विधि (Alphabetical Device)
6. अध्यारोपण विधि (Super-Imposition Device)
7. पाठ क्रम व्यवस्था विधि (Classis Device)

इन विधियों के द्वारा डॉ. रंगनाथन ने ज्ञान के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अनेकानेक नये विषयों के लिए तथा वर्तमान विषयों में व्यक्तिीकरण (Individualisation) करने में सफलता प्राप्त करली है। डॉ. रंगनाथन का कहना है कि सम्पूर्ण ज्ञान के क्षेत्र को पाँच पहलुओं (Catagories) में बाँटा जा सकता है तथा प्रत्येक विषय में निहित व्युत्पत्तियों को इन पहलुओं से सम्बन्धित किया जा सकता है। ये पहलू इस प्रकार हैं—

1. व्यक्तित्व (Personality) पहलू
2. पदार्थ (Matter) पहलू
3. शक्ति (Energy) पहलू
4. स्थान (Space) पहलू
5. समय (Time) पहलू

इन पहलुओं को किसी भी विषय के साथ (BC, [P]; [M] : [E]. [S] [T]) उनके विभिन्न सम्बन्ध चिन्ह (Connecting Symbol) के साथ लगाया जा सकता है—

व्यक्ति पहलू को जोड़ने के लिए	,
पदार्थ " " "	;
शक्ति " " "	:
स्थान पहलू को जोड़ने के लिए	,
समय " " "	,

K का उपयोग किया है।

डॉ. रंगनाथन का कहना है कि पक्ष विश्लेषण (Facet analysis), क्षेत्र विश्लेषण (Zone analysis)

तथा प्रसिद्धात्मक उपगमन (Postulational approach) के द्वारा उन्होंने संकेत प्रतीकों (Notations) के लिए बसीमित तथा प्रसाधारण लचीलापन प्राप्त कर लिया है।

डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रदत्त प्रणाली का उपयोग सभी प्रकार के पुस्तकालयों में किया जा सकता है। परन्तु उसका उपयोग विरत्रविद्यालय, शोध व विशिष्ट पुस्तकालयों में अधिक उपयोगी तथा उत्तम है।

पुस्तक वर्गीकरण करने के दो भाग होते हैं। एक तो पुस्तक में लिहित ज्ञान का वर्गीकरण जिसका उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं दूसरे पुस्तक का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण से हम एक ही विषय में उपलब्ध पुस्तकों को उचित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इस कार्य के लिए पुस्तक में लिहित ज्ञान का वर्गीकरण सहायक नहीं है। हमें पुस्तक से अन्य तत्वों को लेना होता है जैसे लेखक संख्या (Author Number) तथा प्रकाशन वर्ष। लेखक संख्या के लिए कटर सारणी (Cutter Table) का उपयोग सुविधाजनक है तथा प्रकाशन वर्ष के लिए डॉ. रंगनाथन द्वारा पुस्तक ग्रंथ निकालने की पद्धति अधिक साधपूर्ण व सुगम है। डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पद्धति इस प्रकार है—

पुस्तक संख्या के लिए काल क्रम सारणी

A 1880 से पूर्व	K 1960 से 1969
B 1880 से 1889	L 1970 से 1979
C 1890 से 1899	M 1980 से 1989
D 1900 से 1909	N 1990 से 1999
E 1910 से 1919	O 2000 से 2009
F 1920 से 1929	P 2010 से 2019
G 1930 से 1939	Q 2020 से 2029
H 1940 से 1949	R 2030 से 2039
J 1950 से 1959	S 2040 से 2049

इस काल क्रम सारणी के अनुसार किसी भी पुस्तक का पुस्तक ग्रंथ आदि सुगमता से बनाया जा सकता है उदाहरणस्वरूप यदि कोई पुस्तक सन् 1936 में प्रकाशित की गई है तो उसकी पुस्तक संख्या G 6 होगी। इसमें G=1930 है तथा 6 मिला देने से 1963 ही जाता है)।

यदि पुस्तकालयाध्यक्ष इससे भी अधिक विशिष्टीकरण करना चाहते हैं तो इसी संख्या से पूर्व लेखक के नाम का प्रथम अक्षर लगा सकते हैं। परन्तु ऐसा करते समय उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि लेखक के नाम का अक्षर तथा पुस्तक संख्या आपस में मिला न सके। अतः इनके बीच में (—) निशान लग सकते हैं, जैसे :—

Sh—G6—Shanker—1936

ग्रन्थांक विशिष्टीकरण के लिए डॉ. रंगनाथन ने विशेष फार्मुला दिया है। वह फार्मुला इस प्रकार है—

(भाषा) (प्रकार) (वर्ष) (ग्रन्थ समावेश क्रम), (खण्ड)-(परिमिष्ट); (प्रति):
(पालोबना) उनमें से

भाषा (Language)

वर्ष (Year)

खण्ड (Volume)

प्रति (Copy)

मुख्य है।

पुस्तक का ग्रन्थांक बताते समय हमें इनका ध्यान रखना चाहिए।

सूचीकरण

पुस्तकालय में सबसे कठिन तथा समय लेने वाला कार्य पुस्तकों का सूचीकरण है। यह कार्य जितना कठिन है, उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पुस्तकालय अच्छी सूची के बिना अपने ध्येय की पूर्ति नहीं कर सकता है। सूचीकरण अथवा सूची-पत्र पुस्तक भंडार की कुंजी है, जो पुस्तकालय में आने वाले प्रत्येक पाठक को यह ज्ञान कराती है कि किसी पुस्तकालय में किसी विशिष्ट संश्लोक की पुस्तक है अथवा नहीं? क्या वह पुस्तक जिसकी प्राख्या का ज्ञान है, पुस्तकालय में उपलब्ध है अथवा नहीं? किसी विषय विशेष पर कौनसी पुस्तक उपलब्ध है? संक्षेप में, जैसाकि कटर ने बताया है, पुस्तकालय सूची का ध्येय यह बताना है कि पुस्तकालय में—

<p>{ (क) लेखक के नाम से (ख) पुस्तक के नाम से (ग) विषय पर</p>	}	अथवा तीनों के नाम से
----------------------------------------------------------------------	---	----------------------

कौन-कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं?

बहुधा पाठक यह प्रश्न करते हैं कि—

(क) क्या शंकर की लिखी हुई कोई पुस्तक पुस्तकालय में है?

(ख) क्या शौरंगी नाम का उपन्यास पुस्तकालय में है?

(ग) भाषा विज्ञान पर पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं?

कभी-कभी पुस्तकों की भांग अनुवादक, सम्पादक, टीकाकार आदि के नाम से भी होती है। अतः यह आवश्यक है कि पुस्तकालय सूची में अनुवादक, टीकाकार, सम्पादक आदि को भी उचित स्थान प्राप्त हो।

अच्छी सूची नहीं है जो पाठक की जिज्ञासा को शान्त कर, उसे उसकी अभ्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक हो।

पुस्तकालयों की स्थापना के प्रारम्भ से सूचियाँ बनती आई हैं तथा जैसे-जैसे ज्ञान के क्षेत्र में अभिवृद्धि हुई है, सूचीकरण का कार्य भी उतना ही जटिल होता गया है।

लेखक सूची

प्रारम्भ में ज्ञान का क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं था इसीलिए पाठक अपनी अभ्ययन सामग्री के विषय में सभी कुछ जानते थे और यदि कभी आवश्यकता पड़ती तो लेखक के नाम से

जिज्ञासा प्रकट करते थे । अतः सर्वाधिक प्राचीन सूची लेखक सूची थी । इसमें लेखक का स्थान मुरय था ।

धीरे-धीरे लेखक ही स्वयं विषय बन गया तथा लेखक के ऊपर भी पुस्तकें छपने लगीं । अतः यह आवश्यक हो गया कि लेखक-सूची का विस्तार किया जाए । इस प्रकार की सूची को नाम-सूची कहने लगे । इसके अन्तर्गत लेखक के साथ-साथ उसके नाम के आधार पर लिखित सामग्री भी उसके साथ आने लगी । जैसे :—

लेखक	प्रेमचन्द	गोदान
	प्रेमचन्द	गदन
	प्रेमचन्द	निर्मला
व्यक्ति विषय के रूप में		प्रेमचन्द
		प्रेमचन्द

ग्राह्या सूची

बहुत से पुस्तकालयों ने लेखक-सूची की जगह ग्राह्या-सूची बनाने की आवश्यकता को महत्व दिया । इस प्रकार की सूची में पुस्तक की ग्राह्या का स्थान अधिक महत्वपूर्ण समझा गया तथा ग्राह्या को प्रमुख स्थान मिला । जैसे —

गोदान	मधुशाला
प्रेमचन्द	बच्चन, हरिवंशराय

परन्तु ग्राह्या-सूची भी पाठकों की पूर्ण सेवा न कर सकी । अतः अनेक पुस्तकालयों ने लेखक व ग्राह्या सूचियाँ अलग-अलग बनानी प्रारम्भ कीं । परन्तु इससे भी पूर्णता प्राप्त न हो सकी ।

अकारादि विषय सूची

अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों में अकारादि क्रम में व्यवस्थित विषय सूची का उपयोग सफलतापूर्वक किया गया है । इसकी सफलता का मुख्य कारण वहाँ के पाठकों की जिज्ञासा व जागरूकता है । वे अपनी इच्छित अध्ययन सामग्री विषय विषय के माध्यम से ढूँढते हैं । परन्तु ऐसे देश में, जहाँ पाठक अभी तक लेखक व ग्राह्या के माध्यम से ही अध्ययन सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, इस प्रकार की सूची अनुपयुक्त है ।

इसके अतिरिक्त उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से अब तक ज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति हुई है कि उपर्युक्त कोई भी सूची पाठकों की सेवा में पूर्णता प्रदान नहीं कर सकी है ।

आधुनिक युग में पुस्तकालय सूची मुख्यतः दो प्रकार की है,—(1) सर्वानुवर्णी सूची (Dictionary Catalogue) तथा (2) अनुवर्ण सूची (Classified Catalogue) ।

सर्वानुवर्णी सूची

वास्तव में यदि देखा जाए तो सर्वानुवर्णी-सूची लेखक (नाम) सूची, ग्राह्या सूची तथा अकारादि विषय सूची का मिश्रण है । कोई भी पाठक जितने सामान्य शब्द शोध देखने का अनुभव है, किसी भी पुस्तक की, जिसका लेखक, ग्राह्या व विषय ज्ञात है, सरलता से प्राप्त कर सकता है ।

धनुर्वर्ग सूची

धनुर्वर्ग-सूची का निर्माण पुस्तकालय द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर होता है। सूची पत्रक का मुख्य षंक वर्गीकरण सख्या होती है तथा इन पत्रकों की व्यवस्था वर्गीकरण सख्या के आधार पर ही होती है।

पुस्तकालय सूची के स्वरूप

जिस प्रकार पुस्तकालय सूची बनाने की विधियों तथा नियमों का क्रमिक विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार पुस्तकालय सूची के स्वरूप का विकास हुआ है। यद्यपि यह कहना प्रसंगत होगा कि मानव व पुस्तकालयों का प्रादुर्भाव साथ-साथ हुआ है फिर भी इतिहास इस बात का साक्षी है। पुस्तकालयों के प्रादुर्भाव से ही पुस्तकालय सूची के स्वरूप का विकास हुआ है। प्रारम्भिक काल में जब पुस्तकालयों में पुस्तकें पपाइरस रोल, इंटों, भेड़ की खाल तथा ताड़-पत्रों आदि इर लिखी जाती थी, उनकी सूची भी उसी प्रकार की लेखन सामग्री पर ही बनाई जाती थी। जैसे-जैसे पुस्तक लिखने की सामग्री में परिवर्तन होता गया, वैसे ही पुस्तकालय सूची के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया।

वर्तमान काल में हम पुस्तकालय सूचियों के निम्नलिखित तीन स्वरूपों में परिचित हैं। इन स्वरूपों का विकास समय तथा मुख्य कला के विकास के साथ-साथ हुआ है—

- (1) पुस्तक स्वरूप (Book form)
- (2) खुले कागज के टुकड़ों के रूप में (Sheaf form)
- (3) पत्रक रूप में (Card form)

यद्यपि इन तीनों स्वरूपों की सूचियों के अपने-अपने गुण, दोष व सा-भ-हानि हैं, फिर भी बीसवीं शताब्दी में पत्रक सूचियों ने सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। पत्रक सूची का सबसे प्रमुख गुण उसका लचीलापन तथा आधुनिकता है। किसी भी आलेख को कभी भी विकाला व सगाया जा सकता है।

यह सही है कि इस प्रकार के स्वरूप में दोष भी हैं, परन्तु इसके गुण दोषों की अपेक्षा अधिक उपयोगी व शक्तिशाली हैं और यही कारण है कि आज विद्यते 50 वर्षों से पत्रक सूची पुस्तकालयों की उपयोगिता को अविचलित गति से बढ़ा रही है।


पत्रक सूची में हम 5" × 3" के पत्रकों का उपयोग करते हैं। इन पत्रकों का स्वरूप पृष्ठ 108 पर दर्शाया गया है।

प्रथम धनुर्वर्ग का उपयोग शीर्षक धनुर्वर्ग पर लिखे जाने वाले लेख के लिए किया जाता है। सर्वानुवर्णी सूचियों में जोकि छोटे पुस्तकालयों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, शीर्षक धनुर्वर्ग में लेखक, सम्पादक, धनुर्वर्ग, आदि तथा पुस्तक आख्या का नाम आता है। धनुर्वर्ग सूची के मुख्य आलेख में क्रमक समक ही शीर्षक धनुर्वर्ग पर लिखा जाता है। इस सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं। यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

जब पत्रक पर आलेख का प्रथम भाग पूर्ण हो जाता है तो दूसरे भाग को अगली साइन के दूसरे धनुर्वर्ग से लिखना प्रारम्भ करते हैं। यदि किसी भाग की सम्पूर्ण सूचना एक साइन में न आए तो फिर अगली साइन में प्रथम धनुर्वर्ग से लिखते हैं।


		शीर्षक अनुच्छेद (Heading Indention)
	← प्रथम अनुच्छेद (First Indention)	
	← द्वितीय अनुच्छेद (Second Indention)	
	केन्द्र छेद →	○

पत्रक के नीचे मध्य का छिद्र इन पत्रकों को व्यवस्थित करने के लिए होता है। इस छिद्र में से होकर धातु की एक शलाका (Metallic rod) पत्रकों को पत्रक पेटिका में व्यवस्थित रूप से रखती है। पत्रक-पेटिका का स्वरूप इस प्रकार है—



पत्रक-पेटिका

पत्रकों के बीच-बीच में पाठक की सुविधा के लिए निर्देश पत्रक लगा दिए जाते हैं तथा इन निर्देश पत्रकों पर आवश्यक निर्देश लिख दिए जाते हैं जिससे पाठक सूची पत्रकों का सुविधानुसार उपयोग कर सकें। निर्देश पत्रक कई प्रकार के होते हैं। परन्तु सामान्यतः वह सूची पत्रकों से कुछ बड़े होते हैं तथा एक ओर कुछ अधिक ऊंचे उठे रहते हैं, जैसे—



निर्देश पत्रक (Guide Card)

सूचीकरण प्रक्रिया

किसी भी पुस्तकालय सूची में मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार के पत्रक होते हैं—

- (1) मुख्य प्रालेख (Main Entry)
- (2) सहायक प्रालेख (Added Entry)

सर्वानुवर्ती सूची में लेखक प्रालेख ही मुख्य प्रालेख होता है तथा उसमें पुस्तक से सम्बन्धित अधिकारिक सूचना प्रदान की जाती है जैसा कि अप्राकृत उदाहरण से स्पष्ट है।

	श्याम नारायण प्रसाद ।	
हिन्दी	भारती की रानी, महाकाव्य । बाराणसी, प्रचारक पुस्तकालय, 1964 626 पृष्ठ 25 × 15 cm.	

डॉ० रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित मुख्य आलेख (सर्वानुवर्णी सूची के लिए) इससे भी अधिक सरल है। ऐसे पुस्तकालयों में जहाँ कर्मचारियों का प्रभाव होता है, यह आवश्यक नहीं कि मुख्य आलेख में प्रकाशक आदि के विषय की सूचना दी जाए। आवश्यकता पड़ने पर प्रकाशक तथा प्रकाशन वर्ष व पुस्तक के भौतिक स्वरूप की सूचना अर्वाप्ति पत्रिका (Accession Register) से प्राप्त की जा सकती है। अतः हम ऊपर उद्धृत पत्रक को इस प्रकार भी तैयार कर सकते हैं—

	श्यामनारायण प्रसाद । भाँसी की रानी, महाकाव्य ।
	○

छोटे पुस्तकालयों में प्रत्येक पुस्तक के लिए आख्या आलेख बनाना आवश्यक है। वर्ग सूची आलेख अथवा See देखो तथा See also (घोर भी देखो) आलेखों की आवश्यकता हम इन छोटे पुस्तकालयों के लिए नहीं समझते। इस प्रकार के आलेख तैयार करने में जहाँ एक घोर पुस्तकालयाध्यक्ष का समय लगेगा, दूसरी घोर वह सूची अधिकाधिक जटिल होंगी आएगी। यह जटिलता पाठकों को हतोत्साहित करेगी। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे पुस्तकालयों की सूची अधिकाधिक सादी व सीधी है—

उपरोक्त पुस्तक के लिए हम एक ही सहायक आलेख का अनुमोदन करते हैं। इस आलेख का स्वरूप पृष्ठ 111 पर दर्शाया गया है।

अनेक पुस्तकों के साथ सह लेखन, (Jt. Author) सहयोगी (Collaborator), अनुवादक व संपादक आदि होते हैं। इन लोगों के लिए भी सहायक आलेख बनाना आवश्यक है। हम इनमें से प्रत्येक प्रकार का एक आलेख (पृष्ठ 111 के अनुसार) उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं

पृष्ठ 112 पर दर्शाए गए उदाहरण में भाचार्यनन्ददुलारे बाजपेयी ने सुरेशचन्द्र वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक "पन्त का काव्य विकास" का संपादन किया। अतः संपादक, जिसका महत्त्वपूर्ण स्थान है, के नाम से सहायक आलेख आवश्यक है।

	<p>भागी की रानी ।</p> <p>द्वारा प्रयागनारायण ।</p> <p style="text-align: center;">○</p>

मुख्य बालेन विषयों को लेखक हों—

	<p>दारवाह (एलन) तथा बगल (के.के.) ।</p> <p>कम्प्यूटर ।</p> <p style="text-align: center;">○</p>

सह लेखक आलेख (Jt. Author Entry)—

	ब्लॉक	(क) तथा धोरवाल्ड (एनन) । कम्प्यूटर ।
		○

सम्पादक आलेख जिसमें लेखक व संपादक दोनों ही हैं—

सम्पादक आलेख—

	नन्ददु लारे बाजपेयी, सम्पा० ।	
		सुरेशचन्द्र वर्मा : पन्त का काव्य विशास
		○

इसी प्रकार अनेक पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित होते रहते हैं तथा अनुवादक का महत्वपूर्ण योग पुस्तक प्रकाशन में होता है। निम्नलिखित उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुवादक का भालेस कैसे बनाया जाए—
 अनुवादक का भालेस—

	<p>मुभाय चन्द्र वर्मा, अनु० ।</p> <p>विश्वनाथन : पुस्तकालय संगठन की रूपरेखा तथा भारत में उत्तका विकास ।</p> <p style="text-align: center;">○</p>

ग्रन्थ माला वाली पुस्तक का मुख्य भालेस—

RANGANATHAN (SR).	
	<p>Library book selection, Ed. 2.</p> <p>(Ranganathan Series in Library Science, 16).</p> <p style="text-align: center;">○</p>

ग्रन्थ मासा श्रालेख :—

RANGANATHAN SERIES IN LIBRARY SCIENCE	
16	Ranganathan : Library book selection. Ed 2.
○	

व्यक्तिगत लेखक (Personal author) के प्रतिरिक्त पुस्तकालयो मे ऐसी पुस्तकें भी पाती हैं, जिनका लेखक सरकार (Government), सस्था (Institution) तथा कॉन्फ्रेंस (Conference) होता है। इस प्रकार की पुस्तको को समष्टि ग्रन्थकार (Corporate author) की पुस्तक कहते हैं। पुस्तकालय सूचीकरण नियमावतियो (Catalogue codes) जैसे आंग्ल-अमेरिकी सूचीकरण नियम (Anglo-American Cataloguing Rules) अनुवर्ग सूची नियमावती (Classified Catalogue Code) मे इस प्रकार के लेखकों को लिखने के लिए आवश्यक उपबन्ध बनाए गए हैं। डॉ० रंगनाथन ने अपने कोड मे इस प्रकार के लेखकों को तीन भागो मे बांटा है—(1) सरकार, (2) संस्था, (3) कॉन्फ्रेंस। उसी प्रकार आंग्ल-अमेरिकी पद्धति (1967) के अनुसार भी अब ऐसे लेखक शीर्षक को उन्हीं तीन भागो मे विभक्त किया गया है। बहुत हद तक दोनों नियमावतियो मे एकस्यता है। परन्तु उनकी लेखन शैली में अन्तर है। फिर भी हम यहाँ डॉ० रंगनाथन द्वारा निमित पद्धति के आधार पर आवश्यक उदाहरण लेते रहे हैं—

सरकार का नाम दो विभागो के अन्तर्गत लिया गया है—

- (1) संवैधानिक अंग (Constitutional Organ)
- (2) प्रशासनिक अंग (Administrative Organ)

संवैधानिक अंग

सरकार के संवैधानिक अंग वह अंग है जिनका विवरण परिधान में प्रदत्त होता है। उनको इस प्रकार लिखना चाहिए :—

भारत, लोकसभा	India, Lok Sabha
भारत, राज्य सभा	India, Rajya Sabha
भारत, मंत्री परिषद्	India, Cabinet

सरकार के प्रमुख शासनाध्यक्ष को लिखते समय उसका नाम लिखना आवश्यक है, अतः भारत, राष्ट्रपति (नीलम सजीव रेड्डी)

India, President (Neelam Sanjiva Reddy)

राजस्थान, राज्यपाल (रघुकुल तिलक)

Rajasthan, Governor (Raghukul Tilak)

न्यायपालिका का नाम इस प्रकार लिखेंगे—

भारत, सर्वोच्च न्यायालय

India, Supreme Court

राजस्थान, जिला न्यायालय (जयपुर)

Rajasthan, District Court (Jaipur)

प्रशासनिक भ्रम

प्रशासन की सुविधा के लिए नियत विभागों का महत्त्व उनका कार्यक्षेत्र होता है, अतः उनको लिखते समय उनके कार्यक्षेत्र को अधिक महत्त्व प्रदान करना होता है तथा उनका मुख्य शीर्षक इस प्रकार लिखेंगे—

भारत, शिक्षा (मन्त्रालय) India, Education (Ministry of)—

राजस्थान, शिक्षा (विभाग) Rajasthan, Education (Department of—)

संस्था (Institution) तथा कॉन्फ़ेंस (Conferences)

संस्था तथा कॉन्फ़ेंस के नामों को बहुधा पाठक पूरे नाम से पूछते हैं अतः डॉ॰ रमनाथन ने उनको लिखने के लिए उसी प्रकार के उचित नियम बनाए हैं। इनका नाम सीधा लिखा जाता है तथा उनके साथ आवश्यक व्यक्ति-साधक तत्व (Individualising element) लगा देते हैं।

संस्था के नाम के साथ

1. शहर का नाम, यदि यह स्थानीय संस्था है।

2. राज्य का नाम, यदि यह राज्यव्यापी है।

3. राष्ट्र का नाम, यदि यह राष्ट्रव्यापी है।

जैसे—

मालबहादुर शास्त्री कॉलेज (जयपुर)।

सैन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया (जयपुर)।

सैन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया (जजैन)।

संस्था में यदि आवश्यक हो, संस्था कॉन्फ़ेंस के साथ वर्ष का उपयोग भी व्यक्ति-साधक तत्व के लिए करते हैं। जैसे—

RAJASTHAN LIBRARY ASSOCIATION (1962)

SEMINAR OF LIBRARIANS (Jaipur) (1965)

पुस्तकालय सूची के निर्माण में पुस्तकालयाध्यक्ष को सबसे अधिक कठिनाई नामों के लिखने में होती है। साधारणतः हम यह मानते हैं कि—ऐसे पुस्तकालयों में जिनके लिए

हम लिख रहे हैं, जटिल नामों वाली पुस्तकों कम ही आएंगी । फिर भी ऐसे जटिल नामों को कैसे लिखा जाए, बताना आवश्यक है ।

यूरोपीय नामों में अधिक जटिलता की सम्भावना नहीं है क्योंकि उनके नामों को वंश नाम (Surname) के अन्तर्गत लिखा जाता है तथा उनके वंश नाम पढ़ने ही विदित हो जाते हैं । जैसे—

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (1) CARETTE (Jean Deins) | Jean Denis Carette के लिए |
| (2) MILL (James) | James M II के लिए |
| (3) MILL (JS) | JS Mill के लिए |
| (4) BLACK (Newton James) | Newton James Black के लिए |

इस प्रकार यूरोपीय ढंग से भारतीय नामों को भी लिखा जा सकता है । जैसे—

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| SRIVASTAVA (Anand P) | Anand P Srivastava के लिए |
| RANGANATHAN (SR) | SR Ranganathan के लिए |

इस प्रकार की पद्धति का अनुसरण करने पर भी यह अधिक उपयुक्त होगा कि भारतीय नामों को उसी प्रकार लिखा जाए जैसे कि पूरा नाम लिखते हैं । जैसे—

SUBASH CHANDRA VERMA
SHY NATH SRIVASTAVA
YAMUNESH CHANDRA JOSHI

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि लेखक ने अपने नाम को यूरोपीय पद्धति के अनुसार भी लिखा है तो उसके लिए नामान्तर निर्देश सलेख बनाना आवश्यक हो जायगा । जैसाकि प्रयांकित है—

SRIVASTAVA (SN)

See

SHYAM NATH SRIVASTAVA

इसके अतिरिक्त अनेक लेखकों के नाम दो शब्दों के मिलने से बनते हैं । जैसे—

DAS GUPTA (SS)

RAY CHAUDHURI (MN)

ऐसे नामों को दोनों प्रश्नों के साथ जैसाकि ऊपर लिखा गया है, लिखना चाहिए तथा निम्नांकित प्रकार के नामान्तर निर्देश सलेख बना देना चाहिए—

GUPTA (SS Das)

See

DAS GUPTA (SS)

लेखक का नाम लिखना इतना अधिक जटिल हो गया है कि पुस्तकालयाध्यक्षों के सम्मुख बड़ी विकट समस्या है । डॉ० रणनाथन ने इस समस्या का समाधान (Canon of Ascertainability) के आधार पर किया है । उनका कहना है कि पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तक के भाष्या पृष्ठ पर दी हुई सूचना को आधार समझना चाहिए तथा जिस प्रकार

इसमें नाम दर्शाया हो उसी प्रकार लिखना चाहिए । अन्य रूपों - (Forms) के लिए नामान्तर निर्देश सलेस ब्रनाकर पाठकों की सहायता की जानी चाहिए ।

सूची का आवश्यक अग्र पाठकों की विषय सम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करना है । इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए सर्वानुवर्णी सूची में अनुवर्ण विषय सलेखक (Alphabetical Subject Entry) का प्रावधान किया गया है । अंग्ल-अमेरिकी कोड (Anglo-American Cataloguing Rules) 1967 के लिए अधिकतर सीयर्स विषय-शीर्षक सूची (Sears Subject Heading List) तथा लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस विषय-शीर्षक सूची (Library of Congress Subject Heading List) का उपयोग किया जाता है । डॉ० रचनाधन ने इस कार्य के लिए निश्चेषि-प्रक्रिया (Chain Procedure) का उपयोग किया है । इसके द्वारा विषय-शीर्षक भासानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा पुस्तकालय द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण प्रणाली विषय-शीर्षक प्रदान करने में सहायक होती है । ब्रिटिश नेशनल बाइब्लियोग्राफी (Bibliography) न भी इस पद्धति को अपनाया है । निम्नलिखित उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विषय-शीर्षक कैसे प्राप्त कर सकते हैं—

O152, 1NOO : g	= पत्र; एक विवेचन	891.431
O	= साहित्य	800
	↓	
O1	= भारतीय-यूरोपीय साहित्य	891
	↓	
O15	= संस्कृत साहित्य	—
	↓	
O152	= हिन्दी साहित्य	891.43
	↓	
O152,1	= कविता	891.431
	↓	
O'21NOO	= पत्र	—
O1:2, 1NOO : g	= मूल्यांकन	—

अतः इस पुस्तक का विशिष्ट विषय (Specific Subject) पत्र, कविता, हिन्दी, साहित्य होगा तथा इस विशिष्ट विषय के अन्तर्गत घालेस बनाया जाएगा । अन्य पङ्क्तियों से (See) देखो व (See also) उसको भी देखो आलेख बनाए जाएंगे ।

सूची की सफलता के आवश्यक तत्त्व

किसी भी प्रकार की सूची की सफलता के लिए आवश्यक है कि—

- (1) पाठकों का सूची तक अबाध प्रवेश हो । पाठकों की भांग का स्तर जानकर सूची बनाई जाए । सूची निर्माण से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि पुस्तकों तक पाठकों की पहुँच का तरीका लेखक के नाम से है अथवा धार्या के

नाम से । बहुधा छोटे सांबंजनिक पुस्तकालयों व स्कूल पुस्तकालयों में पाठक पुस्तक के विषय में लेखक व भाष्या के नाम से ही मांग करते हैं ।

- (2) सूची निर्माण सिद्धान्तों के धारार पर होना चाहिए ।
- (3) सूची की पूर्णता उसकी सफलता के लिए आवश्यक है । सूची को पूर्ण व दोष रहित रखना पुस्तकालय की उपयोगिता व सूची की सफलता के लिए आवश्यक है ।
- (4) पुस्तकालयाध्यक्ष को स्वयं पाठकों को समय-समय पर यह बताना चाहिए कि पुस्तकालय सूची का उपयोग कैसे करें । ऐसा करने से पाठक सूची की जटिलता से नहीं घबराएंगे तथा सूची उपयोग करने का अभ्यास बढ़ेगा ।



प्रलेखन

पुस्तक वर्गीकरण तथा सूचीकरण से एक कदम आगे प्रलेखन कार्य की जटिलता प्रारम्भ होती है। विद्वानों का मत है कि यह कहना कठिन है कि वर्गीकरण व सूचीकरण कहाँ समाप्त होता है तथा प्रलेखन कार्य कहाँ से प्रारम्भ होता है। इनकी विनाशक रेखा इतनी महीन है कि इनमें विभेद करना असम्भव नहीं तो दुष्टतर अवश्य है।

सामाजिक इकाइयों के आकार में हुए परिवर्तन व वृद्धि, विद्योपाजन के साधन व ढंग में हुए परिवर्तन तथा भौतिक उपकरणों के उपयोग ने पुस्तकालय विज्ञान के निया-कनाओं व विचारधारा में आमूल-पूल परिवर्तन ला दिया है। आज अब धारों और ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, आविष्कारों तथा अन्वेषकों की सख्या में निरन्तर प्रगति व वृद्धि हो रही है। तब नवीन विधियों तथा तकनीकों के उपयोग से ही यथार्थ विद्योपाजन किया जा सकता है। कागज और मुद्रण कला ने आविष्कार के साथ मानव ने पुस्तक उत्पादन कला का विकास किया था, परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् तो मुद्रण कला व प्रकाशन क्षेत्र में इतना परिवर्तन आ गया है कि पुस्तक नामक संचरण-साधन गतिहीन हो गया है तथा उसका स्थान पत्र-पत्रिका व अन्य स्वल्प आयु प्रकाशनों के जैसे, समाचार-पत्र, शोध-रिपोर्ट, पेश्वेट, एकरव (Patent), विनिर्देश (Specification), मानक (Standards) तथा शोध रिपोर्ट ने ले लिया है। इसने साथ ही यह आवश्यक हो गया है कि पाठकों तक नवीनतम प्रतियों की सूचना तत्काल पाठक तथा शोधकर्ता तक पहुँचे।

प्रलेखन शब्द का उपयोग माशान्यतः उस विधि के लिए किया गया है जो सूचना की इकाइयों का घन्वेषण कर उनकी सूचना पाठक तक निरन्तर व प्रभाव रूप से पहुँचाती है। माटिटर टाडे ने प्रलेखन कार्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है—

“प्रलेखन कार्य उस सम्पूर्ण जटिल प्रक्रिया को कहते हैं जो विशेष सूचनाओं के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त होती है।”

सैण्डाउन एनसाइक्लोपेडिया ऑफ साइन्सिफिक के अनुसार प्रलेखन कार्य के द्यस्तगत प्रकाशित व अन्य लिखित सामग्री में समाविष्ट भौतिक सूचना, विशेष उपभोक्ताओं और उद्योगों के मद में विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर, प्रकाशित, विधरिण, निवि-बटिकरण, संगठन, महण, प्रत्यावर्तन कर उन्हें अधिक उपयोगी रूप देने तथा उपयोग के लिए उनका सयोजन एवं प्रसारण प्रादि करने की विधिवां भाती है।

संक्षेप में प्रलेखन शब्द का उपयोग सूचना स्रोतों का सकलन करने, वर्गीकरण करने तथा उन्हें शोधवर्ताओं अथवा बुद्धिजीवियों तक पहुँचाने में धाने वाले सभी क्रिया-कलापों के लिए करते हैं तथा यह प्रक्रिया मूलतः तीन तत्त्वों पर आधारित है—

1. सूचना (ज्ञान) की पुनः प्राप्ति अर्थात् नवीन से नवीनतम तथा सूक्ष्मतम विचारों के प्रलेखों का सकलन, संग्रहण तथा संपादन करना,
2. सूचना (ज्ञान) की व्यवस्था अर्थात् नवीन से नवीनतम तथा सूक्ष्मतम विचारों को व्यवस्थित तथा संयोजित करना, एवं
3. सूचना (ज्ञान) का प्रसारण अर्थात् नवीन से नवीनतम तथा सूक्ष्मतम विचारों के व्यवस्थापन तथा संयोजन के पश्चात् वास्तविक कार्य संचालित सूचना को पाठक तक पहुँचाना है।

सूचना (ज्ञान) पुनः प्राप्ति

सूचना पुनः प्राप्ति शब्द का सर्व प्रथम उपयोग कैलविन भूअर्स ने सन् 1950 में किया था। सामान्यतः इसके अन्तर्गत अभिलिखित ज्ञान के वे विविध सूचना स्रोत धाने हैं जिनका सकलन व संवर्द्धन पाठकों तक यह सूचना पहुँचाना है कि उनके विविध विषयों में क्या प्रकाशित हो रहा है। ये स्रोत पुस्तकालयाध्यक्ष को साहित्य की खोज करने में सहायक होते हैं।

पुस्तकालयाध्यक्ष को साहित्य की खोज प्रारम्भ करने से पूर्व सूचना पुनः प्राप्ति को विभिन्न विधियों और साधनों से पूर्ण रूप से अवगत होना अपेक्षित है। खोज के लिए नियत पथ आशिक रूप से उस समकालीन सम्बन्धित साहित्य के परिमाण और प्रकार पर निर्भर करता है जिसे पुस्तकालयाध्यक्ष खोज कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व सन्नहित करता है। खोज के सम्पूर्ण कार्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

1. परियोजना का उद्देश्य, विषय, स्वरूप और क्षेत्र को परिभाषित करना।
2. तद्विषयक ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करना तथा उन शीर्षकों को निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत सदम स्रोतों में उनका उल्लेख हुआ है।
3. उन शीर्षक प्रकाशनों पर विचार करना जो किसी विविध समय विधि में प्रकाशित होते हैं।

प्रलेखों के क्षेत्र में सूक्ष्मतम, नवीन से नवीनतम विचार सामग्री के सम्मिलित होने से साहित्यिक क्षेत्र में इतना विकास और गतिशीलता आ गयी है कि उसने प्रलेख शब्द की सामान्य व परम्परागत परिभाषा को एक दम बदल दिया है। पिछले सौ वर्षों में हुई अभूत-पूर्व प्रगति ने हमारे सामने विस्फोटक चुनौती उपस्थित कर दी है तथा उस चुनौती का सामना करने के लिए डॉ॰ रपनायन ने न केवल प्रलेख शब्द की परिभाषा में परिवर्तन किया है बल्कि सभी प्रकार के प्रकाशित प्रलेखों को चार भागों में विभाजित कर दिया है :

प्रलेख



परम्परागत

— पुस्तकें व पत्रिकाएँ

↓		
नव-परम्परागत	—	मानक, विनिर्देश, एकत्व, शोध रिपोर्ट, पैम्फलेट तथा अन्य इसी प्रकार की प्रकाशित सामग्री ।
↓		
अपरम्परागत	—	माइक्रोफिल्म, श्रव्य-दृश्य, तथा श्रव्य-दृश्य प्रलेख ।
↓		
अनुप्रलेख (Meta-documents)	—	ऐसे प्राकृतिक व सामाजिक तथ्य जिनका निरूपण यांत्रिक साधनों से हुआ हो तथा जो मानवीय मर्ममध्य की मध्यस्थता से रहित हो ।

प्रलेखक का कार्य इस प्रकार के परम्परागत, नव परम्परागत, अपरम्परागत व उन प्रलेखों के संप्रह, सकलन व व्यवस्थापन से प्रारम्भ हो जाता है तथा उसका कर्तव्य है कि वह इन स्रोतों में से सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री का अवलोकन व अध्ययन करके पठकी योग्य रचना की व्यवस्था कर, प्रावश्यक सूचना पाठक तक यथोचित पहुँचा दे ।

सूचना का व्यवस्थापन

जैसे ही बारीकी से अवलोकन और प्रासंगिक सूचना की खोज की प्रारम्भिक बात पूर्ण होती है, उनके व्यवस्थापन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रक्रिया में वर्गीकरण, अनुक्रमण और सार संकलन करना सम्मिलित है । नव-नवागत तथा सशम-विचारयुक्त प्रलेख वर्गीकरण, अनुक्रमण तथा सार संकलन की प्रक्रिया से निकलने के पश्चात् प्रसारण व पाठकों के उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं ।

वर्गीकरण

वर्गीकरण प्रलेख प्रक्रिया का मूलभूत आधार है । साधारण व गणनात्मक वर्गीकरण पद्धति आधुनिक युग की आवश्यकता पूर्ण करने में असमर्थ है तथा इसी कारण ट्यूवी की दशमलव वर्गीकरण पद्धति को परिवर्तित कर सार्वभौम दशमलव पद्धति में बदला गया । इधर भारत में डॉ० रंजनाथन ने विश्वेश्वरान्धक डिबिन्दु वर्गीकरण पद्धति का विकास किया है । यह प्रणाली विषय-शीर्षक का इतनी गहराई से वर्गीकरण करती है कि अनुवादित वर्गीक और विचार सामग्रियों का समान स्वगुण निर्देश व बर्णन होता है ।

अनुक्रमण

अनुक्रमण अथवा सूचीकरण से सामान्यतः जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसमें तथा उसके उद्देश्य व कार्य प्रणाली में इतनी पविष्ट समानता है कि इनके मध्य किसी प्रकार की ऐसी भेदक रेखा नहीं खींची जा सकती जो यह बता सके कि सूचीकरण कहाँ समाप्त होता है और अनुक्रमण कहाँ से प्रारम्भ होता है । फिर भी अनुक्रमण सूचीकरण से अधिक जटिल और महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है । कोई भी सूचीकार साधारण सूचीकरण प्रक्रिया में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, परिवर्तन कर सकता है परन्तु प्रलेखक अनुक्रमणिका में प्रविष्टी के स्वरूप निर्धारण के पश्चात् किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता तथा अपनी सूची को व्यापक, विस्तृत व परिपूर्ण बनाने के लिए विश्व सम्मत नियमों का पालन करना होता है ।

प्रलेख सूची की अनुक्रमणिका प्रविष्टी में निम्नांकित सूचनाएँ होनी चाहिए—

1. प्रलेख के लेखक का नाम ।
2. प्रलेख की भाषा ।
3. प्रलेख का सटमं स्रोत : पोपक प्रलेख (Host document), खंड, बर्ष, पृष्ठ मख्या अथवा यदि पोपक प्रलेख पुस्तक है तो पुस्तक का प्रकाशन स्थल, प्रकाशक, तथा प्रकाशन बर्ष ।
4. प्रलेख का वर्गीकरण क्रम ।

उपर्युक्त व्यवस्थापन में प्रलेख सूची की प्रकृति, क्षेत्र-धीर उद्देश्य की ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं । जैसे—वर्गीकृत प्रलेख सूची में वर्गीकरण क्रम प्रलेख प्रविष्टी के शीर्ष पर होना तथा लेखक प्रलेख सूची में अन्त में होगा ।

अनुक्रमणिका तैयार करते समय निर्देशों की पालना आवश्यक है—

1. प्रलेख में की गई प्रत्येक उपयोगी सूचना अनुक्रमणिकाबद्ध हो । अगर एक प्रविष्टी में सभी सूचना न आ सकें अथवा सूचना बहुकेन्द्रीय (Multiple) या संप्रमित (Composite) हो तो प्रत्येक केन्द्र अथवा संप्रप के लिए अन्त निर्देश प्रविष्टी (Cross reference Entry) के स्थान पर मुख्य प्रविष्टी ही बनाई जाय ।
2. प्रत्येक प्रविष्टी एक पूर्वाभावी क्रम में सम्मिलित की जाय ।
3. शीर्षकों का चयन उनके वैज्ञानिक व प्रचलित शब्द अथवा शब्द समूहों में से हो ।
4. वर्तनी में एक ही रूप का नियमित प्रयोग हो ।
5. अनुक्रमणिकाबद्ध विषयों को वर्णित करने वाले सर्वाधिक समीचीन विशिष्ट शीर्षकों का चयन सावधानी पूर्वक हो ।
6. जहाँ शब्दों और उनसे द्योतित कार्य को संयुक्त करके लिखना (जहाँ तक यह सम्भव व उपयोगी हो) चाहिए जैसे बैंक धीर बैंकिंग परन्तु फिश धीर फिशिंग नहीं ।
7. जहाँ आवश्यक हो वहाँ अपवृत्त शीर्षकों का उपयोग हो ।
8. समानार्थी (पर्यायवाची) शब्दों की जांच कर तथा उपयोग में न आने वाले रूपों से उपयुक्त सन्दर्भ (Cross reference Index entry) तैयार करना चाहिए ।
9. विलोम शब्दों को जांच कर धीर जहाँ उपयुक्त हो वहाँ उन्हें संयुक्त करना जैसे रोजगार धीर बेरोजगार ।
10. जहाँ एक ही वर्तनी के शब्द अलग-अलग अर्थ प्रस्तुत करते हों (अर्थात् यमक हों) वहाँ पारिभाषिक वाक्यांश सम्मिलित करें जैसे रेस (स्पोर्ट), रेस (एथ्यो-लोजी) आदि ।

सार संकलन

उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए प्रलेखन के माध्यम से ज्ञान के धनिवाये योगदान

का संक्षिप्त विवरण प्रविष्टी के अन्त में दिया जाता है। इस कार्य को सार संकलन (Abstracting) कहते हैं। इस प्रकार की सूचना मुक्त प्रलेख सूची विशेषज्ञों के लिए अपरिमित महत्त्व की तथा उपयोगी होती है।

सामान्य सार सेवा विशेषज्ञों को विशिष्ट विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रलेखों तथा उनमें निहित विचारों की सूचना प्रदान करती है। वास्तव में सार सेवा का उद्देश्य समकालिक कार्य का सर्वोत्तम प्रदान करना तथा विशेषज्ञों को अपने विषय के गहन अध्ययन के लिए इन निबन्धों के अन्त में सहायता करना है जो उनके विशिष्ट विषय पर समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।

सूचना का प्रसार

सूचना की पुनः प्राप्ति व व्यवस्थापन के पश्चात् महत्त्वपूर्ण कार्य उस सूचना का पाठकों तथा उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाना है। उसे उन विशेषतः उपभोक्ताओं या शोधकर्ताओं से निरन्तर सम्पर्क रखना चाहिए जिनके लिए उसने धम किया है। उसका सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि सही सूचना, सही पाठक तक, सही समय निरन्तर प्रवाह पति से पहुँचती रहे तथा वह पुस्तकालय के उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है जिनके लिए पुस्तकालयों का निर्माण हुआ है अथवा पुस्तकालय मात्र साहित्य के भंडार रह जायेंगे।

पुस्तक प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया

प्रवाप्ति सख्या प्राप्त करने के पश्चात् पुस्तक को पाठक के हाथों में पहुँचाने के लिए सभी कामों को करना पड़ती है। हमारे विचार में पुस्तक को सर्वप्रथम लेख पत्र व नाम पत्रादि चिपकाने के लिए भेजा जाना चाहिए जिसमें पुस्तक अपनी यात्रा के दूररे स्थान पर अर्थात् बर्गीकरण के लिए भेजी जा सके। पुस्तक में निम्न प्रकार के लेबल चिपकाए जाने हैं :—

ग्रन्थ पट्ट

बहुत से पुस्तकालय पुस्तक पर अपना अधिकार प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम ग्रन्थ पट्ट चिपका देते हैं। ग्रन्थ पट्ट पुस्तक आवरण के पीछे सबसे ऊपर बाईं ओर चिपकाया जाता है तथा उसमें पुस्तकालय का नाम, प्रवाप्ति सख्या, क्रमक ममक (Call Number) आदि लिखा रहता है, जैसा कि निम्न चित्र से प्रकट होता है :—

ग्रन्थ पट्ट

पुस्तकालय का नाम य स्थान	
स्थापना वर्ष
बर्गीकरण
ग्रन्थसंख्या
प्रवाप्ति सं०
खंड सं०

ग्रन्थ घेती

पुस्तक के आवरण पृष्ठ के पीछे लगाया जाने वाला दूसरा लेबल 'ग्रन्थ घेती' है। इस घेती के अन्दर ग्रन्थ पत्रक (Book Card) रखा जाता है, जिसका उपयोग पुस्तक निर्माण करने के लिए किया जाता है। ग्रन्थ घेती विशेषतः दो प्रकार की होती है—




ग्रन्थ पैली—1



ग्रन्थ पैली—2

ग्रन्थ पैली के आकार के साथ ही ग्रन्थ पत्रक के आकार में अन्तर होता है । दोनों प्रकार के ग्रन्थ पत्रक नीचे चित्रित हैं :-



ग्रन्थ पत्रक चित्र—1

दर्शक अर्थात् संख्या		समक	
केसक			
धाक्या			
उपयोग की पंजीयत संख्या	सौटाने की तिथि	उपयोग की पंजीयत संख्या	सौटाने की तिथि

संय पत्रक चित्र—२

तिथि पण

पुस्तक के आवरण पृष्ठ के पीछे जहाँ पुस्तक पट्ट व पुस्तक बंदी चिपकाई जाती है उसके सामने वाले पृष्ठ पर जिसे बन्धक पृष्ठ (Binder's page) कहते हैं, तिथि पण को चिपकाया जाता है । तिथि पण का उपयोग भी पुस्तक प्रागम-निर्गमन क समय होता है तथा उसमें अरबिखित बर्णन होता है—

पुस्तकालय का नाम

दर्शक

समक

अर्थात् सं०

इस पुस्तक को घन्टा में सिखी तिथि से पूव सौटान का कष्ट करें । लिखित तिथि के पश्चात् सौटाई गई पुस्तक पर 0.05 पैसे प्रतिदिन घटीतावधि शुल्क लिया जाएगा ।

पुस्तक सौटाने की तिथि	पुस्तक सौटाने की तिथि	पुस्तक सौटाने की तिथि	पुस्तक सौटाने की तिथि
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ग्रन्थ दर्शक

सबसे श्रान्त में पुस्तक की पीठ पर ग्रन्थ दर्शक चिपका देते हैं। उस पर सूचीकरण के उपरान्त क्रमक समक लिख देते हैं जिससे पुस्तक श्रालभारी में से श्राप्तानी से निकाशी जा सकती है। ग्रन्थ दर्शक भी कई प्रकार के होते हैं, परन्तु निम्न प्रकार का अधिक प्रचलित है:—



ग्रन्थ दर्शक

मोहर लगाना

उपर्युक्त लिखित लेबनों को चिपकाने के परचाद् यह आवश्यक हो जाता है कि पुस्तक पर पुस्तकालय की मोहर लगाई जाए। मोहर लगाने समय यह सावधानी रखना आवश्यक है कि पुस्तक की श्राकृति को न बिगाड़ा जाए।



पत्रिकायें

पुस्तको के अतिरिक्त ज्ञानार्जन मे पत्रिकाओं का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । पत्रिकाएँ पुस्तको द्वारा अज्ञित ज्ञान को पूर्ण करने मे सहयोग देती हैं । दिन-प्रतिदिन की घटनाएँ, शोध एव विद्वानों के विचारों का ज्ञान पत्रिकाओं के माध्यम से ही हो सकता है । पुस्तकें इस क्षेत्र मे पगु एवं असमर्थ हैं ।

पत्रिकाएँ Encyclopaedia of Librarianship के अनुसार नियमित अथवा अनियमित कालान्तर का प्रकाशन है जिसके प्रत्येक अंक मे सामान्यतः क्रमानुगत सख्या लिखी रहती है, अन्य धारावाहिकों से जो कि उसी प्रक्रिया मे प्रकाशित होते हैं, अलग हैं एव पूर्व निर्धारित प्रत्यय न होकर अमिक हैं । पत्रिकाएँ "ऐसा प्रकाशन हैं, जो कि अनुक्रमित सख्या (बिना जिह्द बंधा हुआ) मे विशिष्ट नाम के अन्तर्गत, अनिश्चित अथवा नियमित कालान्तर पर प्रकाशित होता है ।"

पत्रिकाओं को अमेरिकन पुस्तकालयाध्यक्ष धारावाहिक (Serial) कहते हैं । परन्तु डेविनसन के कथनानुसार पत्रिकाओं तथा धारावाहिक एव मेगजीन मे गम्भीर अन्तर है । उनके अनुसार यदि पुस्तकालयाध्यक्षता के शब्दकोश मे मेगजीन शब्द को हटा दिया जाए तो अच्युता होगा; क्योंकि इस शब्द का उपयोग निम्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिए करते हैं, जिनका विशेष महत्त्व नहीं होता ।

अतः पत्रिकाओं मे निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :-

- (1) यह नियमित कालान्तर पर, मासिक, अर्द्ध-मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक आदि प्रकाशित होती हैं ।
- (2) अंक मे कम से कम एक अण्ड एव किली किसी पत्रिका के दो अण्ड भी प्रकाशित होते हैं ।
- (3) अण्ड के प्रत्येक अंक पर अण्ड सख्या व अंक सख्या लिखी रहती है ।
- (4) निर्धारित अंकों के प्रकाशित हो जाने पर अण्ड पूर्ण हो जाता है । अण्ड पूर्ण होने पर उसकी जिह्दबंदी की जाती है ।

इन विशेषताओं के विपरीत पत्रिका प्रकाशन कार्य अनेक कमियों एव कठिनाइयों से परिपूर्ण है । डॉ० रंगनाथन के अनुसार "उनकी कमियाँ कल्पना व सम्भावनाओं से परे हो सकती हैं ।" उनके अनुसार पत्रिका प्रकाशन मे निम्नलिखित कमियाँ हो सकती हैं ।⁵

1. खण्ड संख्या में अनियमितता ।
2. प्रकाशन में अनियमितता ।
3. नाम एवं संस्थापक में परिवर्तन ।
4. दो अथवा दो से अधिक पत्रिकाओं के एकीकरण से उत्पन्न समस्याएँ ।
5. एक ही पत्रिका का दो व अधिक पत्रिकाओं में विभक्त होना ।

“ऐसा लगता है जैसे सम्भवतः पत्रिका प्रकाशन से सम्बन्धित कोई भी, अर्थात् प्रकाशक समाज, नाम, कालक्रम, आकार, पृष्ठांकन सभी अथवा किसी एक खण्ड के सभी, प्रति-वृद्धियुक्त सम्बन्ध तथा अन्त में जीवनकाल व पुनर्जीवन, पहलू अव्यवस्था से बचा नहीं रह सकता ।”⁶

इस प्रकार की कमियाँ न केवल सूचीकरण में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं, बल्कि पत्र-पत्रिका विभाग के संचालन में भी अव्यवस्था पैदा करती हैं । अतः पत्रिका विभाग के संगठन व संचालन में भी अत्यधिक समय एवं साधनानी की आवश्यकता है । पुस्तकालय के रिकार्ड इस प्रकार के होने चाहिए जिससे उपयुक्त एवं प्रत्येक कठिनाइयाँ जोकि दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में आती हैं, का पकड़तापूर्वक सामना किया जा सके । डॉ० रजनाधन ने इस विषय में अपनी पुस्तक Library Administration में विस्तार से लिखा है । उन्होंने पत्रिका विभाग के लिए तीन पत्रक प्रणाली का मुझको दिया है जिसका उपयोग करने से पत्रिका प्रकाशन में आने वाली कठिनाइयाँ व दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का काफी समाधान हो सकता है । इन पत्रकों की सगरेखा एवं सक्षिप्त विवरण हम पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे ।⁷

डॉ० रजनाधन ने भद्रास विद्यालय पुस्तकालय में तीन पत्रक प्रणाली की रचना सन् 1930 ई० में की एवं उसका उपयोग किया । इस प्रणाली का प्रत्येक पत्रक 11" × 3" अथवा 12½ × 7½ सेपी का होता है । इस प्रणाली के पत्रक इस प्रकार हैं :—

पत्रीकरण पत्रक (Register Card)

आस्था	मुगतान				
विक्रेता	खण्ड अथवा वर्ष	बाउण्डर मस्या व दिनांक			
	पत्रक : नमक कात	आदेश सं० व दिनांक			
वापिक चन्दा ०० -					
खण्ड सं० अंक	प्रकाशन तिथि	प्राप्ति तिथि	खण्ड सं० अंक	प्रकाशन तिथि	प्राप्ति तिथि

इस पत्रक के अन्तर्गत पत्रिका के खण्ड, अंक, नाम, प्रकाशन तिथि, कालक्रम आदि का पूर्ण विवरण होना है तथा इनमें से किसी एक में भी परिवर्तन होने की अवस्था में इस पत्रक में परिवर्तन करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त पुस्तकालय कर्मचारी इस पत्रक को देखकर सुविधा पूर्वक यह बता सकता है कि पुस्तकालय में किसी भी पत्रक का कीमता अंक नहीं प्राप्त है । यह जान कर वह विक्रेता का इस सम्बन्ध में समय के अन्दर

सूचना प्रेषित कर सकता है। सूचना प्रेषित करने से पहले उसे परीक्षण पत्रक की जाँच करनी पड़नी है एवं उसमें भी इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भरने पड़ने हैं। पंजीकरण पत्रक की व्यवस्था वर्णक्रमानुसार होती है। जबकि परीक्षण पत्रक की व्यवस्था का ढंग निरासा है। इस पत्रक की व्यवस्था के लिए सूची पत्रक ट्रे के बाहर विभाग बाग़्द माह के लिए करते हैं। फिर प्रत्येक विभाग के चार उन विभाग प्रत्येक सप्ताह के लिए करते हैं। डॉ० रचनायन के अनुसार उसे 52 भागों में विभक्त करते हैं। प्रत्येक भाग में परीक्षण पत्रकों को उनकी प्राप्ति के सम्भावित सप्ताह में वर्णक्रम में रखने हैं एवं जैसे-जैसे पत्रिकाओं का आगमन होता है, इन पत्रकों को आगे सम्भावित सप्ताह में बढ़ाते जाते हैं। फिर प्रत्येक सप्ताह बाकी बचे हुए पत्रकों को, जो पुस्तकालय में सम्बन्धित पत्रकों के न बाने को प्रदर्शित करते हैं निकाल कर अनुस्मरण पत्र भेज देते हैं। परीक्षण पत्रक का नमूना निम्नलिखित प्रकार है। इसमें पत्रिका का नाम, कालक्रम खण्ड एवं ग्रन्थ संख्या (जो कि पुस्तकालय में नहीं आया है) अनुस्मरणीय करने की तिथि एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं।

परीक्षण पत्रक (Check Card)

नाम			कालक्रम		
खंड तथा ग्रंथ	अनुस्मरण तिथि	पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर	खंड तथा ग्रंथ	अनुस्मरण तिथि	पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

उपर्युक्त दोनों पत्रकों को मिलाकर हमें यह ज्ञान हो जाता है कि पत्रिका का कौन-सा भाग पुस्तकालय में नहीं आया है भववा पत्रिका की प्रकृति कब से चल रही है एवं पत्रिका का मुल पृष्ठ, विषय सूची व अनुक्रमणिका (Title Page, Contents and Index) आया है, अथवा नहीं। इसी कमी की पूर्ति के लिए भी डॉ० रचनायन ने विभिन्न प्रकार के स्मरण पत्रों की रचना की है।¹⁸

हीन पत्रक प्रणाली का तीसरा पत्रक वर्गीकृत सूची पत्रक (Classified Index Card) है। यह पत्रक पुस्तकालय कर्मचारी को सम्बन्धित पत्रिका के सम्बन्ध में यह सूचना प्रदान करता है कि पुस्तकालय में उस पत्रिका के कितने खण्ड, जैसा कि निम्न रूप-रेखा से ज्ञात होता है, हैं—

वर्गीकृत	वाचिक शब्दा	कालक्रम
नाम व संख्या		
विक्रंता		

प्रकाशक
प्राप्त सचद
धनुकमणिका घादि
परिशिष्ट घादि

इस पत्रक की व्यवस्था वर्गिक के अनुसार होती है । उपयुक्त तीनों पत्रक एक ही प्रणाली के तीन भाग हैं एवं एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । यह प्रणाली बड़े पुस्तकालयों, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शोध एवं विशिष्ट पुस्तकालय में अधिक उपयोगी एवं लाभप्रद है । छोटे-छोटे पुस्तकालयों में यद्यपि ऐसे पुस्तकालयों में जहाँ प्राये बाली पत्रिकाओं की संख्या कम होती है, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर इन पत्रिका विभाग के रिपोर्ट्स में परिवर्तन कर सकते हैं एवं ऐसा परिवर्तन घनेक लेखकों व पुस्तकालयों ने किया है । इनमें से मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों जैसे समाचार-पत्रों के समूह इन प्रकार होते :—

मासिक (Monthly)

पत्रिका का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च घादि
----------------	-------	-------	------------

साप्ताहिक (Weekly)

पत्रिका का नाम	जनवरी				
	1	2	3	4	5

दैनिक के लिए (Daily), इनमें समाचार पत्र भी आ जाते हैं, के प्रत्येक पृष्ठ एक माह के लिए होता है :

दैनिक नाम	1	2	3	4	5	6	7	घादि
-----------	---	---	---	---	---	---	---	------

इस प्रकार के लेखों से छोटे एवं साप्ताहिक पुस्तकालयों का काम सुचारु रूप से चलता रहेगा एवं पुस्तकालय में पत्र-पत्रिकाओं का आगमन प्रबाध रूप से चलता रहेगा ।

पत्रिकाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदा करती हैं यतः उनके चुनाव में पूर्ण योग्यता एवं सावधानी की आवश्यकता है । किसी भी पुस्तकालय में स्थानीय जनता के शैक्षणिक एवं बौद्धिक स्तर के विपरीत चुनी हुई पत्रिकाएँ अनुपयोगी होगी । बहुधा देखा गया है कि उचित समूह वाले पत्रिका विभाग में सर्वाधिक भीड़ रहती है । पत्रिकाओं के साथ दैनिक समाचार-पत्रों का प्रदर्शन भी पुस्तकालय की उपयोगिता में वृद्धि करता है । पत्रिकाओं के

चुनाव के लिए उनके प्रकार एवं उनमें निहित मामूली के विषय में जानना आवश्यक है। गैबल एवं ग्रन्थ लेखकों के अनुसार पत्रिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं :—

1. जिनसे ज्ञान की वृद्धि होती है;
2. दूसरी वह जिनका ध्येय किसी व्यवसाय अथवा समाज के हितों की उन्नति में योग देना है;
3. तृतीय प्राप्त के लिए (सार्वजनिक प्रभाव बढ़ाने के ध्येय से)।⁹

डेविनसन ने, जैसा कि ब्रिटेन के पुस्तकालयों की प्रणाली है, भी पत्रिकाओं को निम्न-लिखित भागों में विभक्त किया है¹⁰ :—

1. बौद्धिक एवं व्यावसायिक समस्याओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ;
2. वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा लाभ प्राप्ति के ध्येय से प्रकाशित पत्रिकाएँ;
3. वाणिज्यिक एवं भौद्योगिक संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक सम्पर्क एवं सद्भावना पैदा करने के लिए प्रकाशित पत्रिकाएँ। इस प्रकार की पत्रिकाओं को घरेलू पत्रिका (House Journal) भी कहते हैं।

हम भी पत्रिकाओं का विभाजन दो भागों में कर सकते हैं :—

1. बौद्धिक।
2. मनोरंजक।

पुस्तकालयों में पत्रिकाओं का चुनाव करते समय इन विभाजनों का ध्यान रखना आवश्यक है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में अधिकतर घरेलू पत्रिका (House Journal) एवं जन सम्पर्क व सद्भावना पैदा करने वाली पत्रिकाओं का चयन करना उपयोगी होगा। ऐसे पुस्तकालयों में जिनका उपयोग जन-साधारण करता है, बौद्धिक पत्रिकाओं का चुनाव अधिक उपयोगी न होगा। ऐसी पत्रिकाओं का चुनाव स्थानीय जनता का विचार करके ही करना चाहिए।

बौद्धिक व व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा ज्ञान वृद्धि के लिए प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए उपर्युक्त स्थान शैक्षणिक एवं शोध पुस्तकालय है, जहाँ लगभग प्रत्येक पाठक उनका उपयोग कर सकता है।

इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं के चुनाव में पुस्तकालय के आर्थिक साधनों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

References

1. Thomas Landau, 'Encyclopaedia of Librarianship.' London Bows & Bows, 1961. p. 275.
2. L. R. Wilson and Maurice F. Tauber, 'The University Library.' N. Y., Columbia University Press, 1958. p. 372.
3. D. E. Davinson, 'Periodicals'. London, Andre Deutsch, Grafton Book, 1964. p. 17.
4. S R. Ranganathan 'Classified Catalogue Code 'Bombay, Asia Publishing House, 1964. p. 433,

5. Ibid., p. 433-5.
6. S. R. Ranganathan 'Library Administration.' Bombay, Asia Publishing House, 1958. p. 151.
7. Ibid. p. 152-3.
8. Ibid. p. 202
9. J. H. Gable. 'Manual of Serial Work.' Chicago, American Library Association, 1937. p. 19.
10. D. E. Davinson. op. cit. p. 18.



श्रव्य-दृश्य साधन

श्रवण तथा दर्शन मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा मनुष्य सीखता है। सरेलिक तथा सचित्रित सामग्री, सग्रहालय पदार्थ, ध्वनिक, चलचित्र, चित्रपट, रेडियो तथा टेलीविजन आदि मनुष्य द्वारा शीघ्रता से एवं प्रबन्धी प्रकार सीखने की इच्छा का शक्तिपूर्ण प्रमाण है। यही श्रव्य-दृश्य यन्त्र हैं तथा पुस्तकालयों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग साधन के रूप में बहुत समय से किया जाता है। यह साधन, यदि इनका उपयोग समयोचित एवं बुद्धिमानी पूर्वक किया जाए, सुर प्रकार के शिक्षण को उन्नत बनाएँगे तथा सर्वाधिक प्रभावशाली ज्ञान को प्रोत्साहित करेंगे। अतः सभी श्रव्य-दृश्य सामग्री को मौखिक प्रोग्राम के ध्येय की प्राप्ति में साधन एवं सहायक के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए।

श्रव्य-दृश्य सामग्री के प्रकार

यदि पुस्तकालय को अधिक लाभप्रद व महायक सिद्ध करना है तो उसमें सभी प्रकार के श्रव्य-दृश्य सहायको का सगृहीत होना आवश्यक है। यह श्रव्य-दृश्य सामग्री क्या है? साधारणतः इन शब्दों का प्रयोग उस यान्त्रिक सामग्री के लिए किया जाता है जिनका उपयोग भाषा प्रथवा अन्य प्रकार के मौखिक संकेतों पर पूर्णतः निर्भर न रह कर अन्य साधनों से ज्ञानार्जन में सहायक होता है। पुस्तकालय द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐसे यन्त्र छः प्रकार के हैं।

सरेलिक सामग्री

रेलिक सामग्री अधिकतर द्विमातीय निरूपण है नक्शे, भूमिगोल रेखाचित्र, कार्टून तथा ग्राफ आदि इस वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं। मानचित्र तथा भूमिगोल संकेतों द्वारा सूचना देने तथा प्रचलित क्षेत्र, स्थान, दिशा आदि का ज्ञान प्रत्याघक सूक्ष्मीत माप द्वारा प्रदर्शित करने के रेलिक साधन है। कार्टून संकेतों द्वारा प्रतिपादित विचारधार. प्रथम वस्तु तथा दृश्यों को चित्रित करने के लिए आवश्यक साधन है। ड्राइंग एक ज्यामितिक उपकरण है। ग्राफ एवं रेखाचित्र के द्वारा नग्न आँकड़ों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चार्ट प्रथवा रेखाचित्र तथ्यों को इस प्रकार सुव्यवस्थित कर हमारे सम्मुख रखता है जिससे हम सुगमतापूर्वक व संक्षेप में होने वाली उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।

अन्य विभागों तथा उपयोगकर्ताओं के सहयोग द्वारा उपलब्ध मानचित्रों, भूमिगोल (Globe) आदि अन्य सामग्री द्वारा पुस्तकालय क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकृष्ट किया

जा सकता है तथा उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति सुविधानुसार की जा सकती है।

संग्रहालय पदार्थ

पुस्तकालयों में बहुत से संग्रहालय पदार्थ होते हैं। विभिन्न विभागों में भी ग्रन्थ प्रकार के उपकरण होते हैं। लगभग प्रत्येक पुस्तकालय में इस प्रकार के साधन सुविधा-पूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। इनका प्राप्त करना तथा उचित उपयोग पुस्तकालयाध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। संग्रहालय पदार्थ जनसाधारण को आकर्षित करते हैं तथा विभिन्न न्यायों ग्रन्थों साधनों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। हम इन्हें सुविधापूर्वक (1) संग्रहालय तथा ग्रन्थ पुस्तकालयों से प्राप्ति सहयोग व आदान-प्रदान, (2) विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भेंट करने तथा (3) पुस्तकालय क्षेत्र और पाठन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

सचित्र सामग्री

चित्र प्रत्यक्ष करने व कराने दोनों ही प्रणालियों में लाभकर सिद्ध होते हैं। निर्देशन, चित्र तथा फोटो द्वारा काल्पनिक, इच्छित व प्राकृतिक दृश्य, घटना तथा वस्तु का प्रदर्शन करना सचित्र सामग्री के अन्तर्गत आता है तथा पुस्तकालय के लिए लाभप्रद है। इस प्रकार के साधन का उपयोग जनता को आकर्षित करने के लिए पुस्तकालय बहुत समय से कर रहे हैं। सचित्रित पोस्टकार्ड, मैगजीन व समाचार पत्रों की कतरन भी इस वर्गीकरण में आ जाते हैं एवं प्रध्ययन क्षेत्र में उपयोगी हैं।

ध्वनिक (Recordings)

पुस्तकालयों द्वारा आज के युग में ध्वनिकों का सकलन उपयोगी एवं लाभप्रद है। पुस्तकालय से ध्वनिगुण एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्र व कर्मचारी का होना आवश्यक है। पुस्तकालय को उपयोगी और अधिक उन्नतिशील करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ टेप रेकार्डर व अन्य सम्बन्धित सामग्री भी हो जिससे न केवल पुस्तकालय के प्रोग्राम परन्तु रेडियो द्वारा प्रसारित आकर्षक प्रोग्राम भी रिकार्ड कर समय-समय पर पुस्तकालय का आकर्षण बढ़ाने व शिक्षा प्रसार के ध्येय से प्रसारित किए जा सकें।

प्रक्षिप्त स्थिर चित्र (Projected Still Picture)

प्रक्षिप्त स्थिर चित्रों के अन्तर्गत उत्तम प्रकार के चित्रपट (Lantern slide) परदर्शीय साधन, अपरदर्शीय प्रक्षेप (Opaque projections) क्लिप स्ट्रिप, सूक्ष्म प्रक्षेप (Micro-projections), त्रिचित्र चित्र (Stereograph) आदि आते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय में इनका होना आवश्यक है।

चलचित्र (Films)

चलचित्रों द्वारा पुस्तकालय पाठकों की जिज्ञासा का उत्तर देने की चेष्टा करता है। इसके प्रतिरिक्त चलचित्र के माध्यम से पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों आदि पर सुगमता व अधिक प्रभावशाली ढंग से समझ सकते हैं।

रेडियो तथा टेलीविजन

घाज के युग में श्रव्य-दृश्य साधनों में रेडियो तथा टेलीविजन महत्त्वपूर्ण साधन हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग एवं महत्त्व अत्यधिक है। ये घाज की वैज्ञानिक सम्यता के धोतक हैं एवं सम्यता के विकास में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। घाज के वैज्ञानिक युग में पुस्तकालयों द्वारा इनका उपयोग न होना शैक्षणिक दुघटना नहीं तो धीर बया है।

श्रव्य-दृश्य प्रोग्राम का संगठन व संचालन

श्रव्य-दृश्य प्रोग्राम के संगठन व संचालन का सम्बन्ध उन नीतियों व सिद्धान्तों के निर्माण, सम्पादन व मूल्यांकन में है जिनका उपयोग शैक्षणिक तरीकों व सिद्धान्तों में परिवर्तन व उनको उत्कृष्ट बनने के ध्येय से किया जाता है। इसका संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रव्य-दृश्य सहायक)

श्रव्य-दृश्य सामग्री से सुसज्जित किसी भी बड़े पुस्तकालय में श्रव्य-दृश्य प्रोग्राम की सफलता के लिए सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का होना नितान्त आवश्यक एवं न्यायोचित है। (1) श्रव्य-दृश्य साधनों की आवश्यक ट्रेनिंग, (2) प्रोग्राम की योजना बनाने तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता, (3) श्रव्य-दृश्य सिद्धान्तों, योजना व तकनीक के प्रदर्शन करने की योग्यता, (4) श्रव्य-दृश्य शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य में लगातार योगदान एवं क्षेत्रीय, राज्य व्यापी व राष्ट्र व्यापी कार्यक्रमों में सहयोग हो, एवं (5) पाठकों, साधियों तथा संचालकों के साथ सहयोग प्रादि गुण उसकी योग्यता के विशेष धग हैं।

श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम के संचालन व संगठन का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पर रहता है। उसे उपलब्ध सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा साथ ही अपने सहायकों की योग्यता का अनुमान भी होना आवश्यक है। उसे इस प्रकार की सामग्री का उचित चुनाव, सूचीकरण तथा उपयोग के लिए उपलब्ध करा कर शिक्षा के इन साधनों को उन्नत करने में सहायक होना चाहिए तथा उपयोगकर्त्ताओं को अपने कार्यक्रम के विषय में जानकारी व उसका महत्त्व समझना चाहिए।

संगठन एवं सेवा कार्य

श्रव्य-दृश्य सेवाओं के उपयोग एवं संगठन में अग्रणीत ममत्साएँ हैं, परन्तु उसमें प्रत्येक समस्या का उचित विचारोपरान्त निराकरण हो सकता है। अमनुलित शैक्षणिक सुविधाओं ने संगठित श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम को शिक्षा जगत में अत्यवश्यक बना दिया है।

अधिग्रहण (Acquisition)

श्रव्य-दृश्य उपकरणों के खयन में धनेक बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। मुख्यतः (1) उपकरण का उपयोग घासानी से किया जा सके तथा वजन में हल्का हो, (2) उसका मूल्य उचित हो तथा दूसरों के मुकाबले ठहर सके, (3) उपकरण प्रदर्शन करने के आवश्यक मान्यों को पूर्ण करता हो, (4) घाकार धारणक हो तथा (5) वह इस प्रकार का हो कि जिसमें

आवश्यकतानुसार संशोधन व मरम्मत सामग्री से की जा सके। उपकरणों को (1) पुस्तकालय के स्तर, (2) पुस्तकालय के कार्यक्रम के अनुरूप, (3) उपयोग तथा माँग के आधार पर, (4) वृहत योजना तथा प्रबन्ध के विचारानुसार, (५) ध्येय की पूर्ति में उपकरणों का महत्त्व एवं योगदान, (6) वित्तीय साधनों की उपलब्धि का विचार कम्बे प्रय करना चाहिए।

संरक्षण

उपकरणों की उपयोगिता व जीवन बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अच्छी तरह उचित व्यवस्था में संरक्षित रखा जाए। संप्रह के निर्धारण के लिए न केवल उपलब्ध भूमि ही विचार योग्य है वरन् उसमें यह भी विचार योग्य है कि इन उपकरणों को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है प्रयवा करना चाहिए। संरक्षित करने का ढंग ही उपकरणों की क्षति से बाह्य वह संप्रह स्थान पर संरक्षित है अथवा मार्ग में है, बचा सकता है।

पुस्तकालय में श्रव्य-दृश्य केन्द्र की स्थापना में भूमि की योजना के लिए कुछ प्रावण्यक सुझाव व निर्देश हैं—

1. उपकरणों को रखने के लिए भूमि की योजना बनाते समय रहस्यक पुस्तकालयाध्यक्ष को उम समय की आवश्यकता के अनुसार उपकरणों तथा कार्यक्रमों की विविधता को ध्यान में रखना आवश्यक है।
2. उपकरणों की रक्षाई तथा उनके निरीक्षण के लिए आवश्यक रोगनी वा प्रबन्ध होना चाहिए।
3. चलचित्रों की सफाई तथा उनके निरीक्षण के लिए आवश्यक रोगनी वा प्रबन्ध होना चाहिए।
4. उपकरण संप्रह स्थान से जाने व लाने के स्थान के पास ही होना चाहिए।
5. अनुकूलनम कार्य स्थान का प्रबन्ध होना चाहिए।

परिचालन एवं उपयोग

श्रव्य-दृश्य सेवा कार्यक्रम में सबसे बड़ा समस्या जनता द्वारा उनका उपयोग करने में है। ऐसी सामग्री के उचित व प्रभावशाली उपयोग कराने के लिए आवश्यक है कि उम प्रकार का अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाये। इस सामग्री के सम्बन्ध में उपमागकर्ताओं को आवश्यक सूचना देने से भी अभीष्ट फल प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार सामग्री के सम्बन्ध में सूचना सामान्य, स्पष्ट, उपयोग में आसान, प्राथुनिकतम, सही तथा पुनरावृत्तियों हो।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के सम्मुख इस प्रकार की अनेक समस्याएँ हैं तथा उनमें से महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रव्य-दृश्य सामग्री के प्रचारित करने की है। उपर्युक्त प्रबन्ध का ढंग, (1) पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं में श्रव्य-दृश्य सामग्री की सूची को उपजा कर विवशित करना, (2) पुस्तकालय में उपलब्ध श्रव्य-दृश्य सामग्री का पूर्ण सूची पत्रक होना चाहिए तथा (3) उस सामग्री का समय-समय पर प्रदर्शन हो।

श्रव्य-दृश्य सेवा कार्यक्रम का मायोजन इस प्रकार होना चाहिए कि जिसमें विविध प्रकार की सामग्री का उपयोग हो सके। इस सम्बन्ध में मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं—(1) सामग्री

तथा उपकरणों की उपलब्धि में सुव्यवस्था सामग्री की मांग बढ़ाती है एवं उसके प्रभावोत्पादक उपयोग में सहायक है (2) आर्थिक. उपयोग में कृषि, योजना एवं ध्येय की एकता के लिए सेवा कार्यक्रम केन्द्रित हो । इन सिद्धान्तों के निरूपण के लिए तथा पुस्तकालय द्वारा धर्म्य दृश्य सामग्री के सही उपयोग कराने के लिए, सामग्री आदेश, सूचीकरण एवं वितरण के सुगम व चतुर तरीके अपनाए जाएँ ।

उपसंहार

शिक्षा के क्षेत्र में धर्म्य-दृश्य सहायकों की उपयोगिता व महत्त्व सिद्ध हो चुका है । पुस्तकालय के क्षेत्र में इस सामग्री के उपबोग के सम्बन्ध में हम क्या कह सकते हैं वह तो सर्वविदित ही है । पुस्तकालय में धर्म्य-दृश्य सेवाओं के प्रसार में बहुधा पुराने ढंग की बनी दमारतों में हथान की एवं आर्थिक अनुदान की उपलब्धि न होने से रुकावट बढ़ती है. परन्तु इन रुकावटों को दूर करने की चेष्टा की जा रही है । प्रत्येक पुस्तकालय इस सामग्री की उपयोगिता का अनुभव कर रहा है तथा इसके सदुपयोग की चेष्टा को जाती रही है । धर्म्य-दृश्य कार्यक्रम की सफलता एवं उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि संग्रह उन्नत प्रकार का हो, नेतृत्व व दिग्दर्शन अच्छा हो ।

□□□

संग्रह परीक्षण

संग्रह परीक्षण पुस्तकालयों की अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्या है। पुस्तकों के खोने एवं चोरी बने जाने के कारण यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि कौन-सी पुस्तक एवं पुस्तकें पुस्तकालय संग्रह से कम हो गई हैं। यह आवश्यक है कि खोई हुई पुस्तकों को यदि वह उपयोगी हों तो पुस्तकालय में पुनः उपलब्ध कराया जाए। हम यहाँ संक्षेप में संग्रह परीक्षण पर विचार करेंगे।

संग्रह परीक्षण

संग्रह परीक्षण की आवश्यकता पुस्तकालय से पुस्तक के खोजने एवं चोरी बने जाने के कारण होती है। पुस्तकालय से पुस्तकें कुछ बाठकों की निम्न मनोवृत्ति के कारण खोती हैं। श्री मिस्तन¹ के अनुसार पुस्तकालय में तीन प्रकार के पाठक प्राते हैं—

- (1) वे व्यक्ति जो सुविधा एवं आसर होने पर भी कीमती से कीमती चीज को नहीं चुरावेंगे।
- (2) वे व्यक्ति जो समुद्रिया एवं आसर न होने पर तथा हर प्रकार की निगरानी एवं देखभाल होने पर भी अवश्य चुरावेंगे जबकि चुराने का कोई मौका हाथ से न जाने देंगे। इन प्रकार की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति अत्यन्त खतरनाक एवं प्रताप्य होते हैं।
- (3) वे व्यक्ति जो चोर तो नहीं हैं, परन्तु निगरानी के अभाव में चोरी करने के लालच में पँस जाते हैं। एक और कारण से भी ऐसे व्यक्ति चोरी करने की प्रवृत्ति में पँस जाते हैं, वह यह है कि पुस्तकों एवं अन्य अध्ययन सामग्री के उपयोग पर अनावश्यक प्रतिबन्ध भी ऐसे व्यक्तियों में चोरी करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं।

इस प्रकार मानवीय कमजोरी के कारण पुस्तकालय से पुस्तकें चोरी नली जाती हैं जिनका पता संग्रह परीक्षण करने के परभाव ही मय सकता है। संग्रह परीक्षण के अन्य नाम भी हैं जो इस प्रकार हैं—

- (1) संग्रह परीक्षण खोई हुई पुस्तकों का ज्ञान करा कर, उनके स्थान पर पुस्तकें पुनः नय कराने में सहायक है।

- (2) सग्रह परीक्षण फलको पर पुस्तक व्यवस्था लाने में सहायक है। इसे करने से अनेक छिपी हुई पुस्तकें मिल जाती हैं।
- (3) इन करने से पुस्तक सग्रह का निरीक्षण हो जाता है एव पुस्तको पर आवश्यक लेबल लग जाते हैं।
- (4) एक अन्य लाभ जिसकी हम सभी उपेक्षा कर जाते हैं, महत्वपूर्ण है। सग्रह परीक्षण करने से पुस्तकालय कर्मचारी को पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक सग्रह का पूर्ण ज्ञान हो जाता है एव इसी प्रक्रिया के बार-बार दोहराने पर तो उसे पुस्तकालय में उपलब्ध प्रत्येक पुस्तक की जानकारी हो जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पुस्तक चयन एव सदर्न सेवा पर अवश्य होता है।

इन लाभों के होने पर भी अनेक पुस्तकालयों में पुस्तक परीक्षण वर्षों तक नहीं हो पाता है तथा इसके भी कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं :—

- (1) इसके लिए कर्मचारियों एव समय की आवश्यकता है।
- (2) पुस्तकालयों को बहुधा इस कार्य के लिए बन्द कर दिया जाता है जिससे पाठकों को असुविधा एव उनमें असंतोष पैदा होता है।
- (3) सग्रह परीक्षण पर होने वाला व्यय कभी-कभी खोने वाली पुस्तकों की कीमत से भी अधिक हो जाता है। इसी कारण अमेरिका, इंग्लैण्ड व अन्य यूरोपीय देशों के पुस्तकालय सग्रह परीक्षण को ही समाप्त कर रहे हैं।
- (4) खोई हुई पुस्तकों का ज्ञान उनकी माँग होने पर एव पुस्तक के परिचालन पटल व फलक पर न मिलने पर ही हो जाता है। फिर सग्रह परीक्षण द्वारा ऐसी पुस्तकों के खोने का जिनकी पाठक माँग न करते हों, पता लगाने पर सग्रह परीक्षण का असली ध्येय ही समाप्त हो जाता है।
- (5) बड़े पुस्तकालयों में सग्रह परीक्षण अत्यन्त ही कठिन है।

सग्रह परीक्षण के तरीके

सग्रह परीक्षण कई प्रणालियों से किया जा सकता है। उनमें से निम्नलिखित तरीके सर्वमान्य एव आसान हैं :—

1. सख्या गिन कर,
2. परिग्रहण रजिस्टर में,
3. अन्य रजिस्टर का उपयोग कर,
4. काटों पर सख्या छपवा कर,
5. फलक सूची से मिलाकर,
6. प्रत्येक पुस्तक के लिए परीक्षण काल में काटे बनाकर

सख्या गिनकर

सग्रह परीक्षण की सबसे सुगम प्रणाली फलको पर उपलब्ध पुस्तकों की सख्या गिनकर एव उस सख्या में परिचालन केन्द्र से निर्गमित पुस्तकों, जित्द बँधने एव मरम्मत के लिए भेजी हुई तथा अन्य किसी कारण से हटाई हुई पुस्तकों की सख्या जोड़कर पुस्तकालय में

परिग्रहीत पुस्तकों की संख्या से घटा देते हैं। बची हुई पुस्तकों को खोया हुआ मान लेते हैं। इस प्रकार खोई हुई पुस्तकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि खोई हुई पुस्तकों का नाम ज्ञात नहीं हो सकता है, केवल संख्या का ही ज्ञान हो पाता है।

परिग्रहण रजिस्टर से (From Accession Register)

यह प्रणाली भी प्रचलित सादी एवं सुगम है क्योंकि इसमें परिग्रहण रजिस्टर को फलक तक ले जाते हैं तथा प्रत्येक पुस्तक का नाम आदि मिलाकर सम्बन्धित परिग्रहण संख्या से मिला लेते हैं एवं परिग्रहण रजिस्टर में पुस्तक मिलने का निशान लगा देते हैं। जब फलक पर उपलब्ध सभी पुस्तकों का परीक्षण हो चुकता है तो बची हुई पुस्तकों की सूची बना लेते हैं। उसका अन्य विभागों में उपलब्ध एवं निर्मित पुस्तकों से परीक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार बची हुई पुस्तकों खोई हुई मान ली जाती हैं। फिर अन्तिम सूची बना कर पुस्तकालय समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं।

देखने में यह प्रणाली प्रचलित सादी एवं सुगम है, परन्तु इस प्रणाली से संग्रह परीक्षण करने में समय एवं मेहनत बहुत पड़ती है। पाठन स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक पुस्तक के परीक्षण के लिए परिग्रहण रजिस्टर के पन्ने पलटने में कितनी मेहनत एवं परेशानी होती होगी। इसके अतिरिक्त समय भी काफी लगता है, क्योंकि उस प्रणाली में केवल दो कर्मचारी ही कार्य कर सकते हैं तथा परिग्रहण रजिस्टर बार-बार संग्रह-परीक्षण करने के कारण गन्दा भी हो जाता है। इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग केवल छोटे पुस्तकालयों में ही किया जा सकता है। पुस्तकालय बित्तन: बढ़ा होगा, उतनी ही अधिक कठिनाई इस प्रणाली में होगी।

अन्य रजिस्टर का उपयोग कर जिसमें परिग्रहण के अनुसार संख्या क्रमानुसार लिखी हो

परिग्रहण रजिस्टर को गन्दे एवं अनुपयोगी होने से बचाने के लिए इस प्रणाली का विकास हुआ है। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक अन्य रजिस्टर पर परिग्रहण संख्या क्रमानुसार लिखी होती है एवं संग्रह परीक्षण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार परिग्रहण रजिस्टर से किया जाता है। अन्तर केवल इतना है कि इसमें केवल परिग्रहण संख्या ही मिलाई जा सकती है—पर पुस्तक का लेखक व नाम नहीं जैसाकि परिग्रहण रजिस्टर से परीक्षण करते समय किया जाता है। इस प्रणाली में भी वही दोष है जो इससे पूर्व की प्रणाली में है। इसके अतिरिक्त एक दोष जो मुख्य है, वह यह भी है कि परिग्रहण संख्या बोलने एवं सुनने में भी गलती हो सकती है, जिसे धीरे चलकर सुधारा भी जा सकता है परन्तु परेशानी बहुत होती है। ऐसा हमारा आन्तरिक अनुभव है। दूसरे बड़े पुस्तकालयों में इस प्रणाली का उपयोग भी इससे पूर्व की प्रणाली की भाँति ही कठिन एवं मेहनत का है। इस प्रणाली में एक अन्य रजिस्टर बनाने की मेहनत और बढ़ जाती है। सम्भावना यह है कि इस प्रकार का रजिस्टर प्रति पाँच व दस वर्ष पश्चात् पुनः बनवाना पड़ सकता है।

काठों पर संख्या छापवा कर

हैरीसन्² के अनुसार पुस्तकालय में संग्रह परीक्षण प्रणाली के लिए बड़े-बड़े काठों पर

1 से 1000 तक की सख्या छपवा ली जाए। यदि किसी पुस्तकालय एवं विभाग में 1,00,000 पुस्तकें हैं तो ऐसे 100 काडों का उपयोग किया जायेगा। फिर फलक से प्रत्येक पुस्तक का परीक्षण कर उसके परिग्रहण सख्या को सम्बन्धित काड में से काट देते हैं। तदुपरान्त उन काडों से परिपालन केन्द्र पर भी निर्गमित पुस्तकों का परिग्रहण सख्या लेकर काट देते हैं। संग्रह परीक्षण में महत्त्वपूर्ण बात है कि किसी प्रकार उस पुस्तक का नाम जो पुस्तकालय में उपलब्ध हो, खोई हुई पुस्तकों की सूची में न आए। अतः उन काडों का परीक्षण पुस्तकालय के प्रत्येक विभाग में रखी हुई पुस्तकों में करना चाहिए। जब पुस्तकालयाध्यक्ष सन्तुष्ट हो जाए कि प्रत्येक पुस्तक का जो पुस्तकालय में उपलब्ध है, परीक्षण हो चुका है तभी वह खोई हुई पुस्तकों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान करे।

फलक सूची से मिलाकर

संग्रह परीक्षण की सर्वाधिक आसान व उपयोगी प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्तर्गत पुस्तक का सूचीकरण करते समय उसका आलेख फलक सूची में भी करते हैं अथवा प्रत्येक के लिए अन्य संकेतों की भांति फलक पत्रक भी बना लेते हैं। फलक सूची में आलेख अथवा फलक सलेख पत्रक की व्यवस्था बर्गीकरण प्रणाली के अनुसार होती है। फलक सूची आलेख की तुलना में फलक सलेख पत्रकों का उपयोग अधिक सुविधाजनक है। अतः हम उन्हीं का वर्णन करेंगे। प्रत्येक पत्रक पुस्तक का फलक सलेख पत्रक निम्नलिखित मूल्यों के अनुसार बनाकर उनकी व्यवस्था बर्गीकरण प्रणाली के अनुसार करते हैं—

V44 : 19°N65 N66

संविदानन्द मूर्ती

भारत की विदेश नीति

20568

इन पत्रकों का आकार भी 5"×3" अर्थात् 12½×7½ से० भी० होता है। संग्रह परीक्षण करते समय सूची पत्रकों को फलक पर ले जाते हैं तथा एक व्यक्ति पुस्तक का क्रमक-समक (Call Number) तथा परिग्रहण सख्या बोलता जाना है तथा दूसरा व्यक्ति जिसके पास पत्रक बर्गीकरण प्रणाली में व्यवस्थित होते हैं पत्रकों का परीक्षण करता जाता है। पत्रकों पर अंकित पुस्तक के उपलब्ध न होने पर वह या तो उस पत्रक को टूट में ही छोड़ा कर देता है अथवा अलग निकाल देता है। ऐसे पत्रकों को अलग निकाल लेना अधिक उपयुक्त है। फिर निकले हुए पत्रकों से अन्य स्थानों, अर्थात् जिन्दसाजी के लिए भेजी हुई पुस्तकों की सूची, निर्गमित पुस्तकों आदि पर पर्कश्व करता है। इस प्रकार बचे हुए पत्रकों से खोई हुई पुस्तकों की सूची तैयार कर लेता है।

यह प्रणाली अत्यन्त सरल एवं कम समय लेने वाली है। आवश्यकता पडने पर पुस्तकालय के सभी कर्मचारी संग्रह के अलग-अलग विभाग में जाकर संग्रह कर सकते हैं जिन्हें परीक्षण कार्य शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो सके।

इस प्रणाली की सफलता के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बातें फलक पत्रकों की पूर्णता है। यदि किसी भी पुस्तक का फलक पत्रक खो गया हो तो परीक्षण काल में असुविधा हो सकती है।

इस प्रणाली के अतिरिक्त लेखकों के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर एक और अन्य

प्रणाली भी अधिक सरल एवं उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस प्रणाली में संग्रह परीक्षण के समय किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री, अर्थात् परिग्रहण रजिस्टर, फलक पत्रक आदि की फलकों पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा परिचालन केन्द्र के कर्मचारियों के प्रतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य में लग सकता है। हमारा ध्येय है कि पाँच कर्मचारी भी 1,00,000 के पुस्तक संग्रह का परीक्षण अधिक से अधिक 10 दिन में पूर्ण कर सकेंगे। इस प्रणाली के अन्तर्गत $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ से० भी० के मोटे पत्रकों की आवश्यकता होगी। संग्रह को विभक्त कर एक-एक कर्मचारी प्रत्येक विभाग में पहुँच जायेगा। वहाँ वह प्रत्येक पुस्तक की परिग्रहण संख्या को एक-एक कार्ड पर लिखता जायेगा। इस प्रकार सभी पुस्तकों के परिग्रहण पत्रक बन जायेंगे। इसी समय परिचालन केन्द्र के कर्मचारी निर्गमित पुस्तकों के कार्ड बना लेंगे। सभी पुस्तकों के कार्ड बन जाने पर उन कार्डों की व्यवस्था परिग्रहण संख्या के अनुसार कर लेंगे। इस प्रकार पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तकालय में उपलब्ध न होने वाली पुस्तकों को परिग्रहण संख्या को जान सकेगा तथा सूची बना सकेगा।

यह प्रणाली अत्यन्त ही सरल है एवं इसमें किसी प्रकार की चूटि होने की सम्भावना भी नहीं है।

References

1. R. L. Mittal, 'Library Administration, Theory and Practice' Delhi, Metropolitan Book Company, 1964. p. 270.
2. K. C. Harrison, 'First Step in Librarianship,' London, Andre-Deutsch Grafton Book, 1962. p. 143,

पुस्तकों की सुरक्षा

“एक से अधिक प्रकार पुस्तकें बच्चों के समान हैं, एक प्रकार से प्रारम्भिक जीवन में प्राप्त पालन-पोषण के प्रति उत्तर में एवं हमारे वातावरण तथा वंश परम्परा के उत्तर में।..... यदि बालक की भाँति इनका पोषण माता-पिता एवं मित्रों के मध्य प्रेम एवं सद्भावनापूर्ण होगा तो पुस्तक का प्रारम्भिक जीवन सुखी, विकसित तथा अन्त बहुत दूर हो जायेगा।”¹ जिस प्रकार बालक के सुखी जीवन की कामना उन्हें अच्छा खिला पिला कर एवं उनकी उन्नति के लिए प्रत्येक सम्भव सुविधा प्रदान कर माता-पिता करते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष यदि पुस्तकों का ध्यान रखेंगे, तो निःसन्देह पुस्तकों का जीवन बाल बढ़ेगा तथा वह समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी। जिस प्रकार माता-पिता अपने बालक की सुरक्षा प्रत्येक सम्भावित शत्रु से करते हैं उसी प्रकार प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए।

पुस्तकों एवं ग्रन्थ ग्रन्थयन सामग्री को अनेक प्रकार से क्षति पहुँच सकती है। इनको हम निम्नलिखित चार भागों में बाँट सकते हैं—

1. पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा,²
2. प्राकृतिक कारणों से,
3. कीड़े मकोड़ों से,
4. उपभोक्ताओं से।

1. पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा

पाठकों को ज्ञान कर पारवर्ष होगा कि अयोग्य पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार शराबी एवं व्यभिचारी पिता अपने बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है, उसी प्रकार अयोग्य पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय में अपने वाली प्रत्येक पुस्तक का भयकरतम शत्रु है। पुस्तकालय में पुस्तक अग्नि के उपरान्त पुस्तकालय अध्यक्ष के सरक्षण में पहुँच जाती है एवं ग्रन्थ प्रक्रिया के लिए अनेक विभागों में पहुँचती है। पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारियों को चाहिए कि वह पुस्तक का ध्यान रखें। उसे सावधानीपूर्वक खोलें एवं उपयुक्त स्थानों पर ही पुस्तकालय स्वामित्व की सील लगाएँ। बहुधा देखा गया है कि पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तक में अनेक अवाञ्छनीय स्थानों पर स्वामित्व की सील लगा देते हैं। इसके प्रतिरिक्त एक विभाग से दूसरे विभाग में पुस्तक पहुँचाने एवं परिचालन केन्द्र पर पुस्तक वापस आने पर पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तकों को

और से पटक देने हैं जिन्से पुस्तक की बिल्द आदि टूट सकती है। फलकों में पुस्तकें रखते समय भी आवश्यक सावधानी का उपयोग नहीं किया जाता है। फलक में लगाते समय पुस्तकों को पटक दिया जाता है, फलक में सीधा लड़ा नहीं किया जाता है एवं पुस्तक सहायकों (Book supports) की व्यवस्था भी नहीं होती है और यदि होती भी है तो पुस्तकालय कर्मचारी उस ओर ध्यान नहीं देता है। फलस्वरूप पुस्तकें फलकों से गिर सकती है, फलकों में टेढ़ी हो सकती हैं एवं मुड़ सकती हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इनके प्रतिरिक्त पुस्तकों को सबसे अधिक हानि पुस्तकालयाध्यक्ष की अज्ञानता के कारण पहुँचती है। पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकों के सभी सम्भावित शत्रुओं का ज्ञान एवं उनसे रक्षा के उपायों से परिचित होना चाहिए अन्यथा वह पुस्तकों की सुरक्षा न कर सकेगा।

2. प्राकृतिक कारण

पुस्तकों को वायु, रोगनी, प्रथेरा, मीलन, धूल आदि से भी क्षति पहुँचती है। अतः आवश्यक है कि पुस्तकों के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। पुस्तकालय भवन का निर्माण ऐसी योजनानुसार किया जाए जिससे उसमें मील न पहुँच सके, न अधिक रोशनी हो और न ही प्रथेरा हो। गरम वायु एवं धूल भी पुस्तकों को क्षति पहुँचाती है। पुस्तकों पर प्रकाश सीधा नहीं बहना चाहिए। सूर्य का प्रकाश बिल्द के लिए हानिकारक है। यद्यपि धंधेरे के द्वारा पुस्तकों को प्रकाश से होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है, परन्तु यदि अपकार अधिक होगा एवं उसके साथ मीलन भी मिल जायेगी तो वह अधिक हानिकारक होगा। पुस्तकालय में जाने वाली हवा यदि अधिक सूखी होगी तो पुस्तकों का कागज खराब हो जाएगा एवं वह शीघ्र फटने लगेगा। अधिक मीलन भी पुस्तकों को वायु को क्षीणता से कम करती है। अतः नमी एवं ताप पुस्तकालय में न तो अधिक हो और न ही कम हो। पुस्तकों की सुरक्षा के लिए "65 से 75 फ० तक का ताप एवं नमीय से पचास प्रतिशत नमी"³ का होना आवश्यक है। उपयुक्त प्रकार का वातावरण पैदा करने के लिए सबसे उत्तम उपाय पुस्तकालय को वातानुकूलित करना है। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था छोटे पुस्तकालयों में नहीं की जा सकती। अतः प्राकृतिक कारणों से होने वाली क्षति से सुरक्षा के लिए अन्य प्राकृतिक साधनों का सहारा लिया जा सकता है जैसे धंधीछी एवं हीटर जला कर नमी को दूर किया जा सकता है, सस का उपयोग कर अधिक गर्मी को कम किया जा सकता है। सिट्रिकियों से जानी आदि का प्रबन्ध कर वायु के वेग को कम किया जा सकता है एवं धूल को आने से रोका जा सकता है। प्रतिदीप्त (Fluorescent tube) का उपयोग कर छत की ओर से तुम्बानी रोशनी का प्रबन्ध किया जा सकता है जिससे पुस्तकों पर प्रकाश की सीधी किरण न पड़े एवं पुस्तकों की सुरक्षा की जा सके। धूल द्वारा की जाने वाली क्षति से बचने के लिए पुस्तक फलकों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। अधिक उपयुक्त होगा यदि धूल में बचने के लिए वायु पम्प (Vacuum cleaner) का उपयोग किया जाए।

3. कीड़े मकोड़े

दीमक, रजत क्रमियों (Silver fish) पुस्तक कृमियों (Book worm) भँगुरों (Cockroaches) एव फफूँदी के कारण भी पुस्तकों को अधिक क्षति होती है। यह कीड़े पुस्तकों को काट देते हैं प्रथवा खा जाते हैं। फलस्वरूप पुस्तकें उपयोगी होते हुए भी नष्ट हो जाती हैं। रजकृमियों एवं भँगुरों की समाप्ति के लिए बोरिक ऐसिड, सोडियम फ्लोराइड के मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। दीमकों को समाप्त करने के लिए लकड़ी के सामान की तभी में कोलतार लगाना चाहिए। प्रयत्न यह होना चाहिए कि पुस्तकालय में लकड़ी का सामान विशेषकर फलक लकड़ी के न हों एव यदि हों भी तो उत्तम प्रकार की लकड़ी के हों। प्रति वर्ष उन पर पालिश की जाए तथा उनकी तली में कोलतार लगा दिया जाए। पुस्तक क्रमियों का जन्म पुस्तक पीठिका एवं पुस्तक के कोनों पर होता है। यह पुस्तक पीठिका को खा जाते हैं तथा पुस्तक के पृष्ठों में छेद कर देते हैं। फलकों में नेपतरीन को गोलियाँ डालकर एव पुस्तकों में नीम की पत्ती रख कर इनको समाप्त किया जा सकता है। फफूँदी तापमान एव नमी की गड़बड़ी के कारण पैदा होती है। "यह 70 प्रतिशत नमी पर अधिक एव 90 प्रतिशत पर अत्यधिक तथा 25⁰ से 38⁰ से० के तापमान में पैदा होती है।" 4 अतः इसको दूर करने के लिए पुस्तकालय में अत्यधिक नमी एव ऊष्णता को नष्ट करना होगा। डॉ० रंगनाथन के अनुसार कीड़े मकोड़ों द्वारा की जाने वाली क्षति पुस्तकालय भवन के योजनाबद्ध निर्माण, पुस्तकोपक पाठकों के प्रवाह प्रवेश एवं पुस्तक फलकों की सफाई कर दूर की जा सकती है। "जब पुस्तकालय भवन निर्माण किया जाय, तो भवन की भूमि को अच्छी तरह छोद कर दीमक रानी के जाल से मुक्त कर दिया जाए। नीव की मिट्टी में जिन्क क्लोराइड प्रथवा कोपर सल्फेट 20 प्रतिशत मिश्रण मिला दिया जाए। भवन के ऊपरी भाग को नमी उत्पन्न न करने वाली सीमेंट कंकरीट एव एसफाल्ट की पट्ट डालकर नीव से भलग किया जाय। पत्थर प्रथवा पकी हुई ईंट घौर चूने का गारा प्रथवा केवल सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण में किया जाना चाहिए। एकाध कंकरीट को पुनना चाहिए। भूतल एव दीवार के बीच के जोड़ों को सीमेंट प्रथवा प्लास्टिक कोलतार से भर देना चाहिए।" 5 इस प्रकार भवन निर्माण में सावधानी से कीड़े मकोड़ों द्वारा की जाने वाली क्षति से बचा जा सकता है।

4 उपभोक्ताओं से

कुछेक स्वार्थी पाठकों द्वारा भी पुस्तकालय में पुस्तकों को क्षति पहुँचाई जाती है। यद्यपि इनका यह कार्य प्रमानुषिक एवं बर्बर है फिर भी लगभग सभी पुस्तकालयों में इस प्रकार की दुर्घटना होती ही रहती है। लेखकों को इस बात का अनुभव है कि पुस्तकालय में ऐसा कार्य केवल थोड़े से स्वार्थी, अनुशासनहीन एव अशुभ व्यक्ति ही करते हैं। परन्तु इससे पुस्तकालय में सर्वाधिक क्षति होती है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक पुस्तकालय में 'Encyclopaedia Britannica' के एक खण्ड से अनेक पृष्ठ कमी पाठक ने काट लिए। इस प्रकार की क्षति से बचने के लिए अनेक उपाय जैसा खिडकियों में जाली का प्रबन्ध, प्राचागमन के लिए एक ही मुख्य द्वार, मुख्य द्वार पर पुस्तकालय कर्मचारी को बैठाकर, यांत्रिक द्वार आदि किए गए परन्तु उनसे, यद्यपि क्षति में कमी अवश्य हुई है, वाञ्छित फल प्राप्त नहीं हो सके हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब पाठकों का धारम-बल एवं

चरित्र उग्र हो तथा उनमें पुस्तकालय भावना कूट-कूट कर भरी हो। कोई भी सैनिक अब तक उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट-कूट कर न भरी होगी, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण ग्योछावर नहीं करेगा। भावना का प्राबल्य मनुष्य को कुछ से कुछ बना देता। मतः आवश्यक है कि पुस्तकालय कर्मचारी पाठकों में इस भावना को भरें कि पुस्तकालय उनका है। उसकी क्षति से न केवल उनकी क्षति होगी, बरन् अन्य पाठकों, जाने वाली पीढ़ियों तक की क्षति होने की सम्भावना है। पुस्तकालय सम्बन्ध के प्रतीक हैं, उनकी क्षति मानवता की क्षति है, सम्पत्ता की क्षति है। इस प्रकार की भावना का उत्थान ही उप-भोक्ताओं द्वारा की जाने वाली क्षति को दूर कर सकता है।

5. पुस्तकों की मरम्मत

क्षतिग्रस्त पुस्तकों की प्रारम्भिक मरम्मत पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा ही कर लेनी चाहिए। ऐसा करने के लिए पुस्तकालय में गोंद, जिल्ड का कागज, स्कोच टेप पादि का होना आवश्यक है। फटे हुए पन्नों को स्कोच टेप से बिचकाना सर्वोत्तम है। अधिक क्षतिग्रस्त पुस्तकों को जिल्डबन्दी के लिए भेज देना चाहिए। जिल्ड बन्दी कराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिल्ड जुज (Section) के अनुसार बंधे, टीच द्वारा नहीं अन्यथा उनकी जिल्ड शीघ्र टूट जाएगी। यदि पुस्तक पीठिका पर बेलक व पुस्तक का नाम छप जाए तो अच्छा होगा। ऐसा करने से पाठकों को पुस्तक उपलब्ध होने में सुविधा होगी। पुस्तकालयाध्यक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पाठक पर, फनकों पर सुम्वरविषय एवं प्राकर्यक जिल्ड की पुस्तकों अच्छा प्रभाव डालती है। इसके विपरीत यदि पुस्तकालय फलक व्यर्थ एवं विकृत पुस्तकों से भरे होंगे तो पाठक पर पुस्तकालय की उपयोगिता के ध्यान से बुरा प्रहार पड़ेगा एवं उनमें यह भावना पैदा हो जाएगी कि पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने कार्य में रुचि नहीं है। जिल्डबन्दी की निरन्तर नीति पुस्तकालय संग्रह का उपयोग बढ़ाएगी एवं प्राकर्यक पुस्तक व पत्रिका आवरण सतुष्ट पाठकों को आमन्त्रित करेगा-पुस्तकालय का सर्वोत्तम विशासन होगा।⁶

References

1. Harry Miller Lydenberg and John Archer. 'The Care and Repair of Books,' Rev by John Alden.' N. Y., Bowker & Co., 1960. p. 5.
2. Ibid., p 12.
3. C. G. Viswanathan. 'Introduction to Public Library organisation. Tr. by S. C. Verma. Bombay. Asia Publishing House. 1965. p. 69.
4. S. R. Ranganathan. 'Library Manual.' Bombay, Asia Publishing House, 1960. p. 236.
5. Ibid.
6. American Library Association. 'Library Binding Manual. Chicago, ALA, 1961. p. 3.

पुस्तक प्रत्याहरण

संग्रह परीक्षण की भाँति पुस्तक प्रत्याहरण का भी महत्त्व है। अनुपयोगी हो जाने, फट जाने एवं अन्य कारणों से बेकार हो जाने के कारण पुस्तक का प्रत्याहरण आवश्यक है। पुस्तक प्रत्याहरण उतना ही आवश्यक है, जितना पुस्तक बुनाव। धनवाही पुस्तकें व्यर्थ में पुस्तकालय का स्थान घेरती हैं एवं पुस्तकालय की उपयोगिता को कम करती हैं। अतः पुस्तक प्रत्याहरण करना आवश्यक व लाभकारी है। दुर्भाग्यवश पुस्तकालय साहित्य में इसके महत्त्व को कम करके धाँका गया है तथा प्रत्याहरण प्रक्रिया को केवल मौखिक प्रशंसा ही प्राप्त हो सकी है। उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु व्यवहार में कुछ भी नहीं किया गया। विशेषतः भारतीय पुस्तकालय इस दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं। सम्भवतः भारत के अधिकांश पुस्तकालयों में पुस्तक प्रत्याहरण कभी नहीं किया गया होगा। सिद्धान्त के होते हुए भी इस व्यावहारिक हीनता के निम्नलिखित कारण हैं :—

1. पुस्तक प्रत्याहरण पर होने वाला व्यय।
2. यह निर्धारण करने में कि किसी भी पुस्तक का प्रत्याहरण किया जाय या नहीं, समय लगता है।
3. रिकार्ड प्रत्याहरण में भी धन एवं समय का अपव्यय होता है।
4. प्रत्याहरित पुस्तकों—पर निर्णय लेने में भी समय लगता है।
5. अनेक पुस्तकालयों ने इस प्रक्रिया पर होने वाले व्यय का अनुमान कर द्रुप समस्या पर शान्त बैठना ही अधिक उपयुक्त समझा है।
6. कभी-कभी पुस्तकालयाध्यक्षों ने भी पुस्तकों को प्राध्यात्मिक ज्ञान में “रक्त संचार” की महत्त्वपूर्णा सजा प्रदान की है तथा इस प्रकार के दृष्टिकोण ने पुस्तक प्रत्याहरण की आवश्यकता को मृत प्रायः कर दिया है।
7. पुस्तक प्रत्याहरण पुस्तक जलाने, विध्वंस करने एवं किसी पवित्र वस्तु की असम्भ्य व भ्रमानुषिक ढंग से नष्ट करने की क्रिया के समान माना गया है।
8. पुस्तक प्रत्याहरण करने में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा भी भूल होने की सम्भावना है। सम्भव है, प्रत्याहरित पुस्तक को माँग कुछ समय के पश्चात् किसी भी पाठक द्वारा की जाय।

इन प्रबल कारणों के होते हुए भी पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ाने एवं उपयोगी पुस्तकों को स्थान देने की दृष्टि से अनुपयोगी पुस्तकों के प्रत्याहरण की आवश्यकता है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनका प्रत्याहरण निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार सुविधा-पूर्वक किया जा सकता है :-

1. पुस्तक की अधिक माँग होने पर उनकी नई प्रतियाँ तय कर ली जाती हैं जैसी ही पुस्तक अनुपयोगी हो, उसकी एक प्रति को रोक कर अन्य प्रतियों का प्रत्याहरण किया जा सकता है।
2. पुस्तक के नवीन संस्करण निकलने पर पहले के संस्करण अनुपयोगी एवं व्यर्थ हो जाते हैं। इनका प्रत्याहरण किया जा सकता है।
3. ऐसी पुस्तकें जिनमें निहित विचार मृत प्रायः हो गए हैं एवं जिनकी उपयोगिता नष्ट हो गई है।
4. ऐसी पुस्तकें जो लगातार उपयोग, पाठकों के अनुत्तरदायी कृत्यों के कारण फट गई हैं एवं बाह्य भाङ्गति से बिगड़ गई हैं।

अनेक पुस्तकें भ्रूत्यवान होती हैं। उनमें निहित विचार युगों तक जन मानस के हृदय पर राज्य करते हैं एवं उनकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। विचारों की परिपक्वता छात्रों की महानता के कारण वह विश्वरोत्तम जन में सहायक होती हैं एवं मोक्षकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करती हैं ऐसी पुस्तकें प्रमत्त होती हैं। प्रत्येक विषय, धर्म व भाषा में लिखित उत्कृष्ट ग्रन्थ (Classical works) धार्मिक पुस्तकें, साहित्यिक कृतियाँ तथा महाकाव्य जैसे, वाग्दिल, दलियद एण्ड ओडेसी, रामचरित मानस, कालीदास, श्वेतसपीयर आदि की कृतियाँ सदा उपयोगी एवं प्रमत्त होती हैं परन्तु उनका शरीर प्रमत्त नहीं होता।¹ अधिक उपयोग के कारण वह भी फट जाती हैं। प्रमत्तता के कारण ऐसी पुस्तकें नए-नए आकार में उपलब्ध रहती हैं। अतः जब तक ऐसी पुस्तकें प्राथम न हों, फटी हुई पुस्तकों का प्रत्याहरण कर उनके स्थान पर नए आकार की पुस्तकें उपलब्ध की जा सकती हैं।

पुस्तक प्रत्याहरण करते समय हमें निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिससे पुस्तक प्रत्याहरण उपयोगी हो सके एवं पुस्तकालय की उपयोगिता किसी भी प्रकार कम न हो। यह केवल मुद्दा है, निम्न नहीं। स्थानीय विशेषताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

1. इतिहास एवं जीवनी

इतिहास में ऐसी पुस्तकों को जो प्रमाण युक्त न हों एवं जिनमें निहित विचार उत्कृष्ट ग्रन्थों का सशिष्टीकरण हों, प्रत्याहरण कर देना चाहिए। यात्रा सम्बन्धी कृतियों को इस ध्येयवा पन्द्रह वर्ष के पर्याप्त प्रत्याहरित किया जा सकता है। जीवन संग्रहों का प्रत्याहरण नहीं करना चाहिए एवं व्यक्ति विशेष की जीवनी भी सुरक्षित रखनी चाहिए जब तक पाठकों द्वारा लगातार उपयोग करने से वह विह्वल न हो जाय।

2. सामाजिक विज्ञान

इसमें प्रत्याहरण व्यापक रूप में किया जा सकता है, क्योंकि बहुधा इन विषयों पर

पुस्तकों ग्रन्थालयी समस्याओं एवं भाधारों पर लिखित होती है। पुराने संस्करणों को हटाया जा सकता है। ग्रंथशास्त्र की पुस्तकें प्रत्येक पाँच वर्षों परचात् परिवर्तित एवं प्रत्याहृत की जा सकती हैं।

3. साहित्य

साहित्य में प्रत्याहरण करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता है। साहित्यिक इतिहास की किसी भी पुस्तक को उसी समय हटाया जा सकता है, जब उसका उन्ने भ्रष्टा एवं नवीन संस्करण उपलब्ध हो। ऐस कवियों, नाटककारों एवं लेखकों की पुस्तकों को हटाया जा सकता है, जिनका उपयोग पाठकों द्वारा नहीं किया जा रहा हो।

4. प्राकृतिक विज्ञान

पुराने साहित्य को, जब तक वह उत्कृष्ट ग्रन्थ न हो, प्रत्याहरण कर, इस विषय को प्राधुनिकतम बनाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों, सुप्त प्रायः विचारों की पुस्तकों का प्रत्याहरण किया जा सकता है। जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास की पुस्तकों का प्रत्याहरण करते समय गम्भीर विचार एवं अध्ययन की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की पुस्तकालय समिति ने निम्न प्रकार की पुस्तकालय सामग्री के प्रत्याहरण की सिफारिश की है :—

1. सामान्यतः प्रेरणाहीन पुस्तकों (जैसे पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य ग्रन्थालयी मूल्य की पुस्तकों) का प्रत्येक पाँच वर्षों के उपरान्त प्रत्याहरण किया जा सकता है।
2. उपयोग द्वारा कटी हुई पुस्तकों की, जिनकी गरम्मत नहीं की जा सकती है, प्रति वर्ष प्रत्याहरण किया जा सकता है।
3. सदम पुस्तकों, जो असाधक (Out-of-date) हो गई हैं, अथवा जिनके नवीन संस्करण उपलब्ध हों, का प्रत्याहरण प्रति पाँच वर्षों परचात् उनकी प्रकृति के अनुसार किया जा सकता है।²

पुस्तक प्रत्याहरण करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय की प्रलमारियों में अतचाही पुस्तकों का होना पाठक का अपमान तथा पुस्तकालय के लिए दुःख की बात है।³

पुस्तक प्रत्याहरण के उपरान्त पुस्तकालय के निम्नलिखित धामेखों में आवश्यक सशो-वन कर देने चाहिए जिलसे पाठकों एवं कर्मचारियों को अनुपिया न हो।

1. कलक सूची पत्रक
2. सूची पत्रक
3. परिपहण रजिस्टर

References

1. UGC. University and College Libraries containing report of Library Committee etc. 1959. p. 46.
2. Ibid., p. 146-7.
3. C. G. Viswanathan 'Introduction to Public Library Organisation'. Tr. by S. C. Verma, Bombay, Asia Publishing House 1965. p. 89

पुस्तक निर्गम एवं आगम प्रणालियाँ

प्रभ्यजन सामग्री परिचालन के लिए प्रणालियों का आविष्कार पुस्तकालयों के ध्येय "पुस्तकों रक्षा के लिए के स्थान पर पुस्तकों उपयोग के लिए हैं" में परिवर्तन के कारण हुआ। सार्वजनिक पुस्तकालयों में नए प्रकार की निर्गम प्रणालियों का विकास शीघ्रता के साथ हुआ जबकि अन्य प्रकार के पुस्तकालयों में विकास की गति धीमी रही।

आरम्भ की निर्गम प्रणालियों को हम उनके विकास क्रमानुसार पाँच भागों में बाँट सकते हैं, जिनके पिछले नाम भी प्राप्य हैं :—

- (1) प्रपञ्जी प्रणाली (Ledger System)
- (2) कृत्रिम प्रणाली (Dummy System)
- (3) निर्देशक प्रणाली (Indicator System)
- (4) अस्थायी चिट प्रणाली (Temporary Slip System)
- (5) स्थायी चिट व पत्रक प्रणाली (Permanent Slip or Card System)

19 वीं शताब्दी के अन्त तक ब्राउन प्रणाली (Browne System) का विकास हुआ। इस प्रणाली के परभाव न्यूयॉर्क निर्गम प्रणाली का विकास हुआ। निर्गम प्रणालियों में अद्यतन कदम मशीनों का उपयोग था। किसी भी निर्गम प्रणाली की मुख्य सूचना दो हुई पुस्तक के सम्बन्ध में लेखा है कि पुस्तक कितने दी गई है एवं पुस्तक कब तक वापस आ जाएगी। हेसन गीर ने सुझाव दिया है कि "किसी भी निर्गम प्रणाली का मूल्यांकन अनेक व्यापारों, स्थापना व संचालन पर (कार्यकारियों के समय एवं उपकरण सहित) मूल्य, पाठकों की सेवा में उत्पत्ति तथा खर्चलि लेखों की संख्या में कमी का विचार कर करना चाहिए।"

विभिन्न पुस्तकालयों में उपयोग में लाई जाने वाली प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं:—

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ब्राउन निर्गम प्रणाली | : | मीना ई० ब्राउन ने इस प्रणाली का विकास किया। |
| 2. न्यूयॉर्क निर्गम प्रणाली | : | सार्वजनिक पुस्तकालय, न्यूजैरसी, न्यूयॉर्क में विकसित हुई। |
| 3. डेटरूमाट स्वनिर्गम प्रणाली | : | रैल्फ ए० उत्सर्विलिय ने इस प्रणाली का विकास डेटरूमाट सार्वजनिक पुस्तकालय में किया। |

4. गेलाई निर्गम प्रणाली : इस प्रणाली का गेलाई ब्रदर्स कम्पनी ने प्राविष्कार किया।
5. टोकन निर्गम प्रणाली : लंदन के वेस्टमिनिस्टर सार्वजनिक पुस्तकालय में एल० थार० मंकालविन ने इस प्रणाली का विकास किया।
6. डिकमैन पुस्तक निर्गम प्रणाली : न्यूयॉर्क शहर में स्थित पुस्तकालय निपुणता निगम ने इस प्रणाली को जन्म दिया।
7. फोटो निर्गम प्रणाली : इस प्रणाली के प्राविष्कार सयुक्त राज्य अमेरिका के एथ्रीकल्चर पुस्तकालय विभाग के भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष रैल्फ आर शा० हैं।
8. ओडियो निर्गम प्रणाली : यह डिक्टाफोन निर्गम प्रणाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। सर्व प्रथम इसका उपयोग सेंट लुइस काउन्टी पुस्तकालय में हुआ था तथा यह फोटो निर्गम प्रणाली से सम्बद्ध है।
9. दृश्यालेख निर्गम प्रणाली : दृश्यमान रजिस्टर फाइल का विकसित रूप है, जिसके द्वारा सभी पजीकृत उप-भोक्ताओं के नाम एक दृष्टि में पता लग जाते हैं।
10. पचड (Punched) प्रणाली : इस प्रणाली में छेद किए हुए पत्रको का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के काटें जैसे आई० बी. एम., रेमिग्टन रेंड तथा मेकबी की सोर्ट्स कोड का उपयोग किया जाता है।
11. वैन काउन्टी निर्गम प्रणाली : इस प्रणाली का विकास मिचिगॉव डेटरू ग्राट की वैन काउन्टी सार्वजनिक पुस्तकालय में वास्टर एच० कैसर ने किया।
12. आई० बी० एम० परिचालन नियन्त्रण प्रणाली : इस प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम ने प्राविष्कृत किया।
13. डबल रिकॉर्ड निर्गम प्रणाली : अमेरिका के कई कॉलेज व विश्व-विद्यालय पुस्तकालय दो पत्रक निर्गम प्रणाली का उपयोग करते हैं, अर्थात् एक पत्रक को वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार

व्यवस्थित किया जाता है तथा दूसरे को देय दिन के अनुसार ।

14. रंगीन पत्रक निर्गम प्रणाली : इस प्रणाली को बोदिमन कॉलेज पुस्तकालय ने आविष्कृत किया ।
15. टैब निर्गम प्रणाली : टैब निर्गम प्रणाली में जिसमें एक रिकार्ड होता है त्रिधि टैब, सिग्नल टैब, इकड टैब स्काचटैप टैब तथा टैब पॉकेट सिस्टम होते हैं ।
16. डबल काल स्लिप निर्गम प्रणाली : रैल्फ एच० पारकर के निर्देश में इस प्रणाली का उपयोग सर्व प्रथम मिसौरी विश्वविद्यालय पुस्तकालय में हुआ ।
17. परिग्रहण संख्या निर्गम प्रणाली : हार्वर्ड कॉलेज के लेमान्ट पुस्तकालय में इस प्रणाली का विकास हुआ ।

भारतीय पुस्तकालयों में आउन व न्यूयॉर्क निर्गम प्रणाली सर्वाधिक उपयोग में है मतः हम उन्हीं पर लिखेंगे । अन्य प्रणालियों का विवरण "हेलन गीर की निर्गम प्रणालियाँ (Charging System) नामक पुस्तक में मिल जाएगा ।

आउन निर्गम प्रणाली

आउन प्रणाली का विकास बोस्टन पुस्तकालय कार्यालय (Library Bureau) की भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष एवं ए० एल० ए० प्रकाशक निर्गम की मन्त्री नीना ई० आउन ने किया है । इंग्लैण्ड के सार्वजनिक पुस्तकालयों में यह प्रणाली सर्वाधिक उपयोग में आती है ।

उपकरण :—

1. षहीता पत्रक : प्रत्येक पाठक को पुस्तक लेने के लिए प्रति पुस्तक एक पत्रक, जो कि आकार में पत्र के स्थान पर जब अथवा लिफाफे की आकृति का होता है, दिया जाता है । उसमें उपभोक्ता की पञ्जीकृत संख्या, समाप्ति की तिथि, नाम व पता दिया जाता है ।
2. पुस्तक पत्रक : प्रत्येक पुस्तक के लिए एक पुस्तक पत्रक होता है, जिसमें परिग्रहण संख्या, क्रमक समंक, लेखक व माह्व्या लिखे होते हैं ।
3. अन्य पॉकेट अथवा रंगीली : यह पुस्तक में आगे अथवा पीछे की ओर बिपका रहता है । इसमें जब पुस्तक पुस्तकालय में होती है, पुस्तक पत्रक रखा रहता है ।

4 पत्रोद्धृत उपभोक्ताओं का
तैयारी

इसके अन्तर्गत (प्र) उपभोक्ताओं का नाम सामान्यतः उपभोक्ताओं द्वारा भरे हुए मूल प्रायोजना-पत्रों को वर्णक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा (ब) उपभोक्ताओं की प्रकृत पत्रोद्धृत सख्या प्राप्ति है। यह उपभोक्ताओं की कालक्रमानुसार व्यवस्थित फाइल होती है जिसमें गृहीता पत्रकों को क्रम सख्या के आधार पर दिया जाता है।

निर्गम तथा आगम प्रक्रिया

जब पाठक पुस्तक लेना चाहता है तो परिचालन सहायक ट्रे में से पाठक का गृहीता-पत्र (जिसे पुस्तकालय धरने पास रखता है) जो कि वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित रहते हैं, निकाल लेता है। तदुपरान्त वह पुस्तक में से पुस्तक पत्रक निकाल कर तिथि पत्रों पर पुस्तक निर्गम की प्रथवा पुस्तक के वापस आने की तिथि डाल देता है। पुस्तक पत्रक को गृहीत पत्रक में रख कर पुस्तक का निर्गम पूर्ण कर देता है। दिन की समाप्ति पर उपन्यासों के पुस्तक पत्रकों को जो कि गृहीता पत्रकों में होते हैं, लेखक के नाम से वर्णक्रम तथा उसके पश्चात् पुस्तकों की आख्या तथा बाद में परिग्रहण सख्या प्रथवा प्रति सख्या के अनुसार, यदि किसी आख्या की एक से अधिक प्रतिभों का निर्गमन हुआ हो, व्यवस्थित करता है। अन्य पुस्तकों को क्रमक समक के अनुसार वर्गीकरण प्रणाली से व्यवस्थित करता है। तदुपरान्त उन पत्रकों को पुस्तक निर्गमन अथवा पुस्तक लौटाने की तिथि सकेत के पीछे लगा देता है। यह व्यवस्था यह प्रदर्शित करती है कि पुस्तक किसके पास है तथा कब लौटनी है और कब वापस आएगी।

पुस्तक आगमन में सहायक उपभोक्ता से पुस्तक प्राप्त करता है। तिथि पत्रों का निरीक्षण कर देखता है कि पुस्तक प्रतीतावधि की तो नहीं है। यदि प्रतीतावधि की हो तो जुमने की गणना कर जुर्माना लिया जाता है। तदुपरान्त पुस्तक पत्रक गृहीता पत्रक के साथ परिचालन ट्रे से निकाल लिया जाता है। पुस्तक पत्रक को पुस्तक श्रेणी में एवं गृहीता पत्रक को ट्रे में रख दिया जाता है।

पुनः निर्गम (Renewals)

जब पुस्तक पुनः निर्गम के लिए प्रस्तुत की जाती है तो परिचालन ट्रे में से बाइंड निकाल कर पुनः निर्गम की तिथि प्रथवा लौटाने की तिथि डालकर पुस्तक व गृहीत पत्रक को निर्गमित पत्रकों के साथ रख देते हैं।

प्रतीतावधि

प्रत्येक पुस्तक के लिए जोकि समय के उपरान्त वापस न आई हो तो ले जाने वाले पाठक का नाम व पता लिख कर प्रतीतावधि की सूचना बना कर पाठक के पास भेज दी जाती है।

भारक्षण

किसी भी ऐसी पुस्तक के लिए जोकि निर्गमित हो पाठक भारक्षण पत्रक भर कर

अपने लिए प्रारक्षित करा सकता है। ऐसी पुस्तक के काटने के साथ-उसका प्रारक्षित होना का संकेत लगा दिया जाता है। जब पुस्तक वापस आती है तो पुस्तक में उपभोक्ता का नाम लिखकर अलग रख लिया जाता है। उसके पश्चात् प्रारक्षण पत्र को पाठक के पास भेज दिया जाता है। पुस्तक को उसी विधि से उसी उपभोक्ता को, यदि वह निर्धारित समय के अन्दर आकर पुस्तक की माँग करता है, दे दी जाती है अन्यथा वापस सग्रहणकार में भेज दी जाती है।

साम

1. पुस्तक निर्गम का तरीका अत्यन्त सीधा है एवं बहुत कम समय लेता है।
2. पुस्तक पत्रक पर उपभोक्ताओं की संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती।
3. अतीतावधि की पुस्तकों के लिए सुविधापूर्वक सूचना भेजी जा सकती है।

हानि

1. प्रत्येक निर्मित पुस्तक के लिए एक पत्रक की आवश्यकता होती है, जिसके फल-स्वरूप निर्गम ट्रे में अधिक स्थान की आवश्यकता होती है।
2. निर्गम का कोई स्थायी लेखा नहीं होता है।
3. किसी उपभोक्ता ने कितनी पुस्तकें पढ़ी इसका लेखा नहीं हो सकता।
4. दिवादा उठाने पर उपभोक्ता से उसके पत्रक की माँग नहीं की जा सकती है, क्योंकि गृहीता पत्रक पुस्तकालय में ही रखा जाते हैं।

न्यूयॉर्क निर्गम प्रणाली

न्यूयॉर्क निर्गम प्रणाली का विकास न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतम सार्वजनिक पुस्तकालय इस प्रणाली की उपयोग में लाते हैं।

उपकरण

1. गृहीता पत्रक
प्रत्येक उपभोक्ता के पास एक गृहीता पत्रक होता है जिसे वह रखता है। इस पत्रक पर उपभोक्ता का नाम, पता, पंजीकृत-संख्या एवं समाप्ति की तिथि प्रकृत होती है। इन कार्डों में पुस्तक निर्गमन की तिथि अथवा पुस्तक के वापस आने की तिथि लिखने के लिए स्थान होता है।
2. पुस्तक पत्रक
क्रमक-समंक, परिग्रहण संख्या, लेखक व मासिका के प्रतिरिक्त पुस्तक पत्रक में प्रकृत पुस्तक किसके पास है, मालूम करने में सहायक है।

3. पुस्तक खेती

तिथि पर्णों, एवं पजीकृत उपभोक्ताओं का लेखा उसी प्रकार होता है जैसा कि ब्राउन निर्गम प्रणाली में।

निर्गम तथा आगम प्रक्रिया

पुस्तकालय संकलन में से पुस्तक चयन कर उपभोक्ता पुस्तक परिचालन केन्द्र पर गृहीता पत्रक सहित प्रस्तुत करता है। पुस्तक निर्गम अथवा पुस्तक लौटाने की तिथि गृहीता पत्रक, पुस्तक पत्रक एवं तिथि पर्णों पर अंकित की जाती है। पुस्तक पत्रक पर तिथि के सामने पाठक की पजीकृत संख्या अंकित करते हैं। पुस्तक व गृहीता पत्रक पाठक को दे दिए जाते हैं। निर्गम प्रणाली पूर्ण हो जाती है। दिन की समाप्ति पर उपभोक्ताओं के पुस्तक पत्रकों को वर्णक्रम में लेखक के नाम से फिर छास्या से तथा उसके बाद परिग्रहण संख्या अथवा प्रति संख्या के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। अन्य पुस्तकों को क्रमक-समक के अनुसार वर्गीकरण प्रणाली में व्यवस्थित करते हैं। दिन भर निर्गमित पुस्तकों के पत्रकों को निर्गम तिथि अथवा लौटाने की तिथि निर्देशक के पीछे रख देते हैं।

जब परिचालन केन्द्र पर पुस्तक वापस करने के लिए प्रस्तुत की जाती है तो परिचालन सहायक तिथि पर्णों का परीक्षण करता है कि पुस्तक अतीतावधि की तो नहीं है। यदि ऐसा है तो जुमनि की गणना कर उसे जमा करते हैं। गृहीता पत्रक पर निर्गम की समाप्ति के लिए लौटाने की तिथि अंकित की जाती है। गृहीता पत्रक पाठक को वापस कर दिया जाता है। परिचालन ट्रे में से पुस्तक पत्रक निकाल कर पुस्तक खेती में रख देते हैं।

पुनः निर्गम

जब पुस्तक व गृहीता पत्रक को प्रस्तुत किया जाता है तो परिचालन ट्रे में से पुस्तक पत्रक निकाल कर गृहीता पत्रक के निर्गम लेखे को रद्द करने के लिए पुस्तक वापस आने की तिथि अंकित कर देते हैं। तदुपरान्त पुस्तक पत्रक, गृहीता पत्रक एवं तिथि पर्णों पर पुनः पुस्तक निर्गम अथवा पुस्तक वापस आने की तिथि अंकित कर देते हैं। पुस्तक पत्रक को पुनः परिचालन ट्रे में अथवा विशिष्ट ट्रे में रख देते हैं।

अतीतावधि

प्रत्येक अतीतावधि की पुस्तक के लिए, पुस्तक पत्रक पर लिखित पंजीकृत संख्या को पजीकृत रजिस्टर से देख कर उपभोक्ता का नाम व पता ज्ञात कर लेते हैं। उसके उपरान्त अतीतावधि की सूचना पाठक के पास भेज देते हैं।

भारक्षण

ब्राउन निर्गम प्रणाली के अन्तर्गत वसित भारक्षण प्रणाली ही इस निर्गम प्रणाली में भी उपयुक्त है।

लाभ

1. पुस्तकों के परिचालन का स्थायी लेखा उपलब्ध रहता है।
2. पुस्तक निर्गम के लिए विभिन्न काल अंकित किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक पत्रक पर उधार काल अंकित होता है।

3. पुस्तक धारकण सुविधाजनक है ।
4. यह मालूम किया जा सकता है कि पुस्तक लोकप्रिय है अथवा नहीं क्योंकि सम्बन्धित पुस्तक पत्रक इस सूचना को दे सकेगा ।
5. पुस्तक प्रत्याहरण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पुस्तक को देख कर यह ज्ञात किया जा सकता है कि पुस्तक का कितना उपयोग हुआ है ।

हानि

1. प्रत्येक पुस्तक पत्रक पर उपभोक्ता की पंजीकृत संख्या लिखने में परिचालन सहायक द्वारा त्रुटि होने की सम्भावना है ।
2. परिचालन प्रक्रिया धीमी एवं अधिक समय लेने वाली है ।
3. उपभोक्ता द्वारा गृहीता पत्रक भूल जाने की दशा में पुस्तकों के प्रादान-प्रदान में कठिनाई होती है ।

उपसंहार

किसी निगम प्रणाली को अपनाने में प्रणाली पर होने वाला व्यय, कर्मचारियों के समय में होने वाली बचत तथा स्थानीय परिस्थिति निर्णायक तत्व हैं । किसी भी प्रणाली की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है । पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रत्येक प्रणाली का अध्ययन कर कम मूल्य एवं समय की बचत का ध्यान रख कर किसी भी प्रणाली को अपनाना चाहिए ।

References

1. Maurice F. Tauter and Associates, 'Technical Services in Libraries.' N. Y., Columbia Univ. Press., 1958. p. 355.
2. Helen Thornton Geer 'Charging Systems,' Chicago, ALA 1955. p. 4.



प्रसार सेवा

पुस्तकालय के नियमित तथा औपचारिक सेवा क्षेत्र के बाहर व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को पाठ्यक्रम सामग्री तथा अन्य शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराने का क्रम प्रसार सेवा के अन्तर्गत आता है। साधारण शब्दों में प्रसार कार्य का तात्पर्य उन कार्यों से है जिनके द्वारा उन जन समूहों तक, जो कि पुस्तकालय के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं, अथवा यदि भिन्न हैं भी तो पुस्तकालय की ओर से उदासीन हैं, पुस्तकालय का संदेश पहुँचाना तथा उनमें पुस्तकालय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है। प्रसार सेवा का ध्येय पाठकों को पाठकों में परिणत करना तथा उनमें शिक्षा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना एवं उन्हें अनुप्राणित करना है।

श्री हेरोल्ड बोलीफी¹ के अनुसार प्रसार सेवा का ध्येय :—

1. उन लोगों को जो पुस्तकालय सेवा का उपयोग नहीं करते, उन्हें इस सम्बन्ध में सूचित करना तथा भीष्मतिशीघ्र उन्हें पुस्तकालय सेवा की ओर आकर्षित करना।
2. उन लोगों को जो पुस्तकालय का उपयोग आंशिक रूप से करते हैं, पुस्तकालय की सेवाओं से अच्छी तरह परिचित करना।
3. पाठकों एवं अपाठकों को समान रूप से पुस्तकालय व उसके साधनों से परिचित कराना।
4. पाठकों को पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से परिचित करना।
5. मत प्रचार के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में जैसाकि पूर्वी यूरोपीय देश करते हैं, शिक्षा देना।
6. अधिज्ञान व अज्ञान को दूर करने में सहायक होना। अन्त में
7. स्थानीय प्राधिकारी को जिनके पास ज्ञान, नृत्य, निदेशक पुस्तक संग्रह आदि की सुविधा नहीं होती, उनके ध्येय की प्राप्ति में सहायक होना है।

इन कार्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकालय विभिन्न प्रणालियाँ अपनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसार सेवा की सफलता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाया जाता है :—

1. भाषण
2. कविता पाठ
3. नाटक

4. कला प्रदर्शनी
5. पुस्तक प्रदर्शनी
6. सामान्य प्रदर्शनी
7. जन समूहों से सम्पर्क
8. पुस्तक सप्ताह मना कर
9. ड्रामा
10. कहानी पाठ
11. कठपुतली प्रदर्शन
12. हवाई बलब सोल कर
13. चलचित्र
14. ग्रामोफोन वादन
15. मनोरंजनात्मक पठन
16. विशिष्ट अध्ययन केन्द्र
17. बच्चों के लिए वित्तशून्य प्रश्नोत्तर सत्रकृत कर
18. बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन कर, आदि

डॉ० रंगनाथन² ने अपनी पुस्तक (Five Laws of Library Science) में प्रसार सेवा के घनपरंत

1. ग्रंथालयों के सम्मुख पढ़ना
2. पुस्तकों की जनता की भाषा में अनुवाद कर पढ़ना
3. अध्ययन गोष्ठी
4. बौद्धिक केन्द्र
5. पुस्तकालय वार्तनाप
6. संगीत
7. पुस्तकालय प्रदर्शनी
8. कहानी पाठ
9. उत्सव तथा मेले

का उल्लेख किया है।

डॉ० रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित विकल्प भारतीय व्यवस्था के अनुकूल हैं तथा भारत में उनका बृहत् रूप में उपयोग भारतीय जनता में शिक्षा एवं ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है। 1971 की जनगणना के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत भारतीय निरक्षर हैं। बाकी 30 प्रतिशत में प्रायेण अधिक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का स्तर काफी-निम्न है। ऐसे देशों में निरक्षरता को दूर करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इस प्रयास में पुस्तकालयों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय प्रसार सेवा के माध्यम से भारत के कोने-कोने में शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं तथा शिक्षित व्यक्तियों के ज्ञान को पुष्ट करने में सहायक हो सकते हैं।

1. अशिक्षितों के सम्मुख पढ़ना

भारत जैसे देश में जहाँ निरक्षरता का उन्मूलन करना आवश्यक है, निरक्षरों के सम्मुख पढ़ना उनमें साक्षरता के प्रति उत्साह उत्पन्न करने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार के साधन को अपनाकर युद्धोपरान्त रूस में अपने नागरिकों को उस समय साक्षरता की ओर अग्रसर किया जबकि वहाँ साक्षर व्यक्तियों की संख्या लगभग नगण्य थी। भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ की जनसंख्या ग्रामों में फैली हुई है। अतः ऐसी व्यवस्था में ग्राम्य गोष्ठी कर पुस्तक प्रादि पढ़ने से, साक्षरता के महत्त्व को समझा कर ग्रामवासियों में शिक्षा के प्रति चाव उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार ग्रामों में गोष्ठियाँ स्थापित कर बालक, जवान व बूढ़ों को एकत्र कर पढ़ने से जहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, वहीं बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति का लाभ उठा कर, उनमें शिक्षा का प्रसार भी कर सकते हैं।

2. पुस्तकों को जनता की भाषा में अनुवाद कर पढ़ना

भारत बहुभाषीय देश है। यहाँ प्रत्येक प्रदेश की भाषा अलग है। इतना ही नहीं प्रत्येक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भाषा भी अलग-अलग है। अतः स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों का अभाव है। फलस्वरूप निरक्षरों के सम्मुख पढ़ने के कार्यक्रम को ऐसी अवस्था में एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। भाषाओं की विविधता तथा उनमें उपलब्ध पुस्तकों में कमी को देखते हुए आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष प्राप्य पुस्तकों को स्थानीय भाषा में अनुवाद कर श्रोताओं के सम्मुख पढ़ जिससे उन्हें नयी बातों का ज्ञान हो सके तथा उनमें नवीन बातों को जानने की जिज्ञासा बढ़े। इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रामीण व निरक्षर लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न कर पढ़ने की ओर अग्रसर करता है तथा न केवल पुस्तकालय के उपयोग में वृद्धि करता है वरन् हृदय समाज की स्थापना में योगदान करता है।

3. अध्ययन गोष्ठी

पुस्तकालय के साधनों का उपयोग करने वाले पाठकों को, जो कि ज्ञानार्जन किसी विशेष लाभ अथवा स्वातःमुखाय की भावना से करते हैं, पुस्तकालय का और अधिक उपयोग करने की प्रेरणा देने के लिए, अध्ययन गोष्ठी महत्त्वपूर्ण प्रसार कार्य है। इस प्रकार की गोष्ठियाँ पुस्तकालय के भवन में भी सफलतापूर्वक चल सकती हैं। पुस्तकालय अपनी ओर से आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध करा कर ऐसी गोष्ठियों को प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार साधारण पाठक भी पुस्तकालय का विशिष्ट पाठक बन सकता है।

4. बौद्धिक केन्द्र

पुस्तकालय स्वयं बौद्धिक केन्द्र है, परन्तु फिर भी वह इस प्रकार की संस्था के लिए आवश्यक है कि उसके उपयोगकर्ताओं तथा कर्मचारियों में आपसी भ्रातृत्व व सहयोग की भावना हो तथा उनमें स्वार्थ त्याग की भावना हो। पुस्तकालय का वातावरण धरैलू हो तथा उसमें सभी प्रकार की उत्तरदायी सभाओं का धरैलू वातावरण में सम्मेलन हो। इससे पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं में सहयोग की भावना बढ़ेगी तथा वह पुस्तकालयों का अधिक उपयोग करेंगे।

5. पुस्तकालय वार्तालाप

पुस्तकालय भवन के अन्दर पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित वार्तालाप के अतिरिक्त जन समूहों के माध्यम से वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण आदि इस दिशा में लाभप्रद हो सकते हैं। इस उद्येय की पूर्ति के लिए पुस्तकालय भवन में भाषण के लिए काफी बड़े हाल (कमरे) हो जिनमें स्टेज का प्रावधान हो तथा चलचित्र प्रोजेक्टर एवं उससे सम्बन्धित यन्त्र हो। अधिक से अधिक जनता को आकर्षित करने के लिए स्थानीय समस्याओं पर वृहत् रूप से वार्तालाप का आयोजन किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी वाद-विवाद लाभदायक है। विशिष्ट जन समुदायों के लिए विशिष्ट विषयों पर शोष्ठी हो सकती है। इस प्रकार पुस्तकालय अपने कार्यक्रमों द्वारा स्थानीय जनता को आकर्षित कर सकते हैं तथा अपने साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं।

6. संगीत

पुस्तकालय वार्तालाप के साथ-साथ संगीत का आयोजन पुस्तकालय की उपयोगिता को और भी बढ़ा सकता है। पाश्चात्य देशों में भाषण कक्षों का उपयोग संगीत के लिए किया जाता है। हमारे देश में भी यदि अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ पुस्तकालय में कवि सम्मेलन, मुजायरा, स्थानीय लोकगीत आदि का आयोजन करें तो अधिक लाभप्रद होगा। ऐसा करने में सभी वर्गों के लोग पुस्तकालय की ओर आकर्षित होंगे तथा प्रसार सेवा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होंगे।

7. पुस्तकालय प्रदर्शनी

भाषण कक्षा अथवा उसके समीप अन्य किसी कक्ष में स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की घटनाओं पर पुस्तक व ग्रन्थ अध्ययन सामग्री का प्रदर्शन पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ आज भारत-चीन विवाद, भारत-पाक विवाद पर पुस्तक प्रदर्शनी का उपयोग जनता के सभी वर्गों द्वारा किया जा सकता है। भारत-पाक युद्ध के महत्त्वपूर्ण दिनों में राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा अपने सूचना पट्ट पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न समय पर प्रसारित समाचारों के संक्षिप्त विवरण की व्याख्या का स्थानीय जनता द्वारा भारी सख्या में उपयोग किया गया। डॉ० रमनाथन ने इस प्रकार की प्रदर्शनी के साथ जनता को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए अन्य ढंग से उत्प्रेरित किया है। उनके कथनानुसार पुस्तकालय कर्मचारी को ऐसे व्यक्ति को भी जो पुस्तकालय का सदस्य नहीं है, पुस्तक देने की योजना प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि पुस्तक देते समय पुस्तकालय कर्मचारी को पुस्तक के कुछेक रंगीन मिलाव रख देने चाहिए। इन मिलावों में पाठकों को पुस्तकालय का सदस्य बनने का सुझाव हो, साथ ही यह अनुरोध कि वह पुस्तक को निश्चित समय तक भ्रमण जमा करा दें।³ इस प्रकार की सेवा पुस्तकालय प्रसार सेवा के उद्देश्य की काफी सीमा तक पूर्ति कर सकती है।

8. कहानी पाठ आदि

प्रसार सेवा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य साधन कहानी पाठ भी है। इसका उपयोग बहुराज बच्चों व प्रौढ़ व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। बच्चे

जिन्हें कहानियाँ अधिक प्रिय होती हैं। इस कार्यक्रम का मला उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बड़े व्यक्ति भी, जिसमें मायु के साथ-साथ बालक प्रवृत्ति पा जाती है कहानियों द्वारा मनोरंजन प्राप्त करते हैं।

६. उत्सव व मेले

हमारे देश में आज भी उत्सव व मेलों का बहुत ही महत्व है तथा जन साधारण उनमें भाग लेते हैं। ऐसे देश, में यदि पुस्तकालय स्थानीय उत्सवों व मेलों के अवसरों पर उनको मनाएँ तथा सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करें तो निश्चित ही जनता पुस्तकालय की ओर आकर्षित होगी। ऐसे समय में पुस्तकालयों द्वारा शिक्षाप्रद चलचित्र व अन्य कार्यक्रम जनता को पुस्तकालय की ओर आकर्षित कर सकते हैं।

इस प्रकार विभिन्न प्रकार कार्यक्रमों द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष जनसाधारण तक पहुँच कर जनता को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे न केवल पुस्तकालयों को लाभ होगा, बल्कि जनता में व्याप्त अज्ञान व निरक्षरता दूर होगी एवं राष्ट्र का उत्थान होगा।

References

1. Harold Jolliffe, 'Public Library Extension Activities' London, Library Association, 1962, p. 21-3.
2. S. R. Ranganathan, 'Five Laws of Library Science,' Bombay, Asia Publishing House, 1957, p. 280-84.
3. Ibid., p. 284.

पुस्तकालय सहयोग

मुद्रण कला के विकास के कारण, महामुद्रों के परिष्कार स्वरूप, प्रजातन्त्र के विकास, एशिया व अफ्रीका के अनेक देशों के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ तथा उन देशों की इस हृदय इच्छा शक्ति के कारण कि वह संसार के समृद्ध देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में समानता के स्तर पर खड़े हो पादि जैसे अनेक कारणों ने ज्ञान के क्षेत्र को इतना अधिक प्रभावित किया है कि आज संसार में प्रति मिनट लगभग 3000 पृष्ठ प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाशन की इस बाढ़ ने संसार के बड़े से बड़े पुस्तकालय के समक्ष ऐसी आर्थिक कठिनाई लगी कर दी है कि आज संसार का कोई भी पुस्तकालयाध्यक्ष यह नहीं कह सकता है कि उसके पास पुस्तकों, कर्मचारियों व पुस्तकालय सेवाओं के लिए पर्याप्त धन है तथा इसकी सम्भावना तो बिलकुल समाप्त हो गई है कि कोई भी पुस्तकालयाध्यक्ष यह कह सके कि उसके पास पुस्तकालय में पुस्तकों व पत्रिकाओं को नया करने के लिए, कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के लिए तथा अन्य पुस्तकालय सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध है। वित्तीय सीमाओं के अतिरिक्त आज पुस्तकालयों के लिए यह भी अत्यन्त ही हो गया है कि वह संसार में प्रकाशित सभी सामग्री को नया करके, व्यवस्थित कर ले तथा उन्हें संप्रदित कर ले।

इन वित्तीय व भौतिक सीमाओं ने संसार भर के पुस्तकालयाध्यक्षों का ध्यान आकर्षित किया है तथा उन्हें पुस्तकालय सहयोग की नयी-नयी विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है तथा आज तक उन्होंने, अतः पुस्तकालय आदान-प्रदान से लेकर राष्ट्रीय सूचना तंत्र (National Information Network) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तक का रास्ता तय कर लिया है। तब सूचिदा, सहयोगिक अधिग्रहण, सहयोगिक सग्रह, केन्द्रित तथा सहयोगिक सूचीकरण, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय केन्द्र, कर्मचारियों, सेवाओं व सूचनाओं में विनिमय, संयुक्त व सहयोगिक प्रचार जिल्दबंदी आदि-आदि अनेक सहयोगिक योजनाएँ इनके मध्य में पा जाती हैं।

इन क्षेत्रों में सहयोग की भावना ने पुस्तकालय सेवाओं को सुदृढ़ किया है तथा पुस्तकालयों में ग्रंथ संग्रह को अधिक उपयुक्त व अच्छा बनाया है। अमेरिका में कार्निगटन ध्यान, सेक्टर फार रिस्पे साइबरीज, शिकागो, फाइव ऐसोसियेटेड विश्वविद्यालय पुस्तकालय (FAUL) तथा अनेकों ऐसी ही योजनाओं ने सहयोगिक अधिग्रहण के द्वारा पुस्तकालयों में सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार इंग्लैंड में तथा स्कैंडिनेवियन देशों में अनेक सहयोगिक योजनाओं पर कार्य किया है तथा यह प्रदर्शित कर

दिया है कि पुस्तकालयों के कार्य क्षेत्र में सहयोग को अपनाकर वह पाठकों की अधिकतम सेवा कर सकते हैं।

पुस्तकालय सहयोग की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने हुए भी पुस्तकालय सहयोग आज भी है अनेक कारणों से, जिनमें प्रथम की कमी, परम्परा व स्वभाव, भावना तथा मनोवैज्ञानिक तथा घट पुस्तकालय प्रतिस्पर्धा आदि सम्मिलित हैं, औरों पर सखा है। सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि किसी सम्मेलन में पुस्तकालय सहयोग की सम्भावना पर सहमत किया जा सकता है परन्तु किसी पुस्तकालयाध्यक्ष को पर महमन करना अत्यन्त ही कठिन काम है। ब्लेक बर्न¹ ने जहाँ पुस्तकालय सहयोग की भ्रान्त्व के समान सम्मानजनक विचार माना है वहीं उसने यह भी चेतावनी दी है कि यह ऐसा भ्रम जाल है जिसमें बहुत सम्भल कर चलने की आवश्यकता है तथा इसके बारे में अभी बहुत कुछ सीखना शेष है।

विजामुरिया² के कथनानुसार पुस्तकालय सहयोग एक अत्यन्त ही आकर्षक विचार है जिसकी तुलना बहुत ही मोहक व कामुक कृमि अथवा अत्यन्त ही आकर्षक नई कार से किया जा सकता है तथा साथ ही उनका विचार है कि न तो यह Millennial package है और न ही पुस्तकालय समस्याओं के समाधान है तथा अब समय आ गया है कि हम इस विचार से अपने को मुक्त करें एवं उसके आकर्षण से बचें। इस प्रकार पुस्तकालय सहयोग ऐसा विचार रहा है जिसके प्रति पुस्तकालयाध्यक्षों में सदैव से ही द्वेषवृत्ति का र्धया रहा है एक ओर तो उन्होंने माना है कि पुस्तकालय सहयोग आवश्यक है साथ ही दूसरी ओर उन्होंने इसकी सफलता के लिए आवश्यक कदम उठाने में उदासीनता दिखाई है।

पृथी³ के अनुसार पुस्तकालय सहयोग की सफलता के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है —

1. पुस्तकालयों में सहयोगिक सम्बन्धों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्त्व सम्बन्धित व्यक्तियों, पुस्तकालयाध्यक्षों, पुस्तकालय के अधिकारियों तथा पुस्तकालय के उपयोगकर्त्तियों का दृष्टिकोण है।
2. दृष्टिकोण के पश्चात् अत्यधिक महत्वपूर्ण पारस्परिक विनिमय की क्षमता है। बड़े पुस्तकालयों ने बहुधा घट पुस्तकालय आदान-प्रदान में कठिनाई का अनुभव किया है।
3. तीसरी आवश्यकता उच्च कोटि की प्रौद्योगिकीक मंगठन का होना है। किसी न किसी समस्या का पुस्तकालय सहयोग की सफलता के लिए उत्तरदायी होना आवश्यक है।
4. संचार साधनों का अधिकतम उपयोग तथा उनकी सादृश्यता पुस्तकालय सहयोग की सफलता को प्रभावित करता है।
5. योजना ऐसा तत्त्व है जिसके बिना पुस्तकालय सहयोग की सफलता संदिग्ध हो जाती है। यह आवश्यक है कि पूरे देश में स्थानीय, क्षेत्रीय, तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय सहयोग की अनेकानेक योजनाओं पर योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाय।

6. साथ ही यह भी आवश्यक है कि पुस्तकालय सहयोग की विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार व राष्ट्रीय सरकार आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराये।

विभिन्न देशों में पुस्तकालयों ने अपने साधनों का सामूहिक उपयोग कराने के ध्येय से अनेक प्रकार की सहयोगी प्रणालियों को अपनाया है। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं

ग्रन्थ पुस्तकालय आदान-प्रदान प्रक्रिया

प्राथमिक पुस्तकालय कार्य प्रणाली में ग्रन्थ पुस्तकालय आदान-प्रदान क्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राज प्रत्येक पुस्तकालय अपने सीमित साधनों से पाठकों की प्रत्येक मांग को पूर्ण करने में असफल है साथ ही यह भी सम्भव नहीं कि पुस्तकालय सभी प्रकाशित होने वाली पुस्तकों एवं पत्रिकाओं को क्रय कर ले जिससे मांग होने पर वह इच्छित पुस्तक को उपलब्ध करा सके। इस प्रकार के आदान-प्रदान का उद्देश्य पाठक की उरकी मांग पर इच्छित पुस्तक चाहे वह उस पुस्तकालय के संग्रह में न हो, अन्य साधनों से मंगा कर उपलब्ध कराने से है। इस प्रकार की प्रणाली से बहुधा अल्प्य पुस्तकों की भी मांग होने पर उपलब्ध करायी जा सकती है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि पुस्तकालयों में आपसी सहयोग की भावना हो तथा प्रत्येक पुस्तकालय अधिकारी को ग्रन्थ पुस्तकालय में समुचित अध्ययन सामग्री के बारे में व्यापक ज्ञान हो। अतः इस सम्बन्ध में ग्रन्थ पुस्तकालय आदान-प्रदान क्रिया के लिए सब सूचियों (Union Catalogues) का निर्माण अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

सहयोगी अधिग्रहण (Cooperative acquisition)

पाठक व पुस्तक में सम्पर्क स्थापित करने से पूर्व आवश्यक है कि पुस्तकों का अधिग्रहण किया जाए। शहर में प्रकाशित होने वाली अध्ययन सामग्री में अत्यधिक अभिवृद्धि तथा उसके अधिग्रहण के लिए सीमित धनराशि होने के कारण आवश्यक है कि पुस्तकालयों द्वारा सहयोगी अधिग्रहण किया जाए। इस प्रकार के संयुक्त प्रयास से सम्भव है कि पुस्तकालयों द्वारा सीमित साधन होते हुए भी अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री का अधिग्रहण किया जा सकेगा एवं विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तकों की प्रनावश्यक पुनरावृत्ति न हो सकेगी।

सामग्रियों का विनिमय

पुस्तकालय में ऐसी एकत्र अध्ययन सामग्री जिसका उपयोग स्थानीय जनता द्वारा हो रहा हो, अन्य पुस्तकालयों को, वहाँ की ऐसी ही एकत्र सामग्री से विनिमय कर जा सकता है। इससे पुस्तकालयों में आपसी सहयोग भी बढ़ता है एवं अध्ययन साधन के उपयोग की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के संयुक्त प्रयास में संलग्न सभी पुस्तकालय आपस में निरिपत संधि के उपरान्त एक दूसरे को ऐसी सामग्री के विषय में सूचित करते रहे, जिससे वह मांग होने पर आपस में विनिमय के लिए एक दूसरे को दे सकते हों।

सहयोगी सूचीकरण (Co-operative Cataloguing)

यदि ध्येय अधिक पुस्तकालयों द्वारा स्वयं के लाभ के लिए एवं ग्रन्थ पुस्तकालयों के लिए भी सहयोगी सूचीकरण किया जाता है। इसे स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर

संचालित किया जा सकता है। सहयोगी सूचीकरण में पुस्तकालयों में एकरूपता तथा पूर्ण रूप से प्रमाणित करने के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकता का त्याग अधिक नष्टप्रद परन्तु महत्वपूर्ण है।

संघ सूची (Union catalogues)

अन्तः पुस्तकालय धादान-प्रदान एवं मन्त्रणा द्वारा अध्ययन सामग्री के स्थान निर्धारण के लिए संघ सूची आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साधन है। यह सहयोगी पुस्तकालय समूह के अन्तर्गत संगृहित समस्त अध्ययन सामग्री एवं विशिष्ट विषय पर संगृहित अध्ययन सामग्री की सूची है। यह प्रणाली ऐसे पुस्तकालयों के साधनों का जो सहयोगी क्षेत्र में आने के इच्छुक हैं, श्रृंखलीकरण कर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का सबसे सरल एवं तारकालिक उपाय है।

अन्तः पुस्तकालय निर्गम पत्रक उपयोग (Inter-library use of borrower's card)

पाठक की सुविधा के विचार से अनेक पुस्तकालयों द्वारा अन्तः पुस्तकालय निर्गम पत्रक उपयोग प्रणाली को जन्म दिया गया। अन्यत्रवासी एवं अल्पकालिक यात्री को, जो अपने निवास क्षेत्र के पुस्तकालय का निर्गम पत्रक प्रस्तुत करता है, पुस्तकालय सुविधा प्रदान करने की प्रवृत्ति प्रगाढ़ होती जा रही है। ऐसे पत्रक के उपयोग की स्वीकृति देने से पूर्व आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष जिसे वह पत्रक दिया गया है, मह जांच कर ले कि वह पत्रक दोष मुक्त है एवं उसकी अन्तिम तिथि समाप्त नहीं हुई है। सहयोग की यह प्रणाली केवल पुस्तकालयों के लिए ही लाभप्रद नहीं है वरन् पाठकों के लिए भी है, क्योंकि पाठक अपने साथ किए हुए व्यवहार को कभी नहीं भूलने तथा सदैव के लिए प्रशंसक बन जाते हैं। यह प्रणाली अच्छी एवं सतोषप्रद पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने में चाहे पाठक नहीं भी हो, सहायक है।

कर्मचारी विनिमय- (Staff exchange)

कर्मचारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण में कर्मचारी विनिमय अत्यन्त मूल्यवान सहयोगी प्रणाली है। यह पुस्तकालयाध्यक्षों को अधिक अनुभव एवं सुअवसर प्रदान करने वाली प्रणाली है। कुछ पुस्तकालय अधिकारी पड़ोसी अधिकारी से विचार विनिमय कर कर्मचारी विनिमय का प्रबन्ध करते हैं। कुछेक विदेशों में भी इस प्रकार की विनिमय प्रणाली पर विनिमय करते हैं।

सहयोगी भण्डार (Co-operative storage)

अनेक सहयोगी पुस्तकालय भण्डार शृंह की परेशानी से बचने के लिए केन्द्रीय निक्षेपालयों का उपयोग करते हैं तथा साथ ही वह पुस्तक पुनरावृत्ति को समाप्त कर सग्रह को अधिक उपयोगी एवं नवीकृत करते हैं, साथ ही साथ इस प्रणाली के माध्यम से अनुपयोगी अध्ययन सामग्री को निकालने की समस्या का भी निराकरण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक बड़े पुस्तकालयों ने कम उपयोगी प्रकाशनों के सग्रह के लिए ऐसे केन्द्रित भवनों का उपयोग किया है, जिनमें लाखों पुस्तकें रखी जा सकती हैं। सामान्यतः भण्डार

स्वल पर सघ सूची उपलब्ध होती है तथा सग्रहित पुस्तकों सदस्य पुस्तकालयों को उपयोग के लिए उधार बी जाती है ।

पुस्तकालय प्रचार में सहयोग

पुस्तकालय प्रचार मे सहयोग बाँछनीय है, क्योंकि पुस्तकालय प्रचार की बड़ी योजनाएँ समय व मूल्य के दिचार से सीमित रहती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भौतिक रूप से सुकडते हुए संसार में जहाँ बौद्धिक क्षेत्र में असीमित विकास हो रहा है, पुस्तकालयों का अधिक उपयोग बढाने, उनकी सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए अच्छे व व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं । यह बढते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही सम्भव है । संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (Unesco), अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखन संघ, पुस्तकालय संस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय सघ एवं इन्हीं संस्थाओं की अनेक शाखाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को और अधिक बढाया जा रहा है । आधुनिक पुस्तकालयाध्यक्षता के समय में सीमाओं एवं नापायी रुकावटों को तोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों मे अन्य विधियों, पत्रिकाओं के लिए सहयोगी प्रावधान, पुस्तक बंधाई विभाग में सहयोग कर, सर्वेक्षण कार्यों में, सहयोगी वर्गीकरण, कर्मचारियों के क्रम निर्धारण आदि को अपनाया है ।

References

1. Robert H. Blackburn [Intern library Cooperation, In Jendo orne, Ed. Research librarian ship, N. Y. Broker, 1971. p. 51.
2. D. E. K. Wijasuriya, etc.' Bare foot librarian. Londou Clier Bindecj, 1975.
3. G. Flint Purdy; Public School and academic Libraries In leon Cartuover Ky, Ed, Library Nepkinks promies and performance, Chicago univ. of chicago Pr. 1961. p. 61-62.

पुस्तकालय प्रचार

लेखक, पाठक तथा पाठक व लेखक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के तीन साधन हैं जो कि पुस्तक चक्र को पूर्ण करते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक की जीवन संचार प्रणाली में महत्वपूर्ण करी है। उसका कर्तव्य है कि पाठक तक लेखक के विचारों को पहुँचाने में मध्यस्थ का कार्य करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार का उपयोग किया जा सकता है। पुस्तकालय प्रचार का ध्येय पाठकों तक पुस्तकालय सेवा का विवरण पहुँचाना तथा उनमें पुस्तकालय के प्रति अनुकूल अभिरुचि उत्पन्न करना है। प्रचार कार्य की विविध प्रकृति के कारण आवश्यक है कि प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष प्रचार कार्यक्रम के सगठन की रूपरेखा बना ले। पुस्तकालय प्रचार की निष्फलता का कारण सुनिश्चन नीति की कमी तथा उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने एवं उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रशासनिक सगठन का अभाव है। सावधानी एवं धैर्य के साथ यदि कार्यक्रम को न चलाया जाएगा तो वह प्रचार कार्य व्यर्थ तथा विवेकशून्य होगा। प्रचार के कुछ मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं—

समाचार-पत्र

समाचार-पत्रों के द्वारा पुस्तकालय पाठकों तक पहुँचते हैं। समाचार-पत्र द्वारा प्रचार पूर्णतः योजनाबद्ध व सगठित होना चाहिए। पुस्तकालय में समाचार-पत्र द्वारा प्रचार के संचालन के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसी सूचनाओं के प्रति जिनसे पाठक पुस्तकालय की ओर आकर्षित हो, शीघ्र महत्त्व देना चाहिए। (1) पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा पुस्तकालय सेवा के महत्त्व व मूल्य पर तथा पुस्तकालय द्वारा पाठकों का दी जाने वाली सेवाओं के विवरण का लेखा (2) पुस्तक परिचालन के आँकड़े (3) पाठकों के आँकड़ (4) नवीन संयोजनों की सूची (5) मुख्य अनुदान (6) पुस्तकालय में आयोजित प्रदर्शनी (7) पुस्तकालय सग्रह का स्थानीय इतिहास, तथा (8) पुस्तक मूल्यांकन आदि मुख्य व महत्त्वपूर्ण प्रकरण हैं, जिन्हें समाचार पत्र सम्पादक पुस्तकालय सूचना के अन्तर्गत ले सकता है।

विज्ञप्ति पुस्तिका

पुस्तकालय प्रचार एवं प्रकाशन का अत्यन्त सामान्य साधन विज्ञप्ति पुस्तिका है जो साप्ताहिक व मासिक हो तथा जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय द्वारा नवीन अधिग्रहित पुस्तकों को विवरणमय सूची तथा पुस्तकालय से सम्बन्धित सूचनाएँ, एक व दो पृष्ठ में विशिष्ट सग्रह का विवरण तथा पुस्तकालय सेवा व नीति पर आलेख आदि हो। दानकर्ताओं की सूची प्रकाशित कर तथा महत्त्वपूर्ण उपहारों का उल्लेख कर एक घोर ती पुस्तकालय अनुदान

व उपहार के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुस्तकालय के ग्रन्थ हिज्वित्तकों को अनुदान व उपहार देने के लिए प्रेरित करते हैं।

विज्ञप्ति फलक

इनका उपयोग पुस्तक विशेष तथा पुस्तक समूह की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। आकर्षक पुस्तक वेस्टनपेट (Jackets) विज्ञप्ति फलक प्रदर्शन के लिए प्रच्छी प्रकार भी सामग्री है। वेस्टनपेटों की पुस्तकों के विषय प्रम प्रसवा ग्रन्थ किसी भी प्रकार व्यवस्थित कर पाठकों को आकर्षित करने के लिए फलक पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रदर्शन के मध्य ऐसी पुस्तकों की सूची, जिनका उपयोग पुस्तकालयाध्यक्ष कराना चाहता है, लगाकर आसानी से करा सकता है।

विज्ञापन-पत्र

पुस्तकालय प्रचार कार्य के लिए विज्ञापन-पत्र का उपयोग बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इसकी सफलता के लिए योजना, विज्ञापन पत्रों के श्रेय के प्रति संयोजक एक योग्य संचालन की आवश्यकता है। अतः विज्ञापन-पत्र के प्रकार व स्थान निर्धारण तथा आवश्यक सामग्री, जिनकी आवश्यकता हो, पुस्तकालय प्रचार कार्यक्रम के परिपत्र धर्म के रूप में मानी जानी चाहिए। विज्ञापन-पत्र अत्यधिक प्रभावशाली होता है, यदि उसका बहिर्भूत संक्षिप्त व स्पष्ट हो, पाठकों को आकर्षित करे तथा उस आकर्षण को स्थायी बनाए। उसका मुख्य भाग साफ व सुनिश्चित हो, मृदुल व सदा गर्मों का उपयोग हो, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सकें, आकार, आर्द्रों को तिलने के रंग रंगों के उपयोग आदि के द्वारा विज्ञापन-पत्रों में विविधता लानी जा सकती है। विज्ञापन पत्र को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कर पाठकों व प्रपाठकों को समान रूप से आकर्षित किया जा सकता है।

प्रदर्शन (Display)

सर्गीकरण एवं सूचीकरण की भाँति प्रदर्शन भी पुस्तकालयाध्यक्ष के पास पुस्तकों का उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। समस्तित एव सन्तुलित प्रदर्शन के कारण पुस्तकालय मनमोहक दृश्य होना चाहिए तथा पाठकों को आकर्षित करने के लिए, पुस्तकालय की ग्रन्थ सामग्री के मध्य भी अलग सा लगाया चाहिए। इस प्रकार का प्रदर्शन दो तरह से हो सकता है:—

1. सभी प्रकार के पाठकों की सम्पन्न रवि के अनुसार मनोरंजनार्थक एवं सांस्कृतिक संग्रह का प्रदर्शन। इसके अन्तर्गत नवीन अधिग्रहित पुस्तकों का प्रदर्शन भी आ जाता है।
2. विशिष्ट प्रकार की पुस्तकों का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से विशिष्ट पुस्तक संग्रह का प्रदर्शन। इसमें पुस्तकों का व्यापक संग्रह आ सकता है तथा इसके अन्तर्गत नाटक, संदर्भ ग्रन्थ एवं किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तकों का प्रदर्शन हो सकता है।

प्रदर्शनी (Exhibitions)

समस्त पुस्तक संसार से अलग कर विशिष्ट पुस्तक प्रथवा पुस्तक समूह का प्रमुख

स्थान पर प्रदर्शन उनके उपयोग की सम्भावनाओं में बसीमित सुखबसर प्रदान करता है। पुस्तकालय में प्रदर्शन भी दो प्रकार का होता है। (1) स्थायी प्रकृति का इसमें अच्छी छपाई की पुस्तकें, ग्रन्थ पुस्तक सङ्करण, पाण्डुलिपि, कलात्मक पुस्तकें आदि आती हैं तथा (2) प्रस्थायी प्रकार का प्रदर्शन जिसे विशिष्ट विषय, समय व महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा उत्सव व मेलों पर, साहित्यिक वापिकोरसव तथा किसी प्रमुख लेखक अथवा व्यक्ति की शताब्दी पर आयोजित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रदर्शनों का सुव्यवस्थित आयोजन पाठकों की ज्ञानवृद्धि में सहायक होगा तथा उनमें अध्ययन के प्रति प्रेरणा प्रदान कर पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ाएगा।

रेडियो

पुस्तकालय प्रचार के लिए आकाशवाणी अथवा रेडियो का उपयोग किया जा सकता है। अपनी सेवाओं की रेडियो के माध्यम से व्याख्या करने में सभी पुस्तकालय प्रारम्भिक अवस्था में ही है। पुस्तक वार्तालाप तथा नयी पुस्तकों व विशिष्ट विषयों की पुस्तकों का रेडियो के माध्यम से मूल्यांकन कर एवं पुस्तकालय कार्य की व्याख्या कर पुस्तकालय जाहान्वित हो सकते हैं।

वार्षिक विवरण (Annual report)

जहाँ तक पुस्तकालय प्रचार का सम्बन्ध है, वार्षिक विवरण व्यवस्थापकों, पाठकों तथा पुस्तकालय के सभी हितचिन्तकों को पुस्तकालय सेवा, कार्य, भावी योजनाओं व आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्रदान करता है। प्रचार की उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वार्षिक विवरण का प्रकाशन योजनाबद्ध हो। वार्षिक विवरण में निम्नलिखित सूचनाएँ होनी चाहिए —

- (1) पुस्तकालय ध्येय की पूर्ति के लिए वर्ष के कार्यों का विवरण,
- (2) विद्वता के क्षेत्र में पुस्तकालय का योगदान, तथा
- (3) बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए आधिक आवश्यकता।

छविगृह

पुस्तकालय प्रचार के लिए छविगृहों का उपयोग अधिक नहीं किया गया है। स्थानीय छविगृहों में चित्रपटों (Slides) का उपयोग इस प्रकार के प्रदर्शनों के अन्तर्गत आता है। चित्रपट के द्वारा लेखक का नाम, पुस्तक का नाम तथा सक्षिप्त विवरण आदि को प्रदर्शित किया जा सकता है। पुस्तकालय पुस्तक, लेखक तथा पुस्तकालय सेवा से सम्बन्धित चलचित्रों के प्रदर्शन का भी आयोजन कर सकते हैं।

व्यक्तिगत प्रचार

व्यक्तिगत सम्बन्ध अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रचार का सबसे सस्ता साधन है, परन्तु इनकी सफलता पुस्तकालयाध्यक्ष के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जैसे ही पाठक पुस्तकालय में पदार्पण करता है, उसे व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रचार पाठक समूहों के मध्य वार्तालाप आयोजित करके भी किया जा सकता है। ऐसे आयोजन में पाठकों को भी निमन्त्रित कर उन्हें पुस्तकालय की ओर आकर्षित किया जा सकता है तथा इस प्रकार के वार्तालाप का आयोजन पुस्तकालय

भवन के बाहर अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार बोर्ड भी पुस्तकालयाध्यक्ष अपने व्यक्तित्व एवं योग्यता से स्थानीय जनता से पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग करा सकता है।

उपसंहार

व्यय तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के पास समय के अभाव के कारण पुस्तकालय प्रचार योजना सीमित रहती है। इस कमी को भी प्रचार के लिए उचित योजना एवं संचालन के अनुभवों के आधार पर दूर किया जा सकता है। दूसरे पुस्तकालयों के प्रापसी सहयोग के द्वारा प्रचार कार्य को अधिक सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है तथा उपर्युक्त सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। सभी पुस्तकालय जिनके सामान्य व्यय है मिल कर राष्ट्रीय, राज्य व्यापी, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर प्रचार साधनों का उपयोग प्रापसी सहयोग के आधार पर कर सकते हैं। इस प्रकार प्रापिक साधनों की एक समय की कमी पुस्तकालय प्रचार में बाधक भी न हो सकेगी और साथ ही प्रचार अधिक, व्यापक एवं प्रभावशाली होगा।

सन्दर्भ सेवा

सन्दर्भ सेवा पुस्तकालयाध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा पाठक व ग्रन्थयन सामग्री के मध्य सम्बन्ध स्थापित कराने को कहते हैं। यद्यपि पुस्तकालय का प्रत्येक कार्य पाठक व ग्रन्थयन सामग्री की दूरी को कम करता है परन्तु मानवीय प्रयासों की अपनी अलग-अलग ही उपयोगिता है। उनका अपना भ्रम ही महत्व है। पुस्तकालय में सन्दर्भ सेवा का वही कार्य है जो मानव शरीर में हृदय का और सैनिक प्रशासन में गुप्तचर विभाग का है। बिना सन्दर्भ सेवा के पुस्तकालय मृत प्रायः है तथा उनकी उपयोगिता व महत्व नगण्य है। अतः यह आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष सन्दर्भ सेवा प्रदान करने में दक्ष हो तथा उपलब्ध सन्दर्भ सामग्री का सदुपयोग कर सके। आज के वैज्ञानिक युग में यह माना गया है कि योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष कम से कम उपलब्ध ग्रन्थयन सामग्री द्वारा भी अच्छी सन्दर्भ सेवा प्रदान कर सकता है जबकि अयोग्य पुस्तकालयाध्यक्ष अच्छी से अच्छी ग्रन्थयन सामग्री होते हुए भी अच्छी सन्दर्भ सेवा प्रदान करने में असमर्थ रहता है। अतः यह कहना युक्ति सगत होगा कि सन्दर्भ सेवा की सफलता अच्छे सकलन पर निर्भर नहीं, बरन् अच्छे व योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष पर निर्भर करती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अनाडी व अयोग्य कार्यकर्ता अपने ही भोजारों से लडना है।

यद्यपि पुस्तकालयों में सन्दर्भ सामग्री खरीदने के लिए धन की अत्यन्त कमी रहती है, फिर भी धीरे-धीरे अथवा विशिष्ट अनुदान प्राप्त करके पुस्तकालय के उपयुक्त अच्छे सन्दर्भ संग्रह का सकलन किया जा सकता है। ऐसे पुस्तकालयों की उपयोगिता को ध्यान में रख कर हम कुछ ऐसे सन्दर्भ ग्रन्थों का उल्लेख कर रहे हैं जिनका प्रत्येक पुस्तकालय में होना आवश्यक है।

बैसे तो प्रत्येक पुस्तक सन्दर्भ सेवा के कार्य में आ सकती है, परन्तु सन्दर्भ ग्रन्थों का निर्माण विशेषतः कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, जिसे उन्हें आसोपास न पढ़ कर, केवल सूचनात्मक रूप में पढ़ा जाय। इनकी अपनी भ्रमग व्युत्पत्ति व स्वरूप होता है। मुख्यतः सन्दर्भ ग्रन्थ निम्न प्रकार के होते हैं :—

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1) विश्वकोश | (Encyclopaedia) |
| (2) शब्द कोश | (Dictionary) |
| (3) वर्षे बोध | (Year book) |
| (4) पंचांग | (Almanac) |
| (5) जीवनी कोश | (Biographical dictionary) |

(6) भूगोलिक कोश	(Geographical dictionary or Gazetteer)
(7) निर्देशिका	(Guide book)
(8) मान नक्शावली	(Atlas)
(9) मानचित्र	(Maps)
(10) ग्लोब	(Globe)
(11) निर्देश संहिता	(Directory)
(12) हस्त पुस्तिका	(Hand book)
(13) वाङ्मय सूची	(Bibliography)
(14) अनुक्रमणिका	(Index)
(15) क्रमिक प्रकाशन	(Serials)
(16) सरकारी प्रकाशन	(Government publication)
(17) श्रव्य-दृश्य साधन	(Audio-visual sources)

- (1) विश्व कोश :— यह ऐसा व्यापक सन्दर्भ ग्रन्थ है, जिसमें ज्ञान के सम्पन्न क्षेत्र अथवा केवल किसी एक क्षेत्र-विशेष से सम्बद्ध लेख अथवा विवरण अकारणिक क्रम में दिए जाते हैं ।

उदाहरण

General Encyclopaedias

1. Encyclopaedia Britannica; A survey of universal knowledge, Chicago, Encyclopaedia Britannica Inc., 24 V.
2. Encyclopaedia Americana. N. Y., American., 30 V.

Children's Encyclopaedias (General)

3. Oxford Junior Encyclopaedia, London, OUP, 13V.
4. Book of Knowledge; The children's encyclopaedia, N. Y., Groslier, 10V.
5. Compton's Pictured Encyclopaedia and Fact Index. Chicago, Encyclopaedia Britannica Inc, 24 V.

Single-volume General Encyclopaedias

6. Columbia Encyclopaedia; N. Y. Columbia'
7. Pear's Encyclopaedia; A book of reference and back ground information for everyday use. Bangaty Suffolk, Pelham Book Ltd.

Special Encyclopaedias

8. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburgh, Clark 13 V.
9. International Encyclopaedia of Social Sciences. N. Y., Macmillan, 15 V.

10. Mc Graw Hill Encyclopaedia of Science and Technology N. Y. Mc Graw-Hill, 15 V.
11. Encyclopaedia of Chemical Technology. N. Y., Interscience 15 V.
12. Encyclopaedia of World Art. N. Y., McGraw-Hill. 15V:

Children's Encyclopaedias

13. Book of Popular Science. N. Y., Grolier. 10V.

Single Volume Special EncycloPaedias

14. Van Nostrand's Scientific Encyclopaedia. N. Y, van Nostrand.
 15. Encyclopaedia of Educational Research. N. Y, Macmillan.
- (2) शब्द कोश—प्रकारादि क्रम में व्यवस्थित किसी भाषा के शब्दों का अर्थ अथवा विषय विशेष के शब्दार्थ बताने वाले ग्रन्थ को शब्द कोश कहते हैं ।

उदाहरण

- (1) Oxford English Dictionary. Oxford. Clarendon Press. 12 V with supplement.
- (2) नालन्दा विशाल शब्द सागर । देहली, न्यू इम्पीरियल बुक डिपो ।
- (3) Warren, H. C. Dictionary of Psychology. Boston, Houghton.
- (3) वर्ष बंध—समसामयिक सूचनाओं का विवरणात्मक व झाँकड़ों सहित वार्षिक प्रकाशन वर्ष बंध (Year Book) कहलाता है

उदाहरण

General

1. Statesman's Year Book. London, Macmillan.
2. Annual Register of World Events. London, Longmans,
3. India-a reference annual. India, Ministry of Information & Broadcasting. Publications Division

EncycloPaedle Year Book

4. Britannica Book of the Year, A record of the march of events Chicago, Britannica.
 5. Americana Annual; An encyclopaedia of current events. N. Y., Americana.
- (4) पंचांग—यह देश वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें जमी तथा सगोल शास्त्रीय सूचनाएँ दी जाती है, जैसे:—
1. Information Please Almanac, 1947-N. Y., Farrar Strauss.
 2. Whitaker, Joseph. Almanac, 1869, London, whitaker.

(5) जीवनी कोश - इस प्रकार के सन्दर्भ ग्रन्थों में विशिष्ट व्यक्तियों की संक्षिप्त जीवनी उनके नाम के उच्चारण सहित दी होती है जैसे :-

1. International Who's Who. 1936--London, Europa Publications.
2. Who's Who in India, Burma and Ceylon. Poona. Sun Pub. House.
3. Chamber's Biographical Dictionary; The great of all Nations and of all times. N. Y., St. Martin's Pr.
4. Webster's Biographical Dictionary. Springfield (Mass) Merriam.
5. Who's Who. 1849--London, Adam & Charles Black.
6. Who was Who. -do-
7. Dictionary of National Biography (DNB). London, OUP, 22 V. with supplements.
8. Dictionary of American Biography (ANB). N. Y., Charles Scribner, 11V with Supplements.

(6) भौगोलिक कोश—जैसा कि नाम से ही प्रकट है, यह भौगोलिक स्थानों, शहरों, ग्रामों, नदियों व पहाड़ों आदि के नामों को अक्षरादि क्रम में व्यवस्थित कर सूचना देने वाला सन्दर्भ ग्रन्थ है जैसे :-

- (1) Columbia Lippincott Gazetteer of the World N. Y., Columbia Univ. Press.
- (2) Webster's Geographical Dictionary. Springfield, (Mass) Merriam.

(7) निर्देशिका—किसी शहर, देश अथवा क्षेत्र के लिए यात्रियों को आवश्यक सूचना प्रदान करने अथवा भवन व म्यूजियम आदि का विवरण देने के लिए प्रस्तुत सन्दर्भ ग्रन्थ निर्देशिका कहलाते हैं।

1. Murray's Guide or A Handbook for Travellers in India, Pakistan, Burma and Ceylon London, Murray.
2. Guide to America. Washington, Public Affairs Press.
3. Fodor's Guide to India (Publications Division).

(8) मानचित्रावली—मानचित्रावली नक्शों, प्रतिचित्रों आदि की संकलित पुस्तिका होती है। यह आवश्यक नहीं है कि मानचित्रों व प्रतिचित्रों का विवरण दिया ही जाए। यह स्वयं से स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित भी हो सकती है तथा किसी अन्य पुस्तक के भाग के रूप में भी आ सकती है, जैसा कि Britanica के 24वें खण्ड में है :-

1. Goode J. Paul. Goode's School Atlas. Chicago, McNally.
2. Hammond's Complete World Atlas. N. Y., Hammond.

(9) मानचित्रों—मानचित्रों के अतिरिक्त मानचित्र भी मन्दिर सेवा के लिए उपयोगी है। मानचित्रों के प्रत्येक विक्रेता है, परन्तु निम्नलिखित प्रमुख हैं :—

1. Geological Survey of India, Dehradun
2. C. S. Hammond & Co., 80 Lexington Ave. N Y, 16
3. Rand McNally & Co., 536 South Clark St., Chicago, USA.

(10) ग्लोब—सदम सेवा के लिए सोलह इंच के ग्लोब पर्याप्त हैं। सम्भव सभी मानचित्र प्रकाशक इन प्रकार के ग्लोबों का वितरण करते हैं फिर भी कुछ अच्छे ग्लोब निम्नलिखित हैं :—

	प्रकाशक	आस्था	क्षेत्र	मदार्द
1.	Denoyer	Liberty	Physical Political	Cradle
2.	Nystrom	Parkins	"	"
3.	Rand	New Horizon	"	"

(11) निर्यस संहिता—व्यक्तियों, सस्याजों, स्थानों आदि की अव्यवस्थित में अथवा वर्गी-नुसार पद्धति से व्यवस्था की सूचना देने वाले सदम ग्रन्थ को निर्यस संहिता कहते हैं जैसे :—

1. Yearbook of International Organisation, N. Y., Hafner.
2. World of Learning, London, Europa Publications.

(12) हस्त पुस्तिका—व्यापक सूची व विशेष उद्देश्य से किसी एक या अधिक विषयों के विविध व महत्वपूर्ण तथ्यों व बाँहड़ों का संचयन कर प्रकाशित पुस्तिका को जिससे शीघ्र सूचना उपलब्ध हो सके, हस्त पुस्तिका कहते हैं, जैसे :—

1. Kane, J. N. Famous First Facts; A record of first happenings, discoveries and inventions in US.
2. Harvey Paul. Oxford Companion to English Literature. Oxford, Clarendon Pr.

(13) वाङ्मय सूची—किसी लेखक विशेष, विशेष, अथवा किसी ऐतिहासिक काल विशेष पर लिखित ग्रन्थों की व्यवस्थित तथा विवरणालम्ब सूची वाङ्मय सूची कहलाती है। इसमें ग्रन्थों के कृतिव, मुद्रण, प्रकाशन, प्रकाशक आदि का पूर्ण तथा ऐतिहासिक विवरण होता है। प्रकाशक स्वयं की प्रकाशित पुस्तकों की सूची भी प्रकाशित करते हैं :—

1. Cumulative Book Index; a world list of books in the English language. N. Y., Wilson.
2. British National Bibliography, London.
3. Indian National Bibliography, Calcutta.

(14) अनुक्रमणिका—पुस्तक, लेख आदि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित अनुक्रमणिका सदम सेवा के लिए अत्यन्त उपयुक्त होती है, जैसे :—

1. Reader's Guide to Periodical Literature., N. Y., H. W. Wilson

2. India Press Index. Delhi Library Association.

- (15) क्रमिक प्रकाशन—क्रमिक अथवा धारावाहिक रूप से खण्डों में प्रकाशित रचनाएँ क्रमिक प्रकाशनों में आती हैं। इसमें क्रमिक प्रकाशन तथा पत्रिकाएँ जोकि नियमित समय पर प्रकाशित होती रहती हैं, आती हैं। इस प्रकार के प्रकाशनों की सूचना निम्नलिखित सदस्य ग्रन्थों से प्राप्त होती है :—

1. Ulrich's Periodical Directory, N. Y., Bowker.

2. Ayer, N. Y., Ayer's Directory of Newspapers and Periodicals. Philadelphia. Ayer.

सक्षिप्त समाचार

1. Facts on File; A weekly synopsis of world events. N. Y., Pearson's Index.

2. Kessing's Contemporary Archives. Weekly diary of world events. London, Kessings Ltd.

3. Asian Recorder, New Delhi.

पत्रिकाएँ (क्रमिक प्रकाशन)

1. Life (Weekly). N. Y., Time Inc.,

2. Reader's Digest (Monthly). N. Y., Reader's Digest Association.

3. ILA Bulletin (Quarterly). Delhi, Indian Library Assn.

समाचार-पत्र

1. New York Times (Daily). N. Y., New York Times & Co.

2. Hindustan Times (Daily). New Delhi.

- (16) सरकारी प्रकाशन—सरकार द्वारा अथवा उसके अधिकार से प्रकाशित ग्रन्थ इस श्रेणी में आते हैं।

- (17) श्रव्य दृश्य साधन—ऐसे उपकरण जिन्हें देखकर व सुनकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुस्तकालय के सदस्य कक्ष में इनका होना आवश्यक है। इन पर भी सदस्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनका लाभ पुस्तकालय उठा सकते हैं, जैसे :—

1. Educational Film Guide (Quarterly)....N.Y., Wilson

2. Hall, David Records, N. Y., Knopf.

3. Catalogue of Civil Publications to the Government of India. Delhi, Manager of Publications.

पुस्तकालय भवन

पुस्तको, पाठको तथा कर्मचारियों के प्रतिरिक्त पुस्तकालय संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पुस्तकालय भवन है। किसी भी पुस्तकालय की कार्यशीलता बहुत कुछ उसके भवन निर्माण, सजावट, सामग्री तथा भवन के स्थान निर्धारण पर करती है। आत्र के युग में, जबकि पुस्तकालय प्रौपचारिक तथा प्रनीपचारिक शिक्षा के केन्द्र माने जाते हैं, यह विचार कि पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए "शहर में ऐसा स्थान चुना जाय जो किसी भी रेलवे स्टेशन भयवा ट्राम लाइन से एक मील दूर हो, जिसके आधा मील के पास में कोई रिक्शा स्टैण्ड न हो तथा सबसे नजदीक का कॉलेज एवं विद्यार्थी होस्टल कम से कम तीन मील की दूरी पर है"। भद्रवशितापूर्ण व प्रयोग्यता का सूचक है। पुस्तकालय को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके भवन निर्माण के लिए ऐसा स्थान चुना जाय जहाँ उस क्षेत्र का, जहाँ पुस्तकालय की स्थापना करनी है, प्रत्येक व्यक्ति आसानी से पहुँच सकें।

सुले², व्हील तथा ग्रिडिस³, मेटकॉफ⁴ तथा चोममन⁵, ने पुस्तकालय भवन योजना के लिए अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है तथा यदि उन्हें सम्यक् दृष्टि से देखा जाय तो यह पुस्तकालय भवन निर्माण व योजना के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त इस प्रकार हैं —

1. भवन अपने प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो अर्थात् प्रत्येक पुस्तकालय भवन निर्माण योजना पुस्तकालय के कार्य, ध्येय व पाठको की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।
2. पुस्तकालय भवन निर्माण योजना से पूर्व प्रशिक्षित व योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्राधिकारी व शिल्पकार को पुस्तकालय भवन योजना बनाने में अनेक भूतों से बचा सकती है।
3. अगर शिल्पकार पुस्तकालय योजना के क्षेत्र में अनुभव नहीं रखता है तो आवश्यक है कि उसको सहयोग व सलाह देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियमित किया जाय जिसे पुस्तकालय स्थापत्य कला का ज्ञान हो।
4. पुस्तकालय भवन निर्माण योजना में बाहरी भाग (Exterior) पर विचार करने से पूर्व उसके अन्तरिक (Interior) भाग की व्यवस्था पर पहले विचार करना अधिक उपयुक्त है।

5. योजना का प्रकार भविष्य में होने वाली वृद्धि व विकास की सम्भावनाओं को देख कर बनाना चाहिए ।
6. इसी प्रकार समय समय पर पुस्तकालय की भौतिक आवश्यकताओं में परिवर्तन घाता रहता है अतः आवश्यक है पुस्तकालय भवन सर्वाधिक लचीला न नमनशील हो । हमारे लिए लचीलेपन व नमनशील का अर्थ पुस्तकालय भवन की उस क्षमता से है जिसके अनुसार पुस्तकालय के विभिन्न भागों, उद्भागों व क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार एक दूसरे से परिवर्तित किया जा सके ।
7. पुस्तकालय भवन योजना में लचीलेपन के सिद्धान्त से सम्बन्धित हो उसके वृत्ति मूलक तथा प्रमापीय (Functional and Modular) होने का सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त पुस्तकालय भवन निर्माण में लचीलापन, लीम्यता, प्रकृतिमता तथा मितव्ययता लाने में सहायक होता है ।
8. अच्छी योजना के लिए मितव्ययता आवश्यक सिद्धान्त है परन्तु अत्यधिक मितव्ययता अविवेक पूर्ण होगी । अत्यधिक मितव्ययता सपह के सरक्षण व पाठकों की सुविधा पर प्रभाव डालती है ।
9. भवन निर्माण में सुविधा व सौंदर्य आवश्यक तत्त्व हैं परन्तु उसमें सौंदर्यता लाने के लिए सुविधा को त्यागना उचित नहीं है । साथ ही यह आवश्यक है कि भवन राखा हो तथा उसमें अत्यधिक सजावट पर ध्यान न दिया जाय ।
10. सार्वजनिक कक्षों की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि कम से कम कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सके ।
11. विभिन्न विभागों में क्रियात्मक सम्बन्ध इस प्रकार का रखा जाय जिसमें पुस्तकों, पाठकों व कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो ।

पुस्तकालय भवन निर्माण के स्थान का ध्यान रखते हुए यह आवश्यक है कि भवन योजना के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय अधिकारी, शिल्पकार तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की समिति नियुक्त की जाए तथा यह समिति कुछ पुस्तकालय भवनों का निरीक्षण कर उनकी अच्छाईयों तथा कमियों का अध्ययन करे एवं विचाराधीन पुस्तकालय के लिए आदर्श पुस्तकालय भवन की रूपरेखा बनाए । लण्डन के मतानुसार पुस्तकालय भवनों का निरीक्षण करने में दो लाभ होंगे । एक तो पुस्तकालय प्राधिकारी अच्छे पुस्तकालय भवन की उपयोगिता से प्रभावित होगा; दूसरे, पुस्तकालयाध्यक्ष को पहले से निर्मित पुस्तकालय भवनों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होगा ।

इतना करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष अपनी आवश्यकता का लेखा प्रस्तुत करे जिससे पुस्तकालय भवन के लिए आवश्यक भूभाग का अनुमान लगाया जा सके । पुस्तकालय भवन के लिए आवश्यक भूभाग का अनुमान लगाने से पहले पुस्तकालयाध्यक्ष को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मालूम कर लेना चाहिए अन्यथा उसकी योजना में त्रुटि होने की सम्भावना होगी—

- (1) पुस्तकालय सपह की आदर्श संख्या (Optimum size) क्या होगी ?
- (2) पास के पुस्तकालयों से पुस्तकालय सेवाओं में क्या व कितना सहयोग मिल सकता है ?

- (3) क्या पुस्तकालय को श्रव्य-दृश्य प्रसाधन भी रखने होंगे ?
- (4) जिस क्षेत्र में पुस्तकालय भवन है, वहाँ मनोरंजन के अन्य साधन क्या ब कितने हैं ?
- (5) उस क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत क्या है ?
- (6) जिस क्षेत्र में पुस्तकालय भवन निर्माण करना है, वहाँ के रहने वालों का जीवन स्तर कैसा है ?
क्या उनके मकान छोटे हैं ? उनमें बिजली आदि का प्रबन्ध कैसा है ?
- (7) पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों का वितरण कैसा है ? क्या अधिकांश नागरिक अपने स्वयं के व्यय से समाचार-पत्र पढ़ते हैं ?

इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष उस समुदाय का, जिसके लिए पुस्तकालय सेवा प्रदान करनी है, सर्वेक्षण कर पुस्तकालय भवन के निर्माण की रूप-रेखा तैयार कर सकता है।

गैलविन तथा बर्न ने 10,000 से 15,000 की प्राबादी वाले क्षेत्र के लिए पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए निम्नलिखित भूभाग की सिफारिश की है⁶ —

बालको के लिए क्षेत्र	600 वर्ग फीट अथवा	55 वर्ग मीटर
परिचालन केन्द्र	200 " "	20 " "
पत्र-पत्रिका कक्ष	600 " "	55 " "
सदस्य विभाग	900 " "	85 " "
संग्रह कक्ष	1500 " "	140 " "
प्रशिक्षण कक्ष	500 " "	45 " "
प्रशासनिक कक्ष	500 " "	45 " "
भाराम कक्ष तथा हाल	300 " "	30 " "
मीटिंग कक्ष	600 " "	55 " "
वातानुकूलित करने के लिए स्थान	150 " "	15 " "
जैनीटर का कमरा	150 " "	15 " "
कुल	6000 " "	560 " "

इतना करने पर भी दोनों लेखकों का विचार है कि परिस्थितियों व आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त सुझाव में परिवर्तन किया जा सकता है।

यद्यपि पुस्तकालय भवन के लिए आवश्यक भूभाग को गणना करने के लिए स्थायी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं पर निर्भर करना पड़ता है। फिर भी सत्तर भर में इस प्रकार की गणना के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनका ध्यान प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष को रखना चाहिए। पुस्तकालय भवन में भूभाग की गणना के लिए मुख्यतः पाठक, पुस्तक संग्रह तथा पुस्तकालय कर्मचारी आवश्यक तत्व हैं। इनकी अनुमानित संख्या जान कर इनके लिए आवश्यक भूभाग का प्रबन्ध व अनुमान लगाया जा सकता है। हम इनमें से प्रत्येक को ध्यान-मनन से लेते हैं।

अध्ययन कक्ष (Reading-room)

अध्ययन कक्ष की लम्बाई-चौड़ाई पाठकों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रत्येक पाठक के लिए 25 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता सर्वमान्य है। मार्गजिनिक पुस्तकालयों में "यदि भविष्य की अनुमानित जनसंख्या 10,000 से कम है तो चार से दस सीट प्रति हजार के हिसाब से रखी जाए। यदि जनसंख्या 10,000 से अधिक व 24,000 से कम है तो चार से पाँच सीट प्रति हजार, 25,000 से 49,000 तक तीन से चार सीट प्रति हजार, 50,000 से 74,000 तक दो से तीन सीट प्रति हजार, 75,000 से 99,000 तक डेढ़ से दो सीट प्रति हजार रखी जाए।⁷

शैक्षणिक पुस्तकालयों में मैटकाफ⁸ ने प्रति 10 छात्रों पर तीन सीट, सायल⁹ तथा बुरचार्ड¹⁰ ने 25 से 50 प्रतिशत छात्रों के लिए बैठने की सुविधा की सिफारिश की है।

भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त पुस्तकालय समिति¹¹ ने विद्यापियों की कुल संख्या के 1/5 अर्थात् 20 प्रतिशत तथा अध्यापकों की कुल संख्या के 1/10 अर्थात् 10 प्रतिशत लोगों के बैठने के आवश्यक प्रबंध का सुझाव दिया है।

अध्ययन कक्ष के सही आकार पर चर्चने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति ISI मापदण्ड से लेकर निर्मातविलित कामूला दिया है—

- (1) लम्बाई— $1.5n$ (नियन्त्रण क्षेत्र को छोड़कर) जबकि n अध्ययन मेजों की बतार की संख्या है।
- (2) चौड़ाई—5m (2 मेज जिनकी लम्बाई 2 मीटर है तथा घाने जाने का रास्ता 1 मी० है) तथा 7.5 मी० (3 मेज 2 मी० लम्बी तथा एक मी० आने-जाने का रास्ता) अथवा 10 मी० (4 मेज 2 मी० लम्बी तथा 2 मी० घाने जाने का रास्ता)

टिप्पणी—अध्ययन मेज का आकार $2 \times 0.70m$ होगा। अध्ययन कक्ष का दो मेजों के केन्द्र से केन्द्र की दूरी जबकि मेज के एक ही ओर बैठना है, तब 1.5 मी० होगी।¹²

संग्रहागार (Stack-room)

पुस्तकालय भवन निर्माण योजना में संग्रहागार अत्यन्त महत्वपूर्ण व जटिल समस्या है। इसमें पुस्तकालय भवन का अधिकांश भूभाग घा जाता है। पुस्तकालय भवन के क्रियाकलाप का केन्द्र होने के कारण यह अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है। संग्रहागार का श्रेष्ठतः सामान्यतः पुस्तकों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। साथ ही यह आवश्यक है कि पुस्तकों की संख्या का अनुमान लगाते समय कम से कम 15 से 20 वर्ष की भावी प्रगति का अनुमान लगाया जाए, क्योंकि पुस्तकालय बढ्दन्शील संस्था है। मोटे तौर पर अमेरिका के पुस्तकालय संघ द्वारा प्रादर्श पुस्तकालय सेवा के लिए 1½ से 3 पुस्तक प्रति व्यक्ति की सिफारिश की है। जबकि इंग्लैंड में रॉबर्ट्स कमेटी 250 पुस्तकें प्रति हजार जनसंख्या पर क्रय करने की सिफारिश की है। इससे प्रतिरिक्त ने 7200 पुस्तकों के मूल संग्रह पर बल दिया है छोटे से छोटे पुस्तकालय के लिए भी कम से कम 3000 उपन्यास तथा 3000 अन्य पुस्तकें क्रय करने का जिस पर f 3600 का व्यय हो, रॉबर्ट्स कमेटी ने सुझाव दिया है।

इसी प्रकार शैक्षणिक पुस्तकालयों में आवश्यक पुस्तक संग्रह के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के तथा कॉलेज पुस्तकालयों के लिए निम्न-लिखित पुस्तक संग्रह के लिए संग्रहागार की सिफारिश की है 13—

क्रमांक	पुस्तकालय	मूल पुस्तक संख्या
1.	विश्वविद्यालय	1,00,000 से 3,00,000
2.	कॉलेज	5,000 से 50,000

स्कूल पुस्तकालयों के लिए यद्यपि हमारे देश में आवश्यक मानदण्ड स्थिर नहीं किए गए हैं तथापि हम उनके लिए 5 से 10 पुस्तक प्रति छात्र तथा कम से कम 3,000 पुस्तकों के संग्रह की कल्पना कर सकते हैं ।

इस प्रकार हम पुस्तकों की संख्या का अनुमान लगाकर 15 पुस्तक प्रति वर्ग फीट घटवा 300 पुस्तक प्रति घलमारी के हिसाब से भाग देकर आवश्यक भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार संग्रहागार के आकार का निर्णय निम्न प्रकार से किया जा सकता है —

(1) संग्रहागार की लम्बाई— $180n + 3 \cdot 15m$ जबकि n पुस्तक रैक की कतारों की संख्या है ।

(2) संग्रहागार की चौड़ाई —

3 मी० (केवल एक पुस्तक रैक के आधार पर जिसकी लम्बाई 2 मी० होगी,

1 मी० चलने-फिरने का स्थान)

5 मी० (दो पुस्तक रैक तथा 1 मी० चलने-फिरने के स्थान के लिए)

8 मी० (तीन पुस्तक रैक तथा 2 मी० चलने-फिरने के लिए)

10 मी० (चार पुस्तक रैक तथा चलने फिरने के स्थान के लिए)

(3) ऊँचाई—फर्श से छत तक 2.25 मीटर ।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए चार संग्रहागार तथा कॉलेज पुस्तकालय के लिए दो संग्रहागार बनवाने की सिफारिश की है ।

अध्ययन कक्ष तथा संग्रहागार के लिए आवश्यक भूभाग की गणना के पश्चात् यह आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय के अन्य विभागों तथा कर्मचारियों के बैठने आदि के भूभाग की गणना करे तथा शिल्पकार को अपनी माँग निम्न प्रारूप में भेजे —

विभाग	क्षेत्रफल	टिप्पणी
-------	-----------	---------

अध्ययन कक्ष

सदन कक्ष

पत्र-पत्रिका प्रकोष्ठ

संग्रहागार

पुस्तकालयाध्यक्ष का कमरा

स० पुस्तकालयाध्यक्ष का कमरा

तकनीकी कर्मचारियों के लिए स्थान
परिचालन कक्ष
प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए स्थान
सेमीनार कक्ष
प्रदर्शन कक्ष
शोध कक्ष
कमरेटी कक्ष
प्रणालिचित्र अध्ययन कक्ष
ग्रन्थ

ग्रन्थ में पाठकों तथा पुस्तकालय कर्मचारियों की भौतिक सुविधा के लिए आवश्यक स्थान भी द्या जाते हैं ।

सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपयुक्त कक्षों में आवश्यक परिवर्तन कर, बाल पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय, चलचित्र पढ़ घादि का प्रावधान भी किया जा सकता है तथा इनका प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किया जा सकता है ।

पुस्तकालय भवन निर्माण में आवश्यक भूभाग तथा उसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के पश्चात् आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय भवन का प्रारूप बनाने के लिए शिल्पकार को भवन के विभिन्न कक्षों के सम्बन्ध में तथा उन्हें एक दूसरे से सम्बद्ध करने के लिए आवश्यक निर्देश दे, जिससे पुस्तकालय भवन अधिकतम सेवा मूलक बन सके । इस सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो सिफारिश की है वह इस प्रकार है¹ —

कक्षों का आपसो सम्बन्ध

- (1) संग्रहागार—भवन में इस प्रकार केन्द्रित हो जिससे वह पुस्तकालय के प्रत्येक भाग के पास हो तथा जहाँ पारानी से पहुँचा जा सके ।
- (2) सूची कक्ष—संग्रहागार से जुडा हुआ ऐसी स्थिति हो जो अध्ययन कक्ष तथा संग्रहागार भाग में पड़ता हो ।
- (3) अध्ययन कक्ष—पुस्तकालय का प्रवेश द्वार अध्ययन कक्ष में ही खुलता हो ।
- (4) पत्र-परिचल कक्ष—यह कक्ष अध्ययन कक्ष से दूर हो तथा इसमें पहुँचने का मार्ग स्वतन्त्र ज्ञाना चाहिए, जिससे कोई भी पाठक इस कक्ष में उस समय भी पहुँच सके, जबकि पुस्तकालय के अन्य कक्ष बन्द हों ।
- (5) विशिष्ट अध्ययन कक्ष—यह कक्ष अध्ययन कक्ष से घोर दूरी पर स्थित हो सकते हैं ।
- (6) पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के कमरे अध्ययन कक्ष के पास ही होने चाहिए तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के कमरे पुस्तकालयाध्यक्ष व उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के कमरों के पास होने चाहिए । तकनीकी कर्मचारियों का संग्रहागार में जाने के लिए प्रवेश से दूर होना चाहिए ।
- (7) प्रदर्शन कक्ष प्रवेश द्वार के पास होना चाहिए, जबकि शोधकर्त्तियों के कक्ष समिति कक्ष घादि दूसरी मजिल पर हो सकते हैं ।

प्रायोग की इन सिफारिशों में कई घसगतियाँ हैं । जहाँ प्रायोग ने प्रथम मंजिल में भवन निर्माण का भार अधिक ढाला है वहीं प्रवेश द्वार से अध्ययन कक्ष तथा अध्ययन कक्ष से सूची कक्ष द्वारा सहायगार तक पहुँचने की सिफारिश असंगत सी लगती है । इससे अधिक संगत तो योमसन¹⁵ द्वारा निर्धारित ऋम हो सकता है । श्री योमसन ने सम्पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र को तीन भागों, अर्थात् शोर युक्त क्षेत्र (Noisy Area), बातचीत का क्षेत्र (Talking Area) तथा शान्त क्षेत्र (Quiet Area) में विभक्त किया है । उनके अनुसार प्रवेश द्वार, प्रदायन कक्ष, निक्षेपालय तथा प्रक्षालनगृह शोरयुक्त क्षेत्र में होने चाहिए । सेमिनार कक्ष, सूची कक्ष, सदरम सहायक, कर्मचारियों के कमरे तथा प्रदर्शन कक्ष आदि बातचीत के क्षेत्र में होने चाहिए । सहायगार, पत्र पत्रिका वकोष्ठ, सदरम अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष तथा शोध कक्ष आदि शान्त क्षेत्र में होने चाहिए ।

प्रकाश व वायु की समस्या

पुस्तकालय के समस्त विभागों के लिए आवश्यक भूभाग का अनुमान लगा लेने तथा साथ ही उसके विभिन्न विभागों का सम्बन्ध निर्धारित करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि उसमें प्रकाश व वायु की समस्या पर विचार किया जाए । अपर्याप्त प्रकाश तथा रोशनी व हवा पुस्तकालय को अनुपयोगी बना सकते हैं । साथ ही पुस्तकालय को अत्यधिक हवादार बनाने की इच्छा अनेक प्रकार की समस्या पैदा कर सकती है ।

प्रकाश के लिए आवश्यक है कि अध्ययन क्षेत्र में उसका फंलाव एकसार हो । वह छाया दीप्त हो तथा चकाचौंध न करे, जिससे अध्ययन करने में सुविधा हो तथा आँखों पर अधिक जोर न पड़े । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक प्रकाश स्रोतों का सहारा लेना होता है । प्राकृतिक स्रोतों में मुख्यतः खिड़कियों से आने वाला प्रकाश है, परन्तु इसमें अनेक कमियाँ हैं । यह प्रकाश एक सार नहीं होता, इससे चकाचौंध भी पैदा होती है, साथ ही खिड़कियों के द्वारा आने वाला ताप पुस्तकालय में ताप सतुलन को भी बिगाड़ देता है । यही शीष्मकाल में अधिक गर्मी तथा शीत में अधिक ठण्ड पैदा करता है । इन कारणों से अनेक विद्वानों ने पुस्तकालयाध्ययन को अप्राकृतिक प्रकाश का प्रबन्ध श्वेतोत्ताप्रदीप्त (Incandescent) अथवा प्रति दीप्ता (Fluorescent) बल्बों अथवा द्युबों द्वारा भी करने का पंगमशं दिया है ।

पुस्तकालय में समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय के विभिन्न विभागों में उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रकाश की मात्रा प्रदान की जाए । सामान्यतः प्रकाश की मात्रा को फुट बत्तिका (Foot Candle) द्वारा नापी जाती है तथा यह मान लिया गया है कि एक सामान्य बत्तिका लगभग 12½ फुट बत्तिका के बराबर प्रकाश प्रदान करती है तथा 1½ फुट बत्तिका अध्ययन के लिए समुचित प्रकाश व्यवस्था है । फिर भी हमें प्रकाश की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन कक्ष में मध्यम चमक के प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा कार्य कक्षों में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी ।

वायु का संचालन व नियन्त्रण

पुस्तकालय में आने वाली वायु तथा प्राकृतिक प्रकाश पुस्तकालय में उष्मा, ताप व

नमी को निर्धारित करते हैं। अधिक ताप व उष्णता जहाँ पुस्तकालय के वातावरण को घसहनीय बना देते हैं, वही कमज में श्वाप्त नमी को समाप्त कर पुस्तकों को सुखा कर नुकसान पहुँचाते हैं। अधिक नमी दोमक, भीगुर, आदि कीड़े मकोड़ों को पैदा कर पुस्तकों को नुकसान पहुँचाती है। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को भवन योजना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि अधिक ताप, नमी, अथवा तथा प्रकाश नभी पुस्तकों को नुकसान पहुँचाते हैं। ताप व नमी के नियन्त्रण के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय में वायु व प्रकाश पर पूर्ण नियन्त्रण रहे, जिससे पुस्तकालय का तापमान 65° से 70° तथा नमी 50 से 60 प्रतिशत रहे। सामान्यतः इस मान को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय भवनों को वातानुकूलित किया जाता है। बुरचार्ड के अनुसार वातानुकूलन, ताप नमी, वायु वेग, वायु वितरण, धूल, कीड़े मकोड़ों, दुर्गन्ध तथा विषाक्त गैसों, इन आठ तत्वों से पुस्तकालय की रक्षा करता है। फिर भी अनेक पुस्तकालय अपनी अधिक स्थिति के कारण पुस्तकालय भवन का वातानुकूलित नहीं करा सकते हैं।

अतः उनको पुस्तकालय में वायु संचालन व ताप नियन्त्रण के लिए अन्य स्थानीय माधनों का उपयोग करना चाहिए तथा यह ध्यान रखना चाहिए कि 15 से 20 फुट प्रति मिनट हवा का वेग पुस्तकालय में समुचित वातावरण प्रदान कर सकेगा। निस्पंदक (Filters) स्थिर विद्युत् (Electro-static) वेनेशियन परदे (Venetian blinds) आदि अनेक यन्त्र इस उद्देश्य की पूर्ति में उपयोगी हो सकते हैं।



References

1. S. R. Ranganathan. 'Five laws of Library Science, Madras, Madras Library Association whor. 1957. p. 32.
2. Charles C. Souk. 'How to plan a library building for literary work.' Boston, Mass, 1912.
3. J.L. Wheeler and A. M. Gilheas, 'Generally accepted principle of library building.' In American public library building, N. Y., Senöner 1941.
4. Keyes D. Metcalf. 'Planning Academic and Research library building, New York, McGraw Hill, 1965.
5. Anthony Thompson. 'Library Building of Britain and Europe. London, Butterworth 1963.
6. Hoyt, R. Gaiyu and Martin Van Buren. 'The Small Public Library Building.' UNESCO 1959. p. 55.
7. Ibid., p. 44.
8. Keyes D Metcalf. 'Planning Academic and Research Library Building.' N. Y., Mc Graw-hill, 1965.
9. Guy R. Lyle. 'The Administration of the College Library.' N. Y. H. W. Wilson, 1961.

10. John E. Burchard, etc. 'Planning the University Library Building Chicago, ALA, 1953.
11. UGC (India) 'University and Collage Libraries-Report of the Library Committee etc.' New Delhi, UGC, 1965. p. 104.
12. Ibid., p. 111.
13. Ibid., p. 104.
14. Ibid., p. 108.
15. Anthony Thompson, 'Library Buildings of Britain and Europe.' London, Butter worth, 1963. p- 8.

△△△△

पुस्तकालय उपकरण तथा उपस्कर

पुस्तकालय में उपकरणों तथा उपस्करों का प्रपना प्रलय ही महत्व है। अच्छे पाराम-देह उपस्कर पाठकों को पुस्तकालय में आकर बंठने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छे व आकर्षक उपकरण व उपस्कर पुस्तकालय का प्रचार करते हैं। डॉ० रगनाथन के अनुसार पुस्तकालय के उपकरण, पुस्तकालय प्राधिकारी व अधिकारियों को पुस्तकालय उन्नति में अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि पुस्तकालय भवन के भीतरी भाग की योजना में आधुनिकतम उपकरणों व उपस्करों को प्राथमिकता दी जाए।

यद्यपि पुस्तकालयमाध्यक्ष इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होता है फिर भी यह आवश्यकता है कि पुस्तकालय उपस्करों के चुनाव में उसके परामर्श लिया जाये। वह पुस्तकालय योजना के आधार पर बनवा कर पुस्तकालय की उपयोगिता को बढ़ा सकता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि पुस्तकालय उपकरण सेवा मूलक मजबूत, आकर्षक व गमनशील हों।


साधारणतः पुस्तकालय में (1) पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए, (2) अध्ययन सामग्री के लिए, (3) पाठकों के लिए, तथा (4) विविध कार्यों के लिए, उपस्करों की आवश्यकता होती है। इन मुख्य आवश्यकताओं के पतिरिक्त कार्य संचालन तथा प्रदर्शन आदि के लिए कुछ उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। इस अध्ययन में हम पुस्तकालय में आवश्यक उपकरण व उपस्करों का अध्ययन उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार करते हैं।

पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए

1. परिचालन पटल (Charging desk)

कर्मचारियों के लिए आवश्यक उपकरणों पर विचार करते समय हम परिचालन पटल (Charging desk) को सर्वाधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण समझते हैं। यह वह महत्वपूर्ण स्थान व उपकरण है, जहाँ से प्रत्येक पाठक को मुक्त सेवा प्रदान की जाती है। परिचालन पटल विभिन्न आकार-प्रकार के होते हैं तथा उनका आकार पुस्तकालय के आकार के अनुसार बदलता रहता है। बड़े पुस्तकालयों में यू (U) आकृति के परिचालन पटल उपयोगी रहते हैं। इस प्रकार के परिचालन पटल में सादान-प्रदान ट्रे का प्रावधान दो तरफ होता है। एक ओर से पुस्तकें दी जाती हैं तथा दूसरी ओर से पुस्तकें वापस ली

जाती है। इस प्रकार इस पटल पर एक समय में दो व्यक्ति काम करते हैं। परन्तु छोटे पुस्तकालयों में ऐसी सुविधा होना कठिन है। इन पुस्तकालयों में सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों का कम होना है। यहाँ एक ही व्यक्ति को आदान-प्रदान करना पड़ता है। अतः इस प्रकार के पुस्तकालयों में (L) आकृति के परिचालन पटल अधिक उपयुक्त होते हैं। इनकी ऊँचाई 40" तथा चौड़ाई 26 से 28" हो सकती है। (U) तथा (L) आकृति के परिचालन पटल निम्न प्रकार के हो सकते हैं —



चित्र न० 1



चित्र न० 2

2. परिचालन ट्रे

परिचालन कक्ष में अन्य उपकरण परिचालन ट्रे है। ट्रे में पुस्तकालय कर्मचारी निर्गमित पुस्तकों के कार्ड आदि रखता है। इस ट्रे का नमूना इस प्रकार का हो सकता है—



चित्र न० 3

3. मेज व कुर्सी

परिचालन कक्ष में पुस्तकालय कर्मचारी के लिए मेज व कुर्सी का होना आवश्यक है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि परिचालन कक्ष में दो प्रकार की कुर्सियाँ होनी चाहिए। एक कुर्सी परिचालन पटल पर घूमती हुई (Revolving) होनी चाहिए। घूमती हुई कुर्सी पर कर्मचारी सुविधानुसार चारों ओर घूम कर काम कर सकता है तथा दूसरी कुर्सी साधारणतः उसकी मेज के साथ होनी चाहिए। इस पर बैठ कर वह अन्य आवश्यक कार्य कर सकता है।

4. निलय (Rack)

मेज के साथ ही निलय अथवा रैक भी होना चाहिए। इस रैक पर पुस्तकालयाध्यक्ष

आवश्यक फाइल, कागज, रजिस्टर आदि रख सकता है। इस रैक का नमूना अधोलिखित प्रकार का हो सकता है —



चित्र नं० 4

पुस्तकालय के अन्य कर्मचारियों के लिए मेज, कुर्सी, रैक, झालमारी, आदि का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। इस प्रकार के उपस्कर पुस्तकालय उपस्करों के विक्रेता प्रासानी से उपलब्ध करा सकेंगे।

अध्ययन सामग्री के लिए

झलमारियाँ — पुस्तकालय में पुस्तकों को रखने के लिए झलमारियों का प्रबन्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक है। पुस्तकालय में झलमारियाँ लकड़ी व स्टील की हो सकती हैं, परन्तु स्टील की झलमारियाँ अधिक उपयोगी रहेंगी। इन झलमारियों में दीमक, कीड़े आदि का लगने का डर नहीं रहता है। इस प्रकार की झलमारियाँ भी कई प्रकार की होती हैं जिनमें मुख्यतः विविध योग्य (Adjustable) तथा निर्योग्य (Fixed) होती हैं। झलमारी चाहे जैसी हो, परन्तु यह आवश्यक है कि वह ऊँचाई में साधारण व्यक्ति की पहुँच के भीतर हो तथा उसके फलक 3 फीट लम्बे व 8 से 9" गहरे हों। ISI तथा अनुदान प्रायोग ने सामान्यतः झलमारी का माप 2'20 × 2'00 × 0'45m रखा है।


संदर्भ पुस्तकों के लिए

1. विश्वकोश साधारण (Encyclopaedia stand)

विश्वकोश साधारण पुस्तकों की तुलना के आकार से बड़े व वजन में अधिक होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनको रखने के लिए उपयोगी उपकरणों को लिया जाए। भारत में M/s Mehra & Co. तथा M/s Standard Library Service, Bahadurgarh Road, Delhi ऐसे स्टैंड बनाते हैं।

2. शब्दकोश साधारण (Dictionary stand)


विश्व कोशों की भाँति ही साधारणतः शब्दकोश भी आकार व वजन में साधारण पुस्तक की तुलना में अधिक होते हैं। इनके लिए भी विशिष्ट प्रकार के आधारों का निर्माण किया गया है तथा इन्हें पुस्तकालय व्यवस्थापकों फर्मों से क्य किया जा सकता है, अथवा पुस्तकालय स्वयं भी अच्छे कारीगर से बनवा सकता है। इस प्रकार के उपकरण का नमूना अधोलिखित चित्र में दिया गया है।



चित्र नं० 5

3. पुस्तक सहायक (Book supports)

पुस्तक सहायक पुस्तकों की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यह पुस्तकों की धूलमारियों में अच्छी तरह व्यवस्थित रखने में सहायक होते हैं। पुस्तक सहायक न होने पर पुस्तक धूलमारी से गिर सकती है तथा उसकी जिल्द टूट सकती है। पुस्तक सहायक लकड़ी व स्टील के हो सकते हैं। इनको बनवाना तथा किसी भी अच्छी दुकान से जो पुस्तकालय सामग्री बेचती हो, खरीदा जा सकता है। पुस्तक सहायक का नमूना इस प्रकार का होता है—




चित्र न. 6

4. पत्रिका निलय (Periodical rack)

पुस्तकों के अतिरिक्त अध्ययन हेतु पत्रिकाओं का पुस्तकालय में विशिष्ट स्थान है। अपने आकार के कारण यह स्वयं खड़ी नहीं रह सकती हैं। अतः इनके लिए विशिष्ट प्रकार के निलय की आवश्यकता होती है। इन प्रकार के निलय बनवाए अथवा क्रय किए

जा सकते हैं। डालू निलय पत्रिका प्रदर्शन के लिए अत्यधिक उपयोगी रहते हैं। इस प्रकार के निलय का चित्र नीचे दिया गया है—



चित्र नं० ७

5. समाचार-पत्र धारक (Newspaper stand or rod)

पत्रिकाओं के पश्चात् समाचार-पत्रों का स्थान आता है। समाचार-पत्रों के प्रदर्शन के लिए विशिष्ट प्रकार के धारकों (Rods) की आवश्यकता होती है। समाचार-पत्र के बीच से इन धारकों में लथी स्टील धारा (Steel rod) को लगाकर लकड़ी अथवा स्टील के बंडे में बांध देते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्र को इकट्ठा कर अध्ययन के लिए प्रस्तुत करते हैं। इनका नमूना इस प्रकार है —

धारक (Rod)



चित्र नं० ८



चित्र नं० ९

स्थान (Stand)

6 नक्शों का स्थान

मन्दर्म सेवा के लिए नक्शों व मानचित्रों का अपना अलग ही स्थान है। किसी भी पुस्तकालय की मन्दर्म सेवा इनके बिना अपूर्ण है। अतः यह आवश्यक है कि पुस्तकालय में नक्शों को प्रदर्शन दीवार पर अथवा स्टैंड पर करते हैं।

यदि पुस्तकालय में नक्शों की संख्या कम है अथवा वहाँ एक या दो नक्शे हैं तो उन्हें दीवार पर लटका कर प्रदर्शित किया जा सकता है, अधिक नक्शों के लिए विशिष्ट प्रकार के स्टैंड बनवाने चाहिए। इनका आकार व प्रकार समाचार-पत्रों के स्टैंड की तरह का भी हो सकता है।

पाठकों के लिए

पुस्तकालय में पाठकों के बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ मेज व कुर्सियों की आवश्यकता प्रथम है। अतः हमें यह सोचना है कि पुस्तकालय में पाठकों के अध्ययन के लिए किस प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था करनी है जिससे वह आरामपूर्वक अध्ययन कर सकें। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाठक को उतना ही आरामदेह फर्नीचर प्रदान किया जाए, जिससे वह अध्ययन कर सकें, सो न सके। अन्यथा जहाँ एक ओर आरामपूर्ण वातावरण बनेगा, वहाँ पुस्तकालय के ध्येय की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी।

1. मेजें

पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय के आकार के अनुसार मेजों की व्यवस्था होनी चाहिए। साधारणतः छोटे पुस्तकालयों में पचास पाठकों के बैठकर अध्ययन करने की व्यवस्था उचित व आदर्श है। यदि एक मेज पर छः पाठकों के बैठने की व्यवस्था हो तो आठ मेजें तथा चार-चार पाठकों के लिए बारह मेजें पर्याप्त होगी। साधारणतः एक मेज पर चार पाठकों के बैठने की व्यवस्था होती है। अतः हम उसी आकार की मेजों का वर्णन करेंगे। इस प्रकार की मेजों की सही लम्बाई 6 फीट तथा चौड़ाई 3 फीट होती है। बचक पाठकों के लिए मेज की ऊँचाई 2 फीट 6 इंच तथा बच्चों के लिए 2 फीट 2 इंच होती है। अध्ययन के लिए डालू मेजों की व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः ऐसी मेजें ही ली जाएँ।

2. कुर्सियाँ

अध्ययन कक्ष में रखी जाने वाली कुर्सियाँ हल्की, मजबूत, आरामदायक व सादा होनी चाहिए। इनकी पीठ मोल मुड़ी हुई तथा दोनों ओर मोलादार हथके लगे होने चाहिए। इनकी टाँगों के बीच रबर के टुकड़े लगाना आवश्यक है। ऐसा करने से पुस्तकालय की शान्ति भंग नहीं होती है।

विविध


उपयुक्त उपकरणों के अतिरिक्त पुस्तकालय में अनेक अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा पुस्तकालय कर्मचारी पाठक तथा पुस्तक के मध्य सम्पर्क स्थापित करता है तथा पाठक तक पुस्तकालय का संदेश पहुँचाता है। इन उपकरणों में सर्वप्रथम

पत्रक पेटिका का स्थान आता है। इसके सम्बन्ध में हम सूचीकरण नामक अध्याय में लिख आए हैं। अन्य उपकरण इस प्रकार हैं :—

1. विज्ञप्ति पटल (Bulletin board)

यद्यपि बड़े पुस्तकालयों में विशिष्ट प्रकार के विज्ञप्ति पटलों का निर्माण व उपयोग किया जाता है, छोटे पुस्तकालयों में खिड़कियों के बीच में दीवार के खाली भाग का उपयोग विज्ञप्ति पटल के लिए किया जा सकता है। इसके अनिश्चित पुस्तकालय के बाहर भी किसी अच्छे स्थान को चुनकर विज्ञप्ति पटल को उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा करने के लिए कांड बोर्ड के मोटे व लम्बे टुकड़े को लेकर उस पर अच्छे प्रकार का कपड़ा लगाकर दीवार पर लगा देना अच्छा व आवश्यक है।

इसमें टीक की लकड़ी का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसाकि निम्नांकित चित्र से प्रकट होता—




चित्र न० 10

2. प्रदर्शन के लिए शीशे का सन्दूक (Display box)

विशेष अभिरुचि की पुस्तकों व अन्य अध्ययन सामग्री के प्रदर्शन के लिए शीशे के बड़े हुए प्रदर्शन सन्दूक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार के सन्दूकों का उपयोग अलाभ्य पुस्तकों तथा अन्य विशिष्ट सामग्री के प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है।

3. विज्ञापन पत्रधारक (Poster holder)

पुस्तकालय में व्यवस्था रखने के लिए विज्ञापन पत्रों द्वारा पाठकों को प्रेरित करने के लिए जाते हैं। इन निर्देशों को काडबोर्ड के मोटे टुकड़ों पर लिख कर विज्ञापन पत्र धारक में लगा देते हैं। यह धारक पुस्तकालय के विभिन्न भागों में ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर रख देते हैं, जहाँ पाठकों को निताह उन तक आसानी से पहुँच सके। इस प्रकार के विज्ञापन पत्र धारक का नमूना निम्न प्रकार है :—



चित्र न० 11

4. पुस्तिका प्रदर्शक सन्दूक (Pamphlet display box)

ऐसी पुस्तिकाओं के लिए, जो न तो सामान्य पुस्तकी के आकार की होती हैं, और न ही पत्रिकाओं के समान होती हैं, विशेष प्रकार के प्रदर्शक सन्दूक का उपयोग करते हैं। यह मोटे कार्डबोर्ड से बनता है तथा इसमें पुस्तिकाओं को सीधा खड़ा करके रखते हैं। इसका नमूना इस प्रकार है :—



चित्र नं० 12

5. पुस्तक वाहन (Book-trolley)

परिचालन कक्ष में पुस्तक वापस आने पर पुस्तकें संग्रह प्रकोष्ठ में भेजी जाती हैं। इस कार्य के लिए एक व्यक्ति को बार-बार वापस भाई हुई पुस्तकों को परिचालन केन्द्र से संग्रह प्रकोष्ठ में ले जाना होता है। इस व्यक्ति के समय व परिश्रम की बचत के लिए ही पुस्तक वाहन का उपयोग किया जाता है। पुस्तक वाहन के फलक मन्दर की ओर बान्धे होते हैं, जिसे वाहन को लाते व ले जाते समय भी पाठक पुस्तकों को मुविधापूर्वक देख सकें तथा पुस्तकें बाहर की ओर नहीं गिरें। इस प्रकार के पुस्तकवाहन का चित्र निम्न है:—



चित्र नं० 13

6. दिनांक मुहर

परिचालन कक्ष में पुस्तकों के निर्गमन के लिए दिनांक मुद्रक की आवश्यकता होती है। कर्मचारी को दिनांक लिखना पड़ता है। पहले केवल साधारण दिनांक मुहर ही उपयोग में लाया जाता था परन्तु अब उसके साथ पेंसिल भी लगी रहती है जैसाकि निम्न चित्र से स्पष्ट है :—




चित्र नं० 14

इस प्रकार के दिनांक मुद्रक उपयोग करने से पाठक व पुस्तकालय कर्मचारी दोनों का समय बचता है।

फलक प्रदर्शक (Shelf guide)

पुस्तकालय की किस अलमारी में किस विषय की पुस्तकें रखी हैं, यह जानने के लिए प्रत्येक अलमारी के प्रत्येक फलक पर निम्न प्रकार का प्रदर्शक लगाया जाता है। यह प्रदर्शक पाठकों को पुस्तक तक पहुँचाने में अत्यधिक सहायक होता है।



चित्र नं० 15

इन उपकरणों के अतिरिक्त पुस्तकालय में उसकी उपयोगिता व सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अन्य उपकरणों को प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु इनको क्रय करना पुस्तकालय के आर्थिक साधनों पर निर्भर करता है। इन उपकरणों में चलचित्र उपकरण, अणुचित्र उपकरण, निर्वात-भाजन (Vacuum Cleaner) तथा कशं पर बिछाने की चटाई, दरी आदि मुख्य हैं।

पुस्तकालय तथा प्रौढ़ शिक्षा

अविकसित तथा विकासशील देशों के समक्ष आज के युग में प्रौढ़ शिक्षा बहुत ही जटिल व महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस वैज्ञानिक युग में निरक्षरता अभिशाप है तथा कोई भी राष्ट्र, जिसके अधिकांश नागरिक अशिक्षित हों, न तो अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में धीमे बढ़ सकता है और न ही अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकता है। हमारे देश के लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति पूर्णतः अशिक्षित हैं तथा शिशुओं में भी जिनकी संख्या 30 प्रतिशत के लगभग प्राची जाती है, बहुत कम ऐसे हैं जिनका पूर्ण बौद्धिक विकास हुआ है। यदि हम ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात करें जिनका पूर्ण बौद्धिक विकास हुआ है तो सम्भवतः हमारी गणना 10 प्रतिशत से भी कम होगी। 50 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र में यह गणना नगण्य है। 90 प्रतिशत व्यक्तियों को विकास के मार्ग पर ले जाने का उत्तरदायित्व जहाँ सरकार का है, वहाँ पुस्तकालय भी अपने आपको इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकते हैं।

हमारे देश की अधिकांश जनता जहाँ एक ओर निरक्षर है, वहीं दूसरी ओर साधु की संख्या में ग्रामों में निवास करती है तथा उसका आर्थिक स्तर भी निम्न कोटि का है। साक्षर व निरक्षर नागरिक धन अर्जित करने तथा उसका उपयोग करने के उपायों में लगे रहते हैं तथा उनमें अध्ययन प्रवृत्ति बिलकुल नहीं है। निरक्षर पढ़ नहीं सकते, साक्षर या तो पढ़ना नहीं चाहते अथवा उनके पास पढ़ने व अध्ययन करने के साधन नहीं हैं। इस प्रकार के वातावरण में प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार के लिए हमारा उत्तरदायित्व दो भागों में बंट जाता है अर्थात् (1) साधन जुटाने का उत्तरदायित्व तो सरकार पर है तथा (2) उन साधनों का सही व उचित उपयोग कराने का उत्तरदायित्व पुस्तकालय व उसके कर्मचारियों का है।

सरकार का उत्तरदायित्व पुस्तकालयों की स्थापना व आर्थिक साधन उपलब्ध कराना है। सरकार को चाहिए कि वह कम से कम प्रत्येक खण्ड (Block) में सर्व सम्पन्न पुस्तकालय की स्थापना में पूर्ण योग दे तथा प्रत्येक पुस्तकालय में उचित प्रकार का पुस्तक संग्रह स्थापित करवाए। इस कार्य के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय विधान स्वीकृत कराया जाए तथा पुस्तकालय संचालक की नियुक्ति हो। पुस्तकालय विधान पुस्तकालय के लिए आर्थिक साधनों की पृष्ठभूमि बनाए तथा पुस्तकालय संचालक पुस्तकालयों में उचित प्रकार के संचालन की व्यवस्था करें।

पुस्तकालयों की स्थापना तथा प्रारम्भिक काल में पुस्तक संचालन की व्यवस्था के उपरान्त देश के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में पुस्तकालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व प्रारम्भ हो जाता

है। हमारे देश में जहाँ इस समय पुस्तकालयों की संख्या बहुत कम है, वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय तथा स्कूल पुस्तकालय कन्धे से कन्धा मिला कर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाए।

प्रौढ शिक्षा का अन्तिम व एकमात्र ध्येय "जैसाकि मनु ने कहा है—उनके द्वार तक जो अज्ञान है, ज्ञान का सदेश ले जाना है" तथा पुस्तकालय इस ध्येय की पूर्ति में सहायक हुए हैं एवं हो सकते हैं। यही कारण है कि पुस्तकालय कार्यधारियों ने पुस्तकालयों में प्रचार व प्रसार को महत्त्वपूर्ण व आवश्यक बनाया है। पुस्तकालय प्रचार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक अपना सदेश पहुँचा सकते हैं तथा प्रसार सेवा के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को पुस्तकालय सेवाओं के अन्तर्गत ला सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पुस्तकालय प्रचार व प्रसार सेवा केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य क्षेत्र की परिधि में ही घाती हो। स्कूल पुस्तकालय भी प्रचार व प्रसार सेवा के माध्यम से प्रौढ शिक्षा के ध्येय की पूर्ति में सहायक हो सकता है। यही नहीं स्कूल में प्रौढ शिक्षा केन्द्र की स्थापना कर इन आशयों को एक बद्ध और आगे बढ़ाया जा सकता है।

पुस्तकालय प्रचार व प्रौढ शिक्षा

प्रचार कार्य, जो जन विचारधारा को प्रभावित करने का कला है, प्रसार में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे माध्यम से पुस्तकालय प्रत्येक नागरिक तक सुगमता से पहुँच सकते हैं तथा उन्हें पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ज्ञान करा सकते हैं।

पुस्तकालय प्रचार के साधन

विज्ञान के द्वारा किए हुए आविष्कारों से पुस्तकालय प्रचार कार्य सम्भव व प्रासंगिक हो गया है। परन्तु इनमें से कई साधनों का उपयोग केवल बड़े पुस्तकालय ही कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से पुस्तकालय सफलतापूर्वक दूर-दूर तक प्रसारण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र भी पुस्तकालय का सदेश दूर-दूर तक पहुँचा सकते हैं। यद्यपि यह दोनों माध्यम बड़े पुस्तकालयों के लिए हैं, फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि बड़े पुस्तकालय अपने प्रचार साधनों में किसी भी स्थानीय जनता को स्थानीय पुस्तकालय के साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

श्रव्य-दृश्य सहायक भी पुस्तकालयों का अच्छा विज्ञापन कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि सरकार प्रत्येक जण्ड पुस्तकालय में उसकी आवश्यकतानुसार न्यूनतम श्रव्य-दृश्य उपकरणों की व्यवस्था करे। इन प्रकार के श्रव्य-दृश्य सहायकों में चलचित्र यन्त्र का प्रत्येक जण्ड पुस्तकालय में होना आवश्यक है। चलचित्रों के प्रदर्शन से हम प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के क्षेत्र में आसानी से ले जा सकते हैं। हम निश्चित रूप में यह कह सकते हैं कि जो कार्य बड़े नेताओं के भाषण नहीं कर सकते हैं, वह काम श्रव्य-दृश्य सहायक अधिक आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। हमें केवल इनके महत्त्व को समझना तथा उनका सही उपयोग करना है।

इनके अतिरिक्त पुस्तकालयमाध्यम का व्यक्तित्व, भाषण कला चतुर्थ तथा विवेकशीलता पुस्तकालय के उपयोग को बढ़ा सकते हैं। पुस्तकालयमाध्यम अध्ययन गोष्ठी, पुस्तकालय-वार्ता आदि का आयोजन कर तथा अभिहितों के सामने पढ़ कर उन्हें कहानियाँ सुनाकर

तथा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर, पुस्तकालय के उपयोग को बढ़ा सकता है तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग दे सकता है ।

विभिन्न प्रकार के पोस्टर, प्रदर्शन आदि का आयोजन कर वह ग्राम निवासियों तथा कविता, कहानी आदि का आयोजन कर बालकों तक को पुस्तकालय में आने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है ।

प्रौढ़ शिक्षा की सफलता के लिए व्यापक प्रचार की आवश्यकता है तथा प्रचार को सफलता के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यक्तित्व निर्णायक है ।

△ △ △

पुस्तकालय नियम

नियमों की प्रावश्यकता किसी भी संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए होती है। पुस्तकालय सामाजिक संस्था है एवं उसका ध्येय समाज सेवा है। अतः ऐसी संस्था में नियमों की प्रावश्यकता सर्वोपरि है अन्वया संस्था का दुरुपयोग हो सकता है। नियम स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए जिससे पुस्तकालय के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। पुस्तकालय नियमों का निर्माण करते समय पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय प्राधिकारी को पुस्तकालय के आधारभूत सिद्धान्तों अर्थात् "पुस्तकें उपयोग के लिये हैं" "प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले अथवा पुस्तकें सभी के लिए हैं" तथा "प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले" का ध्यान रखना प्रावश्यक है। उसे केवल यह देखना है कि पुस्तकालय नियम जनता को हतोत्साहित न करें एवं किसी प्रकार पुस्तकालय का दुरुपयोग न किया जा सके। दूसरे पुस्तकालय नियम इस प्रकार के हों, जिनसे पाठक व सदस्य वह न समझें कि उन्हें प्रादेश दिया जा रहा है। वह यह समझें कि उनसे अनुरोध किया जा रहा है। अनुरोधोपम भाषा पाठको व सदस्यों पर अच्छा प्रभाव डालेगी तथा वह पुस्तकालय में धर का सा वातावरण अनुभव करेंगे।

इस प्रकार के नियमों की रूपरेखा निम्नलिखित हो सकती है :—

1. वार्य के दिन व समय

(क) पुस्तकालय निम्नलिखित-दिनों के प्रतिरिक्त वर्य के प्रत्येक दिन खुला रहेगा:—

(1) फाग अथवा दुलहड़ी	1 दिन
(2) दशहरा	1 दिन
(3) स्वतन्त्रता दिवस	1 दिन
(4) गणतन्त्र दिवस	1 दिन
(5) दीपावली	1 दिन

टिप्पणी—इन अवकाशों को स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार बदला जा सकता है।

(ख) कार्यालय का कार्यकाल :

पुस्तकालय रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाशों के प्रतिरिक्त प्रतिदिन प्रातः..... बजे से रात्रि के.....बजे तक खुला रहेगा।

रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाशों के दिन पुस्तकालय का कार्यकाल प्रातः..... बजे से साय..... बजे तक रहेगा ।

टिप्पणी—पुस्तक निर्गम कार्य पुस्तकालय कार्यकाल समाप्त होने के 30 मिनट पूर्व बन्द कर दिया जायेगा ।

सन्दर्भ, सूचना व बाल विभाग प्रातः..... बजे से साय..... बजे तक खुले रहेंगे ।

2. सदस्यता :

- (1) पुस्तकालय का उपयोग नि शुल्क है एवं निम्नलिखित व्यक्ति आवश्यक फार्म भर कर एवं रुपये जमा कराकर कर सकते हैं । जमा की हुई धनराशि पुस्तकालय की सदस्यता छोड़ने पर वापस दी जायेगी ।
 - (क) स्थानीय नागरिक (भित्तारी व विक्षिप्त व्यक्ति को छोड़कर)
 - (ख) अन्य नागरिक (स्थानीय नागरिक की सिफारिश पर)
 - (ग) दर्शक व विदेशी (किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा स्थानीय नागरिक की सिफारिश पर) अथवा..... रुपये जमा कराने पर ।
 - (घ) स्थानीय दफतरो के कर्मचारी विभागाध्यक्षों की सिफारिश पर ।
- (2) सदस्यता सामान्यतः 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक रहेगी । उसके पश्चात् सदस्यता की पुनरावृत्ति कराना आवश्यक है ।
- (3) स्थानान्तरण आदि के कारण नगर छोड़ने की दशा में सदस्य को पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर तुरन्त सूचना भेजनी चाहिए ।

3 निर्गमन सुविधाएं .

- (1) प्रत्येक पाठक को दो पुस्तकें 15 दिन के लिए दी जाएँगी । आवश्यकता पड़ने पर पाठक उन्हीं पुस्तकों का पुनः निर्गमन करा सकते हैं, यदि किसी अन्य पाठक ने उनकी माँग न की हो ।
- (2) प्रत्येक पाठक को एक पुस्तक के लिए एक कार्ड मिलेगा अर्थात् दो पुस्तकों के लिये दो कार्ड । पाठक कार्ड अपने पास ही रखेंगे एवं जब वे पुस्तक लेने आएँगे तो कार्ड पुस्तकालय कर्मचारी को देगे । कर्मचारी कार्ड अपने पास रखकर पुस्तक पाठक को दे देगा ।
- (3) कार्ड खोने की दशा में पाठक को चाहिए कि तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करे अन्यथा पुस्तकालय किसी हानि के प्रति उत्तरदायी न होगा ।

टिप्पणी—दूसरा कार्ड प्रति कार्ड एक रुपये जमा कराने एवं दो माह पश्चात् दिया जायेगा ।

- (4) सदस्यता समाप्ति की दशा में कार्डों को पुस्तकालय में जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा अवधान धन (Caution Money) वापस होने में परेशानी होगी ।
- (5) पाठक स्वयं पुस्तकालय में प्राकर पुस्तकें ले सकते हैं । उनके कार्ड पर अन्य किसी व्यक्ति को पुस्तक न दी जा सकेगी ।

- (6) निर्यमित पुस्तकों व ग्रन्थ ग्रन्थपत्र सामग्री को आवश्यकता पड़ने पर समय से पहले वापस मंगाया जा सकता है। पाठक को ऐसी दशा में पुस्तक व ग्रन्थपत्र सामग्री सुरक्षित वापस कर देनी चाहिए अन्यथा.....वेसा प्रतिदिन अतीतावधि पुस्तक लग जायेगा।
- (7) सदस्य पुस्तक निर्धारित समय पर वापस कर दे अन्यथा.....वेसा प्रति दिन प्रति पुस्तक घसोतावधि (Overdue) का लगेगा।
- (8) उस सदस्य को जिसके ऊपर क्षतीग्रानधि का प्रयत्ना ग्रन्थ किसी कारण से पुस्तकालय का धन घाती है, उस समय तक पुस्तक नहीं दी जायेगी, जब तक वह उक्त धन लमा न करा दे।
- (9) यदि किसी पुस्तक की माँग अधिक हो तो पुस्तकालयवाच्य उचित ठग से पुस्तक निर्माण की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ निर्यमित का समय कम कर अधिक से अधिक पाठकों द्वारा उक्तका उपयोग करा सकता है।
- (10) यदि कोई पुस्तक माँग होने पर उपलब्ध न हो एवं ग्रन्थ सदस्य उक्तका उपयोग कर रहा हो तो पुस्तक को संरक्षित (Reserve) कर प्रगली मार पाठक का उपलब्ध कराया जा सकता है।

4. धन्य :

- (1) पुस्तकालय में प्रवेश करते समय अपना व्यक्तिगत सामान बाह्य खोकीदार के पास रख दे। खोकीदार उक्त सामान के बदले में टोकन देगा। पुस्तकालय के अन्दर केवल कापी व कागज लेकर प्रवेश करें।
- (2) यद्यपि आपके सामान की पूर्ण सुरक्षा की जाती है फिर भी अनुसंधान कि सुरक्षित सामान न माँएँ।
- (3) टोकन लो जाने पर आपका सामान उती समय वापस मिलेगा, जब भाव उस सामान के मासिक शुने का प्रमाण देगे।
- (4) पुस्तको पर निशान बनाना व उन्हें बिगाड़ना व फाड़ना जुर्म है। स्वयं स्वच्छ पुस्तक पढ़िए एवं अपने वाले साधियों को स्वच्छ पुस्तक पढ़ने दीजिए।
- (5) पुस्तकों काड़िए नहीं अवस्था आपकी ही हानि है। पुस्तकालय सामाजिक संस्था है, उसकी हानि समाज की हानि है।
- (6) पुस्तकालयवाच्य विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को पुस्तकालय में घाने से रोक सकता है।
- (7) कुर्तों को पुस्तकालय मे न लाइए।
- (8) पुस्तकालय मे बीड़ी सिगरेट पीना मना है। पाग की पीक भी मया-रुपान नूकिए।
- (9) यदि आप शान्त रहेंगे तो स्वयं भी ग्रन्थपत्र का धानन्द उजाएँगे तथा ग्रन्थ सदस्यों को भी लाभ उठाने देंगे।
- (10) सदस्य अपना पता (यदि मकान आदि बदला हो) बदलने की सूचना पुस्तकालय को भेजें अन्यथा पुस्तकालय सम्बन्धी सूचना उन तक न पहुँच सकेगी।

इस प्रकार के नियमों को विज्ञप्ति-पुस्तिका में छत्रवाकर समस्त सदस्यों में वितरित करना चाहिए, जिससे उन्हें पुस्तकालय नियमों की जानकारी हो सके एवं वह किसी प्रकार के विगिष्ट-अव्यवहार की कामना न करें। हमारे विचार में-यदि विज्ञप्ति पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर सदस्यों के लिए निम्नलिखित प्रार्थना छाप दी जाय तो अधिक उपयुक्त होगा—

“पुस्तकालय का ध्येय समाज की एवं भाषकी सेवा-करना है। कृपया ऐसी माँग न करें, जिससे साथी सदस्यों को उसी अधिकार से वंचित होना पड़े, जिसका उपयोग आप स्वयं कर रहे हैं। आशा है कि आप पुस्तकालय कर्मचारियों से सहयोग कर पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ाने में सहायक होंगे।” निश्चित ही ऐसे पुस्तकालय जिनके नियम उरसाह-बर्दक एवं सादे होंगे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे तथा पाठकों को घर का-सा वातावरण प्रस्तुत करेंगे।

□ □ □

भारत में पुस्तकालय विधान

भारत, जो सम्भवतया पहले-प्राचीन-बोर्डिक एवं आध्यात्मिक विकास में किसी से भी दूसरा नहीं है, सुनियोजित पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के कार्यक्रम से संसार का साथ नहीं दे पा रहा है। व्यापक शैक्षणिक प्रचुरता एवं विद्वतापूर्ण परम्परा होते हुए भी पुस्तकालय विधान के क्षेत्र में पश्चात् देशों से बहुत पीछे है एवं सुतना में केवल-नवजात शिशु-सा लगता है।

स्वतन्त्रता पूर्व पुस्तकालय विधान

स्वतन्त्रता से पूर्व पुस्तकालय विधान को उन्नत करने के लिए भारत सरकार ने चेष्टा की, परन्तु इस दिशा में अधिक उद्यमिता न की जा सकी। इस सम्बन्ध में पहली महत्वपूर्ण तिथि सन् 1867 ई० है, जब सरकार ने पुस्तकों के लिए Press and Registration of Books Act के लिए स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के अन्तर्गत "पुस्तक के प्रकाशक को बिना मूल्य के प्रत्येक पुस्तक की प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजनी पड़ती थी।" इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को प्राप्त पुस्तकों में से प्रत्येक के बारे में प्रत्यात्मक सूचना पुस्तकों की सूची के साथ देना आवश्यक थी। वर्ष के प्रत्येक तीसरे माह अर्थात् त्रैमासिक उस सूची को प्रकाशित करना होता था।

सन् 1902 में भारत सरकार ने Imperial Library (Indentures Validation) Act स्वीकृत किया। इन अधिनियम ने "भारतीय परिवर्द्ध मे राज्य सचिव तथा कलकत्ता शार्वजनिक पुस्तकालय व भारत की एपीकलचर व हॉर्टीकल्चर, सोसाइटी के मध्य प्रतिपादित प्रतिगपन को स्वीकृत एवं प्रमाणित किया।" यह परिवर्द्धन उस समय लार्ड कर्जन, वाइसराय तथा गवर्नर, भारत सरकार द्वारा-30 जून 1902 ई० को राष्ट्रीय संस्था के लिए किया गया जिसे हम इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इंपीरियल पुस्तकालय का उद्घाटन करते समय लार्ड कर्जन ने कहा कि "इसे सन्दर्भ पुस्तकालय के रूप में होना चाहिए जहाँ विद्यार्थी अध्ययन कर सकें तथा भारत के भावी इतिहासकारों के लिए निशेपागार हो जिसमें जहाँ तक सम्भव हो सके, भारत पर लिखित प्रत्येक सामग्री किसी भी समय देखी व पढ़ी जा सके।"³

राज्यों की विधान सभाओं में पुस्तकालय विधान की आवश्यकता पर कई प्रयत्न किये गए, परन्तु उनसे निरिष्ट ध्येय प्राप्त न हो सका। भारत में पुस्तकालय विधान का विचार सर्वप्रथम डॉ० रंगनाथन द्वारा, जो कि भारतीय पुस्तकालय क्षेत्र के गणनाम्य पुस्तकालयाध्यक्ष हैं तथा त्रिज पर भारत की गवर्नर हो चुका है, किया गया। डॉ० रंगनाथन

भारतीय पुस्तकालय आन्दोलन के महान् प्रणेता एवं भारत में पुस्तकालय विधान के मुख्य निर्माता रहे हैं। उन्होंने समस्त एशिया भौतिक सम्मेलन (All Asia Educational Conference) के सम्मुख जिसका अधिवेशन सन् 1930 ई० में बनारस में हुआ था आदर्श पुस्तकालय अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अधिनियम में 'राज्य में सांख्यिक पुस्तकालयों की स्थापना व रक्षण प्रणाली का दायित्व तथा शहर, ग्राम व अन्य प्रकार की पुस्तकालय सेवाओं का विकास' उपबन्धित था।

बंगाल के कुमार मुनीन्द्रदेव राय महाशय आदर्श पुस्तकालय अधिनियम से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उन्होंने बंगाल पुस्तकालय सभ की ओर से जिसके वह प्रधान थे, बंगाल विधान सभा में पुस्तकालय विधान प्रस्तुत करने की चेष्टा की। उन्होंने ऐसा करने के लिए सन् 1931 ई० में गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। विधेयक स्वीकृत न किया गया एवं उसे अनावधान उपबन्धों के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

इसी प्रकार आदर्श पुस्तकालय अधिनियम के आधार पर एक अन्य विधेयक मद्रास विधानसभा में 1933 में प्रस्तुत किया गया। यह समिति (Select Committee) स्तर पर तो स्वीकृत हो गया परन्तु प्रागे कोई प्रगति न हो सकी। यह या तो जानबूझ कर टालने अथवा इस दिशा में अधिशक्ति की कमी का उदाहरण था। पुस्तकालय विधेयक प्रस्तुत करने का दुसरा प्रयत्न 1917 ई० में पुनः किया गया। परन्तु सरकार द्वारा अन्य कार्यों में व्यस्त होने के बहाने इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

सन् 1942 ई० में भारतीय पुस्तकालय सभ ने डॉ० रगनाथन से एक अन्य विधेयक की रूपरेखा तैयार करने की प्रार्थना की। उन्होंने विधेयक की रूपरेखा बनाई जिसे आदर्श सांख्यिक पुस्तकालय विधेयक कहते हैं। इस विधेयक को दम्बई में समस्त भारतीय पुस्तकालय सभ के पाचवें अधिवेशन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अधिवेशन में विधेयक पर बहस तो हुई परन्तु कोई निश्चित पग नहीं उठाया गया। सन् 1946 ई० में डॉ० रगनाथन ने मध्यप्रदेश के लिए विधेयक तथा विकास योजना की रूपरेखा बनाकर श्री एस० बी० मोलले, शिक्षा मन्त्री के पास भेजा। परन्तु विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व ही श्री मोलले वित्त मन्त्री बन गये तथा उनके उत्तराधिकारी या तो विधेयक को प्रस्तुत न कर सके अथवा उन्हें इस सम्बन्ध में रुचि न थी। उन्होंने डॉ० रगनाथन को लिखा "अभी विधान सभा में पुस्तकालयों के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर नहीं है।"⁵

लगभग इसी समय डॉ० रगनाथन ने ट्रावनकोर राज्य के लिए अन्य विधेयक तैयार किया तथा उस राज्य के मुख्यमन्त्री के पास भेज दिया। परन्तु सन् 1947 में राजनीतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप विधेयक को प्रस्तुत करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। कुछ समय पश्चात् डॉ० रगनाथन को उस राज्य की सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ "हमारे विचार में पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पहले से ही अनेक पुस्तकालय हैं।"⁶ ट्रावनकोर के लिए पुस्तकालय विधेयक तैयार करने के साथ ही डॉ० रगनाथन ने कोचीन के लिए भी विधेयक तैयार किया। विधान सभा में विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व ही पुनः राजनीतिक परिवर्तन हुए तथा कोचीन राज्य का ट्रावनकोर राज्य के साथ विलय हो गया एवं विधान पर विचार भी नहीं किया गया।

स्वातंत्र्योत्तर पुस्तकालय विधान

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में पुस्तकालय आंदोलन अधिकतम व्यक्तियों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के ध्येय से समस्त माधनों को जुटा देने के लिए स्थायी कदम है। जैसे ही विदेशी शासन सत्ता समाप्त हुई, पुस्तकालय कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों को उत्साहपूर्वक तथा साथ ही कुछ सफलतापूर्वक फैलाया।

सन् 1948 के पूर्वार्द्ध में डॉ० रगनाथन ने एक अन्य विधेयक को भारत सरकार के लिए प्ररूपित किया जिसे सघीय पुस्तकालय विधेयक कहते हैं तथा उसे राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय समिति के सम्मूल प्रस्तुत किया। समिति ने इसे घोषणात्मक स्वीकृति प्रदान की, परन्तु इसके भागे कुछ नहीं किया गया। परन्तु श्री भौरिस गायर, देहली विश्व-विद्यालय के उपाकुलपति ने उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया।

सन् 1948 ई० में भारत सरकार ने इम्पीरियल लाइब्रेरी (नाम बदलने) के अधिनियम की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम से कलकत्ता में स्थापित इम्पीरियल पुस्तकालय जिसका उद्घाटन सन् 1902 ई० में लॉर्ड कर्जन, भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library of India) हो गया।

सन् 1954 में भारत सरकार ने पुस्तकों के निक्षेपण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम Delivery of Books (Public Libraries) Act को स्वीकृत किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत समाचार-पत्रों को लेने के लिए सन् 1956 ई० में तशोपन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार "प्रकाशक को अपने व्यय पर प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति तथा प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र को राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य तीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को, जिनके लिए भारत सरकार निर्देश दे, भेजनी होगी।" यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों, विभागीय उपयोग में आने वाली पुस्तकों के प्रतिरिक्त, पर लागू होगा।¹ केन्द्रीय सरकार ने 1963 में आदर्श पुस्तकालय विधेयक को प्रारूपित किया तथा उसे विभिन्न राज्यों को अधिनियम के लिए भेज दिया।

कई राज्यों ने पुस्तकालय विधेयक के विचार पर ध्यान दिया परन्तु उन्हें अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी। डॉ० रगनाथन ने बम्बई के लिए विधेयक तैयार किया तथा उसे वहाँ के मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया। मुख्य मन्त्री ने विधेयक पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने कुछ नहीं किया। डॉ० रगनाथन ने मध्य भारत को दृष्टी सांबन्धित पुस्तकालय की जुबली समिति की प्रार्थना पर भी पुस्तकालय विधेयक तैयार किया, परन्तु वहाँ भी उस विधेयक को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं किया गया।

डॉ० रगनाथन ने उत्तरप्रदेश के लिए भी विधेयक की रूपरेखा तैयार की, लेकिन अभी तक वहाँ भी कुछ नहीं किया गया है। इस प्रकार के विधेयक को जिसका नाम "उत्तर प्रदेश के लिए पुस्तकालय विधेयक के साथ पुस्तकालय विकास योजना तथा 30 वर्ष का कार्यक्रम" है भूतपूर्व शिक्षामंत्री डॉ० सम्पूर्णानन्द द्वारा पुस्तक की प्रस्तावना के रूप में समर्पण प्राप्त हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन 1949 ई० में हुआ। अन्ध मुभाव जिसे स्वीकृति न मिल सकी, काश्मीर राज्य के लिए विधेयक था। देहली राज्य के लिए प्ररूपित पुस्तकालय

विधेयक, जिसे सन् 1955 ई० में देहली पुस्तकालय सभ की प्रार्थना पर प्रस्तुत किया गया था, भी अन्य विधेयकों की भाँति स्वीकृत न हो सका।

सफलताओं से परिपूर्ण इस इतिहास में भी कहीं-कहीं प्रकाश की झलक है तथा कुछ राज्यों में पुस्तकालय विधान के लिए वास्तव में सकल प्रयत्न हो सके। सर्वप्रथम स्वीकृत होने वाला विधेयक जिसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति 29 जनवरी 1949 को प्राप्त हो सकी, मद्रास पुस्तकालय विधेयक, 1948 था। यह भारत में अपने प्रकार का पहला पुस्तकालय विधान था। यह अधिनियम मद्रास प्रान्त में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का प्रबन्ध करेगा व व्यापक रूप से शहर व ग्रामों में पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करेगा।¹⁸ 1955 ई० में स्वीकृत हैदराबाद पुस्तकालय अधिनियम इस दिशा में दूसरा सफल प्रयास है। हैदराबाद राज्य के आन्ध्र, मैसूर व बम्बई राज्यों में 1956 ई० में विलय हो जाने के फलस्वरूप हैदराबाद पुस्तकालय विधेयक निष्क्रिय हो गया है। 25 फरवरी 1960 को स्वीकृत आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अन्य सफलतापूर्वक कार्य है। मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को मैसूर विधान सभा ने 31 जनवरी, 1965 को स्वीकृत किया। इस अधिनियम में अन्य अधिनियमों की तुलना में अनेक नये नये प्रावधान हैं तथा अन्तिम अधिनियम महाराष्ट्र द्वारा 1968 में पारित किया गया। मद्रास का सार्वजनिक विधेयक भारत के पुस्तकालय विधान के क्षेत्र में युगांतकारी घटना तथा अग्रदूत है। आन्ध्र का विधेयक कुछ सगोपनों के साथ मद्रास विधेयक का प्रतिरूप है। परन्तु मैसूर व महाराष्ट्र के विधेयक एक साहित्यिक प्रयास हैं तथा मद्रास व आन्ध्र से कई क्षेत्रों में अधिक विकासशील है तथा जहाँ तक पुस्तकालय वित्त तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रश्न है, एक नई आशा व दिशा प्रदान करते हैं। सन् 1979 में ए० बंगाल सरकार ने भी पुस्तकालय विधेयक पारित कर दिया है।

सुझाव

सर्वोत्तम पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय स्थायी आधार पर राजनीतिक हलचल व पार्टियों के नेताओं से प्रभावित होकर निर्मित किए जाएं। वैधानिक आधार पर ही सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों का जाल बिछा कर ही सर्वोत्तम व पूर्ण पुस्तकालय सेवा प्राप्त की जा सकती है।

जब भारत के पुस्तकालयों की तुलना पश्चिमी देशों विशेषतः इंग्लैंड तथा अमेरिका के पुस्तकालयों से की जाती है तो हम अनुभव करते हैं कि भारत पुस्तकालय विधान के सम्बन्ध में अन्य देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। पुस्तकालय मान्यता का सम्बा इतिहास होने हुए भी केवल चार राज्यों अर्थात् मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र में ही पुस्तकालय अधिनियम है। भारत सरकार व राज्य सरकारों को प्रजातंत्र के रक्षक एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहायक के रूप में पुस्तकालयों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना व रक्षण कानून के अन्तर्गत होना चाहिए एवं उनका उपयोग समस्त जनता द्वारा समानता के आधार पर निःशुल्क तथा प्रबाध होना चाहिए।

परन्तु ऐसे देश में जहाँ की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, सभी को पुस्तकालय सेवा प्रदान करना घोषा के अधिक है। यद्यपि अधिकांशतः अशिक्षा व्याप्त है। फिर भी देश में शिक्षितों की, जो पुस्तकालय सेवा का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकते हैं, संख्या भी कम

नहीं है। पुस्तकालय सुविधा दोनों प्रकार की जनसंख्या का ध्यान रख कर प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षितों को उनकी इच्छित पुस्तक एवं प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। उन लोगों के लिए जो न पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं, पुस्तकालयों की प्रौढ शिक्षा के माध्यम से पुस्तकालय सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अतः पुस्तकालयों के जाल की रचना तकपूर्ण एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के शैक्षणिक कार्यक्रम को बढ़ाने वाली हो। इस प्रकार पुस्तकालय अपने कार्यक्रमों को देश व विदेश के ग्रन्थ पुस्तकालयों, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर सकते हैं।

स्थायी एवं वैधानिक आधार पर स्थापित तथा संरक्षित पुस्तकालय सेवा अन्ततः प्राथमिक स्तरों पर निर्भर करती है। यदि ग्राम सतोपग्रह नहीं है तो पुस्तकालय न तो अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर सकते हैं और न ही पुस्तकालय सेवा उचित रूप में प्रदान कर सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रायः कानून द्वारा निश्चित हो तथा प्रायः के साधन राज्य की विधान सभा में निहित हों। भारत जैसे विशाल देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्राथमिक ढाँचा स्थानीय पुस्तकालय पर, राज्य सरकार के अनुदान तथा केन्द्रीय सरकार से आनुपातिक सहयोग पर आधारित हो।

वैधानिक सुरक्षा एवं वित्तीय प्रबन्ध के प्रतिरिक्त यह महसूस करना आवश्यक है कि पुस्तकालय पूर्णतः प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में अच्छी तरह काम नहीं कर सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्षता में शिक्षा की प्रणाली को उत्तम करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करता हो। भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को चाहिए कि इस ध्येय की पूर्ति में सलग्न विश्वविद्यालयों को प्राथमिक सहायता प्रदान करे। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा पर समस्त संसार में प्रकाशित साहित्य को संग्रहित कर और उत्तम बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पुस्तकालय धान्दोलन के लिए पुस्तकालय संघ आवश्यक है। यद्यपि भारत में अनेक पुस्तकालय संघ हैं, परन्तु वे प्रायः प्रभाव शून्य हैं। भारतीय स्तर पर 1933 में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी, परन्तु यह संघ आवश्यक नेतृत्व देने में असफल रहा। यह जनता एवं सरकार दोनों में ही पुस्तकालय चेतना उत्पन्न न कर सका। ऐसी संस्था के प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि हम उनी प्रकार स्थापित अमेरिकन पुस्तकालय संघ द्वारा अपने ध्येय की प्राप्ति में अपनाए गए सिद्धान्तों व उपायों का तुलनात्मक अध्ययन करें एवं भारत में इन तरीकों को अपनाने की चेष्टा करें। सुसंगठित राष्ट्रव्यापी पुस्तकालय संघ राज्य व राष्ट्रीय सरकारों व कर्मचारियों को पुस्तकालय विधान की आवश्यकता को समझाने व पूर्ण करने की दिशा में सहायक हो सकता है। पुस्तकालय स्कूल एवं शैक्षणिक प्रणाली पर यह आवश्यक कानूनों की सिफारिश कर सकता है।

इन सबसे ऊपर आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, जनता एवं पुस्तकालय कर्मचारी वास्तविकता को पहचानें, पुस्तकालयों के उद्देश्य व ध्येय के प्रति उनमें पूर्ण विश्वास एवं आस्था हो। बिना वैधानिक सहयोग के भारत में पुस्तकालयों का विकास निराशाजनक व अर्धतोषपूर्ण होगा।

References

1. India, Ministry of Education, Report of the Advisory Committee for Libraries, Delhi, Government of India Press, 1959, p. 2.
2. India, Ministry of Law, The India Code, V 6, Delhi, Government of India Press, 1955, Act No. 1 of 1902.
3. G. L. Trehan, Need for Library Legislation in India 'Indian Librarian, V 5; 1959. p. 11.
4. S. R. Ranganathan, 'Library Legislation; Handbook of Madras Library Act,' Madras, Madras Library Association, 1953, p. 56.
5. Ibid., p. 20- 1.
6. Ibid., p. 22.
7. India, Ministry of Law, The India Code, V 4, Delhi, Government of India Press, 1955, Act No. 27 of 1954.
8. C. G. Viswanathan, 'An Introduction to Public Library Organisation. Tr. by S. C. Verma,' Bombay, Asia Publishing House, 1965. p. 27.

भारत में पुस्तकालय आन्दोलन

भारत संप्रभु प्रजातान्त्रिक लोकतंत्र है, जिसमें संसदीय सरकार है। इसका क्षेत्रफल 32,68,081 वर्ग किलोमीटर है तथा यह उत्तर से दक्षिण तक 3,220 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,977 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल में यह संसार का 7वां तथा जनसंख्या में दूसरा राष्ट्र है।¹

भारत की शिक्षा प्रणाली जैसा कि निश्चित है, धर्मों की प्रणाली के आधार पर विकसित हुई थी। अंग्रेज 16वीं शताब्दी में व्यापारी बनकर आए थे। 31 दिसम्बर 1600 ई० को इंग्लैंड में व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम घोषण पत्र मिला।² प्रारम्भ में कम्पनी के प्रतिनिधि केवल व्यापारी थे, परन्तु धीरे-धीरे उन्होंने भारत पर, अपना नियन्त्रण बढ़ाना प्रारम्भ किया सन् 1757 ई० तक अंग्रेज भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट हुए, परन्तु वह शक्ति इंग्लैंड की सरकार के हाथ में होकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी में निहित थी। सन् 1858 ई० में इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा उस सत्ता को सन् 1914 ई० तक परिपक्व कर लिया।

मुमुक्षुस्थित रूप से भारतीय राष्ट्रियता का जन्म सन् 1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुआ।³ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् स्वयं निर्णय की विचार-धारा के उत्थान से भारत में अनेक प्रति प्रभाव पैदा हुए तथा राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी प्रही सत्ता स्थानान्तरण की माँग की, जिसका अन्त पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग में हुआ। अनेक बार आन्दोलन हुए तथा राष्ट्रीय नेताओं को बार-बार जेल में भेजा गया। सन् 1942 ई० में कांग्रेस ने इतिहास प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास कर दिया जिसका अर्थ भारत से विदेशी सत्ता को समाप्त करना था। सन् 1942 से 1946 ई० तक भारतीय राष्ट्रीयवाद एवं अंग्रेज सरकार के मध्य घपोपित युद्ध चलता रहा तथा 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतन्त्र परन्तु क्षणिक भारत का जन्म हुआ।

भारत में शिक्षा के प्रति प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार श्रुतिधर्मों में सम्बन्ध स्थापित करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन के द्वारा उच्च शिक्षा, शोध तकनीक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के स्तर को निश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार चार विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय महत्त्व की अन्य शिक्षण संस्थाओं के संभालन के प्रति भी उत्तरदायी है। सन् 1966-67 में देश की 756,094 शिक्षण संस्थाओं में 726.69 साल विद्यार्थी व 22.22 साल अध्यापक थे।⁴

शिक्षा जीवन भर की प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को ज्ञानार्जन के लिए स्वावलम्बी बनाती है। यदि उस शिक्षा को अपने ही प्रयत्न से पूर्ण करने के लिए पुस्तकालय सेवा उपलब्ध न हो तो अप्र शिक्षा की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तथा व्यक्ति व समाज के लिए शिक्षा का लाभ समाप्त हो जाएगा।

प्राचीन पुस्तकालय

भारत, जो कि अपने बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास में सप्तर में किसी से पीछे नहीं है, अंग्रेजों के आधीन होने के कारण उस समय भी जब सप्तर के अन्य देश राष्ट्रीय सम्पत्ता के स्मारक के रूप में पुस्तकालयों की स्थापना व रक्षण कर रहे थे, अपने यहाँ योजनाबद्ध व उत्तम प्रकार की पुस्तकालय सेवा स्थापित करने में असमर्थ रहा। भूतकाल में प्रजातन्त्र का विचार अज्ञात था। प्राचीन भारत में पुस्तकालयों का अशुद्ध शिक्षण केन्द्रों मन्दिरों, मठों तथा प्रभावशाली एवं धनी व्यक्तियों के घरों में हुआ। कई हिन्दू व मुस्लिम शासकों के महलों में भी पुस्तकालय थे, परन्तु उनका उपयोग केवल विशेष व्यक्ति ही कर सकते थे। यह पुस्तकालय कुछेक को छोड़ कर अन्य के लिए उपलब्ध नहीं थे।

सन् 1758 ई० में जब अंग्रेज शक्ति पूर्णतः फैल गई तो उन्होंने भी पुस्तकालयों की स्थापना पर ध्यान दिया, यद्यपि उनका ध्येय किसी भी प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना नहीं था। अगस्त सन् 1835 ई० में व्यक्तिगत साधनों से पहले पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में हुई। सन् 1850 ई० तक पुस्तकालयों की स्थापना भारत के प्रमुख शहरों बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में अंग्रेज निवासियों के सहयोग तथा उनके उपयोग के लिए की गई। यह पुस्तकालय पूर्ण रूप से निःशुल्क न होकर अभिदान पुस्तकालय (Subscription) थे जहाँ से अभिदान देने वाले सदस्यों को पुस्तकों पर से आकर पढ़ने के लिए दी जाती थी तथा सदस्य पुस्तकों के खो जाने पर व नष्ट हो जाने पर भी क्षतिपूर्ति देते थे। इन पुस्तकालयों का उपयोग समाज के विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित था। 19वीं शताब्दी के अन्त तक प्रत्येक बड़े शहर, सामान्यतः प्रान्तीय राजधानियों तथा कुछ राजाओं की राजधानियों, में पुस्तकालयों की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सन् 1835 ई० में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इस पुस्तकालय को उस समय के कार्यवाहक गवर्नर जनरल सन् चार्ल्स मेटकाफ का सरक्षण प्राप्त था। 21 मार्च 1836 को यह पुस्तकालय औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था।¹⁵ कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भारत के सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। डॉ० स्ट्राय के घर से, जहाँ इस पुस्तकालय ने कई वर्षों तक कार्य किया, सन् 1841 ई० में फोर्ट विलियम कॉलेज भवन में दिया तथा अन्ततः जून 1844 ई० में इसे मेटकाफ हात में स्थानान्तरित कर दिया गया।¹⁶ "इस पुस्तकालय का विलय इम्पीरियल लाइब्रेरी में कर दिया गया जो कि बाद में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया। आज यह सरकार के ऐतिहासिक भवन 'बिलबेर्डर' में स्थित है।

बड़ोदा में पुस्तकालय आन्दोलन

धार्मिक भारत में पुस्तकालय आन्दोलन का सूत्रपात इस शताब्दी के प्रारम्भ में बड़ोदा से हुआ। जनता के लिए निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालयों की विचारधारा को महाराज तियाजीराय गायकवाड़ द्वारा, जिन्हें भारत में धार्मिक पुस्तकालय आन्दोलन प्रारम्भ करने का श्रेय प्राप्त है, फैलाया। अमेरीका के यात्रा काल में उन्होंने विश्व्यात पुस्तकालयाध्यक्ष, विलियम सी० बोरइन की सेवाओं को प्राप्त किया तथा इन्हें राज्य के पुस्तकालय विभाग का सहायक नियुक्त किया। श्री बोरइन श्री मेलविल ड्यूवो के मिथ्य थे जिन्होंने अमेरीका में पुस्तकालय शिक्षा के लिए सन् 1887 ई० में कोलम्बिया कलेज, न्यूयार्क की स्थापना की थी, उन्होंने तीन वर्ष (सन् 1907-1910 ई०) के बोड़े से समय में सम्पूर्ण राज्य में व्यापक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की।

सार्वजनिक पुस्तकालय, देहली

सन् 1951 ई० में देहली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना केवल भारत के पुस्तकालय इतिहास में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण एशिया में महत्वपूर्ण घटना है। यह भारत सरकार तथा यूनेस्को का सहयोगी प्रयास है।

देहली सार्वजनिक पुस्तकालय में चार विभिन्न भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू तथा पंजाबी की 2,70,000 पुस्तकें हैं। पंजीयत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1,00,000 है तथा प्रतिदिन लगभग 6,000 पुस्तकों का निर्गम किया जाता है। पुस्तकालय के चार सप्ताह, आठ उपसप्ताह, पक्षीय निलेपासय तथा चार पक्ष पुस्तकालय गार्डियां हैं जो सप्ताह में 53 स्थानों पर जाती हैं।

पुस्तकालय विधान

पुस्तकालय विधान के क्षेत्र में सन् 1867 ई० महत्वपूर्ण तिथि है, जबकि भारत सरकार ने प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अधिनियम को स्वीकृत किया। सन् 1902 ई० में भारत सरकार ने Imperial Library (Indentures Validation) Act अधिनियम को स्वीकृत किया। सन् 1948 ई० में स्वतन्त्र भारत की सरकार ने Imperial Library (Change of Name) Act अधिनियम स्वीकृत किया। सन् 1954 ई० के पूर्व में भारत सरकार ने Delivery of books (Public Library) Act अधिनियम जिसे 1956 ई० में संशोधित भी किया गया, स्वीकृत किया। राज्यों में पुस्तकालय विधान के सम्बन्ध में केवल चार मुख्य स्तम्भ हैं। सर्वप्रथम 1948 का मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है। तदुपरान्त 1955 का हैदराबाद पुस्तकालय अधिनियम, जोकि हैदराबाद राज्य के अन्य राज्यों में विमय के परभाव निश्चित हो गया है, 1960 का आंध्रप्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965 का मैसूर राज्य का पुस्तकालय अधिनियम तथा अन्तिम 1968 को महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है। भारतीय संसद ने सन् 1969 ई० सुदूर-दक्क सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक पास कर इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय बनाया है। सन् 1979 ई. में प० बंगाल में सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक पारित किया गया है। पुस्तकालय विधान के सम्बन्ध में हम पूर्वबध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में पुस्तकालय

भारत सरकार ने पुस्तकालय सेवाओं की उन्नति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के

ही प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। योजना का मुख्य ध्येय प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना कर सम्पूर्ण राज्य में निरीक्षणों एवं चल पुस्तकालयों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में भ्रमणशील पुस्तकालयों का जाल बिछाना था। सन् 1956 ई० के घन तक इस प्रकार की पुस्तकालय सेवा के प्रारूप को 29 क्षेत्रों ने अपनाया। पुस्तकालय सेवा की इस उन्नति में लगभग एक करोड़ रुपये व्यय हुआ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक कार्यों पर लगभग 204 करोड़ रुपये के व्यय में से पुस्तकालयों की उन्नति के लिए केवल 90 लाख रुपये (0.4 प्रतिशत) ही व्यय किए गए।⁸

तीसरी पंचवर्षीय योजना शिक्षा पर 560 करोड़ रुपये का अनुदान पूर्णतः व्यय कर दिया गया। पुस्तकालयों के लिए प्रावधान विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में से ही किया गया। योजना में पुस्तकालयों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 29 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान की घोषणा योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर वी० के० धार० वी० राव ने जून 1965 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में मद्रास के भाषण में की थी। शिक्षा और वैज्ञानिक शोध कार्य पर दिए जाने वाली कुल राशि में से पुस्तकालयों के विकास के लिए सन्तोषप्रद धनराशि का प्रावधान किये जाने की आशा चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। परन्तु ऐसा न हो सका। सन् 1972 से राजा राम मोहन राय फाउण्डेशन के द्वारा जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकारें अनुदान दे रही हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है। यद्यपि नई शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है एवं सरकार नये स्कूल खोल रही है, नेहरू युवा केन्द्रों के उद्घाटन हो रहे हैं एवं दूरस्थ (Distance) व अनौपचारिक शिक्षा को विकसित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु पुस्तकालयों के सम्बन्ध में सरकारी नीति अभी भी अस्पष्ट है एवं ऐसा लगता है कि भारत में पुस्तकालयों की उपयोगिता के प्रति सामान्य उदासीनता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्रसारित "शिक्षा की चुनौती" में पुस्तकालय व उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में आज नगण्य विवरण है।

पुस्तकालय संघ

किसी भी देश में पुस्तकालय आन्दोलन के लिए व्यावसायिक संघों की आवश्यकता के महत्व पर अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती है। अमेरिका व इंग्लैंड के पुस्तकालय संघों द्वारा किया हुआ कार्य सर्वविदित है। दुर्भाग्य से हमारे देश के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुस्तकालय संघ निष्क्रिय रहे हैं तथा उन्होंने आवश्यक नेतृत्व प्रदान नहीं किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर सन् 1933 ई० में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना महत्वपूर्ण घटना थी। सन् 1955 ई० में एक अन्य पुस्तकालय संघ विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों का भारतीय संघ (Iaslic) की स्थापना हुई।

राज्य स्तर पर प्रथम पुस्तकालय संघ सन् 1914 ई० में स्थापित आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ है। पुस्तकालय संघों में सर्वाधिक क्रियाशील पुस्तकालय संघ सन् 1928 ई० में स्थापित

मद्रास पुस्तकालय संघ है। घीरे-घीरे देश के अन्य राज्यों अर्थात् बंगाल, पंजाब, बिहार, आसाम, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, देहली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा मैसूर में भी पुस्तकालय संघों की स्थापना हुई। राज्य संघों के प्रतिरिक्त भारत सरकार पुस्तकालय संघ की भी स्थापना हुई।

पुस्तकालय शिक्षा

पुस्तकालय शिक्षा का पहला प्रशिक्षण केन्द्र सन् 1911 ई० में बड़ोदा में प्रारम्भ हुआ था। पुस्तकालय शिक्षा के प्रसार के लिए अगला कदम पंजाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालयपाठ्यक्ष श्री ए० डी० डिकिन्सन द्वारा सन् 1915 ई० के लगभग लिखा गया तथा यह प्रयास सन् 1947 ई० अर्थात् भारत के विभाजन तक चलता रहा। सन् 1929 ई० में मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा पुस्तकालय विज्ञान का छोटा सा पाठ्यक्रम (Certificate in Lib. Sc.) प्रारम्भ किया गया जिसे सन् 1931 ई० में विश्वविद्यालय द्वारा ले लिया गया। सन् 1937 ई० में विश्वविद्यालय द्वारा इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post-Graduate Diploma Course) में परिवर्तित कर दिया सन् 1935 ई० में आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने सन् 1941 ई० से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया तथा सन् 1965 ई० से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर की उपाधि देनी प्रारम्भ करदी। बम्बई व कलकत्ता विश्वविद्यालयों ने सन् 1944 तथा 1946 ई० क्रमशः पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया। देहली विश्वविद्यालय, जहाँ सन् 1947 ई० में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी, आज स्नातकोत्तर, मास्टरस् डिग्री तथा डाक्टर (पी०एच०डी०) की उपाधि के लिए शोध पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करता है। अलीगढ़ में पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण सन् 1951 ई० से प्रारम्भ हुआ तथा बड़ोदा व नागपुर में सन् 1957 ई० से। पंजाब विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सन् 1960 ई० से प्रारम्भ किया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी सन् 1960 ई० में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना की, यह वहाँ सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण मिलता है। वर्तमान अर्थात् 1987 में भारत में 48 विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर तथा 14 स्नातकोत्तर (Postgraduate) स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण देने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

इनके अतिरिक्त केरल, उस्मानिया, पूना, करनाटक, मैसूर, बर्दवान, एस० एन० डी० टी० 'बोमेन्स, जीवाजी (श्यालियर), गुजरात, जादवपुर, गौहाटी, शिवाजी (कोल्हापुर) 'धाई० टी० कालेज (लखनऊ) पंचमारही (सागर), रीवा, भोगाल, षण्डीगड, पटियाली, कुरुक्षेत्र आदि में भी पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तकालय संघ भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का संचालन करते हैं। आन्ध्र देश पुस्तकालय संघ द्वारा इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने में सर्वप्रथम है। बनारस, बम्बई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गुजरात, देहली तथा उत्तर प्रदेश के पुस्तकालय संघ भी इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। भारत सरकार पुस्तकालय संघ ने भी पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु कुछ वर्षों के उपरान्त इस प्रकार का प्रशिक्षण बन्द कर

दिया। कलकत्ता में स्थित इम्पीरियल पुस्तकालय (वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय) ने भी सन् 1935 ई० में इस प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की स्थापना की थी एवं वह प्रतिक्षण सन् 1945 ई० तक चलता रहा।

कुछ अन्य सस्याएँ जैसे देहली स्थित बोमेन पोलिटेकनिक, बंगलोर का राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रशिक्षण केन्द्र, वी० घार० कानेज, धायरा, आदि में भी पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ विश्वविद्यालयों में बी० एड० के पाठ्यक्रम में भी स्कूल पुस्तकालय के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इस विषय पर एक प्रश्न पत्र भी होता है।

इस सन्दर्भ में यह लिखना अप्रसंगिक न होगा कि डा० रंगनाथन ने मद्रास विश्व-विद्यालयों में अपनी पत्नी के नाम में पुस्तकालय विज्ञान की चेयर की स्थापना के लिए, 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया है।

पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति (Advisory Committee for Libraries) तथा विश्व विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन परिवेक्षण समिति (Review Committee of the University Grants Commission) इन दोनों समितियों की स्थापना पुस्तकालय विज्ञान को उन्नति एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण घटना है। पुस्तकालय सलाहकार समिति की नियुक्ति अक्टूबर 1957 ई० में श्री के० पी० सिन्हा की अध्यक्षता में जनता की अध्यक्षताओं की जानकारी एवं सम्पूर्ण भारत में भावी पुस्तकालय योजना की सिफारिश करने के लिए हुई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट व सुझाव 12 नवम्बर 1958 को भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए।

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन के लिए परिवेक्षण समिति की नियुक्ति डॉ० एस घार-रंगनाथन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान के विभागों द्वारा दी जाने वाली पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा एवं शोध पाठ्यक्रमों में उन्नति करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए हुई थी। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सन् 1965 ई० में प्रस्तुत कर दी।

प्रलेखन (Documentation) के क्षेत्र में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ही प्रगति हो सकी। (UNESCO) यूनेस्को के आर्थिक व तकनीकी सहयोग से भारत में प्रथम राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र (Documentation Center) की स्थापना सन् 1954 ई० में सम्भव हो सकी। यह प्रलेखन केन्द्र जहाँ स्वयं प्रलेखन कार्य करता है, वही राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (National Physical Laboratory) द्वारा स्थापित शोध संस्थाओं के पुस्तकालयों में प्रलेखन कार्य का समुचित निरीक्षण व सुरक्षा प्रदान करता है। इसी शृंखला में भारत सरकार ने सामाजिक विज्ञान भारतीय शोध परिषद् की स्थापना सन् 1969 में की है। इस परिषद् ने बड़ी तेजी से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रलेखन कार्य आरम्भ कर दिया है। प्रलेखन के कार्य में आवश्यक प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र तथा बंगलोर में स्थित प्रलेखन तथा शोध प्रशिक्षण केन्द्र (DRTC, Bangalore) द्वारा किया जा रहा है।

हमारे देश के विकास में आज पुस्तकालयों का महत्त्व काफी है तथा हम देश में धीरे-धीरे पुस्तकालयों का जाल सा बिछा रहे हैं। इस प्रकार के विकास के लिए ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है जो पुस्तकालय विज्ञान की आधुनिक तकनीक से

पूर्णांत: परिचित हों । यद्यपि पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए अनेक प्रशिक्षण केन्द्र खुले हुए हैं परन्तु पुस्तकालय शिक्षण पद्धति प्राथमिक पुस्तकालयों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है । हमें इस पद्धति में समूल परिवर्तन करना होगा तथा ऐसा करने से लिए सफलतापूर्वक साहसिक कदम उठाने होंगे, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विशिष्ट पुस्तकालय संघों को जगाना एवं अपने उत्तरदायित्व को समझाना होगा । उचित एवं व्यवस्थित पुस्तकालय सेवा को पुस्तकालय विधान द्वारा मान्यता व व्यवस्था महत्त्वपूर्णा है । उचित पुस्तकालय विधान एवं जागरूक पुस्तकालय संघ भारत में पुस्तकालयों की उत्पत्ति में स्थायी योगदान प्रदान कर सकते हैं ।

References

1. India, Ministry of Information and Broadcasting. India 1965 Delhi, Government of India Press, 1865. p. 1.
2. R. W. Frazer. 'British India,' N. Y., Putnam's Sons 1897. p. 28.
3. B. G. Gokhale. 'The Making of Indian Nation,' Bombay, Asia Publishing House, 1960, p. 146.
4. India, Ministry of Information and Broadcasting. India. 1971, p. 62.
5. G. K. Ohdekar. 'The Growth of the Library in Modern India, 1498-1836' Calcutta, World Press, 1966 p 157.
6. S. Swaminathan. 'Libraries in India; Yesterday and today.' In Library Science Today, Ed. by P. N. Kaula, Bombay, Asia Publishing House, 1965. p. 359
7. D. R. Kalia. Libraries in Fourth Five Year Plan,' ILA Bulletin, V. 1; 1965. p. 13.
8. N. C. Chakravarty. 'Public Library Development during the Fourth Five Year Plan.' ILA Bulletin, V. 1; 1965. p. 28.

अनुक्रमणिका

- क
- कर्मचारी
 व्यवस्था करना 18
 पुस्तकालय, 18
- कालेज पुस्तकालय
 द्रष्टव्य पुस्तकालय, कालेज
 केन्द्रीयकरण, 16
 पुस्तकालय, 16
- ग
- ग्रन्थ
 धैली, 64
 प्रक्रिया, 60
 मध्य प्रमाण 64
 सूची, रूप 63
 त
 तिथि पर्याप्त, 64
 न
- नाम पत्रादि लगाना, 63
 नियन्त्रण
 क्षेत्र, 14
 पुस्तकालय, 15
 प्रबन्ध, एकता, 15
 निर्देश करना,
 पुस्तकालय, 18
 न्यूयार्क निर्गम प्रणाली, 149
 प्रतीता वधि, 150
 धारक्षण, 150
 उपकरण, 149
- न्यूयार्क निर्गम प्रणाली
 पुनः निर्गम, 150
 लाभ, 150
 हाति, 151
- प
- पत्रिकाएँ, 121
 पञ्जीकरण पत्रक, 122
 परीक्षण पत्रक, 123
 दैनिक, 125
 मासिक, 124
 वर्गीकृत सूची पत्रक, 124
 साप्ताहिक, 124
- पदसोपान, 12
 पुस्तकालय, 13
 परिग्रहण 61
 पाठक दायित्व 9
 पुष्टि का अनुल, 64
 पुस्तक -
 चुनाव एवं सग्रह, 52
 आदेश पत्र का नमूना, 56
 निर्गम एव धागम
 न्यूयार्क प्रणाली
 द्रष्टव्य न्यूयार्क निर्गम प्रणाली
 प्रणालिया, 145
 ब्राउन प्रणाली
 द्रष्टव्य ब्राउन निर्गम प्रणाली
 परीक्षण
 आदेश पत्रक तथा बिल सं, 61
 फलक पर भेजने से पूर्व, 64
 मौलिक, 61

निर्गम तथा भाग्य प्रक्रिया, 149
 पुस्तक,
 प्रत्याहरण, 142
 इतिहास एवं जीवनी, 143
 प्राकृतिक विज्ञान, 144
 सामाजिक विज्ञान, 143
 साहित्य, 144
 मरम्मत, 160
 मूल्यांकन
 उपन्यास के प्रतिरिक्त, 53
 उपन्यास के लिए, 54
 पाठक के लिए, 55
 पुस्तक
 गुण, 54
 बाह्य स्वरूप, 54
 लेखक के विषय में, 54
 विषय वस्तु, 53
 बर्गीकरण
 द्रष्टव्य, वर्गीकरण
 सुरक्षा, 136
 उपभोक्ताओं से, 139
 कीड़े मकौड़ों से, 139
 पुस्तकालयान्मेष द्वारा, 136
 प्राकृतिक कारण, 132
 सूचीकरण
 द्रष्टव्य सूचीकरण
 पुस्तकालय
 मान्योत्पन्न, 201
 बङ्गोदा से, 203
 भारत में, 201
 भाष
 धन्य साधन, 45
 ध्ययक, 47
 धनुषात, 48
 प्रकाशन, 47
 प्रणाली, 47
 बनाना (निर्माण), 47

समूह, 132
 पुस्तकालय
 उप समिति, 30
 उपकरण, 179
 उपस्कर, 179
 भण्डारण सामग्री के लिए 181
 परिचालन पटल, 179
 ट्रे, 180
 पत्रिका निलय, 182
 पाठकों के लिए, 184
 पुस्तक बाह्य, 186
 पुस्तकालय कर्मचारी के लिए, 179
 पुस्तक सहायक 182
 फसक प्रदर्शन, 187
 मेज व कुर्सी, 180
 निलय, 180
 विविध 184
 विषय कोश बाजार, 181
 शब्द कोश बाजार, 181
 समाचार पत्र धारक, 183
 कर्मचारी, 32
 पर्यस्थिति, 36-9
 उत्तरदायित्व, 9
 विशेषताएँ, 33
 वेतन माग, 37-9
 व्यवस्था, 39-42
 शिक्षा, 34-5
 परीक्षा प्रणाली, 36
 कार्य के दिन, 191
 कार्यालय का कार्यकाल, 191
 कालेज, 22
 नियम, 191
 धर्म, 193
 निर्गमन सुविधाएँ, 192
 राशयता, 192

घन्तः पुस्तकालय द्वापान-प्रदान
प्रक्रिया, 158
निर्गम पत्रक उपभोग, 159
घन्तराष्ट्रीय, 160
कर्मचारी विनियम, 159
पुस्तकालय पचार स, 160
सघ सूची, 159
सहयोगिक
सधिग्रहण, 158
भण्डार, 159
सूचीकरण, 158
सामग्री का विनियम, 158
सांस्कृतिक, 24
देहली, 203
स्कूल, 21
प्रसार सेवा, 152
सध्ययन गोष्ठी, 154
सधिसिद्धि के सम्मुख पढ़ना, 154
उत्सव व मेले, 156
कहानी पाठ सदि, 155
बौद्धिक केन्द्र, 154
पुस्तकालय
प्रदर्शनी, 155
सार्त्तलाप, 155
पुस्तको को जनता की भाषा में
भनुवाद कर पढ़ना, 154
प्रणाली, 153
सगीत, 155
स
बजट तैयार करना, 18
पुस्तकालय, 18
ब्राउन निर्गम प्रणाली, 147
भतीता सधि, 148
श्रव्य-दृश्य
संगठन एवं सेवा कार्य 129
सहायक, 129
साधन, 130
सामग्री, 127

निर्गम तथा भाग्य प्रक्रिया, 148
पुन. निर्गम, 148
साम, 149
हानि, 149
स
भुद्रांकन, 63
स
सोजना बनाना, 17
पुस्तकालय, 17
र
रिपोर्ट देना, 18
पुस्तकालय, 18
स
सर्गिक
एवं प्रसार देना, 62
सिमावा पुठे एवं सेकुल पर, 64
सर्गिकरण, 62, 65-102
उत्तर स्थानीय स्युक्त, 69
पुरः स्थानीय स्युक्त, 68
दशमलव सर्गिकरण प्रणाली, 65
द्विबिन्दु सर्गिकरण प्रणाली, 67
सामान्य विभाजक, 67
विशिष्ट पुस्तकालय
दृष्टस्य पुस्तकालय, विशिष्ट
स
सोष पुस्तकालय
दृष्टस्य पुस्तकालय, सोष
श्रव्य दृश्य
उपकरण
सधिग्रहण, 129
सरक्षण 130
सोप्राम, संगठन व सचालन. 129
सग्रह
सुरक्षा, 137
स्राकृतिक सारण, 138
सन्दर्भ सेवा, 145
संचालन, वैज्ञानिक सार, 12

- पुस्तकालय
प्रचार, 161
द्विविध, 163
प्रदर्शन, 162
प्रदर्शनी, 161
रेडियो, 163
वार्षिक विवरण, 163
विक्रित पुस्तक, 162
विक्रित फन्ड, 162
विज्ञापन पत्र, 162
व्यक्तिगत प्रचार, 163
समाचार पत्र, 161
- प्रसार सेवा, 152
प्राचीन, भारत में, 202
प्राधिकारी, उत्तरदायित्व, 9
भारत, पंचवर्षीय योजनाओं
में, 204
राज्य दायित्व, 8
राष्ट्रीय, कलकत्ता, 202
सबन, 171
सम्पन्न कथा, 173
कथों का मापनी सम्बन्ध, 175
सागु का संघालन व नियन्त्रण, 177
संग्रहण, 317
विज्ञान
वर्षन, 1
गिद्वान्त, 4
- शून्य
पाठक का समय बचाना, 9
पुस्तकालय सर्वप्रथम संघालन है, 10
पुस्तकों उपयोग के विधे, 5
प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक
मिले, 7
पुस्तकालय
उद्देश्य, 157
- पुस्तकालय
शून्य
प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक
मिले, 9
उपहार, 44
वित्तीय साधन
कर, 44
मुद्राने, 44
कृतिदान, 45
सरकारी अनुदान, 44
दियान
भारत, 195
स्वतन्त्रता पूर्व, 195
स्वातन्त्र्योत्तर, 197
विविध रूप, 20
विशिष्ट, 24
विश्वविद्यालय, 235
- शिक्षा,
परीक्षा प्रणाली, 135
भारत, 250
स्नातकोत्तर, 35
शैक्षणिक, 20
शोध, 23
संघ भारत, 204
सदस्यता, 192
समिति, 26
समुद्रोचित, 28
सूचक, 27
कार्यकारी, 28
कार्यगुची, 30
प्रतिवेदनीय, 28
समीक्षा समिति निर्वाचित, 27
गठन, 28
समाहकार, 207
स्वनिर्मित, 27
भारत, 148
उपकरण, 147

- चलचित्र, 128
 ध्वनिक, 128
 परिचालन एवं उपयोग, 130
 प्रसिप्त स्थिर चित्र, 128
 रेडियो तथा टेलीविजन, 129
 संग्रहालय पदार्थ 128
 सचित्र, 128
 सरोक्षिक, 127
 स
 संगठन बनाना, 17
 पुस्तकालय, 17
 सग्रह
 परीक्षण, 132
 तरीके, 132
 ग्रन्थ रजिस्टर का उपयोग,
 कर, 134
 फलक सूची में मिलाकर, 135,
 संख्या गिनकर, 133
 पुस्तकालय, 12
 सत्ता हस्तान्तरण, 15
 पुस्तकालय, 16
 समन्वय करना, 18
 पुस्तकालय, 18
 सार्वजनिक पुस्तकालय
 द्रष्टव्य पुस्तकालय, सार्वजनिक
 सचिनियम (भारत), 196
 सूचीकरण, 63, 103
 प्रकारादि विषय सूची, 104
 अनुबर्ण सूची, 105
 मास्या सूची, 104
 प्रक्रिया, 107
 सर्वानुवर्णी सूची, 104
 सूत्र एवं स्टाफ, 17
 पुस्तकालय, 17
 स्कूल पुस्तकालय
 द्रष्टव्य पुस्तकालय, स्कूल